राजभाषा भारती का विशेषांक
ISSN NO. 0970-9398

सत्यमेव जयते

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग
स्वर्ण जयंती
विशेषांक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हमारे प्रेरणा स्रोत

''हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों व भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।''

–नरेन्द्र मोदी (प्रधान मंत्री)

''भारत की प्रत्येक भाषा, भारत की संस्कृति का गहना है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और किसी भी भारतीय भाषा से हिंदी की प्रतिस्पर्धा नहीं है।''

–अमित शाह (गृह एवं सहकारिता मंत्री)

राजभाषा भारती

वर्ष : 47 अंक : 170 जून, 2025

विशेषांक

"भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है, हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।"

–नरेन्द्र मोदी, प्रधान मंत्री

संरक्षक
अंशुली आर्या
सचिव, राजभाषा विभाग

प्रधान संपादक
डॉ. मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

उप सचिव (पत्रिका)
अनिल कुमार

संपादन
वीरेन्द्र कुमार
सत्येंद्र दहिया

टंकण एवं वितरण सहयोग
विनोद कुमार
प्रीतम सिंह
अनिल कनौजिया

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र-व्यवहार का पता:
उप सचिव (पत्रिका)
राजभाषा विभाग
एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल-patrika-ol@nic.in
वेबसाइट-rajbhasha.nic.in

निःशुल्क वितरण के लिए

शुभकामना संदेश :

राष्ट्रपति का संदेश
उपराष्ट्रपति का संदेश
प्रधान मंत्री का संदेश
गृह मंत्री का संदेश
गृह राज्य मंत्री (एन) का संदेश
गृह राज्य मंत्री (बी एस) का संदेश
सचिव, राजभाषा विभाग का संदेश
संयुक्त सचिव (राजभाषा) का संदेश

लेख :

क्र. सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
1.	अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता	भर्तृहरि महताब	11
2.	गुणवत्तापरक, नवाचारयुक्त शिक्षा से ही संवरेगा भविष्य	डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'	16
3.	भारत और भारतीय स्टेट बैंक : एक साझी यात्रा	चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	18
4.	जन–जन की संपर्क भाषा हिंदी और एचएएल में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम	डॉ. डी.के. सुनील	20
5.	राजभाषा के रूप में हिंदी : विकास यात्रा की झलक	डॉ. निशान्त जैन	23
6.	सूचना प्रौद्योगिकी का भारतीय परिप्रेक्ष्य और हिंदी	प्रो. सुरेन्द्र दुबे	27
7.	संविधान सभा से अपने स्वर्णिम काल तक राजभाषा हिंदी	राजेश श्रीवास्तव	29
8.	सांस्कृतिक चेतना और चिंतन का आधार 'स्वभाषा'	डॉ. ज्योत्स्ना शर्मा	33
9.	राजभाषा विभाग की 50 वर्ष की अविरल यात्रा	सीए प्रतीक जैन	36

रा
ज
भा
षा
भा
र
ती

क्र. सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
10.	स्वभाषा : स्वाभिमान का प्रतीक	डॉ. साकेत कुमार सहाय	40
11.	मशीन अनुवाद, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और हिंदी भाषा	अच्युत कुमार सिंह	44
12.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण और अनुवाद का महत्व	डॉ. निधि शर्मा	50
13.	राजभाषा प्रचार–प्रसार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों की भूमिका	डॉ. मानबेन्द्र मणिन्द्रकुमार डे	55
14.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का प्रयोग– सफल प्रयास और नवाचार	राजीव तिवारी	61
15.	सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी : अवसर एवं चुनौतियाँ	सुमन दास	65
16.	राजभाषा में विज्ञान संचार की संभावनाएं	संजय कुमार	71
17.	राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष : उपलब्धियां और भावी चुनौतियाँ	किशनकुमार मोहनगर अपारनाथी	74
18.	प्रशासनिक कार्य में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग : वर्तमान स्थिति और संभावनाएं	बबली चतुर्वेदी	80
19.	हिंदी के प्रयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी अनुवाद की भूमिका एवं इसका प्रभाव	प्रणव कुमार झा	84
20.	डिजिटल बैंकिंग में स्थानीय भाषाओं का महत्व	डॉ. सुमेध हाडके	88
21.	अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की परस्पर सहभागिता	डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव	93
22.	हिंदी : सूचना प्रौद्योगिकी युग की नई शक्ति	डॉ. शैलेश शुक्ला	97
23.	राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में प्रशिक्षण और अनुवाद की भूमिका	प्रशांत चौबे	104
24.	स्वभाषा : गौरव का प्रतीक	डॉ. हिमालय कुमार हिमांशु	112
25.	सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी	डॉ. संजय कुमार	117
26.	अमृतकाल मे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सहअस्तित्व	अर्पण बाजपेयी	121
27.	हिंदी के प्रयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन अनुवाद की भूमिका	सत्यम कुमार	123
28.	प्रशासनिक कार्य में राजभाषा हिंदी : अनुभव और व्यावहारिक सुझाव	सुचिता श्रीवास्तव	129
29.	राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा : उपलब्धियां और भविष्य की दिशा	इंदु पी.	132

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 26 जून 2025 को **'राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह'** का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर **'राजभाषा भारती विशेषांक'** का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह विभाग की उपलब्धियों का उत्सव तो है ही, साथ ही यह राजभाषा संबंधी हमारे संवैधानिक कर्तव्यों और भाषायी समरसता के प्रति हमारे दायित्व का भी स्मरण करने का अवसर है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन–जन तक संवाद स्थापित करते हुए भाषायी समरसता को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

मैं, राजभाषा विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ तथा इस समारोह की सफलता की कामना करती हूँ।

द्रौपदी

(द्रौपदी मुर्मु)

नई दिल्ली
05 जून, 2025

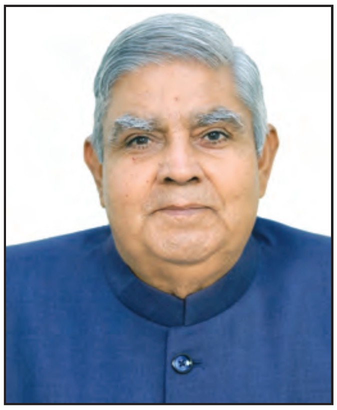

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति, भारत गणराज्य
VICE PRESIDENT, REPUBLIC OF INDIA

संदेश

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के गौरवपूर्ण 50 वर्षों की पूर्णता के इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और योगदानकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की एक अभिव्यक्ति है—एक ऐसी कड़ी है जो विविधता से भरे इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँधने की क्षमता रखती है। हिंदी प्रशासन, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से भारत की साझा चेतना को सुदृढ़ करने का माध्यम भी है।

भारत की शास्त्रीय भाषाएं हमारे सांस्कृतिक वैभव की अमूल्य धरोहर हैं। हिंदी के समग्र विकास के साथ–साथ इस बहुभाषिक संपदा का संरक्षण और संवर्धन, भारत को भाषायी दृष्टि से एक अद्‌वितीय राष्ट्र बनाता है। राष्ट्र की नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्राथमिकता देकर एक साहसिक एवं दूरदर्शी पहल की है।

राजभाषा विभाग ने विगत पाँच दशकों में जिस समर्पण और निष्ठा के साथ हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार, तकनीकी उन्नयन और संस्थागत सशक्तीकरण में भूमिका निभाई है, वह प्रशंसनीय है। मैं उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्वानों और भाषा सेवियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रयास को जीवंत और गतिशील बनाए रखा।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम भारत की अखंडता, समरसता और सांस्कृतिक गौरव को और अधिक दृढ़ करेंगे।

जय हिंद! जय भारत!

जगदीप धनखड़

नई दिल्ली
17 जून, 2025

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की स्थापना की स्वर्ण जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर दिल्ली एवं हैदराबाद में राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन एवं विभाग द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **'राजभाषा भारती'** विशेषांक के प्रकाशन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है।

राजभाषा विभाग की बीते 50 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा उपलब्धियों से भरी है। गठन से लेकर अब तक की अपनी यात्रा में विभाग ने हिंदी को शासन के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए हैं।

किसी भी देश की भाषा, उस देश की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के साथ उसकी ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे लिए हर्ष और गर्व की बात है कि हमारे देश में अनेक समृद्ध भाषाओं का सौहार्दपूर्ण सह–अस्तित्व है। हिंदी समेत विभिन्न भाषाओं का विकास, संरक्षण एवं संवर्धन राष्ट्रहित में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

हिंदी एक जीवंत और गतिशील भाषा है। हिंदी की सरलता, सहजता और समावेशिता ने इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया है। यह देखना अत्यंत सुखद है कि शिक्षा, शोध, तकनीक, व्यापार एवं रोजगार समेत विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का बढ़–चढ़कर प्रयोग हो रहा है।

हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं संवर्धन में राजभाषा विभाग निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आशा करता हूं कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता को बढ़ाने की दिशा में विभाग अपना सतत् योगदान देता रहेगा।

इस विश्वास के साथ राजभाषा विभाग को एक बार पुनः स्वर्ण जयंती की हार्दिक बधाई एवं भविष्य के प्रयासों के लिए अनेक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
ज्येष्ठ 19, शक संवत् 1947
09 जून, 2025

अमित शाह

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

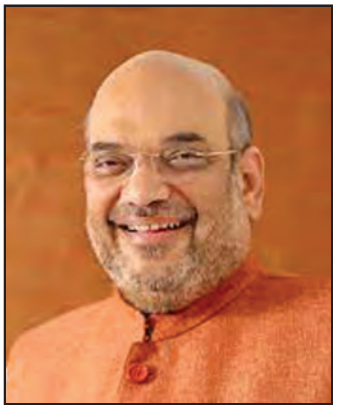

संदेश

यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर त्रैमासिक पत्रिका **'राजभाषा भारती'** के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही, इस अवसर पर नई दिल्ली और हैदराबाद में आयोजित होने वाले राजभाषा समारोहों का आयोजन भी अत्यंत प्रशंसनीय है।

हिंदी और भारतीय भाषाएं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषिक विविधता और सामाजिक जुड़ाव के कारण न केवल देश में, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। हिंदी ने देश की विविधता में एकता स्थापित करने, सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज अपनी समस्त भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रयोग का एक स्वर्णिम युग देख रहा है। आत्मगौरव से अपनी भाषा का प्रयोग करना प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रस्तुत **पंच प्रण** में उल्लिखित "गुलामी की मानसिकता से मुक्ति" के संकल्प की दिशा में एक प्रेरक और सशक्त कदम है।

राजभाषा विभाग, राजभाषा संबंधी संविधानिक और कानूनी उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। विभाग ने सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन, विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना, भाषायी प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ 2.0', 14 भारतीय भाषाओं में विकसित 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' शिक्षण पैकेज, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना, वृहत डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' जैसे नवाचारों के माध्यम से अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती के इस शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग अपनी प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और निरंतर नए आयाम स्थापित करता रहेगा। 'राजभाषा भारती' का यह विशेषांक विभाग की उपलब्धियों का प्रेरक दस्तावेज ही नहीं, अपितु भविष्य के लिए एक दिशासूचक प्रकाशस्तंभ भी सिद्ध होगा। इस अवसर पर मैं राजभाषा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के सफल प्रकाशन की मंगलकामनाएं देता हूँ।

(अमित शाह)

नित्यानन्द राय
NITYANAND RAI

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110001

MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर, दिल्ली एवं हैदराबाद में **'राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह'** का आयोजन करने के साथ ही, राजभाषा भारती के विशेषांक का भी प्रकाशन करने जा रहा है।

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। संविधान निर्माताओं की इसी दूरदर्शी सोच को साकार रूप देने के लिए राजभाषा विभाग संघ की राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन और प्रचार–प्रसार के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

भारत देश भाषायी दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र है। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्र की धरोहर हैं। इनके माध्यम से ही हमारे सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य जीवित रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में राजभाषा हिंदी के साथ ही, सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन का यह स्वर्णिम काल है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा विभाग की उपलब्धियों से सुसज्जित पत्रिका का यह विशेषांक पाठकों को पसंद आएगा और हिंदी प्रेमियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा।

शुभकामनाओं सहित,

(नित्यानन्द राय)

नई दिल्ली
25 अप्रैल, 2025

बंडी संजय कुमार
BANDI SANJAY KUMAR

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती के महत्वपूर्ण अवसर पर दिल्ली और हैदराबाद में आयोजित किए जाने वाले राजभाषा समारोहों के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इस अवसर पर विभाग की पत्रिका *'राजभाषा भारती'* के विशेषांक का प्रकाशन सराहनीय है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि देश के राजकाज का कार्य हमारे देश की भाषाओं में ही संचालित हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी पहलुओं पर गहन विचार–विमर्श करने के पश्चात हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया था। हमारे देश की सभी भाषाओं की अपने–अपने प्रांतों में अहम भूमिका है, लेकिन निस्संदेह अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी ही वह भाषा है जो आम जन के लिए संपर्क का माध्यम है।

माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान 'आत्मनिर्भर भारत' से प्रेरित होकर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जन से जुड़े सभी प्रमुख क्षेत्रों में स्वभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए और देशी भाषाओं के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाकर ही अमृत काल में देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया जा सकेगा।

मुझे आशा है कि *'राजभाषा भारती'* के इस विशेषांक में प्रकाशित लेख रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करेंगे और इसकी सामग्री सरकारी कार्मिकों के साथ–साथ सभी हिंदी प्रेमियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(बंडी संजय कुमार)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.

सचिव

ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTER OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सत्यमेव जयते

दिनांक : 05 जून, 2025

संदेश

राजभाषा विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती के इस विशेष अवसर पर विभाग की त्रैमासिक पत्रिका *'राजभाषा भारती'* का यह विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी भाषा प्रेमियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देती हूँ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हुए राजभाषा विभाग पिछले पचास वर्षों से निरंतर सक्रिय एवं समर्पित रूप से कार्य करता आ रहा है। राजभाषा विभाग, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के साथ–साथ राष्ट्र की भाषायी एकता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सशक्त आधार स्तंभ रहा है। तकनीकी प्रगति, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी की उपलब्धता और सरकारी कार्यों में उसकी सुलभता के लिए विभाग प्रतिबद्ध है और हमारे कार्यकलापों के सुखद परिणाम आज विविध क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं।

राजभाषा हिंदी की संवर्धन यात्रा में यह स्वर्ण जयंती एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ हम अपने अब तक के प्रयासों की समीक्षा करते हुए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं निरंतर प्रोत्साहन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। साथ ही, मैं विभाग के सभी पूर्व सचिवों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और सुदीर्घ प्रयासों से विभाग ने निरंतर प्रगति की और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँचा।

यह विशेषांक न केवल भाषा–संबंधी नवाचारों एवं विविध पहलुओं को रेखांकित करेगा, बल्कि हिंदी के प्रचार–प्रसार में योगदान देने वाले समर्पित व्यक्तित्वों के विचारों को भी प्रकाश में लाएगा। मैं *'राजभाषा भारती'* के इस विशेषांक के सभी लेखकों को उनकी रचनात्मक दृष्टि के लिए बधाई देती हूँ। साथ ही, मैं सभी सुधी पाठकों एवं हिंदी प्रेमियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे हिंदी के संवर्धन एवं उसके कार्यान्वयन को सशक्त बनाने की दिशा में सक्रिय सहभागी बनें तथा राजभाषा विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति में अपना सार्थक योगदान देते रहें।

राजभाषा विभाग की यह स्वर्णिम यात्रा –– अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर सतत गतिशील रहे, यही मेरी मंगलकामना है।

शुभकामनाओं सहित,

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic-in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.–II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI–110001

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की पत्रिका *'राजभाषा भारती'* का 170वां अंक विशेषांक के रूप में आपके सम्मुख है। राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2025 को गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के सुअवसर पर 'संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान' को समर्पित *'राजभाषा भारती'* के विशेषांक (अंक 169) का विमोचन किया गया था जिस पर अनेक सुधी पाठकों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराया।

राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के नोडल विभाग के रूप में राजभाषा विभाग निरंतर कार्यरत है तथा राजकीय कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 26 जून 2025 को राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जो राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन एवं सशक्तिकरण की इस गौरवपूर्ण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इस उपलक्ष्य में *'राजभाषा भारती'* के इस विशेषांक में हिंदी से संबंधित विविध विषयों पर संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों एवं हिंदी के विद्वानों के बहुमूल्य विचार संकलित किए गए हैं। इस अंक में राजभाषा विभाग की 50 वर्ष की गौरवशाली यात्राः उपलब्धियाँ और भविष्य की दिशा', 'राजभाषा के प्रचार–प्रसार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों का महत्व', 'स्वभाषा : स्वाभिमान का प्रतीक', 'सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदीः अवसर और चुनौतियाँ', 'राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण और अनुवाद का महत्व', 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी का प्रयोगः सफल प्रयास और नवाचार' जैसे महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक विषय शामिल किए गए हैं।

मुझे विश्वास है कि इसकी रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषयवस्तु पाठकों के लिए संग्रहणीय सिद्ध होगी तथा यह विशेषांक हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेगा।

'राजभाषा भारती' के सम्मानित पाठकों को अशेष शुभकामनाएं!

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)

ISSN No. : 0970-9398

अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता

— भर्तृहरि महताब
उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

1. अमृत कालः एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

'अमृत काल' शब्द का प्रयोग पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्तूबर, 2021 में किया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष के आगे के 25 वर्षों अर्थात 2047 तक के काल को उनके द्वारा भारत के उत्थान के 'अमृत काल' के रूप में निरूपित किया गया था। इस 'अमृत काल' के दौरान भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित भारत बनाने का लक्ष्य माननीय प्राधनमंत्री जी द्वारा तय किया गया है।

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में घोषित 'अमृत काल' न केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय भाषाओं के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन का भी स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करता है। इस काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता, उनका विकास, परस्पर संवाद और सांस्कृतिक समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र बिना भाषाओं के उत्थान एवं विकास के अपने आप को विकसित राष्ट्र नहीं कह सकता। आज रूस, अमरीका, जापान, फ्रांस इत्यादि जितने भी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं सबकी भाषाएँ न केवल विकसित हैं बल्कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र की भाषा होने का दर्जा भी प्राप्त है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत 'अमृत काल' की अवधारणा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण की दिशा में नए संकल्प और दृष्टिकोण को अपनाना है। यह काल भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य और सभ्यता के पुनर्निर्माण एवं विकास का प्रतीक है।

2. हिंदी का विकास और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसकी सहभागिता

2.1 हिंदी भाषा का विकास

हिंदी भाषा का विकास आदिकालीन प्राचीन संस्कृत से हुआ है, जो मध्यकाल में प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से विकसित हुई। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखा गया, जिसमें संतों ने हिंदी में रचनाएँ कीं। तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीरा बाई जैसे संतों ने हिंदी को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद रीतिकाल के कवियों ने हिंदी भाषा को अलंकारों से सुसज्जित किया। उन्होंने दिखाया कि भाषा में अलंकारों के माध्यम से न केवल सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया जा सकता है बल्कि उनसे भाषा का श्रृंगार भी किया जा सकता है।

वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा का विकास आधुनिक काल में हुआ माना जा सकता है। इस काल में पद्य के साथ–साथ हिंदी भाषा में गद्य की रचना भी हुई तथा हिंदी भाषा ने अभूतपूर्व प्रगति की। महात्मा गाँधी ने अपने आंदोलनों में हिंदी भाषा को माध्यम बनाया तथा हिंदी भाषा को जनसंपर्क की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिशचंद्र का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से ख्याति अर्जित की। इस दौरान कुछ लोगों ने हिंदी भाषा में उपन्यास लिखने भी आरंभ किए। ऐतिहासिक तथ्य है कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित 'चंद्रकांता' उपन्यास को पढ़ने के लिए

बहुत से लोगों द्वारा उस समय हिंदी भाषा सीखी गई। इसी दौर में हिंदी भाषा में निबंध लेखन एवं पत्रकारिता और आलोचना भी प्रारंभ हुई। जब हिंदी भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन होने लगा तो इसके परिष्कार की आवश्यकता महसूस होने लगी। हिंदी भाषा के परिष्कार का बीड़ा सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा उठाया गया। उन्होंने साहित्य सृजन में परिष्कृत हिंदी के प्रयोग पर बल दिया।

इसके बाद के काल को हिंदी भाषा के विकास का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस दौरान हिंदी भाषा में गद्य और पद्य दोनों प्रकार के लेखन में बहुत तेज़ी से उत्थान हुआ और अनेक ऐसे लेखक एवं कवि हुए जिनके नाम आज भी बड़े गर्व से लिए जाते हैं। हिंदी भाषा के गद्य रचनाकारों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं जबकि काव्य रचनाकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डॉ. हरिवंशराय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', नागार्जुन, धूमिल, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त तथा रामधारी सिंह 'दिनकर' के नाम उलेखनीय हैं।

हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन को उस समय ऊर्जा मिली जब 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा में देश के हर क्षेत्र से विद्वान नेता गण सदस्य थे। आज़ादी के आंदोलनों में हिंदी भाषा की भूमिका एवं उसके महत्व को समझते हुए ही उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे अंग्रेजी जैसी गुलामी की प्रतीक भाषा से छुटकारा पाना भी एक कारण था। यह बात अलग है कि हम आज तक अंग्रेजी भाषा से मुक्ति नहीं पा सके हैं।

2.2 हिंदी भाषा के साथ अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता और योगदान

भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत और अंग्रेजी प्रमुख हैं। इन भाषाओं का साहित्य, संस्कृति और इतिहास भारतीय समाज की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। अमृत काल में इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में हिंदी भाषा के अलावा बांग्ला भाषा और तमिल भाषा में साहित्य सृजन किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। बांग्ला भाषा में गद्य लेखन हिंदी भाषा से पहले प्रारंभ हो गया था। ये बात अलग है कि बाद में हिंदी साहित्य इतना अधिक विकसित हो गया कि अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य उसके समक्ष गौण प्रतीत होने लगा। भले ही अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा की तुलना में साहित्य सृजन उतना अधिक नहीं हुआ तथापि उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। साहित्य का नोबल पुरस्कार हिंदी भाषा के साहित्यकारों को नहीं बल्कि बांग्ला भाषा में लिखी गई रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना 'गीतांजलि' को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तमिल भाषा ने अपने दम पर अपना विकास आगे बढ़ाया और इसका परिणाम ये है कि आज तमिल भाषा भारत की एक प्रमुख भाषा होने के अलावा मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों की दूसरे नंबर की भाषा है।

3. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता के क्षेत्र

3.1 शिक्षा

सरकार द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नई शिक्षा नीति का मूल ही इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में दी जाए। इससे न केवल अन्य भारतीय भाषाओं का विकास होगा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास तेज़ी से होगा। यह सार्वभौम सत्य है कि प्रत्येक बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है जो नैसर्गिक रूप में उसे अपनी माता से विरासत में मिलती है। इसे उसकी प्रथम भाषा भी कहा जा सकता है। यदि उसे इसी भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए तो ज़ाहिर है कि वह न केवल सरलता से बल्कि तेज़ी से शिक्षा ग्रहण करेगा। जब उसका मस्तिष्क इतना विकसित हो जाए कि वह अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को भी आत्मसात कर सके तब उसे अन्य भाषाओं का ज्ञान प्रदान करने से उसका चहुँमुखी विकास भी तेज़ी से होगा। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दिए जाने पर जोर दिया गया है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम, पुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही हैं। इससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो उनके मानसिक विकास और सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा।

3.2 प्रशासन

हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद इसे संविधान में व्यवस्था करके मूर्त रूप प्रदान किया गया। अनुच्छेद 351 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो संघ सरकार को हिंदी भाषा का विकास करने के लिए निर्देश देता है। इस अनुच्छेद में संघ सरकार द्वारा हिंदी भाषा के प्रसार और विकास

के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जिससे वह भारत की सांस्कृतिक एकता और समृद्धि का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 351 में उल्लेख है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि सुनिश्चित करे।

सरकार द्वारा अमृत काल में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे प्रत्येक भाषा–भाषी राजभाषा से भी अपनी निकटता महसूस करे। सरकारी दस्तावेज, आदेश, सूचनाएँ और वेबसाइटें राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनकी अपनी मातृभाषा में भी मिल रहा है। राजभाषा हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के समन्वय को बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए सरकार द्वारा राजभाषा विभाग में भारतीय भाषा अनुभाग भी स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ होने वाले पत्राचार को, बिना नियमों में बदलाव किए, राज्यों की प्रथम आधिकारिक भाषा में उपलब्ध कराना है। सरकार के इस निर्णय से अमृतकाल के दौरान राजभाषा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर समन्वय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और सभी भाषाएँ एक–दूसरे के और अधिक निकट आएंगी। इससे देश में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से प्रशासनिक कामकाज को करने और समझने में आसानी होगी।

3.3 साहित्य और संस्कृति

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज की समस्याओं, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को उजागर किया है। अमृत काल में सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रचार–प्रसार पर बल दिया जा रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति और साहित्य को वैश्विक मंच पर संपूर्ण पहचान मिल सके। इसके लिए अमृत काल में सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाते हुए भाषिणी (भाषिनी) नामक सॉफ्टवेयर से एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में स्पीच के ज़रिए अनुवाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे सभी भारतीय भाषाएँ, साहित्य एवं संस्कृति एक–दूसरे के बेहद नज़दीक आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ये प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि सरकार अमृत काल में राजभाषा हिंदी के साथ–साथ सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करते हुए विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

3.4 मीडिया और संचार में सभी भारतीय भाषाओं की भागीदारी

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र–पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार से हर प्रकार के ज्ञान का आदान–प्रदान तेज़ी से हो रहा है। सोशल मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। यूनिकोड के आविर्भाव के बाद से डिजिटल मीडिया में अंग्रेजी के अलावा विश्व की उन सभी भाषाओं में विचारों का आदान–प्रदान संभव हो गया है जिनकी लिपि उपलब्ध है। इससे वैश्विक स्तर पर भाषायी क्रांति हो गई है। पहले सभी प्रकार के डिजिटल ज्ञान के लिए केवल अंग्रेजी भाषा पर आश्रित रहना पड़ता था। यूनिकोड के आने के बाद अब किसी भी भाषा में डिजिटल मीडिया के माध्यम से संचार किया जा सकता है। इससे विभिन्न भाषा–भाषी अपनी भाषा में समाचार और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत हो रहा है।

3.5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान, गणित, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी से संबंधित पुस्तकें, शोध पत्र और शैक्षिक सामग्री विकसित की जा रही हैं। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो उनके अनुसंधान और विकास में सहायक है। ऐसा नहीं है कि भारत में ये विद्याएँ अपनी भाषा में उपलब्ध नहीं थीं। भारतीय आचार्यों, मनीषियों का ज्ञान–विज्ञान विश्व में सर्वाधिक रहा है। भारतीय नक्षत्र विज्ञान, आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्व में कल भी सर्वश्रेष्ठ थीं आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं। भारतीय योग दर्शन का आज भी कोई सानी नहीं है। समस्या तब होने लगी जब अंग्रेजी हकूमत ने आकर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया और अंग्रेजी से सरकारी नौकरियाँ मिलने लगीं। इससे भारतीयता से भरी हुई हमारी विरासत हमसे दूर होने लगी। लेकिन मूल को कौन मिटा सका है? मूल बार–बार उभर ही आता है और स्वयं विकसित होता है। कोरोना काल इसका बड़ा उदाहरण है जिसके कारण सभी एक बार फिर भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने लगे। योग एक बार फिर अपनी वैश्विक पहचान बनाने में सफल हुआ। नक्षत्र विज्ञान तो भारतीयों ने कभी छोड़ा ही नहीं था क्योंकि भारतीय विवाह इसी नक्षत्र विज्ञान से बनी जन्मपत्रियों के आधार पर ही परंपरागत रूप से किए जाते रहे हैं। आज भी भारतीय महीने अंग्रेजी महीनों की तुलना में ऋतुओं और मौसम

की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अमृत काल के दौरान सरकार द्वारा इन सभी प्रकार के प्राचीन विज्ञानों का नई प्रौद्योगियों के साथ समन्वय करके इन्हें बड़े पैमाने पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रचालित करने का लक्ष्य है। इससे पूरा विश्व भारतीय विज्ञान और संस्कृति से लाभान्वित हो सकेगा।

4. चुनौतियाँ और समाधान

4.1 भाषाई विविधता और एकता

भारत की भाषाई विविधता भारत की समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन कभी–कभी यह एकता में विघटन का कारण बन जाती है। विभिन्न भाषा–भाषियों के बीच भाषा के आधार पर आंतरिक कलह रह रहकर उभर आती है। अमृत काल में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से सभी भाषा भाषियों में परस्पर संवाद, सहयोग और समझ बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भाषाई सौहार्द और एकता को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों में परस्पर मतभेद समाप्त होंगे। जब सभी अपनी–अपनी भाषा के माध्यम से एक–दूसरे की संस्कृति और विरासत को जानेंगे तो उसका लाभ सभी को होगा। वास्तव में भाषा एक–दूसरे को जोड़ने का काम करती है। ये विचारों, ज्ञान और संस्कृति का एक सेतु बनाती है जिससे लोग एक–दूसरे के करीब आ सकें। अमृत काल के दौरान यही सेतु सभी भारतीयों को न केवल एक–दूसरे के बल्कि अन्य विश्व के भी करीब ले जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

4.2 तकनीकी चुनौतियाँ

डिजिटल युग में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए अमृत काल में इन भाषाओं के लिए सॉफ़्टवेयर, ऐप्स, की–बोर्ड और भाषाई उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इन भाषाओं के लिए तकनीकी समाधान प्रदान कर रहे हैं। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में वॉइस टाइपिंग की सुविधा अब उपलब्ध है। अनुवाद की सुविधा लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है और तेज़ी से अनुवाद संबंधी सॉफ्टवेयरों का निर्माण किया जा रहा है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत की राजभाषा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। भारत की राजभाषा हिंदी के संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने में सबसे बड़ा रोड़ा संयुक्त राष्ट्र का वह नियम है जिसके तहत उसके द्वारा लिए गए आज तक के सभी निर्णयों और उनसे संबंधित दस्तावेज़ों का अनुवाद कर उन्हें हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाना होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए ऐसे डिजिटल उपकरण एवं सॉफ्टवेयर तैयार करने होंगे जो अमृत काल में उक्त कार्य को करके विकसित भारत के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाएँ।

4.3 अन्य चुनौतियाँ

संसदीय राजभाषा समिति का उपाध्यक्ष बनने के पश्चात देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करने के उपरांत व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो अनुभव रहा है, वह यह है कि अब भी सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने वाले कार्मिकों के पदों का सृजन नहीं हो पाया है। निरीक्षणों के दौरान यह अनुभव किया गया है कि जिन कार्यालयों में राजभाषा का कार्य करने वाले कार्मिक तैनात हैं, उन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का कार्य प्रगति पर है क्योंकि वे समय–समय पर अपने कार्यालयों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करते रहते हैं। प्रत्येक कार्यालय में, भले ही वह छोटे से छोटा कार्यालय हो, राजभाषा कर्मी का कम से कम एक पद अवश्य होना चाहिए। केवल पद होना ही इस चुनौती से निपटने का पैमाना नहीं है। उस पद को समय पर भरा जाना उससे भी बड़ी चुनौती है। यह देखा गया है कि राजभाषा के पद कई–कई वर्षों तक रिक्त ही रहते हैं। इस संबंध में मॉनीटरिंग व्यवस्था इतनी चुस्त होनी चाहिए कि राजभाषा से संबंधित कोई भी पद छह माह से अधिक रिक्त नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जो समस्या चुनौती देती है, वह है राजभाषा से संबंधित कार्मिकों के वेतनमान में एकरूपता का अभाव। समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान पद को भरे जाने का आश्वासन देने के बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आनन फानन में उसे तदर्थ आधार पर भर देते हैं तथा उस पर तैनात कार्मिक को पूरा वेतनमान भी नहीं देते हैं। इसके गंभीर परिणाम होते हैं। तदर्थ आधार पर कार्यरत कार्मिक कभी भी कार्य में अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे पाते तथा सदैव स्थायी पद की तलाश करते रहते हैं और अवसर आते ही पद पुनः रिक्त हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कठोर कदम उठाए जाने आवश्यक हैं तथा तदर्थ आधार पर राजभाषा से संबंधित पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के अलावा सभी राजभाषा कर्मियों के वेतनमान को समान किया जाना चाहिए। इससे सभी राजभाषाकर्मी अपना अधिकतम योगदान राजभाषा के प्रचार–प्रसार में दे सकेंगे।

सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। इनमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि राजभाषा विभाग द्वारा इन समितियों के माध्यम से नगर स्तर पर प्रत्येक

ISSN No. : 0970-9398

कार्यालय में हुई राजभाषा से संबंधित प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है। निरीक्षणों के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा यह पाया गया है कि कुछ राज्यों में एक–एक नराकास के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की संख्या 50 से 70 तक भी है। संसदीय राजभाषा समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि किसी भी नराकास में कार्यालयों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे वर्ष में 02 बार आयोजित होने वाली नराकास की बैठकों में सभी कार्यालयों को राजभाषा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा करने और इनसे निपटने के लिए समाधान खोजने में सहायता मिलेगी। नराकास की बैठकों के अलावा प्रत्येक मंत्रालय में गठित हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से हों तो इनके सार्थक परिणाम सामने आएँगे।

5. निष्कर्ष

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमृत काल भारतीय भाषाओं के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन का स्वर्णिम अवसर है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता से न केवल भाषाई समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज को भी मजबूती मिलेगी। यही समय है जब हम अपनी भाषाओं को गर्व और सम्मान के साथ अपनाएँ और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाते हुए विकसित भारत का निर्माण कर अपने विश्वगुरु के दर्जे को पुनः प्राप्त करें।

'जय हिंदी, जय हिंद'

''जिस राष्ट्र के पास अपनी भाषा नहीं वह राष्ट्र गूंगा है।''

– महात्मा गांधी

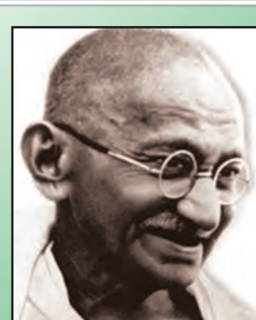

ISSN No. : 0970-9398

गुणवत्तापरक, नवाचारयुक्त शिक्षा से ही संवरेगा भविष्य

– डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
पूर्व शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

वर्ष 2030 तक युवा राष्ट्र के रूप में भारत विश्व में सर्वाधिक कामकाजी व आबादी वाला देश होगा। इसके लिए देश में शत–प्रतिशत साक्षरता अनिवार्य है। भारत की 62 फीसदी से अधिक जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग (15–59 वर्ष) में है और कुल जनसंख्या के 54 फीसदी लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। देश में युवाओं के जनसांख्यिकीय अनुपात को यदि हमें जनसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित करना है तो हमें अपने देश के बच्चों का भविष्य सर्वांगीण शिक्षा के माध्यम से सँवारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को हमारे युवा ही पूरा करते हैं, जहाँ अगर हम अपनी क्षमता का उपयोग कर पाएँ तो विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। यह इसलिए कि हमारे पास दुनिया का वृहदतम शिक्षा तंत्र है, जिसमें 1,000 विश्वविद्यालय, 45,000 डिग्री कॉलेज, 16 लाख विद्यालय, एक करोड़ शिक्षक, 33 करोड़ विद्यार्थी हैं। इस मानवशक्ति से हम विश्व की दिशा–दशा बदलने की क्षमता रखते हैं।

हम समझते हैं कि भारत को आर्थिक महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने की आधारशिला गुणवत्तापरक नवाचारयुक्त शिक्षा ही है। विशेषकर शिक्षा की चुनौतियों को समग्र रूप से हल करने के लिए और इसकी पहुँच, गुणवत्ता, शिक्षण/पहुँच प्रक्रिया में सुधार, अनुसंधान, वैश्विक मानकों को प्राप्त करने, प्रत्यायोजन, नियोजनीयता और उद्यमिता के क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अच्छी बात यह है कि आज अपने स्तर पर मंथन, मनन चल रहा है कि हम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्टता का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? मेरा मानना है कि शिक्षण और अनुसंधान में सहयोग के लाभ निर्विवाद हैं। बात अगर ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की हो, तो मुझे लगता है कि उत्कृष्टता अर्जित करने के लिए सहयोग की भावना सबसे सरल और कारगर माध्यम है। मुझे लगता है कि सहयोगात्मक शोध में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी चुनना है। सहयोगी चुनने में विश्वास और विश्वसनीयता आवश्यक मूल्य हैं। सहयोगी का चयन न केवल वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपके बेहतर समन्वय की संभावना पर आधारित होना चाहिए, बल्कि समग्र रूप से एक सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होने की संभावना पर भी आधारित है, जिसमें संवाद की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यह स्वाभाविक है कि किसी भी सहयोगी परियोजना के कारण आपसी असहमति हो जाती है, क्योंकि इसमें शामिल व्यक्तियों की शैली और व्यक्तित्व सर्वथा पृथक होता है।

एक बहुविषयक अनुसंधान परियोजना में विभिन्न विशिष्टताओं द्वारा अलग–अलग दृष्टिकोण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपर्याप्त संवाद के कारण स्थितियाँ और विषम बन जाती हैं। अनुसंधान से जुड़ी एक जटिलता बहुसंस्थागत अनुसंधान की एक कठिन चुनौती हो सकती है। सहयोगात्मक अनुसंधान कई नैतिक मुद्दों को उत्पन्न करता है, लेकिन अगर नेतृत्व कुशल है, परिपक्व है, सकारात्मक है, तो हम इन बाधाओं से पार पा सकते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इसके बारे में बात करें और पहली बार विवाद उठने पर तत्परता से इसे दूर करने का संकल्प लें। खूबसूरती इसी बात में है कि किस प्रकार सबको साथ लेकर अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।

विश्व रैंकिंग एजेंसियाँ धारणा आधारित स्वतंत्र सर्वेक्षणों के माध्यम से सूचना संग्रह के लिए एक विशेष दृष्टिकोण का पालन करती हैं। उनके मैट्रिक्स थर्ड पार्टी डेटाबेस से प्राप्त मैट्रिक्स पर निर्भर करते हैं, जिसमें थोड़ा–बहुत डेटा शिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इन सर्वेक्षणों में भारतीय शिक्षाविदों की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रही है, जिससे भारत के औसत प्रदर्शन में गिरावट आई है। इसलिए विश्व रैंकिंग एजेंसियों को भारतीय शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को शामिल करने के लिए गुंजाइश और डेटा सेट का विस्तार करके भारतीय संदर्भ को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध से नए स्तर तक जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि हमारा प्रदर्शन आशा के बिल्कुल विपरीत रहा है। कहीं–कहीं हमने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। विशेषज्ञता के आधार पर भारतीय संस्थानों की विविधता है। जहाँ आई.आई.टी. और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसी भारतीय संस्थाएँ विषय–आधारित रैंकिंग की शीर्ष 100 सूची में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, वहीं कुछ भारतीय संस्थानों ने विशेष रैंकिंग जैसे–टाइम्स हायर एजुकेशन (टी.एच.ई.) इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग, छोटे आकार के लिए रैंकिंग और क्यू.एस. शीर्ष 50, अंडर 50, शीर्ष 100 और शीर्ष 150 के तहत खुद को ताकत के साथ स्थापित किया है।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक परिवेश में भारत के विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसंधान को अंगीकृत करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता अनुसंधान के लिए आज शोध संस्कृति विकसित करने की खास जरूरत है। सहयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष धन और संसाधनों के प्रवाह को आसान बनाने के लिए उद्योग और नवाचार को अनुसंधान गतिविधियों के साथ जुड़े रहने के प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

ISSN No. : 0970-9398

अनुसंधान संस्कृति में सुधार को निर्देशित करनेवाली नीतियों के साथ–साथ निवेश को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है। भारतीय संस्थान को वैश्विक और स्थानीय आर्थिक माँगों को पूरा करने के लिए, अपने छात्रों को कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए अपनी उच्च शिक्षा को फिर से तैयार करने और पुनः नए सिरे से डिजाइन करने की आवश्यकता है। हमें बदलते वैश्विक बाजार की आवश्यकतानुसार भारतीय विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान को स्तरीय बनाना है। हमें ज्यादा–से–ज्यादा विदेशी छात्रों को प्रवेश देकर दुनिया भर से अधिक विदेशी संकायों के साथ अंतरराष्ट्रीयकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व के शीर्ष संस्थानों, उद्योगों के साथ नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान हमारी रोजगार की चुनौती का मुकाबला कर सकता है। आज की परिस्थितियों में विदेशी और भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग को ट्विनिंग कार्यक्रमों के लिए सुविधाजनक बनाकर शिक्षण और अनुसंधान में अधिक सहयोग की आवश्यकता है। विभिन्न देशों में स्नातक पाठ्यक्रम, समय–सीमा अलग हो सकती है, लेकिन अधिक से अधिक देशों के साथ हम पारस्परिक मान्यता प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत में कम खर्चीली, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा बहुत आकर्षक है। ऐसी स्थिति में दक्षिण में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावना है। विश्वविद्यालयों को भी आपसी सहमति पत्रों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। विशेषकर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक प्रयास न केवल शिक्षण और सीखने तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कई बार हमको लगता है कि हम दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, बेहतर हैं। ऐसे में दूसरों को महत्वपूर्ण कार्यों से बाहर करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। कुछ लोगों को सहयोग से खतरा महसूस होता है। वे स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि यदि वे दूसरों के साथ काम करते हैं तो उनसे श्रेय छीन लिया जाएगा, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि यह कभी सच नहीं रहा। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो व्यक्ति सहयोग के लिए तैयार नहीं है, वह असुरक्षित है क्योंकि जब कोई शैक्षिक संस्थान सफल होता है तो पूरा शैक्षिक तंत्र जीतता है, भारत जीतता है। हो सकता है कि कई जगह सभी स्टार बनना चाहते हों, पर यह संकीर्णतावादी मानसिकता शोध संस्कृतियों के विकास के लिए रुकावट है। सहयोग आपके समग्र विकास को सुनिश्चित करता है।

भारत और विदेशों में शीर्ष विश्वविद्यालयों के बीच रणनीतिक साझेदारी का उपयोग अनुसंधान का विस्तार किए जाने से दो तरफा सहायता का लाभ होगा। संयुक्त अनुसंधान के वित्तपोषण के हिस्से के रूप में प्रतिभाशाली शोध छात्रों और पोस्ट–डॉक्टरल फैलो की आवाजाही परियोजनाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) ने औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) की पाँच राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ करार किया है। समझौते के तहत आई.आई.टी. दिल्ली सहयोगात्मक अनुसंधान, विचारों के आदान–प्रदान, ज्ञान के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, जिसमें लगभग 60 बहुविषयक अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है। इसी क्रम में 6 माह पूर्व स्ट्राइड (भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस–अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए योजना) के रूप में एक नई पहल की घोषणा की, जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति और नवाचार को मजबूत करेगी और छात्रों और शिक्षकों को भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देने में मदद करेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि 33 साल बाद विश्व के सबसे बडे विमर्श के बाद जिस शिक्षा नीति को हम ला रहे हैं, वह न केवल अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि छात्र और संकाय गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर, अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित कर उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की सीमा पार मान्यता प्रक्रिया को आसान और व्यावहारिक बनाएगी।

निर्बाध टीम सहयोग न केवल संस्थान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कर्मचारियों की खुशी के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी दुनिया के सामने आज की सबसे जटिल चुनौतियाँ हैं, जिसमें ऊर्जा संकट, खाद्यान्न संकट, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का कुशल सक्षम नेतृत्व सहयोग को सफलता की जीत का सूत्र मानता है। तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में जब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, दुनिया छोटी से छोटी होती जा रही है। ऐसे में टीमवर्क को संगठनात्मक सफलता की कुंजी के रूप में देखा जाने लगा है। आज का कार्यबल पहले से कहीं अधिक सहयोग पर विश्वास करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि विश्वविद्यालयों ने जहाँ–जहाँ सहयोग किया, वहाँ–वहाँ अधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। शोध अनुसंधान को अगले स्तर तक ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी अलग–अलग विषयों के बारे में अलग–अलग तरीके से सोचें। अलग–अलग लक्ष्य या रणनीति सृजित करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम विचारों के बारे में सोचें, परिणाम के बारे में नहीं। स्वयं निर्णय लेने के बजाय सीखने के बारे में सोचें, परस्पर संवाद के लिए हर माध्यम से जुड़े रहें। हमें याद रखना होगा कि कोई भी भागीदारी प्रतिबद्धता के बगैर नहीं हो सकती। सहयोग का सबसे बड़ा पुरस्कार यह होता है कि हमें यह नहीं पता चलता कि परिणाम क्या होगा, टीम की नवाचारयुक्त सृजनात्मकता बड़े–बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती है।

विश्व परिदृश्य पर नजर डालें तो पाएँगे कि अकादमिक अनुसंधान अधिक अंतरराष्ट्रीय होता जा रहा है। चाहे वह विशेष उपकरणों तक पहुँच प्राप्त करना हो, नए विचार विकसित करना हो या धन के नए स्रोतों की खोज करना हो। शोधकर्ता दुनिया भर के अपने सहयोगियों तक पहुँच रहे हैं और इससे उनका काम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हम जानते हैं कि सीमाएँ विचारों को नहीं बाँध सकतीं। कोई भी देश विचारों के बाजार को नियंत्रित नहीं करता। मेरा मानना है कि शोध, अनुसंधान, प्रयास या संपूर्ण विज्ञान की मुहिम को एक सामूहिक अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, तभी विश्व कल्याण की परिकल्पना साकार हो सकती है।

ISSN No. : 0970-9398

भारत और भारतीय स्टेट बैंक : एक साझी यात्रा

– चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक

राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के विशिष्ट अवसर पर विभाग के प्रतिष्ठित प्रकाशन "राजभाषा भारती" के माध्यम से सभी भाषा सेवियों से संवाद करके मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। आप सहमत होंगे कि उत्तरी सिक्किम में लाचुंग की बर्फ से ढंकी सड़कें हों, केरल के बैकवॉटर की मूसलाधार बारिश हो या लेह के खार्दूंगला दर्रे पर दुनिया में सबसे ऊँचाई पर स्थित एसबीआई एटीएम हो, कार निकोबार द्वीप की असीम प्राकृतिक छटा हो या कच्छ के रण हों या फिर दिल्ली–मुंबई जैसे महानगरों में काम पर निकलते असंख्य लोग, इन सबकी विविधता के बीच एक तत्व समान है, भारतीय स्टेट बैंक की उपस्थिति। भारत के संपूर्ण विस्तार में देश की सांस्कृतिक विविधता को अक्षुण्ण रखते हुए स्टेट बैंक अपनी 219 वर्षों की यात्रा में देश की आर्थिक प्रगति का साक्षी रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक की यात्रा 1806 ई. में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ आरंभ होती है, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बैंक ऑफ बंगाल का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक था। इसकी शाखाएं लाहौर से कलकत्ता और नागपुर से लेकर रंगून तक फैली हुई थीं। 1921 में तीन प्रेसीडेंसी बैंकों– बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के विलय से इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। अप्रैल 1955 में लोकसभा में पारित एक विधेयक द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बना। स्टेट बैंक में आरंभ से ही, हमारे युवा देश की विशाल ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान तत्कालीन राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री ने कहा था, हमारा उद्देश्य 'केवल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करना' नहीं, बल्कि 'हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के सर्वांगीण विकास एवं पुनरूत्थान के साथ देश के विकास में योगदान करना' है। देश निर्माण की इसी भावना से भारतीय स्टेट बैंक ओत–प्रोत है।

राष्ट्र निर्माण में स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका रही है। डॉ. जॉन मथाई भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। वे भारत के सबसे सम्मानित शिक्षाविदों और अर्थशास्त्रियों में से एक थे। डॉ. मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे और बाद में वित्त मंत्री बने। उन्होंने दो केंद्रीय बजट भी पेश किए। इस पृष्ठभूमि से उन्हें भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय स्टेट बैंक की व्यापक भूमिका को रेखांकित करता है।

आजादी के बाद नए विकसित होते आधुनिक भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक था कि नवीनतम उद्योगों से लेकर परंपरागत कृषि तक को एक साथ समस्त आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। साहूकारी प्रथा से त्रस्त अधिसंख्य ग्रामीण जनता को आर्थिक लेन–देन की बेहतर प्रथाओं से परिचित कराने के साथ आर्थिक शिक्षा देना भी बैंक का महत्वपूर्ण कार्य था। बैंक के नेतृत्वकर्ताओं ने आर्थिक नीतियों के सफल कार्यान्वयन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को शुरू में ही पहचान लिया था। भारत की जनता तक उनकी भाषा में ही पहुंचा जा सकता था, जिसमें ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या थी। विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में पदस्थ बैंक स्टाफ सदस्यों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनता की भाषा में बैंकिंग सुविधा देने के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय भाषाओं में बैंकिंग साहित्य का निर्माण भी आरंभ किया। भाषा के प्रति स्टेट बैंक आरंभ से ही सजग रहा है। उन्नीसवीं सदी में भी बैंक ऑफ बंगाल की अपेक्षा थी कि सभी यूरोपीय अधिकारी हिंदुस्तानी में प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।

स्टेट बैंक की स्थापना के बाद से ही राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयास संविधानिक भावनाओं के अनुरूप आरंभ हो गए। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नाटककार डॉ. शंकर शेष ने राजभाषा विभाग को रूपाकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सैयद किरमानी भी राजभाषा विभाग के आरंभिक अधिकारियों में थे। परवर्ती काल में बैंक में राजभाषा के विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों का कैडर बना जिससे राजभाषा प्रसार में और गति आई।

इसी क्रम में, आजादी के बाद हिंदी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में बैंकिंग प्रक्रिया साहित्य का निर्माण हुआ। बैंक में आंतरिक स्तर पर ही विभिन्न भारतीय भाषाओं के त्रिभाषी बैंकिंग शब्दकोशों का संकलन हुआ। कन्नड़–हिंदी–अंग्रेजी, बांग्ला–हिंदी–अंग्रेजी, तमिल–हिंदी–अंग्रेजी जैसे शब्दकोशों से आरंभ कर यह सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। आज बैंक ने गुजराती, कन्नड़ एवं उड़िया, बांग्ला, असमिया, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल सहित 10 भाषाओं में 'आइए क्षेत्रीय भाषा सीखें' पुस्तिकाएं प्रकाशित कर दी हैं। इन पुस्तिकाओं के माध्यम से शब्दावली के साथ–साथ आम बोलचाल की भाषा बहुत कम

समय में सीखी जा सकती है। हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ स्थानीय भाषा में प्रशिक्षित और दक्ष हैं। वे ग्राहकों की सुविधा के लिए उनसे स्थानीय भाषा में संवाद स्थापित करते हैं।

बैंकिंग भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए स्टेट बैंक आधुनिक तकनीक के उपयोग में भी अग्रणी रहा। कंप्यूटर आने के पूर्व जब समस्त कार्य टाइपराइटर के माध्यम से हुआ करते थे, बैंक ने भारी संख्या में स्टाफ सदस्यों को हिंदी टाइपिंग एवं हिंदी शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण दिलाया जिससे हिंदी पत्राचार में वृद्धि हुई। हिंदी के परिपत्रों को साइक्लोस्टाइल कर परिचालित किया जाता था।

कंप्यूटरीकरण के बाद स्टेट बैंक ने सूचना–प्रौद्योगिकी पर आरंभ से ही भारी निवेश किया। आरम्भिक दिनों में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के सामने फॉन्ट की समस्या थी जब समान फॉन्ट न होने पर दूसरे कंप्यूटर पर उस पत्र को खोला नहीं जा सकता था। हम लोगों ने पूरे बैंक के लिए एक समान फॉन्ट के लाइसेंस लिए जिससे ईमेल से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में पत्र/ दस्तावेज भेजना सुलभ हुआ। यूनीकोड आने के बाद फॉन्ट की समस्या हल हो गई। अब सभी भारतीय भाषाओं में काम करना एवं उसे साझा करना सहज हो गया।

भारतीय स्टेट बैंक अपने विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावनाओं के अनुरूप भारतीय भाषाओं का प्रसार कर रहा है। उड़िया, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मैथिली, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, तमिल, उर्दू, मलयालम, तेलुगु और हिंदी भाषाएं अंग्रेजी के साथ प्रमुखता से उपयोग की जा रही हैं। डिजिटल इंडिया की भावनाओं के अनुरूप नवीनतम तकनीकी का उपयोग करते हुए हमारे कॉल सेंटर ग्राहकों से उनकी पसंद की भाषा में बात करते हैं।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की विभिन्न सुविधाएं हमारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। हमारे (सीबीएस) तमिल, कन्नड़, गुजराती, ग्राहक हिंदी में पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। वे चाहें तो उड़िया, मलयालम, मराठी, मैथिली, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में लेनदेन के एसएमएस अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। बैंक के एटीएम हिंदी, अंग्रेजी के साथ संबंधित राज्य की भाषा में भी काम करने में सक्षम हैं। हमारी इंटरनेट बैंकिंग 'ऑनलाइन एसबीआई' कश्मीरी, खासी–किटेन, कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी सहित 15 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है जो भारत की लगभग पूरी आबादी को अपने में समाहित कर लेता है।

कृषि हमारे देश की धड़कन है। स्टेट बैंक अपनी स्थापना के दिनों से ही किसानों को वरीयता देता रहा है। योनो कृषि ऐप किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को उनकी भाषा में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। योनो लाइट ऑनलाइन एसबीआई जैसी समस्त सुविधाओं का लाभ ग्राहक अपनी भाषा में उठा रहे हैं।

आधुनिक बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग जैसे तकनीकी विषय को हिंदी और भारतीय भाषाओं में विकसित करता है। रोल आधारित मैनुअल सतर्कता, 2022 मैनुअल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, गरिमा, सदाचार संहिता हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। हमारे सभी कंप्यूटर द्विभाषी कार्य करने में सक्षम हैं। केवल इसी वर्ष भूमिका आधारित प्रमाणन (आरबीसी) के 16000+ पृष्ठों के 47 मैनुअल हिंदी में उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक की मुख्य गृह पत्रिका 'कलीग' एवं 'प्रयास' के अतिरिक्त विभिन्न मंडलों एवं व्यवसाय समूहों द्वारा 30 से अधिक पत्रिकाएं एवं न्यूज लेटर हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में (नराकास) भारतीय स्टेट बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। बैंक भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों को भी इस मंच के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है। भारतीय स्टेट बैंक 51 नराकास की अध्यक्षता का दायित्व संभाल रहा है जिसके माध्यम से बैंक भारत सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक बैंकों एवं बीमा कंपनियों को भी राजभाषा प्रसार में सहायता उपलब्ध करा रहा है।

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रसार और संवर्धन के लिए बैंक द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, कन्नड़ दिवस, मराठी दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस जैसे आयोजन इसी की कड़ी हैं। महान साहित्यकारों के अवदानों पर परिचर्चा, गोष्ठियां आदि लगातार आयोजित की जाती हैं। प्रेमचंद जयंती पर बैंक द्वारा मुंबई में आयोजित भव्य कार्यक्रम और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन साहित्य के प्रति स्टेट बैंक के कर्तव्यबोध एवं अनुराग को दर्शाता है। वर्ष 2024 में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा में 46,000+ स्टाफ सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से राजभाषा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। देश के कोने–कोने में आयोजित कार्यक्रमों, पत्रिकाओं और स्मारिकाओं के प्रकाशन को शामिल करें तो सहभागिता की संख्या कहीं ज्यादा होती है।

भारतीय स्टेट बैंक 29 देशों में 244 कार्यालयों के साथ सभी महाद्वीपों में उपस्थित है। विदेश स्थित सभी कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन भारतीय भाषा एवं संस्कृति की चमक को विदेशों में पहुंचाने का अभिनव प्रयास है।

इस वर्ष जब राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है, मैं हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार में राजभाषा विभाग के अमूल्य योगदान को रेखांकित करता हूँ और आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। राजभाषा विभाग की आईटी परियोजनाएं भाषा के प्रसार एवं संरक्षण की दृष्टि से निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं। स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ', 'हिंदी शब्द सिंधु', 'ई–सरल हिंदी वाक्य कोश' के संवर्धन एवं संशोधन में भारतीय स्टेट बैंक की सक्रिय भूमिका रही है। भविष्य में भी राजभाषा विभाग के नेतृत्व में राजभाषा संवर्धन एवं प्रसार के लिए की गई पहल और निर्देशों के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में देश में राजभाषा के प्रसार में आशातीत वृद्धि होगी।

ISSN No. : 0970-9398

जन–जन की संपर्क भाषा हिंदी और एचएएल में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम

– डॉ. डी. के. सुनील
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचएएल, बेंगलूरु

सर्वप्रथम राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ एवं कोटिशः बधाई।

हिंदी के संबंध में मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, यह मेरे लिए भी बहुत कठिन कार्य है। फिर भी मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि स्कूली स्तर पर मैं हिंदी का एक होनहार विद्यार्थी था और हिंदी विषय के प्रति मेरी गहरी रुचि भी रही है। हिंदी की कविताएँ, साहित्य को पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता था और आज भी मैं हिंदी के कवि सम्मेलनों, शेरो–शायरी को ध्यानपूर्वक सुनता रहता हूँ। परंतु हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे तकनीकी संगठन में कार्यरत रहते हुए स्वयं को किसी और तरफ मोड़ पाना धीरे–धीरे कठिन होता गया।

जहाँ तक आधुनिक भारतीय भाषाओं में उनके साहित्य का प्रश्न है, तो सभी भारतीय भाषाओं का अपना एक लालित्य और अपना एक इतिहास रहा है। कोई भी भारतीय भाषा साहित्य कहीं भी किसी से कम नहीं रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में सभी भाषा–भाषी ने एक मुखर स्वर के रूप में हिंदी को आगे रखा, क्योंकि हिंदी जन–जन की संपर्क भाषा बनने की सरलता से युक्त थी।

आजादी मिलने के उपरांत एक बहुत बड़ी समस्या सभी के समक्ष आ खड़ी हुई कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। चूँकि हिन्दुस्तान या भारत की पहचान हिंदी भाषा से ही थी, तो अधिकांश भू–भाग की भाषा के रूप में सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही, अन्य सभी भारतीय भाषाओं को क्षेत्रीय स्तर पर राज्य की राजभाषाओं के रूप में प्रयोग किए जाने का प्रावधान भी संविधान में किया गया। आज संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएँ ही अपने–अपने राज्यों में राजभाषा के रूप में व्यवहार में लाई जा रही हैं।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान में राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश सन् 1952, सन् 1955, सन् 1957 तथा सन् 1960 में भी निकाले गए और उपर्युक्त आदेशों के अनुसार आगे की रणनीति को सही आकार दिया गया। उपर्युक्त आदेशों के अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा संकल्प, 1968 के जारी होने से राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में भी काफी सुधार हुए। वार्षिक कार्यक्रम तथा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना भी आगे चलकर प्रभावशाली रही। यह बात अलग है कि जिस प्रकार से दक्षिण भाषियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने पर अच्छा–खासा बल दिया गया और इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए, ऐसा उत्तर भारतीयों को दक्षिण की भाषा से परिचित या प्रशिक्षित कराने का प्रयास उस स्तर पर संभव न हो सका, जिसके कारण आज उस अभियान के पूर्ण न हो पाने की कमी देखने में आती है। यदि त्रिभाषा सूत्र का अक्षरशः अनुपालन हुआ होता, तो निस्संदेह भारत की सामासिक संस्कृति आज मूर्त रूप प्राप्त कर लेती।

उपर्युक्त अधिनियम के बाद राजभाषा नियम, 1976 का बनना और फिर दिनांक 26 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना ने राजभाषा कार्यान्वयन की गति को एक दिशा दी। धीरे–धीरे सभी केंद्रीय सरकार के विभागों, उपक्रमों, बैंको, निगमों तथा स्वायत्त निकायों में राजभाषा हिंदी के पद सृजित हुए और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के एक विकल्प के रूप में प्रारंभ हो गया। इस बात को कोई माने या न माने, परंतु देखते ही देखते राजभाषा हिंदी के प्रयोग ने आज केंद्र सरकार के हर कार्यालय में अपनी पैठ बना ली है।

भाषा की दृष्टि से हमने अपने राज्यों को 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में विभाजित कर लिया है। वार्षिक कार्यक्रम में भी इन तीनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए लक्ष्य भी अलग–अलग रखे गए हैं। ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि हिंदी का स्तर तीनों क्षेत्रों में एक समान नहीं था। आज जब हम 'क' क्षेत्र के हिंदी भाषी राज्यों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्हें हिंदी बोलने या हिंदी में दैनिक कार्यों को करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं, परंतु फिर भी जिन अधिकारियों का माध्यम दसवीं कक्षा तक अंग्रेजी रहा है, वे हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति करने में झिझकते हैं, विशेष रूप से जिन्होंने आगे चलकर अपना करियर तकनीकी क्षेत्रों में बनाया है।

इसी प्रकार 'ख' क्षेत्र की समस्या कुछ अलग है। उनकी लिपि तो देवनागरी या देवनागरी के निकट है। परंतु अपनी मातृभाषा के शब्दों की भ्रांतियों और वर्तनी को लेकर उनमें भी

हिंदी के प्रयोग को लेकर एक झिझक दिखती है। 'ख' क्षेत्र के राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है और 'ख' क्षेत्र के भाषा–भाषी की मातृभाषा कहीं भी हिंदी नहीं है।

अब यदि हम 'ग' क्षेत्र की स्थिति को देखें, तो हम पाएँगे कि इसकी लिपि द्रविड़ है और हिंदी की देवनागरी लिपि से इसका दूर–दूर तक कोई नाता नहीं। फिर भी दक्षिण भाषियों ने बड़ी शिद्दत से हिंदी की देवनागरी लिपि को सीखने का काफी प्रयास किया, परंतु लिखने में उनकी कठिनाइयाँ आज भी दैनिक कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं।

हिंदीतर भाषियों की कठिनाइयों को हिंदी भाषी वर्ग जिस दिन समझ लेगा और हिंदी भाषी वर्ग हिंदीतर भाषा को स्वयं भी सीखने का प्रयास करना प्रारंभ करेगा, उस दिन भारत की सामासिक संस्कृति भारतीय संस्कृति का सशक्त और उत्कृष्ट उदाहरण बनकर अन्य देशों के लिए अनुकरणीय रूप प्रस्तुत करेगी।

कोई भी भाषा कठिन नहीं होती, बल्कि परिचित और अपरिचित होती है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय जिस दिन से उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को लोकप्रिय बनाने का कार्य प्रारंभ करेगा, तब से राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य बिना किसी प्रोत्साहन के और बिना किसी संवैधानिक नियमों के स्वयंमेव ही कार्यान्वित होता दिखेगा। अब तक हमने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के साथ–साथ कार्य किया। अन्य भारतीय भाषाओं को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाना होगा।

मुझे खुशी है कि हमारा संगठन हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदी एवं हिंदीतर 'क', 'ख' तथा 'ग' सभी क्षेत्रों के राज्यों में स्थित है और राजभाषा हिंदी को पूरे उत्साह के साथ कार्यान्वित करने के प्रति निष्ठा के साथ लगा हुआ है। हमारे संगठन की मासिक प्रोत्साहन योजना मातृभाषा के आधार पर अपने कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

इसी क्रम में, मैं राजभाषा के क्षेत्र में एचएएल द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी आप सभी सुधीजन पाठकों को अवगत कराना चाहूँगा :–

एचएएल (मुख्यालय), बेंगलूरु के पास दिनांक 5 अगस्त, 2023 से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु का दायित्व है। इसके अंतर्गत 46 उपक्रम तथा इन उपक्रमों के अधीन 26 अधीनस्थ कार्यालयों को मिलाकर कुल 72 सदस्य उपक्रम हैं। एचएएल (मुख्यालय), बेंगलूरु द्वारा दिनांक 19.01. 2024 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से एचएएल प्रबंध अकादमी में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन (दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बेंगलूरु स्थित नराकास (बैंक), नराकास (कार्यालय–1), नराकास (कार्यालय–2) बेंगलूरु ने भी संयुक्त रूप से अपना योगदान दिया। इस सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण भारतीय नृत्य के फ्यूजन की प्रस्तुति अर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा डॉ.रूपा रवींद्रन के निर्देशन में की गई, जिसे सभी प्रतिभागियों द्वारा काफी सराहा भी गया। दिनांक 18–19 जुलाई, 2024 को एचएएल (मुख्यालय) द्वारा तकनीकी एवं शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली पर दो–दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें नराकास (उपक्रम) बेंगलूरु के सदस्य कार्यालयों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी प्रकार एचएएल (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 15–19 जुलाई, 2024 को अपने सभी प्रभागों के राजभाषा कर्मियों के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के माध्यम से विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही उक्त दोनों बृहत आयोजनों के अंतिम चरण में दिनांक 20 जुलाई, 2024 को डॉ.वी.एम.घाटगे सेंटर, बेंगलूरु में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जाने–माने सुविख्यात कवि के रूप में डॉ. अशोक 'चक्रधर' के संचालन में स्वयं उनकी पत्नी श्रीमती वागीश शर्मा के साथ–साथ ओज़ रस की कवयित्री सुश्री कविता तिवारी, हास्य–व्यंग्य कवि श्री दिनेश बावरा, पटना से डॉ. तिश्या श्री, नवोदित कवयित्री तथा हास्य कवि श्री गौरव शर्मा ने अद्भुत काव्य पाठ किया।

एचएएल संगठन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समय–समय पर सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018 में डॉ. कुमार विश्वास, डॉ. अंजुम रहबर तथा श्री रोहित शर्मा जैसे सुविख्यात कवियों को आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2021 में बेंगलूरु में सुविख्यात गीतकार एवं संवाद लेखक श्री मनोज 'मुंतशिर' को भी 'ग' क्षेत्र में हिंदीमय वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया था। एचएएल ने अपने मंचों पर साहित्यकारों को भरपूर

ISSN No. : 0970-9398

सम्मानित किया है। अखिल भारतीय स्तर के राजभाषा सम्मेलनों में श्री राहुल देव, सुविख्यात पत्रकार एवं सुश्री नेहा शरद, सुविख्यात व्यंग्यकार श्री शरद जोशी की सुपुत्री आदि को भी हमने आमंत्रित कर साहित्य प्रेमियों को सम्मानित किया है।

हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु के लिए हम एक वार्षिक राजभाषा गृह–पत्रिका "नव–स्वर" का प्रकाशन भी कर रहे हैं। साथ ही, हाल में संपन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की बैठक में हमने "राजभाषा स्वर" नामक सहायक संदर्भिका का भी विमोचन किया और सभी सदस्य उपक्रमों/कार्यालयों में इसका वितरण भी किया है। एचएएल के प्रभागों द्वारा कुल 16 राजभाषा गृह–पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से तकनीकी कार्यकलापों से संबंधित लेख एवं स्वरचित कविताएँ प्रकाशित हो रही हैं।

एचएएल के अधिकांश प्रभाग 'ग' क्षेत्र में स्थित हैं, फिर भी हम त्रिभाषा की स्थिति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशानुसार बनाए रखने के प्रति प्रयासरत रहते हैं। उपर्युक्त उपलब्धियों/प्रयासों के अतिरिक्त, यहाँ मैं इसका भी उल्लेख करना चाहूँगा कि एचएएल के कुल तीन प्रभागों/कार्यालयों के पास अपने–अपने कार्यक्षेत्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का दायित्व हैं, जिसमें एक तो एचएएल (मुख्यालय), बेंगलूरु, दूसरा हमारा नासिक प्रभाग और तीसरा एचएएल कोरापुट प्रभाग है, जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार वर्तमान में इन महत्वपूर्ण दायित्वों को वहन कर रहा है। इससे पूर्व हमारे एचएएल लखनऊ प्रभाग ने भी लगभग 6–7 वर्षों तक नराकास (उपक्रमों/कार्यालयों) का दायित्व संभाला।

राजभाषा हिंदी एवं सभी आधुनिक भारतीय भाषाएँ दोनों ही एक दूसरे की पूरक और पारस्परिक रूप में भारतीय संस्कृति की द्योतक भी रही हैं। हमें आगे आने वाले समय में सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अब तक के प्रयासों की हृदय से सराहना करना चाहूंगा। राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी मे उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले केन्द्र सरकार के कार्यालयों को प्रदान किए जाने वाले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार राजभाषा हिंदी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रेरित करते हैं।

"भारतीय संस्कृति एक विकसित शत दल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएँ हैं। किसी भी एक पंखुड़ी के नष्ट होने से कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बन कर प्रांतों में विराजमान रहें एवं इनके बीच हिंदी मध्यमणि बन कर विराजती रहे।"

– रवीन्द्रनाथ ठाकुर

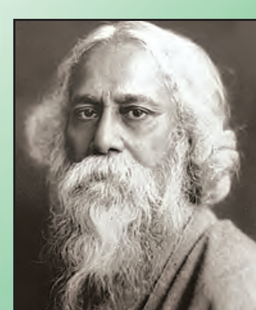

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा के रूप में हिंदी : विकास यात्रा की झलक

– डॉ. निशान्त जैन, आईएएस

राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास का स्वर्णिम अध्याय यूँ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान के प्रावधानों के कारण लिखा गया, परंतु यह समझना भी गलत होगा कि हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास केवल स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। वस्तुतः अपने उद्‌भव के 1000 वर्ष पूरे कर चुकी हिंदी भारत में हिंदू राजाओं, मुस्लिम शासकों, कंपनी शासन और देशी रियासतों द्वारा भी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती रही है। अतः अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास का विवेचन दो भागों में करना उपयुक्त रहेगा–

क. स्वतंत्रता–पूर्व काल में राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास

ख. स्वतंत्रता–पश्चात् काल में राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास

क. स्वतंत्रता–पूर्व काल में राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास

भारत में विदेशी शासन की स्थापना से पहले भी हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता था। कन्नौज, बुंदेलखंड, मेवाड़ और अजमेर के राजा राज–काज व पत्र–व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वह हिंदी ही थी। "सन् 1000 ई. के पश्चात् बारहवीं ई. सदी में राज–काज में हिंदी का प्रयोग हिंदी के मारवाड़ी रूप के साथ–साथ खड़ी बोली रूप में आरंभ हुआ।"[1]

पृथ्वीराज चौहान और चित्तौड़ नरेश रावत समर सिंह के बीच पत्र–व्यवहार का एक नमूना यहाँ प्रस्तुत है–

"ओर थारा चाकर घोड़ा को नामो कोठार यूं चला जाएगा और थूं जमाखातरी रीजो मोई में राजस्थान बाद अणी परवानरी कोई उलंगणा करेगा णी ने श्री एकलिंग जी की आण है दुबक जानकीदास सं. 1139 काती बदी।[2]

अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के दक्षिणी अभियानों के कारण उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण गए। उत्तर भारत से आए ये परिवार अपने घरेलू जीवन व बाहरी व्यक्ति से व्यवहार में खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। परिणामस्वरूप, दक्खिन में हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास हुआ। केरल जिला गजेटियर कालीकट के पृष्ठ 147 पर अंकित है कि टीपू सुल्तान और कोच्चि के राजाओं के बीच एक संधि थी जिसमें कोच्चि राज्य के शासकों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य था।[3] हैदर और टीपू की कोच्चि के राजा से हुई संधि के अनुसार राजपरिवार के लोगों को हिंदुस्तानी सिखाने के लिए हिंदुस्तानी मुंशी की नियुक्ति की गई। इस प्रकार हिंदुस्तानी को प्रशासन में स्थान मिला।

मुगल शासनकाल में हिंदी, फारसी के साथ सह राजभाषा के रूप में प्रचलित थी। "अकबर स्वयं हिंदी में लिखते थे। उनके दरबार में रहीम खानखाना हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। जहाँगीर को भी हिंदी का अच्छा ज्ञान था। औरंगजेब की पुत्री, जेबुन्निसाँ हिंदी में कविताएँ करती थी। हिंदी के सहभाषा होने की बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शेरशाह सूरी से लेकर बाद तक के सिक्कों पर प्रायः फारसी के साथ–साथ हिंदी का भी प्रयोग मिलता है।"[4]

मुगलों की राज–काज की भाषा भले ही फारसी थी पर फारसी उस समय बोलचाल व जनसंपर्क की भाषा नहीं थी। जनता से संपर्क बनाने के लिए उत्तर व मध्य भारत में हिंदी सह राजभाषा के रूप में विकसित हुई। डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया का मानना है कि जिला स्तर पर जो आज प्रशासनिक भाषा का ढाँचा है, उसकी बहुत कुछ देन मुगलकाल की है–तहरीर, याददाश्त, खाते, नक्शा, मिसिल इत्तलानामा, रसीद, सनदी, फरमान, हकीकत, फरद, दस्तूर, रोजनामा आदि। ये सभी शब्द उसी समय से प्रशासन का अभिन्न अंग बन गए हैं। 5 चंद्रबली पाण्डेय ने 'राष्ट्रभाषा पर विचार' में मुगलकाल में हिंदी के प्रयोग का विस्तृत विवरण दिया है। औरंगजेब के शासनकाल में भी खड़ी बोली हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। इसका प्रमाण 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के सन् 1898 ई. के अंक के पृष्ठ 18 पर गार्सा द तासी (फ्रांसीसी साहित्यकार) के लेख से मिलता है।

18वीं शती में पेशवा, सिंधिया तथा होल्कर आदि मराठी घराने हिंदी में राज–काज चलाते थे। मराठों के राज–काज से संबंधित सैकड़ों पत्र पुणे व बीकानेर के अभिलेखों में सुरक्षित हैं। इन पत्रों के आधार पर डॉ. केलकर ने 18वीं शती में हिंदी पत्र' शीर्षक शोध–प्रबंध प्रस्तुत किया था। डॉ. केलकर का अध्ययन 1701 से 1800 ई. तक की राजभाषा के स्वरूप पर आधारित है, जिसमें सहस्रों, दानपत्रों, पत्रों, पट्टों, परवानों, बहियों आदि में सुरक्षित हिंदी भाषा पर प्रकाश पड़ता है। 1745 ई. में बीकानेर के राजा गजसिंह ने जयपुर के महाराजा माधो सिंह को हिंदी में पत्र लिखा। इस प्रकार के सैकड़ों पत्रों का भंडार राजस्थान सरकार के बीकानेर स्थित प्राचीन लेख–संग्रह में है।

ISSN No. : 0970-9398

राजस्थान के विभिन्न देशी राजाओं की रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिंदी में होता था। डॉ. महेशचंद्र गुप्त ने 'राजस्थान के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग' शीर्षक से शोध–प्रबंध प्रस्तुत किया है। यद्यपि संपूर्ण राजस्थान की रियासतों के राज–काज की भाषा हिंदी थी, परंतु उसमें राजस्थान की स्थानीय भाषाओं–बोलियों का पर्याप्त प्रभाव भी था।

मुगलों के पतन के बाद फारसी का महत्व घटता गया। अंग्रेजी शासन में फारसी का स्थान तो अंग्रेजी ने ले लिया और स्थानीय भाषाओं को राजभाषा बनाया गया। जैसे बंगाल में अंग्रेजी के साथ बंगला और महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ मराठी। हिंदी प्रदेश में हिंदुस्तानी की अरबी–फारसी मिश्रित शैली उर्दू को कचहरियों की भाषा बनाया गया। वस्तुतः कंपनी सरकार के शासन काल में भी न्याय एवं विधि के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रचलन था। अदालतों में फारसी, हिंदी तथा कुछ में बंगला के व्यवहार की व्यवस्था थी।

आम जनता से जुड़े राज–काज में अंग्रेज अपनी भाषा का व्यवहार न करके व्यावहारिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग करते थे। दरअसल ब्रिटिश शासन के कार्यालयों में केवल अदालतों का संबंध ही आम आदमी से था।

सन् 1900 में महामना मालवीय ने लॉर्ड मैक्डॉनल को राजभाषा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने निम्नलिखित विधान किया – "इस निर्णय के दिन से एक वर्ष के पश्चात् विशुद्ध अंग्रेजी कार्यालय को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, यदि वह हिंदी और उर्दू दोनों नहीं जानता है, प्रशासन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। और यदि इस बीच में इन दोनों में से एक भाषा जानने वाला और दूसरी न जानने वाला नियुक्त हो गया, तो उसे नियुक्ति के एक वर्ष में नहीं जानने वाली भाषा को उत्तीर्ण करना होगा।"[6]

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय नेता व कार्यकर्ता देश के कोने–कोने में भ्रमण तथा संपर्क करते थे। इस दौरान यह अनुभव किया जाने लगा था कि भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए एक संपर्क भाषा व राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली व समझी जाने के कारण यह भाषा स्वाभाविक तौर पर हिंदी ही हो सकती थी। कांग्रेस का नेतृत्व जब गाँधी जी ने सँभाला, तो उन्होंने हिंदुस्तानी की पुरजोर वकालत की। कांग्रेस के चालीसवें अधिवेशन (1925) में प्रस्ताव पारित किया गया 'कांग्रेस की आम सभा यह प्रस्ताव करती है कि कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी की कार्यवाही आमतौर पर हिंदुस्तानी में चलेगी।[7] 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदुस्तानी को सर्वमान्य भाषा घोषित किया गया। (रिपोर्ट–पृष्ठ संख्या–165–166)। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी के राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में विकास से स्वतंत्रता के बाद हिंदी के राजभाषा के रूप में विधिवत् प्रतिष्ठित होने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी।

ख. स्वतंत्रता–पश्चात् काल में राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास

किसी भी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र को अपने दैनिक शासकीय, विधायी व प्रशासनिक काम–काज के लिए एक समर्थ और विकसित भाषा की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश में सदियों से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार होता रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी की इसी व्यापकता, स्वीकार्यता और सुग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य के विधानमंडलों को अधिकृत किया गया है कि वे विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकते हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार, संवर्धन और विकास का दायित्व अनुच्छेद 351 द्वारा संघ सरकार को सौंपा गया है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने 'हिंदी' को राजभाषा घोषित किया था, इसीलिए 14 सितंबर का दिन 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

1960 में जारी किये गए राष्ट्रपति के आदेश में तकनीकी विषयों पर हिंदी में शब्दावली तैयार करने के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन करने, प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि–साहित्य का अनुवाद करने, सरकारी कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के गठन की सिफारिश की गई। इस आदेश के पैरा 1 (ग) में कहा गया है कि "1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए, परंतु 1965 के बाद हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी और अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए।"[8]

इस दौरान हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रचारित–प्रसारित करने के लिए सरकारी व गैर–सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास होते रहे। सरकारी कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रयोग के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1960 में 'केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्' नामक संस्था गठित की गई। इसकी लगभग पाँच सौ शाखाएँ हैं। समिति ने हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'कार्यालय सहायिका' जैसी पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं। परिषद् हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टिप्पण आदि की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित करती है।

डॉ. विजय अग्रवाल ने लिखा है कि 'हिंदी विरोधी और अंग्रेजी विरोधी, दोनों अतिवादी विचारधाराओं को संयमित करने के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति से तत्कालीन गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 13 अप्रैल, 1963 को एक राजभाषा विधेयक प्रस्तुत किया। व्यापक बहस के बाद 25 अप्रैल, 1963 को यह विधेयक पारित हो गया।9

इस अधिनियम द्वारा अनेक बेहतर प्रयास किये गए–

1. अंग्रेजी के साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
2. संविदा, करार, टेंडर, फॉर्म आदि द्विभाषी होंगे।
3. हिंदी को सरकारी काम–काज की भाषा के रूप में अपनाने वाले राज्यों से पत्र–व्यवहार हिंदी में होगा।
4. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और निगम कार्यालयों के पारस्परिक पत्र–व्यवहार में हिंदी पत्र के साथ अंग्रेजी के अनुवाद और अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भी भेजेंगे, आदि।

सन् 1967 के अंत में संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित हुआ, जो 18 जनवरी, 1968 को सं. 5/8/56 रा. भा. से राजपत्र में प्रकाशित हुआ, जो 'राजभाषा संकल्प, 1968' के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख संकल्प इस प्रकार है–

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।"10

1971 और 1972 में एक आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार यह आवश्यक कर दिया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित उपक्रम या निगम अपने यहाँ हिंदी के टंकक और अनुवादक रखें। साथ ही अहिंदी भाषी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। 1973 के एक अन्य आदेश द्वारा इन संस्थानों के लिए यह व्यवस्था की गई कि हिंदी के प्रयोग के बारे में अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करेंगे।

इसके पश्चात् 1976 में राजभाषा नियम बनाये गए, जिनके कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसमें नियम बनाये गए कि राज्य व केंद्र परस्पर किस भाषा में व्यवहार करेंगे। हिंदी के प्रयोग की स्थिति के आधार पर देश के राज्यों को तीन क्षेत्रों 'क', 'ख', 'ग' में बाँटा गया–

- 'क' क्षेत्र–वे राज्य, जिनकी मातृभाषा व राजभाषा हिंदी थी। ये राज्य हैं– उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र–दिल्ली और अंडमान–निकोबार द्वीप समूह। यह नियम बनाया गया कि ये आपस में हिंदी में व्यवहार करेंगे।
- 'ख' क्षेत्र–इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा नगर हवेली संघशासित क्षेत्र आते हैं। इनके साथ हिंदी में पत्राचार हो सकता है, पर साथ में अंग्रेजी अनुवाद भी जाना चाहिए।
- 'ग' क्षेत्र–'क' व 'ख' क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य व संघशासित क्षेत्र 'ग' क्षेत्र में आते हैं। इनके साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होगा, पर साथ में हिंदी अनुवाद भी जाना चाहिए।[11]

राजभाषा नियम के अनुसार यह व्यवस्था भी की गई कि प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है।[12]

राजभाषा के रूप में हिंदी का समुचित विकास केवल कानून बना देने से संभव नहीं हो सकता था। अतः इस उद्देश्य के लिए सरकारी स्तर पर कुछ संस्थाओं की स्थापना भी की गई; जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, विधि साहित्य प्रकाशन, (विधि और न्याय मंत्रालय), वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान आदि। इन सभी संस्थाओं ने अपने–अपने विशिष्ट क्षेत्रों में राजभाषा के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के अनुसार, जनवरी, 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा से व 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है, जिस पर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।

समग्र रूप में देखा जाए तो राजभाषा संबंधी कानूनी प्रावधानों और तमाम सरकारी व स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना के बावजूद राजभाषा के रूप में हिंदी का कार्यान्वयन आज भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास में इन प्रावधानों व संस्थाओं की प्रभावी भूमिका रही है, पर इनका पूर्ण कार्यान्वयन तभी संभव है जब दृढ़ इच्छाशक्ति हो और बाध्यकारी प्रावधानों की भी व्यवस्था की जाए। उदाहरणार्थ–कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुख प्रायः राजभाषा संबंधी प्रावधानों के प्रति लापरवाही बरतते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं कि दस्तावेज का द्विभाषी होना या हिंदी में होना सुनिश्चित किया जाए।

इसी तरह राज्यों व केंद्र के बीच पत्राचार प्रायः अंग्रेज़ी में चलता है। उदासीन अधिकारी व कर्मचारी जब तक सचेत और इच्छाशक्ति से युक्त नहीं होंगे, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से महेशचंद्र गुप्त ने अपने लेख 'राजभाषा हिंदी का विकास एवं विस्तार' में कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं –

1. भारत सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रपट में एक मद– 'राजभाषा हिंदी में काम की मात्रा और अधीनस्थों से हिंदी में काम कराने के लिए किये गए प्रयास' होनी चाहिए।
2. सभी सरकारी कार्यक्रमों में अधिकारीगण हिंदी में वार्तालाप करें।
3. दूरदर्शन से हर सप्ताह राजभाषा हिंदी के योजक–पक्ष का प्रचार किया जाए।
4. जनता के लिए भी आवश्यक कर दिया जाए कि प्रत्येक प्रतिष्ठान का नाम भारतीय भाषा में ही हो।
5. देश में बनने वाली सभी वस्तुओं और दवाओं पर पूरा विवरण किसी भी एक भारतीय भाषा में भी अनिवार्य रूप से हो।[13]

राजभाषा के रूप में हिंदी की यह विकास यात्रा अनवरत और सहज रही है। एक ओर जहाँ हिंदी ने पिछले दशकों में मीडिया, बाज़ार और मनोरंजन की सर्वप्रिय भाषा के रूप में अपना परचम लहराया है, वहीं देश और दुनिया में भारतीयों के बीच यह एक लोकप्रिय संपर्क भाषा के रूप में भी उभरी है। हिंदी के इस अभूतपूर्व विकास ने राजभाषा के रूप में इसके विकास में भी अपना योगदान किया है।

पचास साल पहले गठित राजभाषा विभाग ने हिंदी को राज–काज की भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे विधिक प्रावधान लागू करना हो, या राजकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत निगरानी के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हो या ज़िला स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी को राजभाषा के रूप में राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का उद्यम, राजभाषा विभाग अपनी सक्रियता से एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सफल रहा है।

हाल के वर्षों में राजभाषा विभाग ने अखिल भारतीय सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के बाहर देश के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों में करके एक श्रेष्ठ नवाचार प्रस्तुत किया है। इससे राजभाषा हिंदी की स्वीकार्यता निश्चय ही और अधिक बढ़ी है। आने वाला समय राजभाषा हिंदी के लिए और उत्थान का समय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित पुस्तक 'राजभाषा के रूप में हिंदी' के लेखक हैं।)

संदर्भः–

1. 'पिछले 500 वर्षों में सरकारी काम–काज में हिंदी', (लेख) महेशचंद्र गुप्त, संकलित–राजभाषा हिंदी, प्रकाशन विभाग (भारत सरकार) 1998–2000 पृ. 3.
2. 'ऐतिहासिक संदर्भों में राजभाषा हिंदी', डॉ. रामबाबू शर्मा, संकलित–इस्पात भाषा भारती पत्रिका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली, अप्रैल–जून 1992 पृ. 17–18.
3. राजभाषा हिंदी – इतिहास के आईने में, (लेख) डॉ. इकबाल अहमद, संकलित–राजभाषा हिंदीः प्रगति और प्रयाण, (सं.) डॉ. इकबाल अहमद, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2000 पृ. 15.
4. राजभाषा हिंदी, डॉ. भोलानाथ तिवारी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1986 पृ. 67.
5. राजभाषा हिंदी, डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2002–2009 पृ. 10.
6. राष्ट्रभाषा पर विचार, पं. चंद्रबली पाण्डे, तृतीय संस्करण, पृ. 222.
7. राजभाषा हिंदी – इतिहास के आईने में, (लेख) डॉ. इकबाल अहमद, संकलित : राजभाषा हिंदी : प्रगति और प्रयाण, (सं.) डॉ. इकबाल अहमद, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000 पृ. 15.
8. राष्ट्रपति के आदेश 1960, 1 (ग) स्रोत राजभाषा विभाग की वेबसाइट–rajbhasha.gov.in.
9. 'हिंदी भाषा अतीत से आज तक', डॉ. विजय अग्रवाल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1996–2002 पृ. 117.
10. राजभाषा संकल्प, 1968, 'हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन', राजभाषा विभाग, भारत सरकार, मई 2007 पृ. 8.
11. 'राजभाषा नियम, 1976, (2) (च) (छ) (ज) – 'हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन', राजभाषा विभाग, भारत सरकार, मई–2007 पृ. 9.
12. 'राजभाषा नियम', 1976 (12), 'हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन', राजभाषा विभाग, भारत सरकार, मई–2007 पृ. 12.
13. राजभाषा हिंदी का विकास एवं विस्तार, (लेख) महेशचंद्र गुप्त, संकलित– राजभाषा के विकास में अनुवाद की भूमिका, (सं.) गार्गी गुप्त, डॉ. पूरनचन्द टण्डन व डॉ. ब्रजेन्द्र त्रिपाठी, भारतीय अनुवाद परिषद, 1997–2008 प्र. 46–47.

ISSN No. : 0970-9398

सूचना प्रौद्योगिकी का भारतीय परिप्रेक्ष्य और हिंदी

– प्रो. सुरेन्द्र दुबे
उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल

हिंदी भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा है। हिंदी का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है, जिसका गद्य रूप 19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित होना आरंभ हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी प्रत्येक भारतीय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर उभरी। उस समय के विद्वानों, राजनेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह महसूस किया गया कि हिंदी ही भारत की अभिव्यक्ति बन सकती है। इस मान्यता के पक्ष में हिंदी भाषी और हिंदीतर दोनों क्षेत्रों के विद्वान समान रूप से सम्मिलित रहे। यही कारण है कि बिना किसी भाषा भेद के मुक्त कंठ से हिंदी को स्वीकार करते हुए इसमें न केवल साहित्यिक रचनाएँ हुईं, बल्कि संवाद और पत्राचार सभी के लिए इसका प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी हिंदी ने अपनी इस भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। संवैधानिक प्रावधान की दृष्टि से हिंदी ने न केवल राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया, किंतु लोकमानस द्वारा इसे भारत की संपर्क भाषा के रूप में स्वतः स्फूर्त रूप से अभिभूत किया गया है। वर्तमान हिंदी न केवल भारत में परस्पर व्यवहार, क्रियाकलाप तथा भावाभिव्यक्ति की भाषा है बल्कि ज्ञान–विज्ञान की भाषा के रूप में अपने कर्तव्य का आधारभूत निर्वहन कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण अधिगम को प्राथमिकता प्रदान करने के क्रम में हिंदी की यह भूमिका और अधिक बढ़ गई है।

कंप्यूटर का आविष्कार मानव सभ्यता के महानतम आविष्कारों में से एक है, जिसने हमारे सामान्य मानव जीवन जगत के समकक्ष एक आभासी जगत का निर्माण किया है। इस आभासी जगत को हम डिजिटल संसार (डिजिटल वर्ल्ड) कहते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से जिस प्रौद्योगिकी का महा विस्फोट हुआ है, उसे आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ है कि वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र और समाज के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना ही संपत्ति के रूप में उभरकर सामने आई है। डिजिटल संसार में सूचनाओं के प्रयोग, प्रचार–प्रसार तथा उनके माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्माण और मानव समाज को प्रभावित करने की एक जो प्रक्रिया विकसित हुई है, उससे सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता को समझा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार के अनेक और विविध तकनीकी क्षेत्र आ जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं– तकनीकी विकास का क्षेत्र और अनुप्रयोग का क्षेत्र। तकनीकी विकास के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य डिजिटल प्रौद्योगिकी में हो रहे नित नए कार्यों से है, जिसमें सॉफ्टवेयर विकास, एप्लिकेशन, वेबसाइट, गेम आदि बनाना, नेटवर्किंग और नेटवर्क सुरक्षा, रख–रखाव, डेटा विज्ञान और डेटा विश्लेषण, मशीनी अधिगम और कृत्रिम मेधा, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन बनाना, मोबाइल ऐप विकास, आईटी सपोर्ट और हेल्पडेस्क और साइबर सुरक्षा आदि संबंधी कार्य आते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत हमारे सामान्य व्यवहार संबंधी क्षेत्र आते हैं, जैसे– बैंकिंग और वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार और उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा, मनोरंजन (जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग)। इनके लिए विकसित की जाने वाली तकनीक और उपकरणों में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से भारतीय परिप्रेक्ष्य पर विचार किया जाए तो हिंदी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी काफी काम किया गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के सभी प्रमुख क्षेत्रों में क्रांतिकारी विकास हुआ है, यथा– सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना आदि। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं–

- **इंटरनेट कनेक्टिविटी**

  इसका उद्देश्य गांवों और दूरदराज़ क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाना है। भारत में इन्टरनेट योजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से इस दिशा में पर्याप्त काम किया गया है। अब सैटलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसे रही सही कमी भी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

- **ई–सेवाएँ**

सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले विविध प्रमाणपत्र, जैसे– जाति, निवास तथा भू–अभिलेख संबंधी प्रमाण पत्र आदि के लिए अब बहुत ही सहजता से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा आवश्यक प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन ही डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसी प्रकार डिजिलॉकर, उमंग ऐप, ई–हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी हैं। आरोग्य सेतु ऐप जन–जन के लिए स्वास्थ्य और उपचार की सेवाओं को सरल बना रहा है। भाषा की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जारी ई–सेवाएं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी देखी जा सकती है।

- **डिजिटल भुगतान**

आज भारत में भीम, यूपीआई, रूपे कार्ड, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे जैसी अनेक सेवाएं हैं, जिनसे कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा मिला है। इनके द्वारा तत्काल ऑनलाइन डिजिटल भुगतान किया जाता है। इन एप्स का प्रयोग हम हिंदी में भी बहुत ही सहजता के साथ कर पाते हैं।

- **डिजिटल शिक्षा**

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव का मानव समाज में एक बड़ा प्रभाव घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से विविध प्रकार की सेवाएं प्राप्त करना है। शिक्षा की दृष्टि से भी भारत में इस दिशा में पर्याप्त काम हुआ है। आज स्वयम् पोर्टल, दीक्षा, ईपीजी–पाठशाला जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जिन पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की शिक्षा विविध भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना महत्वपूर्ण है और सूचना की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही हो पाती है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर में किसी भी भाषा का अस्तित्व इस बात पर टिका है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों में उस भाषा की भूमिका कितनी है अथवा उस भाषा का प्रयोग कितना और किस रूप में किया जा रहा है? इस दृष्टि से हिंदी पर विचार किया जाए तो आज हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अग्रणी पंक्ति में खड़ी दिखाई पड़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी पर्याप्त काम हुआ है और समय के साथ यह निरंतर विकसित होता जा रहा है। उदाहरण के लिए इस दिशा में किए गए प्रयासों में एक बड़ा नाम 'अनुवादिनी' का है, जो भाषा संबंधी बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाले इस अंतर को पाटने के लिए अनेक विशेषताओं और कार्यात्मकताओं से युक्त है। 'अनुवादिनी' एक वॉयस और डॉक्यूमेंट कृत्रिम मेधा (AI) ट्रांसलेशन टूल है। यह टूल 22 भारतीय और विदेशी भाषाओं का समर्थन करता है, जो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। https://anuvadini.aicte-india.org@ पर उपलब्ध अनुवादिनी हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए एक बहुद्देशीय प्लेटफॉर्म है।

21वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (ए.आई.) का विशेष स्थान है। भाषा संबंधी क्षेत्र में कृत्रिम मेधा की दृष्टि से चैटजीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसी प्रणालियाँ अभी अत्यंत प्रचलित हो चुकी हैं। ये प्रणालियाँ बहुभाषी रूप से काम करने में दक्ष हैं। जिन भाषाओं में ये प्रणालियाँ काम करती हैं, उनमें हिंदी भी एक प्रमुख भाषा है। हिंदी माध्यम से इनका प्रयोग बहुत ही सहजता के साथ किया जाता है। हिंदी माध्यम से प्रश्न करने पर हिंदी में ही इनके द्वारा उत्तर दिया जाता है जो भाषा संरचना और कथ्य की दृष्टि से पर्याप्त सीमा तक उपयोगी होता है। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आज जिस व्हाट्सएप का प्रयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं उसमें दिए गए मेटा ए.आई. फीचर का प्रयोग आप हिंदी में भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी में भी यह सॉफ्टवेयर बिल्कुल सटीक उत्तर प्रदान करता है। इतना ही नहीं हिंदी में इसे निर्देश देकर चित्र भी बनवाए जा सकते हैं, जैसा 'हिंदी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का चित्र बनाओ' का निर्देश हिंदी में देकर नीचे एक चित्र बनवाया गया है–

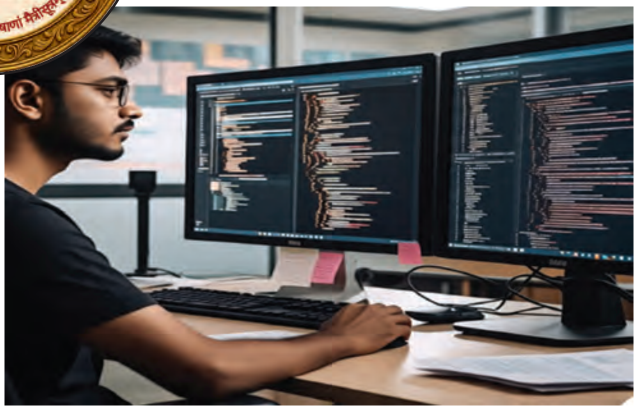

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहा है और इस कार्य में हिंदी की अग्रणी भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों, जैसे– डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आदि में किए गए कार्य डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव रखने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। तकनीकी कौशल, युवा जनसंख्या और सरकारी सहयोग के कारण भारत का आईटी क्षेत्र और प्रभावी बनेगा। इसमें हिंदी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं की भूमिका समय के साथ बढ़ने ही वाली है।

ISSN No. : 0970-9398

संविधान सभा से अपने स्वर्णिम काल तक राजभाषा हिंदी

– राजेश श्रीवास्तव,
संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग

विश्व के हर मंच से अपनी वाणी को हिंदी में स्वर देने, हिंदी के माध्यम से विश्व भर की चेतना को झकझोरने और समस्त संसार का ध्यान भारत की सांस्कृतिक, सामासिक और सहिष्णु संस्कृति की ओर आकृष्ट करने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के अमिय उद्घोष हों या फिर देश भर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी की अलख जगाने और भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं की मशाल थामने वाले माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का अडिग निश्चय हो या राजभाषा विभाग द्वारा विगत वर्षों में 'कंठस्थ' जैसे सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हिंदी को नवीनतम प्रौद्योगिकी के द्वार तक ले जाने की अविस्मरणीय पहल हो, ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि राजभाषा हिंदी का स्वर्णिम काल आरंभ हो चुका है।

संविधान सभा का गहन भाषा–मंथन

यूं तो हिंदी का इतिहास सदियों पुराना है लेकिन राजभाषा हिंदी की बात करें तो प्रारंभ भारत की संविधान सभा की बहस से होता है जिसने राजभाषा हिंदी का भवितव्य निर्धारित किया। संविधान सभा का प्रयोजन संविधान की रचना करने का था। इस प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो भाषा को लेकर ही था। सबसे प्रमुख मुद्दा यह था कि जिस देश में हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, उड़िया, बंग्ला आदि जैसी अनेक समृद्ध और पुरातन भाषाएं हों, वहाँ किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा के रूप में चुना जाए। इसी प्रश्न को लेकर संविधान सभा के सदस्यों ने 12 सितंबर, 1949 से लेकर 14 सितंबर, 1949 तक व्यापक विचार–मंथन किया और उस अमृतमंथन के बाद जो निष्कर्ष निकला, उसने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह कहना पड़ा, "हमारे इतिहास में अब तक कभी भी एक भाषा को शासन और प्रशासन की भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। हमारा धार्मिक साहित्य और प्रकाश संस्कृत में सन्निहित था। निःसंदेह उसका समस्त देश में अध्ययन किया जाता था, किन्तु वह भाषा भी कभी समूचे देश के प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त नहीं होती थी। आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और उस भाषा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार ही करना होगा।[1]"

हिंदी को मिला ज़बरदस्त समर्थन

हिंदी यूं ही राजभाषा नहीं बन गई, उसके पक्ष और विपक्ष में भाषा के धुरंधरों के वाक–तीर चले, उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर चर्चा हुई तो उसकी कमज़ोर नसों को भी टटोला गया। देश की अन्य भाषाओं के साथ तुलना की गई, उसके संख्या बल और उसकी लोकप्रियता को तर्कों के तराजू पर मापा गया। उसकी व्याकरण, उसके साहित्य और उसके साहित्यिक इतिहास की छुपी परतों को खोला गया और उसकी तुलना उसकी ही जननी कही जाने वाली संस्कृत से भी हुई। संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से देश की कई भाषाओं के पक्ष में अपने–अपने तर्क–वितर्क प्रस्तुत किए। भाषाओं की खूबसूरती, उनकी आंतरिक और बाह्य शक्ति तथा आमजन ग्राह्यता पर गहन चिंतन किया। तीन दिन की इस बहस के दौरान, माननीय सदस्यों द्वारा भाषा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, इनमें से कुछ की चर्चा यहाँ कर लेना अत्यन्त प्रासंगिक होगा।

12 सितंबर, 1949 को संविधान सभा में हुई बहस के दौरान, माननीय सेठ गोविंद दास जी ने हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहा, "मैं यह नहीं चाहता हूँ कि हमारे देश के इतिहास के अभिलेखों में यह बात रहे कि जब मैं हिंदी को अपने देश की राजभाषा बनाने के पक्ष में भाषण दे रहा था, मैं अंग्रेजी में, एक विदेशी भाषा में बोला और इस कारण मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ।[2]"

इसी दौरान श्री सेठ ने एक ऐसे फार्मूले का उल्लेख किया जिसमें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी और राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी पर सहमति बनी थी और उस फार्मूले पर श्री गोपालस्वामी आयंगर, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, प्रोफेसर रंगा, श्री अलगेसन, श्री थिरुमल राव, श्री अनंत शयनम् आयंगर और श्री कला वैंकटा राव जैसे हिंदीतर भाषी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।[3] हालांकि बाद में यह फार्मूला स्वीकार नहीं किया गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में न लेकर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी चर्चा के दौरान श्री सेठ ने यह भी कहा, "प्रांतीय भाषाओं से हमारा कोई द्वेष नहीं है। प्रान्तीय भाषाओं की तरक्की बगैर, केंद्रीय भाषा की भी उन्नति नहीं हो सकती।[4]" उन्होंने अपने संभाषण के दौरान यह भी कहा कि हर प्रांतीय भाषा की भी उन्नति होनी चाहिए और अपने–अपने प्रांत

में उसका सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। वहाँ की शिक्षा का माध्यम, अदालतों की भाषा, वहाँ की असेम्बली की भाषा प्रान्तीय भाषा हो। उन्होंने अपने वक्तव्य का समापन इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ किया, "स्वतंत्र भारत कैसा होगा, इसकी हमने कल्पना की थी। इस देश की जनता ने भी कल्पना की थी। वह कल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम भाषा के प्रश्न को हल न कर लें। स्वराज्य का अर्थ इस देश के लोग तभी समझेंगे जब भाषा का प्रश्न पूरी तरह हल हो जाएगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदी भाषा को इस देश के सभी निवासी राष्ट्रभाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।[5]"

माननीय सदस्य श्री आर.वी.धुलेकर ने भी बड़ी बेबाकी से हिंदी के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, "स्वामी रामदास ने हिंदी में लिखा, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा और आधुनिक काल के संत स्वामी दयानंद ने हिंदी में लिखा। वे गुजराती थे, किंतु लिखते थे। हिंदी में वे हिंदी में क्यों लिखते थे? इस कारण कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी थी।[6]" संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के संदर्भ में उन्होंने अपने संबोधन में एक प्रकार से भविष्यवाणी की, "संस्कृत अंतरराष्ट्रीय भाषा है— वह विश्व की भाषा है। संस्कृत भाषा में चार सौ धातु हैं। संस्कृत सब धातुओं की मूल है। संस्कृत सारे विश्व की भाषा है। आप देखेंगे कि हिंदी के राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो जाने के पश्चात संस्कृत किसी दिन विश्व भाषा हो जाएगी।[7]"

माननीय अलगू राय शास्त्री जी का मंतव्य भी हिंदी के पक्ष में था। उन्होंने कहा, "हिंदी की होड़ है अंग्रेजी के साथ। उसकी बंगाली से होड़ नहीं है, तेलुगु से होड़ नहीं है, तमिल से होड़ नहीं है, कन्नड़ से होड़ नहीं है, पश्तो या किसी दूसरी भाषा से नहीं है। उसकी होड़ तो केवल अंग्रेजी से है। अंग्रेजी हुकुमत गई, अंग्रेजी गवर्नर जनरल और गवर्नर गए। अब भारतीय गवर्नर जनरल और गवर्नर हैं। अब भारतीय भाषा भी होनी चाहिए। सब बातों को देखने से, उसकी सरलता और सुगमता को देखने से हिंदी को ही वह महत्व प्राप्त हो सकता है। इस भाषा को सब जानते हैं और यह सर्वप्रिय है।[8]"

माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी के पक्ष में बड़े सशक्त रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, "देवनागारी लिपि के विषय में, जिसमें अंक भी शामिल हैं, अधिकृत रूप से कहा गया है कि संसार की सब प्रणालियों में हमारी प्रणाली सर्वोत्तम है।[9]"

संस्कृत को भी मिला समर्थन

कई सदस्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए जाने के प्रस्ताव का यह कहते हुए प्रबल विरोध किया कि हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी सरल है, पर अन्य क्षेत्रों के लिए वह कठिन है। लोग प्रायः भाषा की सरलता के कारण उसको अपनाने पर बल देते हैं लेकिन एक माननीय सांसद ने तो संस्कृत की क्लिष्टता के कारण इसे राजभाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया पर उनके इस तर्क का आधार एकदम अद्भुत था। उनका मानना था कि यदि कोई भाषा राजभाषा के रूप में अपनाई जा रही है तो कुछ के लिए सरल और कुछ के लिए कठिन न होकर सबके लिए ही समान रूप से कठिन हो ताकि हमारे चयन में निष्पक्षता का आभास हो। इसी आधार पर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का तर्क रखते हुए कहा, "मैं आपको एक ऐसी भाषा देता हूँ , जो सबसे अधिक उन्नत और उच्च कोटि की है और निष्पक्ष रूप से कठिन है, उसका सीखना सबके लिए समान रूप से कठिन है। भाषा चुनने में कुछ निष्पक्षता होनी चाहिए। यदि हमें कोई भाषा स्वीकार करनी है तो वह भाषा उन्नत, उच्च कोटि की और सर्वोत्तम होनी चाहिए। तो फिर संस्कृत के दावे को हम क्यों अस्वीकार करें!!।[10]"

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी संस्कृत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यदि मुझे अकेले अपनी इच्छानुसार किसी भाषा को चुनने दिया जाता तो मैं संस्कृत को चुनता। इस भाषा में अब भी ऐसा वृहत ज्ञान भंडार है जिसमें भारत की वर्तमान पीढ़ी ने ही नहीं बल्कि पहले की पीढ़ियों ने भी ज्ञानोपार्जन किया और वास्तव में उससे सभ्य संसार में ज्ञान और विद्या के सभी प्रेमियों ने ज्ञान प्राप्त किया। वह हमारी भाषा है, वह भारत की मातृभाषा है।[11]" हालांकि बाद में उन्होंने हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक होने कारण उसे ही राजभाषा स्वीकार करने पर सहमति प्रदान की।

बांग्ला का भी आया प्रस्ताव

श्री सतीश चंद्र सामंत ने बांग्ला भाषा के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने बांग्ला भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए जाने समर्थन किया। भाषा के बारे में अपने गंभीर चिंतन को कुछ इस तरह प्रकट किया, "भाषा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपनी माता की गोद में ही भाषा सीख जाते हैं और जिस भाषा को वे बोलते हैं, वह उनकी मातृभाषा कही जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा प्यारी होती है। इस समय अपने देश के प्रशासन के लिए हमें एक राजभाषा, एक राष्ट्र–भाषा की आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित भाषाओं तथा मातृभाषाओं के संबंध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए।[12]"

हिंदुस्तानी के पक्ष में प्रस्ताव

हिंदुस्तानी के पक्ष में भी कई सुझाव और प्रस्ताव आए। मौलाना हिफजुर्रहमान का कहना था, "मुल्क की जबान हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी ही होनी चाहिए और देवनागरी लिपि के साथ–साथ उर्दू स्क्रिप्ट और लिपि भी शामिल होनी चाहिए।[13]" कई और सदस्यों ने भी हिंदुस्तानी के पक्ष में अपने प्रस्ताव रखे। श्री अब्दुल कलाम आजाद आदि ने हिन्दुस्तानी के पक्ष में दलीलें दीं। एक अन्य माननीय सदस्य डॉ. पी. सुब्बारायन चाहते थे कि संघ की भाषा रोमन लिपि सहित हिंदुस्तानी हो। लेकिन संविधान सभा ने हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी शब्द रखने के प्रस्ताव को

अस्वीकार कर दिया।[14] देवनागरी के बाद उर्दू शब्द को भी शामिल करने का प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया।[15]

के.एम. मुंशी के संशोधन

श्री के.एम. मुंशी के ये संशोधन स्वीकार किए गए– (i) "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।" और (ii) "संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।" श्री मुंशी ने इस संशोधन का भी प्रस्ताव रखा कि अनुसूची में Kanarese के स्थान पर Cannada रखा जाए और पंजाबी के बाद संस्कृत को भी जोड़ा जाए। उनका यह संशोधन भी स्वीकार किया गया।[16]

मुंशी–आयंगर फार्मूला

राजभाषा का प्रश्न हल करने के लिए संविधान सभा ने जिस फार्मूले को अपनाया उसे "मुंशी–आयंगर फार्मूला" कहा गया। श्री के.एम.मुंशी और श्री गोपालस्वामी आयंगर के नाम पर इसे मुंशी–आयंगर फार्मूले का नाम दिया गया। इस फार्मूले के अंतर्गत तय किया गया कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न देकर, केवल राजभाषा का उल्लेख किया जाए। इस सहमति के अंतर्गत ही तय किया गया कि राजभाषा और राजभाषा की लिपि क्रमशः हिंदी और देवनागरी होंगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि हिंदी को एकदम अपनाने में व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अंग्रेजी का प्रयोग अगले पंद्रह वर्षों तक जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त अंकों के लिए हिंदी के अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए।

संविधान सभा के अध्यक्ष का समापन वक्तव्य

तीन दिन के व्यापक विचार मंथन के पश्चात हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को संघ की राजभाषा चुने जाने के पश्चात, अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, "मेरे विचार में देश की अन्य भाषाओं के सम्पर्क से उसका और भी विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी–अच्छी बातें ग्रहण करेगी तो उससे इसकी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी।[17]" और यह कहते हुए अपने समापन संबोधन को विराम की ओर ले गए कि "अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है, इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं।[18]"

वर्ष 1949 में संविधान सभा से चला राजभाषा हिंदी का यह रथ तब से लेकर अब तक अनेक पड़ावों, बाधाओं, अवरोधों, विरोधों और अंतर्विरोधों का सामना करते हुए वर्ष 2025 तक आ पहुँचा है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सौजन्य से विगत कुछ वर्षों में अब तक चार अखिल भारतीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें से तीन सम्मेलनों में हिंदीसेवियों की संख्या लगभग दस हजार थी।

आज राजभाषा विभाग में 15 भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद किए जाने की जिस मूल विचारधारा पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है या फिर हिंदी से हिंदी का वृहद शब्दकोश– हिंदी शब्द सिंधु विकसित किया जा रहा है, इस बारे में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज से लगभग 75 वर्ष पहले ही अपना दूरगामी मंतव्य प्रकट कर दिया था। उन्होंने परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा था, "यदि आप यह चाहते हैं कि हिंदी सारे भारत में अपनायी जाए और केवल कुछ राजकीय प्रयोजनों के लिए ही अंग्रेजी की स्थान न ले तो आप हिंदी को इस योग्य बनाइए और उसमें प्राकृतिक रूप से न केवल संस्कृत से बल्कि उसकी भगिनी रूप अन्य भारतीय भाषाओं से भी शब्द आने दीजिए। हिंदी के विकास को कुंठित न कीजिए।[19]" क्या आपको नहीं लगता कि उनके यही विचार संविधान के अनुच्छेद 351 की आधारशिला भी बने होंगे।

आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का डंका बज रहा है। संसार में पहली बार हिंदी की गूँज तब सुनाई दी थी जब वर्ष 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने पहले संबोधन में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रच दिया था और वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री के रूप में एक बार से उन्होंने वहाँ अपना उद्बोधन हिंदी में दिया। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो जैसे हिंदी के एक नए युग की ही शुरुआत कर दी। वर्ष 2014 हिंदी के लिए भी जैसे स्वर्णिम युग की शुरुआत लेकर आया। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014, 2019, 2020, 2021 और 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में और विश्व के तमाम मंचों पर अपना संबोधन निरंतर हिंदी में देकर देश की भाषा को न केवल गौरवान्वित किया है बल्कि विश्व परिदृश्य में उसे अगली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत से अन्य भारतीय नेताओं ने भी विश्व मंच पर लगातार हिंदी का गौरव बढ़ाया है।

हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र समाचार की वेबसाइट (news.un.org/hi/), ट्विटर (@UninHindi), इंस्टाग्राम (@unitednationshindi) यूनएन फेसबुक हिंदी पेज और साप्ताहिक यूएन समाचार– जैसे माध्यमों से आज संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों और समाचारों को हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। दुनिया के पाँच देशों– मॉरीशस (पोर्ट लुई), संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), यूनाइटेड किंगडम (लंदन), फिजी और सिंगापुर में हिंदी के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जा चुकी हैं।

तकनीक की बात करें तो हिंदी में अनुवाद प्रदान करने वाले कंठस्थ 2.0, भाषिणी और अनुवादिनी जैसे अनेक सॉफ्टवेयर/ऐप निरंतर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। कंठस्थ 3.0 के रूप में तो बहुभाषी सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी सामने आने वाला है जो 15 भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की सुविधा

प्रदान करेगा। न्यायालय के क्षेत्र में आज सर्वोच्च न्यायलय के हजारों निर्णयों का हिंदी और स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और इन्हें संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बहुत से उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी हिंदी अनुवाद हो रहा है। चार राज्यों–राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों और निर्णयों, डिक्री अथवा आदेशों की भाषा के रूप में हिंदी लंबे समय से प्राधिकृत भाषा बनी हुई है। अन्य कुछ राज्यों के कदम भी इस ओर बढ़ रहे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक की बहसों में आपको हिंदी के स्वर निरंतर गुंजायमान होते हुए नज़र आते हैं। वह चाहे महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय, वर्धा हो, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल हो या फिर जोधपुर जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हों, देश के ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों और तकनीकी विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पढ़ाई भी हिंदी में होने लगी है। उनकी पाठ्यसामग्री हिंदी में उपलब्ध होने लगी है। प्रधानमंत्री जी के पंच प्रणों ने हिंदी के लिए भी संजीवनी फूंकने का काम किया है। उनके ही शब्दों में– हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि एक भावना है जो हम सभी को जोड़ती है। आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है।

सचमुच, भाषा की गंगोत्री आज सचमुच ऊपर से नीचे की ओर बह रही है और सभी को प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रही है। इसीलिए, कहता हूँ कि यह हिंदी का, विशेष रूप से राजभाषा हिंदी का स्वर्णकाल है।

संदर्भ– (भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट–हिंदी पीडीएफ संस्करण)

1. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.113
2. संविधान सभा की बहस, 12 सितंबर, 1949 पृ.108
3. संविधान सभा की बहस, 12 सितंबर, 1949 पृ.110
4. संविधान सभा की बहस, 12 सितंबर, 1949 पृ.114,
5. संविधान सभा की बहस, 12 सितंबर, 1949 पृ.115
6. संविधान सभा की बहस, 13 सितंबर, 1949 पृ.03
7. संविधान सभा की बहस, 13 सितंबर, 1949 पृ.04
8. संविधान सभा की बहस, 13 सितंबर, 1949 पृ.48–49
9. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.37
10. संविधान सभा की बहस, 12 सितंबर, 1949 पृ.123
11. संविधान सभा की बहस, 13 सितंबर, 1949 पृ.57
12. संविधान सभा की बहस, 13 सितंबर, 1949 पृ.42–43
13. संविधान सभा की बहस, 12 सितंबर, 1949 पृ.141
14. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.84
15. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.85
16. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.102
17. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.113
18. संविधान सभा की बहस, 14 सितंबर, 1949 पृ.115
19. संविधान सभा की बहस, 13 सितंबर, 1949 पृ.60

"हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है।"

– पुरुषोत्तम दास टंडन

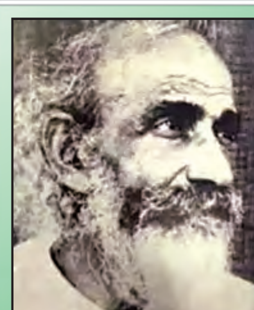

ISSN No. : 0970-9398

सांस्कृतिक चेतना और चिंतन का आधार 'स्वभाषा'

– डॉ. ज्योत्स्ना शर्मा
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
संस्कृति मंत्रालय

भाषा को समझने के लिए नोम चोम्सकी की इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों में भाषा को सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। इस प्रकार भाषा एक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है, जो ऐतिहासिक रूप से समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ–साथ बदलती रहती है। किसी राष्ट्र की आत्मा का आधार उसकी भाषा होती है और उस आत्मा को समझने के लिए उस देश की भाषा को समझना जरूरी होगा। "स्वराज तभी सार्थक होगा जब स्वभाषा की उन्नति होगी। जिस भाषा से साधारण जनता तक ज्ञान–विज्ञान पहुँच सके, उसकी उपेक्षा करना बहुत हानिप्रद होगा।"[1] भाषा है तो हम हैं, भाषा है तो समाज है, भाषा है तो राष्ट्र की समृद्धि है। स्वभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना असंभव है। हम प्रत्येक अभिव्यक्ति केवल और केवल भाषा के माध्यम से करते हैं। परंतु भारत जैसे बहुभाषी देश की स्थिति को देखें तो अत्यंत दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान मिलने के बाद भी स्थिति यथावत है। वैश्विक पटल पर संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। यूनेस्को के भाषा एटलस के अनुसार 6000 में से 2500 भाषाएँ संकटग्रस्त स्थिति में हैं। यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक कोचिरो मत्सूरा ने कहा था "एक भाषा की मृत्यु उसे बोलने वाले समुदाय की अमूर्त विरासत, परंपराओं और वाचिक अभिव्यक्तियों का नष्ट हो जाना है।"[2] भारत की आदिवासी भाषाओं में 196 तो अभी यूनेस्को के अनुसार गंभीर संकटग्रस्त भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएँ आसन्न संकट में हैं।

आज हमारी कितनी ही भाषाएं और बोलियां हाशिए पर खड़ी सवाल पूछ रही हैं। भाषा के संकट को समझने के लिए हमें इतिहास पर नजर डालनी होगी। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन काल के 200 वर्षों में भारत ने भाषाई दासता भी झेली। अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व और वर्चस्व ने भारतीय भाषाओं की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। एक खास वर्ग जिसे एलीट क्लास कहा जाने लगा वो अस्तित्व में आ गया। ये वह लोग थे जो अंग्रेजी भाषा को जानते थे, समझते थे और अँग्रेजी भाषा में बातचीत पर पूर्ण अधिकार था। ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी को स्वीकार करते करते कब समस्त भारत में भाषाई गुलामी की जड़े मजबूत हो गई किसी को भान तक नहीं हुआ। व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और आम जनजीवन में मीठे विष की भाँति अंग्रेजी की जड़े फैलती चली गई और आज आजादी के 70 सालों के बाद भी हम इस भाषा के वर्चस्व के साक्षी हैं। क्या कारण है कि हम बहुभाषिकता और विशिष्ट संस्कृति और दर्शन से समृद्ध राष्ट्र होकर भी स्वभाषा में चिंतन नहीं करना चाहते। डॉ. विश्वनाथ अय्यर ने अपने सम्बोधन में कहा था की चिंतन और भाषा के गहरे संबंध का परिचय हमारी प्रत्येक भाषा के पुराने ग्रन्थों से मिलता है। अर्थात केरल में मलयालम, संस्कृत, सामान्य गणित, ज्योतिष, संस्कृत काव्य आदि की शिक्षा परंपरागत शिक्षा का अंग थी। इसके अलावा नैतिक शिक्षा आदि भी प्रासंगिक रूप से सीखते थे। यहाँ इस

ISSN No. : 0970-9398

बात का उल्लेख करना अति आवश्यक है की किसी भी मनुष्य का लेखन उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। प्लेटो, अरस्तू, सुकरात आदि के चिंतन और मनन के स्पष्ट उदाहरण उनकी अपनी ग्रीक भाषा में लिखे हुए ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं।[3]

अँग्रेजी में शिक्षा के दबाव के कारण अपनी भाषा और चिंतन पर विराम लगने लगा। अंग्रेजी का महिमामंडन इस प्रकार किया गया कि गली मोहल्ले में खुले विद्यालय स्वयं को इंटरनेशनल स्कूल कहने लगे। यह अंग्रेजीकरण भारतीय भाषाओं, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक है। भाषाविज्ञानियों का मानना है की अँग्रेजी इसी प्रकार विस्तार की गति बढ़ाती रही, तो तमाम भाषाएँ अपने अस्तित्व को खो देंगी। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते शिक्षा के बहुत से संसाधनों से विमुख है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम देश के किसी भी कोने में पनपने वाली प्रतिभा को भाषा के डर के कारण पिछड़ापन महसूस न होने दें।

नई शिक्षा नीति–2020[4] में पांचवीं कक्षा तक आवश्यक रूप से मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। छात्र चाहे तो आठवीं कक्षा तक या उसके बाद भी अपनी मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति–2020 में बहुत सावधानी से उत्तर एवं दक्षिण के बीच प्रायः खड़े हो जाने वाले हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य के विवाद को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसीलिए मातृभाषा के साथ–साथ स्थानीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है जो इस बात का द्योतक है कि भाषा संबंधी किसी भी संकीर्णता को हम हावी न होने दें। आज भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाले ज़्यादातर छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर बड़े हो रहे हैं। विदेशी भाषा के माध्यम से दी गयी शिक्षा मौलिक सृजन को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं है। स्वभाषा के माध्यम से होने वाली पढ़ाई से बच्चों में विषय संबंधी ज्ञान अधिक स्पष्ट होगा। विद्यार्थियों के चिंतन के क्षितिज को विस्तार मिलेगा। गाँव के विद्यालयों में वहाँ उस क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से छात्र स्वयं को "हीन" नहीं समझेंगे। हमारे देश में कई ऐसी बोलियाँ हैं जिनका लोक साहित्य मौखिक परंपरा से चला आ रहा है, उसको लिखित रूप तभी दिया जा सकेगा जब वह शिक्षा के माध्यम से जुड़ी हो। ऐसा करने से छात्र अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाएँगे नहीं बल्कि उनमें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। भविष्य में ऐसे सभी प्रयास किसी भी भाषा के लिए सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। इन भाषाओं की लिपि होगी, व्याकरण होगा तत्पश्चात इनमें लेखन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लिखित साहित्य के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से इनका प्रचार और प्रसार संभव है जो हमारी बहुभाषी संस्कृति के प्रति आस्था को एक सूत्र में बांधने का एकमात्र विकल्प है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा के शिक्षा में प्रभावी उपयोग से स्कूली शिक्षा के साथ–साथ समाज निर्माण की प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन आ सकता है। छात्रों का पूरा समय एक विदेशी भाषा में लिखी विषय वस्तु को समझने में चला जाता है, जिसके कारण हमारा मौलिक सृजन क्षीण होने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही एक सुनियोजित ढंग से आत्म भाषा और स्थानीय भाषा से अचानक हमारा कटाव शुरू हो जाता है। इस कारण हम अपनी भाषा और शिक्षा की भाषा के माध्यम में उलझ जाते हैं।

यह जानना रोचक है कि जिस आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न हमने देखना प्रारंभ किया है, उसका मूल तत्व अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान एवं अपनी दक्षता के मूल्य को समझकर उन पर आत्मविश्वास विकसित करना है। यह आत्मविश्वास अपनी भाषा से सतत जुड़ाव से ही संभव है। दूसरा, जो नागरिक, ज्ञानी, शोधज्ञ, उद्यमी अपनी 'आत्म भाषा' से जुड़ा होगा, वही अपने समाज में प्रचलित लोक ज्ञान एवं लोक उद्यमों और संस्कृति को जानेगा, बूझेगा और उनकी खूबियां दूसरों को समझा सकेगा। संस्कृति की सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी और शक्तिशाली वाहिका भाषा ही होती है। संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वभाषा में ही अंतर्निहित हैं, उस संस्कृति की चिन्तन– आध्यात्मिक–ज्ञान–साहित्य–शास्त्रीय–लोक संपदा का निर्माण होता है जो उसे पूर्ण रूप से संचारित और प्रवाहित करने में सक्षम होती है। ऐसा ही कुछ आज से दस–बारह सौ वर्षों पूर्व उत्तर भारत के साहित्य में देखने को मिलता है जब रचनाकारों ने स्वभाषा या लोक भाषा के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करना आरंभ किया था। लोक भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है।[5] संस्कृति के अन्य रूप– साहित्य, ललित कलाएं, गीत संगीत, स्थापत्य, वेशभूषा, खानपान, पर्व त्यौहार, सामाजिक रीतियां, परंपराएं, लोकाचार आदि मुख्यतः भाषा के माध्यम से ही मूर्त रूप प्राप्त करते हैं। चिंतन की अभिव्यक्ति जितनी सरल रूप से अपनी स्वभाषा में होगी उतनी किसी थोपी हुई भाषा में संभव नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में विविधताएँ हैं परंतु यही विविधताएँ इसके सौंदर्य और सौष्ठव का कारण भी है। बहु–संस्कृति वाले इस देश में स्व–भाषाएँ ही संस्कृति के तत्वों को एकीकृत करने का कार्य कुशलता से करती हैं। स्वभाषा व्यक्ति ओर समाज के मध्य संवाद की सेतु है जो आगे चलकर भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन दर्शन की संवाहिका बनती हैं।

क्या यह सभी छात्र अपनी संस्कृति में अंतर्निहित ज्ञान और वैभव के प्रति उस भावना को समझ सकेंगे जिसकी आवश्यकता संस्कृति और परंपरा को बनाएँ रखने के लिए होती है। भाषा और संस्कृति का विकास तभी संभव है जब वहाँ के समुदायों के मध्य ये भाषाएँ संवाद का माध्यम बनती हैं और जिन क्षेत्रों में वह प्रमुखता से उपयोग की जाती हैं। किसी समुदाय में कोई भाषा कितनी प्रतिष्ठा पाती है यह सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि वह भाषा अपने समुदाय की कितनी तरह की अभिव्यक्ति– आवश्यकताओं को पूरा करती है – जैसे व्यापार, अर्थतंत्र, तकनीकी, नवाचार, शोध, मौलिक वैज्ञानिक चिंतन, उद्यमिता, प्रबंधकीय और प्रशासनिक निर्णय आदि। एक बहुभाषी

और बहुजातीय समाज में उसकी आधिकारिक भाषा/भाषाएँ सभी वर्गों को तभी स्वीकार्य होती हैं जब वे शिक्षा, आजीविका, व्यवसाय, शोध, तकनीक, नवाचार, विकास और प्रशासनात्मक, प्रक्रियाओं की प्रमुख भाषा होती है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में हमें यह समझना होगा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की व्यवस्था और वातावरण हो कि मात्र भाषा के कारण संस्थानों से छात्र ड्रॉप आउट न हों। इसी के साथ स्वभाषाओं में नए–नए रोजगार के अवसरों का सृजन भी हो। देश की बड़ी युवा शक्ति के हुनर, कौशल और प्रतिभा का दम भाषा के चलते न घुटे। किसी भी विषय को अपनी भाषा में समझना और सीखना आसान है। हालाँकि चुनौती बहुत बड़ी है परंतु तकनीकी, वाणिज्य, व्यापार आदि से संबंधित विषयों के साहित्य को अनुवाद के माध्यम से सरल सहज भाषा में अनूदित करके पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँ। गुणवत्ता भाषा की बाध्यता से बाहर है उदाहरण के तौर पर आईआईटी दिल्ली द्वारा बहुत सार्थक कदम उठाया गया जहां भाषा केंद्र की स्थापना की गई है। एनआईटी अगरतला में बांग्ला भाषा को स्थान दिया गया जिससे छात्र अपना मनोबल न खोए। शिक्षा का माध्यम उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वभाषा होगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यवहार में स्वभाषा का प्रयोग राष्ट्रीय गौरव की बात हो न कि हीनता या अज्ञानता का प्रतीक। प्रादेशिक स्तर पर प्रांतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास सार्थक सिद्ध हो सके जिससे समाज में अंतर्निहित भावनाओं को मुखरित होने का अवसर मिल सके। डॉ. मुकुन्द द्विवेदी के अनुसार स्वभाषा में चिंतन की परंपरा निरंतर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही स्वाधीन चिंतन भी भाषा में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।[6]

अपनी मातृभाषा से विच्छिनता अंततः जनता से विच्छिनता की ओर ले जाती है। यह समझ लेना होगा कि भारतीय भाषाओं का विकास बाज़ार द्वारा न होगा। उनका विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक आंदोलनों और पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है। बदलती स्थितियों, बाज़ारवाद और भूमंडलीकरण के इस दौर में भाषा का सवाल महज एक संवैधानिक सवाल नहीं है, न ही सांस्कृतिक आत्म पहचान का सवाल। निश्चित ही इस पर विचार करना होगा कि अपनी भाषा की गरिमा के लिए उसे किस प्रकार विस्तृत सूचनाओं और नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्र विकास के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता से मुक्त भारत एक बार फिर अपने अंतःप्राण, अंतःप्रेरणा, अंतःचेतना और सभ्यता की आभा के आलोक में प्रकाशमान होगा। भारत अपना नवनिर्माण, नवसृजन करेगा।

संदर्भ सूचीः

1. हिंदी और व्याकरण–लेख–आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
2. राहुल देव "भारतीय भाषाएँ : दशा, दिशा और भविष्य"।
3. डॉ. विश्वनाथ अय्यर के अखिल भारतीय हिंदी गोष्ठी में दिए सम्बोधन के अंश
4. नई शिक्षा नीति–2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/NEP_final_HI_0.pdf।
5. डॉ. मुकुन्द द्विवेदी (2002). चिंतन और स्वभाषा. भाषा विमर्श.दिल्ली अकादमी, दिल्ली।
6. भारतीय भाषाएँ और राष्ट्रीय अस्मिता–संपादक–डॉ. मुकुन्द द्विवेदी. हिंदी साहित्य, उद्गम और विकास–आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी।
7. रमाकांत अग्निहोत्री (2008)। बहुभाषी होने की जरूरत. भाषा और भूमंडलीकरण. शब्द संधान. नयी दिल्ली।

"भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिंदी प्रचार के द्वारा एकता स्थापित करने वाले लोग सच्चे भारतबंधु हैं।"

– महर्षि अरविन्द

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा विभाग की 50 वर्ष की अविरल यात्रा

– सीए प्रतीक जैन
मुख्य प्रबंधक (संकाय)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुरुग्राम

राजभाषा विभाग, जो जून 1975 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित हुआ, 2025 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। यह विभाग संविधान और 1963 के राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जो देश की एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बना। पिछले पांच दशकों में, राजभाषा विभाग ने हिंदी को सरकारी कार्यों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने तथा वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लेख विभाग की उपलब्धियों, चुनौतियों और 2047 तक हिंदी को समग्र कार्यों में स्थापित करने के लक्ष्य पर प्रकाश डालता है।

I. राजभाषा विभाग का गठन और उद्देश्य

भारत के संविधान के भाग XVII में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हालांकि, संविधान ने यह भी प्रावधान किया कि अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक कार्यों के लिए 15 वर्षों तक (1965 तक) जारी रहेगा और उसके बाद संसद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी को पूरी तरह से हटाने के विचार ने कुछ चिंताएँ पैदा कीं, जिसके परिणामस्वरूप 1963 का राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम ने हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी के उपयोग को भी अनुमति दी।

1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रोत्साहित करना और इसे भारत की समग्र संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना था। संविधान के अनुच्छेद 351 ने संघ को हिंदी के प्रसार और विकास का दायित्व सौंपा, ताकि यह भारत की समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय बनाकर समृद्ध हो। राजभाषा विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. **हिंदी का प्रचार–प्रसार:** सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना।
2. **भाषाई समन्वय:** हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जोड़कर एक समन्वित भाषाई ढांचा विकसित करना।
3. **प्रशिक्षण और प्रोत्साहन:** सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ लागू करना।
4. **तकनीकी विकास:** हिंदी को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उपयोगी बनाने के लिए शब्दावली और सॉफ्टवेयर विकसित करना।

II. 50 वर्षों की गौरवमयी यात्रा और उपलब्धियाँ: हिंदी आज पूरे भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में उभरी है।

- **प्रारंभिक वर्ष (1975–1990)**

राजभाषा विभाग की स्थापना के शुरुआती वर्षों में इसका ध्यान हिंदी को सरकारी कार्यालयों में लागू करने और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित था। इस दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए:

1. **राजभाषा अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन:** 1963 में पारित राजभाषा अधिनियम ने हिंदी और अंग्रेजी को केंद्रीय सरकार के कार्यों के लिए आधिकारिक भाषाएँ बनाया। 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया, जो हिंदी के लिए नीतिगत निर्णय लेती है। राजभाषा विभाग ने इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया।
2. **हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम:** केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (CHTI) ने सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया। विभाग ने हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की क्षमता प्राप्त हुई। आज, कई मंत्रालयों में 80% से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। हिंदी टाइपिंग के लिए मानक की–बोर्ड, ऑनलाइन

प्रशिक्षण और अनुवाद सॉफ्टवेयर जैसे नवाचारों ने हिंदी को डिजिटल युग में प्रासंगिक बनाया है।

3. **नियामक ढांचा:** 1976 में राजभाषा नियम लागू किए गए, जिनमें क्षेत्रीय आधार पर हिंदी के उपयोग को परिभाषित किया गया। क्षेत्र 'क' (हिंदी भाषी राज्य), क्षेत्र 'ख' (मिश्रित भाषाई क्षेत्र) और क्षेत्र 'ग' (गैर– हिंदी भाषी क्षेत्र) में हिंदी के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

4. प्रोत्साहन योजनाएँ: हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन शुरू किए गए। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार जैसे पुरस्कारों की स्थापना ने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों को प्रोत्साहित किया। इन प्रयासों ने हिंदी को सरकारी कार्यों में धीरे–धीरे स्वीकार्यता दिलाई।

- **मध्यकाल (1990–2010)**

1990 के दशक से 2010 तक का समय राजभाषा विभाग के लिए विस्तार और समेकन का दौर रहा। इस अवधि में विभाग ने न केवल हिंदी के उपयोग को बढ़ाया, बल्कि इसे तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी उपयोगी बनाया। प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं:

1. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (TOLICs):** आज देश भर में 528 TOLICs का गठन बन हो चुका है, जो स्थानीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट–लुई में भी ये समितियां स्थापित की गईं। हिंदी अब अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। भारतीय डायस्पोरा ने हिंदी को वैश्विक मंच पर ले जाने में मदद की है।

2. **राजभाषा सम्मेलन:** विभाग ने विभिन्न शहरों में राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया, जिससे हिंदी के प्रचार–प्रसार को गति मिली। हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएँ शुरू की गईं, जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार"।

3. **शब्दावली विकास:** हिंदी को तकनीकी क्षेत्रों में उपयोगी बनाने के लिए नई शब्दावली विकसित की गई। शिक्षा मंत्रालय के अधीन गठित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अनेक हिंदी शब्दकोशों का निर्माण किया, जिनमें अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया। हिंदी ने भारत की समन्वित संस्कृति को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4. **अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस:** अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा के वैश्विक महत्व और उसके प्रचार–प्रसार को समर्पित है। पहली बार 2006 में इसे मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। इस दौरान, हिंदी ने सरकारी कार्यों में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ने लगा।

- **आधुनिक युग (2010–2025)**

पिछले डेढ़ दशक में राजभाषा विभाग ने डिजिटल तकनीक और वैश्वीकरण के युग में हिंदी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कई नवाचार किए। इस अवधि की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **डिजिटल पहलें:**

❖ **ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षण:** CHTI ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे देश भर के कर्मचारी हिंदी सीख सकते हैं।

❖ **स्वचालित अनुवाद सॉफ्टवेयर:** विभाग ने 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से हिंदी में स्वचालित अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर काम शुरू किया।

❖ **ई–मैगजीन और वेबसाइट:** विभिन्न मंत्रालयों ने हिंदी में ई–मैगजीन, जैसे मत्स्य भारती (मत्स्य पालन विभाग) और वेबसाइट सामग्री प्रकाशित की।

2. **हिंदी दिवस और पखवाड़ा:** प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 1–15 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन आयोजनों में हिंदी में लेखन, कविता पाठ और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

3. **पुरस्कार और सम्मान:** विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को राजभाषा गौरव एवं कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

4. **द्विभाषी वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्तियाँ:** 2017 में, सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइटों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) बनाने का निर्देश दिया। आज, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) जैसी संस्थाओं की वेबसाइटें डिफ़ॉल्ट रूप से हिंदी में खुलती हैं।

5. **शिक्षा में हिंदी का विस्तार:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुभाषावाद पर जोर दिया और हिंदी सहित क्षेत्रीय

भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत की।

6. **संसदीय राजभाषा समिति** समय–समय पर केंद्र सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण करती है और अपनी संस्तुतियां राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है।

III. हिंदी के कार्यान्वयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की भूमिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग ने भाषा प्रसंस्करण और अनुवाद के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजभाषा विभाग ने इन तकनीकों को हिंदी के उपयोग को सरकारी कार्यों में बढ़ाने के लिए अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग

1. **स्वचालित अनुवाद उपकरणः** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद उपकरण, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट और भारत सरकार का भाषिनी प्लेटफॉर्म, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में त्वरित और सटीक अनुवाद प्रदान करते हैं। ये उपकरण सरकारी दस्तावेजों, पत्राचार और वेबसाइट सामग्री को हिंदी में अनुवाद करने में सहायक हैं।

2. **वॉयस–टू–टेक्स्ट और टेक्स्ट–टू–वॉयसः** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वॉयस रिकग्निशन तकनीक ने हिंदी में मौखिक संचार को टेक्स्ट में बदलने और टेक्स्ट को बोली में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इससे हिंदी में आधिकारिक संचार को और अधिक सुलभ बनाया गया है।

3. **चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्सः** कई सरकारी वेबसाइटों पर हिंदी में संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट्स का उपयोग शुरू किया गया है, जो नागरिकों को हिंदी में जानकारी और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

4. **डेटा विश्लेषण और भाषा मॉडलः** मशीन लर्निंग आधारित भाषा मॉडल हिंदी में लिखित सामग्री की गुणवत्ता और सटीकता को बेहतर बनाने में सहायक हैं। ये मॉडल सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की शब्दावली को मानकीकृत करने में भी योगदान दे रहे हैं।

5. **भविष्य की संभावनाएँः** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उपयोग से हिंदी को न केवल सरकारी कार्यों में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसे क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण उपकरण हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

IV. चुनौतियाँ और समाधान

: वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी का उपयोग तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रमुख रहा है, जिसने हिंदी के विकास को चुनौती दी। हिंदी के लिए प्रारंभ में डिजिटल उपकरण और सॉफ्टवेयर सीमित थे, जिससे इसका उपयोग कठिन था। क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च–गुणवत्ता वाली सामग्री के लिए संसाधनों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। हिंदी की विभिन्न बोलियों और क्षेत्रीय शब्दावली को। मॉडल में शामिल करना एक चुनौती है। इसके लिए क्षेत्रीय भाषा विशेषज्ञों के साथ सहयोग आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भाषा नीति में समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारियों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण और प्रेरणा की कमी ने प्रगति को धीमा किया। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को। उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हिंदी में उच्च–गुणवत्ता वाले डिजिटल डेटा की कमी। प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है। समाधान के रूप में, सरकार को हिंदी में डिजिटल सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।

V. भविष्य की दिशा

आगामी वर्षों में, राजभाषा विभाग का लक्ष्य हिंदी को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रभावी संचार माध्यम के रूप में स्थापित करना है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयास किए जाएँ, जिससे वैश्विक मंच पर हिंदी की स्थिति मजबूत हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि वैश्विक मंच पर हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। हिंदी को डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अधिक सुलभ बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया जाएगा। डिजिटल सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, ताकि अधिक लोग भाग ले सकें। हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जोड़कर एक समावेशी भाषा नीति को बढ़ावा देना चाहिए और युवाओं और गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाने चाहिए , ताकि बहुभाषी भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया जा सके।

हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के विकास के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, ताकि हिंदी आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की भाषा बन सके। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकारी और निजी क्षेत्र में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। हिंदी साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

VI. सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदीः सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी को डिजिटल युग में एक नई पहचान दी है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

➢ **अवसर**

यूनिकोड और हिंदी सॉफ्टवेयर के विकास ने हिंदी में डिजिटल सामग्री के निर्माण को आसान बनाया है। सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स पर हिंदी सामग्री की उपलब्धता बढ़ी है। हिंदी में ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट और यूट्यूब चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे हिंदी की पहुंच युवा पीढ़ी तक बढ़ी है। हिंदी में ई–गवर्नेंस सेवाएँ, जैसे कि डिजिटल इंडिया और उमंग ऐप, नागरिकों को उनकी भाषा में सरकारी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

➢ **चुनौतियाँ**

हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का मानकीकरण अभी भी एक चुनौती है। इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की सीमित उपलब्धता हिंदी सामग्री की पहुंच को प्रभावित करती है। अंग्रेजी और अन्य वैश्विक भाषाओं की तुलना में हिंदी की डिजिटल उपस्थिति को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

➢ **समाधान**

- हिंदी में तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए विशेष समितियों का गठन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- हिंदी में उच्च–गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

VII. अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का पारस्परिक सहभागिता

अमृत काल (2022–2047) भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक का समय है, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इस दौरान, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पारस्परिक सहभागिता राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया है। इससे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का एकीकरण हो रहा है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का परस्पर अनुवाद सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए, बांग्ला और तमिल साहित्य का हिंदी में अनुवाद लोकप्रिय हो रहा है। हिंदी सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियों को हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे भाषाई एकता को बल मिल रहा है।

VIII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का उपयोग: सफल प्रयास और नवाचार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और राष्ट्रीयकृत बैंक हिंदी को सरकारी कार्यों में लागू करने में अग्रणी रहे हैं। इन संस्थाओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सफल प्रयास और नवाचार किए हैं।

➢ **सफल प्रयास**

PSUs और बैंकों ने अपने दस्तावेजों, प्रेस विज्ञप्तियों और ग्राहक संचार को हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक और रेलटेल कॉर्पोरेशन ने हिंदी में ग्राहक सेवाओं को बढ़ाया है। PSUs और बैंकों ने हिंदी में प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

➢ **नवाचार**

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने मोबाइल ऐप्स और वेबसाइटों पर हिंदी इंटरफेस प्रदान करना शुरू किया है, जिससे ग्रामीण और हिंदी भाषी ग्राहकों तक पहुंच बढ़ी है। कुछ बैंकों ने हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स को लागू किया है, जो ग्राहकों को उनकी भाषा में सहायता प्रदान करते हैं। PSUs और बैंकों ने हिंदी कार्यशालाओं और ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए हैं, ताकि कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में सक्षम हो सकें। ग्राहक–केंद्रित हिंदी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राजभाषा के प्रयोग अधिक बल दिया जा रहा है।

निष्कर्ष: राजभाषा विभाग के 50 वर्षों की यात्रा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित करने की प्रेरणादायक कहानी है। राजभाषा विभाग ने हिंदी को सरकारी, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर स्थापित कर भाषाई–सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों, सम्मेलनों, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी की बढ़ती उपस्थिति, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सहयोग और बैंकों में हिंदी के प्रयासों ने इसे नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। भविष्य में हिंदी को वैश्विक मंच पर ले जाने और ज्ञान–विज्ञान की भाषा बनाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर भारत को समावेशी राष्ट्र बनाएगा। 2047 तक हिंदी को भारत के समग्र कार्यों की भाषा बनाने का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। यह स्वर्ण जयंती उपलब्धियों का उत्सव और भविष्य की प्रेरणा है।

ISSN No. : 0970-9398

स्वभाषा : स्वाभिमान का प्रतीक

– डॉ. साकेत कुमार सहाय
मुख्य प्रबंधक, राजभाषा
पंजाब नेशनल बैंक, हैदराबाद

'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।'

जन्मदात्री माता तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्कृष्ट हैं। सदियों पूर्व हमारे देश के ऋषि–मुनि एवं मनीषियों ने इस सूक्ति के माध्यम से हमें माता एवं मातृभूमि की महत्ता का पाठ पढ़ाया था। माता हमारे अस्तित्व का कारणभूत तो है ही, साथ ही साथ वह हमें जन्मघूटी के साथ हृदयगत अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए भाषा भी सिखलाती है। इसीलिए हम लोग उस भाषा को 'मातृभाषा' के नाम से अभिहित करते हैं। वह हमारी 'निज' भाषा कहलाती है। राष्ट्र एक ऐसा महत्वपूर्ण मानव समूह है जिसकी सदस्यता परिवार की भाँति अनिवार्य है। जिस प्रकार परिवार की एक भाषा, परम्परा–संस्कार तथा विचार होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी एक सामान्य भाषा, परम्परा–संस्कार होते हैं। आज के परिवेश में वैचारिक एवं भावात्मक जीवन स्थितियों में 'राष्ट्र' विचार एवं भावना की शक्ति का प्रतिरूप बन गया है।

यह समझना जरुरी है कि 'राष्ट्र' का अर्थ उस मिट्टी से नहीं होता जिस पर वह बसा हुआ है, न उस धर्म से और न उस प्रतिभा से जिसे वह शान से अपनों या औरों को दिखाकर गर्व करे। बल्कि राष्ट्र वचन और कृति का अर्थ होता है। एक ही भूमि और सांस्कृतिक चेतनावाला जनसमूह एक भाषा बोलता है, उस भूखण्ड की समस्त समस्याओं को सुलझाकर विकास की दिशा की ओर अग्रसर करता है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। यद्यपि इसमें रीति–रिवाज़, खान–पान, वेष–भूषा तथा भाषा की दृष्टि से अनेक प्रकार की विविधताएँ भी मिलती हैं लेकिन ये विविधताएँ उस राष्ट्र की मौलिकता और स्वतंत्र चिंतन प्रकृति की सूचक होती हैं, उसकी त्रुटि नहीं।

किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का विकास तभी होता है जब उसकी अपनी एक भाषा हो। मानवीय सामाजिक संरचना में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, यही सामाजिक आदान–प्रदान का माध्यम है। भाषा से ही सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। भारत एक बहुभाषी देश है। संविधान निर्माताओं ने काफी सोच–विचार कर हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। हमें हिंदी को प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में अपनाना है और साथ ही सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना है। हमें भाषा के आधार पर कोई मतभेद नहीं रखना। भारतीय संविधान के अग्रणी शिल्पकार डॉ० भीमराव अंबेडकर ने भाषायी आधार पर बनने वाले प्रांतों का विरोध करते हुए कहा था–

"भाषावार पुनर्रचना के उपरांत इस राज्य की प्रादेशिक भाषा ही कामकाज की भाषा बनेगी। लोगों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता की भावना जागेगी। यह स्वतंत्र राष्ट्रीयता और स्वतंत्र राज्य इन दोनों को विभाजित करनेवाला रास्ता है। इसी 'भेद–रेखा' के चलते आज भारत में अनेक समस्याएँ हैं। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि प्रादेशिक भाषा राज्य की कामकाजी भाषा नहीं बननी चाहिए। भारत की कामकाज की भाषा भी एकमात्र हिंदी हो तथा वही हिंदी राष्ट्रभाषा हो। जब तक देश इसके लिए तैयार नहीं होगा तब तक भाषावार राज्य देश के ऊपर विपत्ति बनेंगे। अतः संविधान में यह अब व्यवस्था कर देनी चाहिए कि हर राज्य की सरकारी भाषा वहीं हो जो केंद्र सरकार की है। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सभी राज्यों की भाषा एक– हिंदी होनी चाहिए।"

'निज भाषा उन्नति' के सूत्र की पुष्टि डॉ. अम्बेडकर ने बखूबी की है–

"भारत की स्थिति कनाडा, स्विटजरलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका जैसे बहुभाषाई देशों से भिन्न है। भारतीय नीति की भावना बँटवारे की रही है, जबकि उन देशों में संगठित होने की रही है। जो देश 'एक देश–एक भाषा' के नियम से अलग हटा है, उस देश पर सदा विपत्तियों के बादल मंडराते रहे हैं।"

भारतीय संविधान की धारा 343(1) में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किन्तु इसके साथ यह भी कहा गया कि सरकार के कामकाज हिंदी या अंग्रेजी के साथ चल सकते हैं। इसके बाद किन कार्यों में हिंदी होगी, इसे निश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि राजभाषा आयोग बनाए जाएँगे और इनकी अनुशंसाओं पर संसदीय समिति विचार करेगी जिसके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति उचित समझने पर अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाएँगे। संसदीय राजभाषा समिति ने 1965 तक अंग्रेजी को भारत संघ की मुख्य

राजभाषा और हिंदी को उसकी सहभाषा बनाए रखने की अनुशंसा की। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संसोधित, 1967) के अनुसार जब तक भारत संघ का एक भी अहिंदी राज्य चाहेगा, संघ सरकार का कार्य अंग्रेज़ी भाषा में चलता रहेगा। इसके परिणामस्वरूप यदि हिंदी भाषी राज्य, हिंदीतर भाषी राज्य को कोई पत्र लिखेगा तो उसे उस पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।

आज हमारा देश भारत बनाम इंडिया के दौर से गुजर रहा है। विचार के स्तर पर, मानसिकता के स्तर पर राष्ट्र का एक ऐसा विभाजन हुआ है जो भौगोलिक स्वतंत्रता के समय हुए भौगोलिक बँटवारे से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। यदि हमें राजभाषा हिंदी को सम्मान सहित प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो हमें अपनी क्षेत्रीयता और संकुचित मनोवृत्ति का त्याग कर ऊपर उठना होगा, राष्ट्र–कल्याण हित सोचना होगा।

सच तो यह है कि राजभाषा हिंदी की अवहेलना कर हम अपने राष्ट्र की अस्मिता को ऊँचा नहीं उठा रहे, जो अभीष्ट है। हम भारतीयों–हिन्दुस्तानियों को हिंदी के प्रति कुंठा की भावना त्याग कर हिंदी को सीखना और उसमें काम करना चाहिए। इसी में नागरिकत्व की प्रतिष्ठा है। हिंदी का सम्मान ही स्वतंत्र एवं समाजवादी लोकतंत्रीय भारत की अस्मिता की पहचान प्रतिष्ठा है।

स्वभाषा और महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी जी ने 1917 में भागलपुर में आयोजित एक छात्र–सम्मेलन में अपने भाषण में 'मातृभाषा' के महत्व को रेखांकित करते हुए उद्घाटित किया था– "मातृभाषा का अनादर, माँ का अनादर करने के बराबर है। जो मातृभाषा का अनादर करता है, वह स्वदेश भक्त कहलाने के लायक नहीं है।" इसी संदर्भ में बापू ने खिन्न होकर कहा था कि हमने मातृभाषा का अनादर किया है। इस पाप का कडुआ फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। और उस फल को हम लोग आज चख रहे हैं। महात्माजी ने अपने वक्तव्य को जारी रखते हुए आगे यह भी कहा था कि 'जब तक हमारी मातृभाषा (निजभाषा) में हमारे सारे विचार प्रकट करने की शक्ति नहीं आ जाती है और जब तक वैज्ञानिक विषय मातृभाषा में नहीं समझाए जा सकते तब तक राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा। यह तो स्वयंसिद्ध है। 'बापू' ने दशकों पूर्व इस सत्य को हृदयंगम कर लिया था।

मातृभाषा या निज भाषाओं की उन्नति हेतु आन्दोलन करने वालों को ध्यान में रखकर, उनकी अवनति पर अपना खेद प्रकट करते हुए महात्मा गाँधीजी ने खिन्न स्वर में अपनी व्यथा इस प्रकार व्यक्त की थी– "क्या वे लोग, जो अपनी मातृभाषा का अपमान करते हैं, कभी देश का भला कर सकते हैं? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि गुजरात में लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य कोई भाषा अपना लें। ऐसा हो तो यह कहने में जरा भी आतिशयोक्ति न होगी कि जो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं, वे देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करते हैं।"

गाँधीजी भारतीय भाषाओं के पूर्णतया पक्षधर थे। उन्हें काशी के एक समारोह में अंग्रेजी में भी भाषण देना पड़ा। इसकी विवशता पर खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इस महान विद्यापीठ के प्रांगण में अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है, यह बड़ी अप्रतिष्ठा और शर्म की बात है।

जहाँ गाँधीजी भारतीय भाषाओं के उत्थान के स्वप्नदर्शी थे, वहीं वे विदेशी भाषाओं के विरोधी न थे। उन्होंने आग्रह किया– "युवक–युवतियाँ अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएँ खूब पढ़ें और जरूर पढ़ें। लेकिन मैं उनसे आशा करूँगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को और सारे संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे बोस, राय और स्वयं कवि रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया है। मगर मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि कोई भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाए या उसकी उपेक्षा करे या उसे देखकर शरमाए अथवा यह महसूस करे कि अपनी मातृभाषा के जरिए वह ऊँचे से ऊँचा चिंतन नहीं कर सकता है।"

गाँधीजी का जीवन एक प्रयोगशाला रहा है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के समग्र विकास हेतु चौदह रचनात्मक कार्यक्रम रखे थे। उनमें खादी प्रचार, कुटीर उद्योग आदि के साथ हिंदी भाषा का प्रचार भी एक कार्यक्रम था। राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की गई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के पक्ष में उन्होंने जो अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए थे, उनमें दो–चार का उद्धरण देना यहाँ पर प्रासंगिक होगा। "मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड़ भाई–बहन गंभीर भाव से हिंदी का अध्ययन करने लग जाएँगे। आज अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वे जितनी मेहनत करते हैं, उसका आठवाँ हिस्सा भी हिंदी सीखने में करें तो बाकी हिन्दुस्तान जो आज उनके लिए बंद किताब की तरह है, उससे वे परिचित होंगे और हमारे साथ उनका ऐसा तारतम्य स्थापित हो जाएगा जैसा पहले कभी नही था।"

हिंदी की उपादेयता के साथ गाँधीजी ने उसकी सरलता की ओर भी इंगित किया है। परन्तु हिंदी सीखने की राह में अड़चन पैदा करनेवालों की ओर भी संकेत करते हुए गाँधीजी ने एक संदर्भ में कहा था– "वास्तव में अंग्रेजी बोलने वाले नेता आम जनता में हमारे काम को जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी तीन महीनों के अन्दर सीखी जा सकती है। अगर सीखने वाले इसके लिए दो घंटे हर रोज दें"।

महात्माजी ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, प्रशासन की भाषा आदि के साथ उसके संपर्क भाषा के स्वरूप पर भी सावधान रहें। उनका कथन है, "सारे हिन्दुस्तान में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या दक्षिण की भाषाएँ बोलने वालों से दुगुनी है। प्रांतीय भाषाओं के बदले में नहीं, बल्कि उनके अलावा एक प्रांत से दूसरे प्रांत का संबंध जोड़ने के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। ऐसी भाषा तो एकमात्र हिंदी या हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।"

ISSN No. : 0970-9398

स्वभाषा–स्वाभिमान का प्रतीक

मानव सभ्यता के विकास में भाषा का स्थान अपरिमेय रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ नव जागरण का शंखनाद हुआ। राजा राम मोहन राय, आचार्य केशवचन्द्र सेन, मनीषी अरविंद घोष, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, बंकिम चन्द्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी श्रद्धानंद, सुभाषचन्द्र बोस आदि ने 'स्वभाषा' के महत्व को उद्‌घाटित किया और राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ देशवासियों में अपनी अस्मिता का बोध कराने के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का अभियान चलाया।

वैसे स्वाधीनता आंदोलन के पूर्व ही जनता में जागृति पैदा करने के लिए हिंदी भाषा की महत्ता और आवश्यकता महसूस की गई थी। साथ ही भारतीय भाषाओं के अस्तित्व की पहचान के साथ उनके उत्थान का प्रयास भी किया गया था। भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन का आन्दोलन चला और 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन भी हुआ। परिणामस्वरूप प्रमुख भारतीय भाषाओं को संविधान में आदरपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ।

बहु भाषा–भाषी राष्ट्र 'भारत' ने सदा भिन्नता में एकता के दर्शन करना अपना आदर्श माना है। धर्म और संस्कृति ने इस राष्ट्र को आज तक एक सूत्र में जोड़े रखा है। वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय चिंतन और वांग्मय एक ही रहा है। संस्कृत भाषा हमारे राष्ट्र के दर्शन, साहित्य, शास्त्र एवं ज्ञान–विज्ञान के वांग्मय का माध्यम रही है। विदेशी आततायियों के आगमन के पश्चात हमारी भाषाओं तथा संस्कृति में दरारें पड़ गई। हम पर विदेशी भाषाओं तथा संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा हमने स्वराज्य की स्थापना की। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार की गई। स्वाधीनता आंदोलन में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हिंदीतर प्रदेश के लोगों का योगदान भी इस आन्दोलन में अविस्मरणीय रहा है। हिंदी की इसी शक्ति ने इसे राष्ट्रभाषा के रुप में लोगों को अपनाने के लिए भाव दिया।

आज हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है। हमारा संविधान एक है। नागरिकता एक है। एक ध्वज है, एक राष्ट्रगान है, एक मुद्रा है। एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। परंतु संपूर्ण अर्थ में हिंदी आज तक हमारी प्रशासनिक भाषा नहीं बन पाई। वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयासरत हैं। तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रवेश, भारतीय भाषा अनुभाग का गठन आदि महत्वपूर्ण प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री हर मंच से हिंदी में संबोधन देते हैं।

स्वभाषा, स्वाभिमान की भाषा के रुप में हिंदी

सरकार देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ–साथ हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के विकास हेतु सजग है। सरकार इस दिशा में भी प्रयासरत है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में उसका उचित स्थान मिले। इस हेतु सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार की जाए। अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। वर्तमान सरकार हिंदी को अनुवाद से अधिक संवाद तथा मौलिक सोच की भाषा के रुप में स्थापित करना चाहती है।

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिंदी में मिलने से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित होते हुए देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। देश की स्वतंत्रता से लेकर हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्वभर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की सात भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है।

हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन–आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी'। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान–विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सही भी है कि यदि हम अपनी भाषाओं को केवल भाषा, साहित्य एवं शोध तक ही सीमित रखते हैं तो दुनिया की प्रगति में पिछड़े रह जाएँगे। अब भी हमें सही चिंतन की आवश्यकता है। आज मात्र साहित्यिक भाषा के ही नहीं अपितु, प्रशासन, 'विधि–विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, वाणिज्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी हिंदी के वैश्वीकरण की बात चल रही है, इस संदर्भ में हमें भी अपनी भाषाओं को राष्ट्र के कार्य–कलापों में स्थापित कर उन्हें दृढ़ बनाने के साथ–साथ विश्व में उनकी अस्मिता को दर्ज कराने की आवश्यकता है।

आज कृत्रिम मेधा, पर्यटन, कंप्यूटर, होटल, प्रबंधन,

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फिल्म, टेलीविजन, फैशन, सांस्कृतिक संबंध, सुरक्षा, अन्य वैज्ञानिक साधनों के उत्पादन के क्षेत्रों में हम होड़ लगाना चाहते हैं तो हमें भारतीय भाषाओं के साथ कुछ विदेशी भाषाओं का भी आश्रय लेना पड़ेगा। शिक्षा, अनुवाद, दुभाषी, प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी रोज़गार की संभावनाएँ अधिक हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी भाषाओं को अधिक उपयोगी एवं सक्षम बनाने का प्रयास करना होगा। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिए व्यक्ति, संस्था तथा प्रशासन के स्तर पर सम्मिलित रूप से सहयोग करें और दायित्व बोध से हिंदी को इस योग्य बनाने का प्रयास करें तो निकट भविष्य में हिंदी निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभरकर आएगी।

इस देश में यदि हिंदी को देश में उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करना है तो सही माने में निष्ठापूर्वक निम्नांकित योजनाएँ कारगार हो सकती हैं–

1. हिंदी के माध्यम से संपूर्ण विषय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का प्रबंध हो।
2. वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी विषय लेखक अधिक से अधिक हिंदी तथा अपनी–अपनी मातृभाषाओं में पुस्तकों या शोधपत्रों के रूप में उपलब्ध कराएँ।
3. त्रिभाषा सिद्धांत तत्काल सर्वत्र दृढ़तापूर्वक अनिवार्य बनाकर अमल किया जाए।
4. केंद्रीय शासन की सेवाओं के लिए हिंदी का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य बनाया जाए।
5. सबसे उत्तम उपाय हिंदी को रोजी–रोटी के साथ जोड़ा जाए।
6. यह प्रयास भी क्रमशः चालू किया जाए कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि 'देवनागरी' को अपनाया जाए। वैसे हिंदी, मराठी और गुजराती की लिपि लगभग एक है। अन्य अधिकांश भाषाएँ संस्कृत से प्रभावित हैं और इन सब उपायों से बढ़कर मेरे खयाल से हम भारतीयों की मानसिकता में परिवर्तन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय अस्मिता को दृष्टिगत रखते हुए एक क्रांतिकारी परिवर्तन नितांत आवश्यक है, अतः फिर से भारत में पुनर्जागरण का शंखनाद हो।

उपसंहार

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं होती, वह एक समाज की आत्मा, उसकी संस्कृति और अस्मिता का आधार होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी स्वभाषा – अर्थात वह भाषा जिसमें वह सोचता, अनुभव करता और स्वयं को सहज रूप से व्यक्त करता है – उसके स्वाभिमान का प्रतीक होती है।

स्वभाषा में सोचने और बोलने से न केवल हमारी अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को भी जीवित रखती है। जैसे जापानियों के लिए जापानी, फ्रांसीसियों के लिए फ्रेंच गर्व की भाषा है, वैसे ही हमारे लिए हमारी मातृभाषाएँ – हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, मराठी आदि – हमारी पहचान की नींव हैं।

यदि हम अपनी भाषा को हीन समझने लगें और विदेशी भाषाओं को श्रेष्ठ मानने लगें, तो यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने जैसा है। स्वभाषा का सम्मान करना, उसमें शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन और तकनीक का विकास करना, आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम है।

निष्कर्षतः स्वभाषा का आदर करना, उसमें संवाद और सृजन करना, वास्तव में अपने स्वाभिमान को सहेजना है। जब तक हम अपनी भाषा पर गर्व करना नहीं सीखते, तब तक हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। स्वभाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भाषा है।

स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र 'प्रताप' के मुखपृष्ठ पर यह आदर्श पद छपा करता था –

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं, नरपशु निरा है और मृतक सामान है।

विद्यार्थी जी ने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि "राजनीतिक पराधीनता पराधीन देश की भाषा में अत्यंत विषम प्रहार करती है। विजयी लोगों की विजय गति विजितों के जीवन के प्रत्येक भाग पर अपनी श्रेष्ठता की छाप लगाने का सतत प्रयत्न करती है। भाषा जीती तो सब कुछ जीत लिया। विजितों का अस्तित्व मिट चलता है। विजितों के मुँह से निकली हुई विजयीजन की भाषा उनकी उनकी दासता की सबसे बड़ी निशानी है। परायी भाषा हमारे चरित्र की दृढ्घ्ता का अपहरण कर लेती है, मौलिकता का विनाश कर देती है और नकल करने का स्वभाव बनाकर हमारे उत्कृष्ट गुणों और हमारी प्रतिभा को नष्ट कर देती है।"

गणेश शंकर विद्यार्थी के उक्त शब्द आज भी हमें सतर्क और सचेत करते दृष्टिगोचर होते हैं। स्वभाषा ही स्वाभिमान की प्रतीक है। क्योंकि इसी से राष्ट्र की पहचान और आवाज सशक्त होती है। अपनी संस्कृति प्रतिध्वनित होती है। तभी तो भारतेंदु जी कहते हैं –

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।

ISSN No. : 0970-9398

मशीन अनुवाद, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और हिंदी भाषा

– अच्युत कुमार सिंह
सहायक अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी, भारत की आत्मा और संस्कृति की संवाहक भाषा, अपने समृद्ध इतिहास और साहित्यिक विरासत के साथ विश्व मंच पर चमक रही है। आधुनिक युग में, आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) और मशीन अनुवाद (Machine Translation) जैसी प्रौद्योगिकियों ने हिंदी भाषा के विकास को नई दिशा प्रदान की है। ये तकनीकें न केवल हिंदी को वैश्विक संवाद का हिस्सा बना रही हैं, बल्कि इसे डिजिटल युग में अधिक सुलभ, समावेशी और नवाचारपूर्ण बनाने में भी योगदान दे रही हैं। AI के माध्यम से भाषा प्रसंस्करण, स्वचालित अनुवाद और सामग्री सृजन ने हिंदी के उपयोग को विविध क्षेत्रों–शिक्षा, साहित्य, मीडिया और व्यापार में विस्तारित किया है। डेटा सोर्स के क्षेत्र में कार्यरत ऑनलाइन प्लेटफार्म स्टेटिस्टा (Statista) के अनुसार, आज भारत में 50% से अधिक ऑनलाइन खोजें हिंदी में की जा रही हैं; साथ ही AI और मशीन अनुवाद ने ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में हिंदी भाषी समुदायों को डिजिटल सेवाओं (जैसे UPI, सरकारी पोर्टल्स और ऑनलाइन शिक्षा) तक उल्लेखनीय पहुँच प्रदान की है। इसके अलावा ये उपकरण हिंदी सामग्री को वैश्विक भाषाओं में अनुवाद करके हिंदी को व्यापक मंच भी प्रदान कर रहे हैं।

मशीन अनुवाद :

मशीन अनुवाद की तीन प्रमुख पद्धतियाँ हैं:

1) नियम आधारित मशीन अनुवाद (Rule-Based Machine Translation, RBMT)– यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए पहले से निर्धारित भाषाई नियमों और शब्दकोशों का उपयोग किया जाता है। यह भाषाविदों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है और उन विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे विधि या तकनीकी अनुवाद) में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जहाँ नियम स्पष्ट और सीमित हों। परंतु जटिल वाक्य संरचनाओं या अस्पष्ट वाक्यों के मामले में इस प्रणाली की क्षमताएं सीमित हो जाती है।

उदाहरणः अंग्रेजी वाक्य "The cat is black" को हिंदी में अनुवाद करने के लिएः शब्दकोश के अनुसार "cat" → "बिल्ली", "is" → "है", "black" → "काला" जबकि व्याकरण के नियमानुसार, अंग्रेजी का SVO (Subject-Verb-Object) क्रम, हिंदी के SOV (Subject-Object-Verb) में बदलता है। परिणामस्वरूप "बिल्ली काला है।"

2) सांख्यिकी मशीन अनुवाद (Statistical Machine Translation, SMT)– यह एक ऐसी तकनीक है जो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों और बड़े द्विभाषी डेटासेट (parallel corpora) का उपयोग करती है। यह नियम आधारित मशीन अनुवाद (RBMT) से अलग है, क्योंकि यह पूर्वनिर्धारित भाषाई नियमों के बजाय डेटा से स्वचालित रूप से पैटर्न ग्रहण करता है। SMT सिस्टम डेटा से शब्दों, वाक्यांशों और उनके अनुवाद की संभावनाओं को सीखता है। यह प्रक्रिया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम (जैसे, Expectation-Maximization) पर आधारित होती है।

इसकी कार्यप्रणाली को निम्न 3 चरणों में समझा जा सकता हैः

चरण 1: सर्वप्रथम स्रोत वाक्य को छोटे हिस्सों (शब्द या वाक्यांश) में तोड़ा जाता है।

चरण 2: प्रत्येक हिस्से के लिए संभावित अनुवाद विकल्पों की गणना की जाती है (अनुवाद मॉडल के आधार पर)।

चरण 3: भाषा मॉडल के आधार पर सबसे प्रवाहपूर्ण और स्वाभाविक अनुवाद को चुना जाता है।

उदाहरणः अंग्रेजी वाक्य "The cat is black" को हिंदी में अनुवाद करने के लिएः समानांतर कॉर्पस से सिस्टम सीखता है कि "cat" का अनुवाद "बिल्ली" है, "is" का "है," और "black" का "काला।" भाषा मॉडल हिंदी वाक्य "बिल्ली काला है" को स्वाभाविक और व्याकरणिक रूप से सही मानता है। परिणामतः "बिल्ली काला है।"

SMT का उपयोग 1990 के दशक से 2010 के मध्य तक व्यापक था, जैसे Google Translate के शुरुआती संस्करणों में। अब इसे न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT) प्रणाली ने लगभग पूरी तरह से बदल दिया है, जो डीप लर्निंग (deep learning) पर आधारित है और बेहतर परिणाम देती है।

3) न्यूरल मशीन अनुवाद (Neural Machine Translation, NMT)– यह आधुनिक तकनीक है जो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क, विशेष रूप से डीप लर्निंग मॉडलों का उपयोग करके एक भाषा

से दूसरी भाषा में अनुवाद करती है। संदर्भ, व्याकरण और भाषा की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के कारण यह तकनीक, नियम आधारित (RBMT) और सांख्यिकी मशीन अनुवाद (SMT) से अधिक उन्नत है।

NMT मुख्य विशेषताएँ:

क) **न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर:** NMT आमतौर पर 'एनकोडर–डिकोडर मॉडल' पर आधारित होता है। एनकोडर स्रोत भाषा के वाक्य को एक मध्यवर्ती संख्यात्मक प्रतिनिधित्व (वेक्टर) में बदलता है, जिसमें वाक्य का अर्थ और संदर्भ संग्रहीत होता है; जबकि डिकोडर इस प्रतिनिधित्व को लक्ष्य भाषा में अनुवादित वाक्य में परिवर्तित करता है।

ध्यान तंत्र (Attention Mechanism): यह मॉडल को स्रोत वाक्य के विशिष्ट हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे लंबे और जटिल वाक्यों का अनुवाद बेहतर होता है।

ट्रांसफॉर्मर मॉडल: आधुनिक NMT सिस्टम (जैसे BERT, GPT या Google Translate) ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं, जो समानांतर प्रसंस्करण और ध्यान तंत्र को मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद प्रदान करते हैं।

ख) **प्रशिक्षण डेटा:** NMT को बड़े पैमाने पर द्विभाषी समानांतर कॉर्पस (parallel corpora) और एकल भाषा डेटा (monolingual data) पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह डेटा से शब्दों, वाक्यांशों और संदर्भ के बीच संबंधों को स्वचालित रूप से सीखता है।

ग) **संदर्भ और प्रवाहपूर्णता:** NMT पूरे वाक्य के संदर्भ को समझता है, जिससे अनुवाद अधिक स्वाभाविक और व्याकरणिक रूप से सही होता है। यह बोलचाल, मुहावरों और सांस्कृतिक बारीकियों को बेहतर ढंग से संभाल सकता है।

यही वजह है कि NMT सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली अनुवाद तकनीक है। आज Google Translate (2016 से NMT पर आधारित), DeepL, Microsoft Translator और अन्य ऑनलाइन अनुवाद उपकरण तथा मोबाइल ऐप्स इसी का उपयोग कर रहे हैं।

कम संसाधन वाली भाषाओं (Low-Resource Languages) के लिए मॉडल: ये ऐसी भाषाएँ हैं जिनके लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा, जैसे द्विभाषी समानांतर कॉर्पस (parallel corpora) या एकल भाषा डेटा (monolingual data) उपलब्ध नहीं होता। इन भाषाओं के लिए अनुवाद मॉडल विकसित करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT) जैसे आधुनिक मॉडल उच्च गुणवत्ता के लिए विशाल डेटासेट पर निर्भर करते हैं। फिर भी, कुछ तकनीकों और रणनीतियों ने कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए भी अनुवाद मॉडल को प्रभावी बनाने में प्रगति की है।

उदाहरण के लिए mBART, M2M–100 (Facebook) और NLLB (No Language Left Behind) जैसे मॉडल कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा लाइटवेट मॉडल (जैसे MobileBERT) और क्वांटाइज़ेशन तकनीकें तथा Hugging Face, Fairseq और Open NMT जैसे ओपन–सोर्स टूल्स कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए मॉडल प्रशिक्षण को आसान बनाते हैं। भारत में Bhashini और Anuvaad जैसी पहल कम संसाधन वाली भारतीय भाषाओं के लिए डेटा एकत्र और अनुवाद मॉडल विकसित कर रही है। साथ ही MetaAI का No Language Left Behind (NLLB–200) मॉडल 200+ भाषाओं (कई कम संसाधन वाली) के लिए अनुवाद सुविधा प्रदान करता है।

ज़ीरो–शॉट अनुवाद (Zero-Shot Translation)– यह एक ऐसी न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT) तकनीक है जिसमें एक मॉडल बिना किसी विशिष्ट भाषा जोड़ी (language pair) हेतु समानांतर डेटा (parallel data) पर प्रशिक्षित हुए, उस भाषा जोड़ी में अनुवाद कर सकता है। यह बहुभाषी ट्रांसफॉर्मर मॉडलों की क्षमता पर आधारित है, जो कई भाषाओं को एक साझा प्रतिनिधित्व (shared representation) में सीखते हैं। कुछ आधुनिक मॉडल (जैसे mBART तथा M2M–100 (Meta)) बिना विशेष प्रशिक्षण के हिंदी से अन्य भाषाओं में ज़ीरो–शॉट अनुवाद अनुवाद कर सकते हैं।

संदर्भ आधारित अनुवाद (Context Based Translation)– यह एक ऐसी मशीन अनुवाद तकनीक है जिसमें अनुवाद करते समय केवल वर्तमान वाक्य ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के संदर्भ (जैसे पिछले वाक्य, पैराग्राफ या दस्तावेज़) को भी ध्यान में रखा जाता है। यह विशेष रूप से न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT) में ट्रांसफॉर्मर मॉडलों के साथ प्रभावी है, जो संदर्भ को समझने और प्रासंगिक अनुवाद उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

मशीन अनुवाद के प्रमुख अनुप्रयोग:–

वैश्विक संचार: मशीन अनुवाद व्यक्तियों, समुदायों और व्यवसायों के बीच भाषा की बाधाओं को तोड़ता है। यह ई–मेल, सोशल मीडिया पोस्ट, चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे संचार माध्यमों में वास्तविक समय में अनुवाद प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, Google Translate और Microsoft Translator जैसे उपकरण आज त्वरित अनुवाद के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा व्यक्तिगत बातचीत आसान हो जाती है।

वेबसाइट और सॉफ्टवेयर स्थानीकरण: वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए कंपनियां अपनी वेबसाइटों, मोबाइल एप्स और सॉफ्टवेयर को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराती हैं।

ISSN No. : 0970-9398

मशीन अनुवाद इस प्रक्रिया को तेज और लागत–प्रभावी बनाता है। उदाहरणार्थ, Amazon और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म मशीन अनुवाद का उपयोग करके अपनी सामग्री को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव तथा प्रोडक्ट पहुंच बेहतर होती है।

दस्तावेज़ अनुवादः मशीन अनुवाद का उपयोग कानूनी अनुबंधों, चिकित्सा रिपोर्टों, तकनीकी मैनुअल और शैक्षिक सामग्री जैसे दस्तावेज़ों के अनुवाद में किया जाता है। यह समय और मानवीय संसाधनों की बचत करता है। सरकारी संस्थान और बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ों का अनुवाद करने के लिए मशीन अनुवाद का उपयोग करती हैं, जिसके बाद मानवीय संपादन से सटीकता सुनिश्चित की जाती है।

ई–कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापारः मशीन अनुवाद ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए उत्पाद विवरण, ग्राहक समीक्षाओं और मार्केटिंग सामग्री को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे, AliExpress और eBay जैसे प्लेटफॉर्म मशीन अनुवाद का उपयोग करके अपनी वैश्विक बिक्री बढ़ा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार Amazon India ने 85% उत्पाद लिस्टिंग्स को हिंदी में अनुवादित कर टियर–2 और टियर–3 शहरों में अपनी बिक्री में लगभग 40% की वृद्धि की है।

पर्यटन और यात्रा उद्योगः मशीन अनुवाद पर्यटकों को स्थानीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम बनाते हैं। रेस्तरां मेनू, होटल विवरण, पर्यटक गाइडबुक और सड़क संकेतों का मशीन अनुवाद इस दिशा में उल्लेखनीय है। मोबाइल एप्स जैसे Google Translate की वास्तविक समय कैमरा अनुवाद सुविधा यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो साइनबोर्ड या टेक्स्ट को तुरंत अनुवाद कर सकती है।

मल्टीमीडिया और मनोरंजनः मशीन अनुवाद का उपयोग फिल्मों, टीवी शो, यूट्यूब वीडियो और वीडियो गेम्स के लिए सबटाइटल और डबिंग स्क्रिप्ट तैयार करने में भी किया जाता है। यह सामग्री को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाता है। आज Netflix और Disney+ जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं मशीन अनुवाद का उपयोग अपनी सामग्री को दर्जनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए करती हैं।

शिक्षा और ई–लर्निंगः मशीन अनुवाद शैक्षिक सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स और अनुसंधान पत्र को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने में सहयोग प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां स्थानीय भाषा में शैक्षिक संसाधन सीमित हैं। उदाहरण के लिए, Coursera, edX और KhanAcademy जैसे प्लेटफॉर्म मशीन अनुवाद का उपयोग करके अपने पाठ्यक्रमों को बहुभाषी बनाते हैं।

ग्राहक सेवा और चैटबॉटः मशीन अनुवाद बहुभाषी ग्राहक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। कंपनियां AI–आधारित चैटबॉट और हेल्पडेस्क सिस्टम का उपयोग करती हैं जो ग्राहकों की विभिन्न भाषाओं में पूछताछ का जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, Zendesk और Salesforce जैसे प्लेटफॉर्म मशीन अनुवाद को एकीकृत करते हैं ताकि ग्राहक सेवा वैश्विक स्तर पर प्रभावी हो।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिः मशीन अनुवाद का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों, कूटनीतिक दस्तावेजों और व्यापारिक पत्राचार के अनुवाद में भी किया जाता है। यह विभिन्न देशों के बीच संचार को सुगम बनाता है और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता है।

सामाजिक और मानवीय कार्यः मशीन अनुवाद का उपयोग आपदा राहत, शरणार्थी सहायता और सामाजिक कार्यों में किया जाता है, जहां विभिन्न भाषा बोलने वाले समुदायों के बीच संचार आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, गैर–सरकारी संगठन (NGOs) मशीन अनुवाद का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में सूचना और सहायता प्रदान करते हैं।

भारत–केंद्रित पहल और नवाचारः–

भारत, अपनी बहुभाषी और सांस्कृतिक विविधता के कारण, मशीन अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल और नवाचार कर रहा है। यथा–

भाषिणी (Bhashini): यह परियोजना भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत शुरू की गई AI–आधारित मशीन अनुवाद प्रणाली है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करती है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन में भाषाई बाधाओं को कम करने के लिए किया जा रहा है।

अनुसारक (Anusarak): आईआईटी कानपुर और हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1995 में विकसित, यह प्रणाली भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए डिज़ाइन की गई थी। यह भाषाई विश्लेषण और नियम–आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जो भारतीय भाषाओं की जटिल संरचनाओं के लिए उपयुक्त है।

आंग्लभारती और मंत्रः सी–डैक (C-DAC) द्वारा विकसित, आंग्लभारती अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए है, जबकि मंत्र सरकारी दस्तावेजों के लिए मशीन–सहायता प्राप्त अनुवाद प्रदान करता है। ये प्रणालियाँ सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देती हैं।

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अनुवादः गूगल ट्रांसलेट ने हिंदी और सात अन्य भारतीय भाषाओं के लिए बोलकर अनुवाद करने की सुविधा प्रदान की है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट भाषा 1998 से भारतीय भाषाओं में यूनिकोड समर्थन और AI आधारित अनुवाद को बढ़ावा दे रहा है।

TDIL (Technology Development for Indian Languages): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की यह पहल भारतीय भाषाओं के लिए मशीन अनुवाद, वाक्–से–वाक् अनुवाद और OCR जैसे उपकरण विकसित करती है। यह पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनुवाद प्रणालियों को बढ़ावा देती है।

नाइलिट और अन्य संस्थानः नाइलिट केकड़ी (अजमेर) जैसे संस्थान AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से मशीन अनुवाद को समर्थन दे रहे हैं। आईआईटी और अन्य विश्वविद्यालय भी भारतीय भाषाओं के लिए नवाचार कर रहे हैं, जैसे IIT Bombay और TIFR द्वारा विकसित 'अनुवाद' (Anuvaad) पहल जो ओपन–सोर्स अनुवाद उपकरण है। ये पहलें भारत की भाषाई विविधता को डिजिटल युग में संरक्षित करने और वैश्विक मंच पर भारतीय भाषाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

IndicTrans: AI 4Bharat द्वारा विकसित यह NMT मॉडल हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और स्टार्टअप्स, NGOs तथा शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

अनुवादिनीः यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा विकसित एक मल्टीमॉडल AI–आधारित अनुवाद उपकरण है, जो अंग्रेजी भाषा की सामग्री को हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं (मराठी, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, असमिया, पंजाबी और ओडिया) में अनुवाद करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना और भाषाई बाधाओं को कम करना है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और हिंदी

आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है, जैसे सीखना, तर्क करना, भाषा समझना और निर्णय लेना। यह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) जैसी तकनीकों पर आधारित है। हिंदी भाषा के संदर्भ में, AI ने डिजिटल युग में इसकी पहुंच, उपयोगिता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिंदी और AI: तकनीकी आधार

AI का हिंदी भाषा के साथ एकीकरण मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) और संबंधित तकनीकों पर निर्भर करता है। NLP वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, संसाधित करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। हिंदी के संदर्भ में, निम्नलिखित तकनीकी पहलू महत्वपूर्ण हैं:

टेक्स्ट प्रोसेसिंगः हिंदी एक देवनागरी लिपि–आधारित भाषा है, जिसमें जटिल व्याकरण, संयुक्ताक्षर और मात्राएँ शामिल हैं। AI मॉडल्स को हिंदी टेक्स्ट को टोकनाइज़ करने, वाक्य संरचना को समझने और अर्थ निकालने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हिंदी में एक ही शब्द के कई रूप हो सकते हैं (जैसे "पढ़ना", "पढ़ता", "पढ़े"), जिसके लिए मॉडल को मॉर्फोलॉजिकल विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

मशीन ट्रांसलेशनः Google Translate, Microsoft Translator और Bhashini जैसे प्लेटफॉर्म हिंदी को अन्य भाषाओं (विशेष रूप से अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं) में अनुवाद करने के लिए न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (NMT) का उपयोग करते हैं।

सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्स्ट क्लासिफिकेशनः हिंदी में सोशल मीडिया सामग्री (जैसे X पोस्ट्स, ब्लॉग्स और समीक्षाएँ) के विश्लेषण के लिए AI का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कंपनियाँ हिंदी में ग्राहक समीक्षाओं का सेंटिमेंट (सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ) निर्धारित करने के लिए AI मॉडल्स का उपयोग करती हैं।

वॉयस टेक्नोलॉजीः हिंदी में ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR) और टेक्स्ट–टू–स्पीच (TTS) सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। Google, Amazon और भारतीय स्टार्टअप्स जैसे Mihup और CoRover हिंदी में वॉयस–आधारित इंटरफेस विकसित कर रहे हैं। ये सिस्टम स्थानीय उच्चारण और बोलियों को समझने में सक्षम हैं।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs): GPT, LLaMA और अन्य LLMs के समकक्ष हिंदी–केंद्रित मॉडल्स (जैसे Bhasha Net, Krutrim, AI4 Bharat के मॉडल) विकसित किए जा रहे हैं। ये मॉडल हिंदी में रचनात्मक लेखन, प्रश्न–उत्तर और संवाद उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

हिंदी में AI के प्रमुख अनुप्रयोगः–

AI का हिंदी भाषा में उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जो न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि सामाजिक समावेशिता को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ प्रमुख अनुप्रयोग हैं:

(क) शिक्षा के क्षेत्र में–

एडटेक प्लेटफॉर्मः BYJU'S, Unacademy और Vedantu जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म हिंदी में शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। AI इन प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव (personalized learning) प्रदान करता है, जैसे कि छात्रों की प्रगति के आधार पर अनुकूलित प्रश्न और व्याख्यान।

भाषा सीखने के ऐप्सः Duolingo और अन्य ऐप्स हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं को अन्य भाषाएँ सीखने में मदद करते हैं, जबकि AI उनकी प्रगति को ट्रैक करता है।

व्याकरण सुधारः Grammarly और Language Tool हिंदी के लिए व्याकरण सुधार मॉड्यूल विकसित कर रहे

ISSN No. : 0970-9398

हैं। Krutrim ने भी हिंदी के लिए एक व्याकरण सुधार उपकरण लॉन्च किया, जो लेखकों और पत्रकारों के लिए उपयोगी है।

विशेष आवश्यकताओं के लिए: AI संचालित TTS (Text To Speech) और ASR (Automatic Speech Recognition) टूल्स ने दृष्टिबाधित या कम साक्षर लोगों के लिए हिंदी में सामग्री को सुलभ बनाया है।

(ख) ग्राहक सेवा और चैटबॉट्स:–

हिंदी में AI चैटबॉट्स, जैसे कि JioMart और Paytm के असिस्टेंट, ग्राहकों के साथ स्थानीय भाषा में संवाद करते हैं। ये चैटबॉट्स प्राकृतिक और संदर्भ आधारित जवाब देने में सक्षम हैं। उदाहरणः Haptik और Yellow-ai जैसे प्लेटफॉर्म हिंदी में ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए NLP का उपयोग करते हैं।

(ग) मीडिया और कंटेंट क्रिएशन:–

स्वचालित लेखन: AI टूल्स हिंदी में समाचार लेख, ब्लॉग पोस्ट और विज्ञापन सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ न्यूज़ एजेंसियाँ AI का उपयोग करके हिंदी में खेल स्कोर या मौसम अपडेट जैसे छोटे लेख उत्पन्न करती हैं।

सोशल मीडिया विश्लेषण: ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसियाँ हिंदी में सोशल मीडिया पोस्ट्स का विश्लेषण करके उपभोक्ता रुझानों को समझती हैं।

डबिंग और उपशीर्षक (Subtitle): AI संचालित टूल्स हिंदी में ऑटोमैटिक डबिंग और उपशीर्षक उत्पन्न करते हैं, जिससे मनोरंजन उद्योग को फायदा हो रहा है।

(घ) स्वास्थ्य सेवा:–

AI संचालित टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स, जैसे Practo और MFine हिंदी में मरीजों के साथ संवाद करते हैं। चैटबॉट्स प्रारंभिक निदान और स्वास्थ्य सलाह प्रदान करते हैं। हिंदी में वॉयस आधारित स्वास्थ्य एप्स ग्रामीण क्षेत्रों में कम साक्षर लोगों के लिए उपयोगी हैं।

(च) सरकारी और सार्वजनिक सेवाएँ:–

भारत सरकार की भाषिणी पहल AI का उपयोग करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बना रही है। यह मशीन ट्रांसलेशन, वॉयस रिकग्निशन और OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) जैसे टूल्स का उपयोग करती है। इसी प्रकार भाषिणी पर आधारित Sarkaritel (हिंदी) चैटबॉट नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया पहल के तहत, AI संचालित सिस्टम हिंदी में दस्तावेज़ स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

(भाग–3) मशीन अनुवाद और AI से जुड़ी चुनौतियाँ:–

हिंदी भाषा के संदर्भ में AI और मशीन अनुवाद से जुड़ी चुनौतियाँ न केवल तकनीकी हैं, बल्कि भाषाई, सांस्कृतिक और डेटा–संबंधी भी हैं।

वाक्य संरचना और व्याकरण की जटिलता: हिंदी में वाक्य संरचना सामान्यतः SOV (Subject-Object-Verb) होती है, जो अंग्रेजी जैसी SVO (Subject-Verb-Object) भाषाओं से भिन्न है। यह अंतर अनुवाद में त्रुटियाँ उत्पन्न करता है। इसके अलावा, हिंदी में शब्द–क्रम लचीला होता है और अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, "राम ने सीता को देखा" और "सीता को राम ने देखा" में अर्थ समान है, लेकिन मशीन को यह समझना कठिन हो सकता है। साथ ही, हिंदी में कारक चिह्न (जैसे– ने, को, से) का सही उपयोग अनुवाद में चुनौतीपूर्ण है।

शब्दावली और बहु–अर्थी शब्द: हिंदी में एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जो संदर्भ पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, "बात" का अर्थ "चर्चा", "मामला", या "कहानी" हो सकता है। मशीन अनुवाद प्रणालियों को सही संदर्भ चुनने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, हिंदी में समानार्थी शब्दों (जैसे, "आग" और "लपट") का उपयोग सूक्ष्म सांस्कृतिक या भावनात्मक अंतर दर्शाता है, जिसे AI समझने में अक्सर चूक जाता है।

मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सांस्कृतिक बारीकियाँ: हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ (जैसे, "हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और") सांस्कृतिक संदर्भों से गहरे जुड़े हैं। इनका शाब्दिक अनुवाद अर्थहीन हो सकता है और समकक्ष अभिव्यक्ति खोजना AI के लिए मुश्किल है। सांस्कृतिक संदर्भ, जैसे त्योहारों, परंपराओं या सामाजिक मान्यताओं से जुड़े शब्द, भी अनुवाद में खो सकते हैं।

विविध बोलियाँ और क्षेत्रीय प्रभाव: हिंदी एकछत्र भाषा है, जिसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी आदि जैसी कई बोलियाँ शामिल हैं। इन बोलियों में शब्दावली, उच्चारण और व्याकरण भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, "खाना" को कुछ क्षेत्रों में "भोजन" या "रोटी" कहा जा सकता है। AI मॉडल को इन विविधताओं को समझने और एकरूपता बनाए रखने में कठिनाई होती है।

डेटा की कमी और गुणवत्ता: मशीन अनुवाद के लिए बड़े और उच्च–गुणवत्ता वाले डेटासेट की आवश्यकता होती है। हिंदी के लिए समानांतर कॉर्पस (हिंदी–अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के जोड़े) सीमित हैं, विशेष रूप से विशिष्ट डोमेन जैसे चिकित्सा, कानून या तकनीकी क्षेत्रों में। इसके अलावा, हिंदी में उपलब्ध

डेटा में अक्सर अनौपचारिक या मिश्रित भाषा (हिंग्लिश) शामिल होती है, जो मॉडल को भ्रमित कर सकती है।

देवनागरी लिपि की जटिलता: हिंदी की देवनागरी लिपि में संयुक्ताक्षर, मात्राएँ और विशेष चिह्न (जैसे, चंद्रबिंदु, नुक्ता) शामिल हैं, जिनका सही प्रसंस्करण AI के लिए चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए, "कृपया" और "कृपाया" में छोटा–सा अंतर अर्थ को बदल सकता है। इसके अलावा, टाइपोग्राफिकल त्रुटियाँ या गैर–मानक फ़ॉन्ट मशीन की समझ को प्रभावित करते हैं।

लिंग, वचन और क्रिया का समायोजन: हिंदी में लिंग (पुल्लिंग/स्त्रीलिंग) और वचन (एकवचन/बहुवचन) के आधार पर क्रिया और विशेषण बदलते हैं। उदाहरण के लिए, "वह लड़का पढ़ता है" और "वह लड़की पढ़ती है" में क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। मशीन अनुवाद प्रणालियाँ अक्सर इन सूक्ष्म परिवर्तनों को सही ढंग से लागू नहीं कर पातीं, जिससे अनुवाद में त्रुटियाँ होती हैं।

हिंग्लिश और कोड–मिक्सिंग: हिंदी बोलने वाले अक्सर हिंग्लिश (हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण) का उपयोग करते हैं, जैसे "मैं meeting में जा रहा हूँ"। इस प्रकार की मिश्रित भाषा को समझना और इसका सटीक अनुवाद करना AI के लिए जटिल है, क्योंकि यह औपचारिक हिंदी या अंग्रेजी के नियमों का पालन नहीं करती।

सामाजिक और भावनात्मक संवेदनशीलता: हिंदी में शब्दों का चयन सामाजिक संदर्भ, जैसे आयु, रिश्ता या औपचारिकता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, "आप" और "तू" में सम्मान का स्तर भिन्न है। AI को इस प्रकार की सूक्ष्म सामाजिक बारीकियों को समझने में कठिनाई होती है, जिसके कारण अनुवाद अस्वाभाविक लग सकता है।

रीयल–टाइम अनुवाद और गति: रीयल–टाइम अनुवाद (जैसे, वॉयस असिस्टेंट या लाइव चैट) में हिंदी की जटिलताओं को तुरंत प्रोसेस करना और सटीक अनुवाद प्रदान करना AI के लिए चुनौतीपूर्ण है। उच्च गति के साथ सटीकता बनाए रखना अभी भी एक समस्या है।

इन चुनौतियों के बावजूद, AI और मशीन अनुवाद की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जैसे BERT या GPT और न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (NMT) तकनीकों ने अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार किया है। हिंदी के लिए बड़े डेटासेट (जैसे, AI 4Bharat, Samanantar) विकसित किए जा रहे हैं और ट्रांसलेशन मेमोरी और संदर्भ–आधारित मॉडल सांस्कृतिक बारीकियों को बेहतर समझ रहे हैं। फिर भी, पूर्ण सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए मानवीय हस्तक्षेप और डोमेन–विशिष्ट प्रशिक्षण अभी भी आवश्यक हैं।

कुल मिलाकर हिंदी भाषा का भविष्य आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और मशीन अनुवाद के सहयोग से उज्ज्वल और असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। ये प्रौद्योगिकियाँ हिंदी को न केवल वैश्विक मंच पर स्थापित कर रही हैं, बल्कि इसे हर वर्ग, क्षेत्र और व्यक्ति तक पहुँचाने का सेतु भी बना रही हैं। हालांकि, तकनीक के साथ मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय आवश्यक है, ताकि हिंदी अपनी मौलिकता और आत्मा को बनाए रखे।

संदर्भ ग्रंथ

1. Kunchukuttan, A., Mehta, P., & Bhattacharyya, P. (2018). The IIT Bombay English-Hindi parallel corpus. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), 3473–3476.
2. Arnold, D., et al. (1994). Machine translation: An introductory guide. Blackwell.
3. Koehn, P. (2009). Statistical machine translation. Cambridge University Press.
4. एआई4भारत (AI4Bharat). (2025). हिंदी एनएलपी मॉडल्स और डेटासेट्स. https://ai4bharat.org
5. भाषिणी. (2025). भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद. भारत सरकार. https://bhashini.gov.in
6. चह्वाण, आर. एन. (2008). कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक परिचय (तीसरा संस्करण). नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन.
7. Siripragada, S., et al. (2020). A comprehensive parallel corpus for Indian languages: Samanantar. Proceedings of LREC 2020, 3748–3755.
8. Pathak, A., Pakray, P., & Bentham, J. (2022). Anuvaad: A platform for machine translation of Indian languages. Journal of Open Source Software, 7(73), 4125.
9. उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडीएसी). (2025). हिंदी डिजिटल उपकरण विकास. https://cdac.in

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण और अनुवाद का महत्व

– डॉ. निधि शर्मा
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल

हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किए हुए इस वर्ष 75 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और हम सभी ने इस गौरवशाली अवसर के उपलक्ष्य में बहुत धूमधाम से राजभाषा का 'हीरक जयंती' वर्ष मनाया है। इन 75 वर्षों के दौरान राजभाषा की विकास यात्रा का विश्लेषण करें तो यह निर्विवाद सत्य पाएंगे कि सरकार की राजभाषा नीति के चार प्रमुख स्तंभ हैं– प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना और प्रशिक्षण। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले 75 वर्षों में राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद की भी महती भूमिका रही है। पिछले 75 वर्षों से राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग इन चारो स्तंभों पर मजबूती से टिका हुआ है। राजभाषा के संबंध में सांविधिक प्रावधानों, राजभाषा संकल्प, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर यदि हम एक वाक्य में राजभाषा नीति का सार प्रस्तुत करना चाहें तो कहा जा सकता है – "सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से सक्षम बनाना तथा हिंदी में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करना।" इस दिशा में प्रशिक्षण सबसे कारगर माध्यम है और प्रशिक्षण के माध्यम से ही इस बहुभाषी देश में हम अपने कार्यालयों में विशेष रूप से हिंदीतर भाषी कार्मिकों को हिंदी के साथ सहज और स्वभाविक रूप से जोड़ने में बहुत हद तक सफल हुए हैं और उनमें यह विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि हिंदी का प्रयोग आसान है और वे आसानी से हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं।

1. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण का महत्वः

भारत सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य मूल रूप से हिंदी में हो। यह कहने में जितना आसान है, कार्य में उतना ही जटिल है। अनुवाद की व्यवस्था राजभाषा नीति के कुछ प्रावधानों विशेषकर, द्विभाषिकता की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों के अनुपालन के लिए की गई थी लेकिन धीरे–धीरे सम्पूर्ण राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व अनुवाद के कंधों पर आ गया। आरंभ से ही यह धारणा बन गई है कि हिंदी में काम अर्थात राजभाषा अधिकारी का काम। हम हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को अनुवाद की सहायता से प्राप्त कर यह नहीं कह सकते कि हमने राजभाष नीति की मूल भावना के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। राजभाषा नीति का प्रभावी और वास्तविक कार्यान्वयन तभी माना जा सकता है जब हमारे स्टाफ–सदस्य अपना कार्य मूल रूप से हिंदी में करें और सामान्य कामकाज अर्थात पत्राचार, नोटिंग, ई–मेल आदि के लिए अनुवाद पर निर्भर न रहें। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग की इस आदर्श स्थिति के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था का कारगर होना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए हमारी व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टाफ सदस्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके ताकि वे सहजता से हिंदी में काम करने में सक्षम बन सकें।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी की पढ़ाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। कार्यालयीन कार्य करने के लिए कार्यालयीन भाषा का ज्ञान आवश्यक है – चाहे वह ज्ञान हिंदी का हो या अंग्रेजी का। यह भी सत्य है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी कार्यालय में हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसने विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर हिंदी की पढ़ाई की है। यह भी सच है कि हिंदी में काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रायः हर स्टाफ–सदस्य को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता

पड़ती है। इसलिए हिंदी में काम करने के लिए स्टाफ–सदस्यों में क्षमता निर्माण के लिए न केवल कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है बल्कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान डेस्क प्रशिक्षण पर भी समुचित जोर दिया गया है।

यदि हम माननीय संसदीय समिति के प्रतिवेदन के 9वें खंड की बात करें तो पाएंगे कि हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए गए हैं कि यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है तो भर्ती के तुरंत बाद ही उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाए और कंप्यूटरीकृत माहौल में काम करने के लिए भी उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। समिति का यह भी विचार है कि प्रशिक्षण को कारगर बनाने के लिए डेस्क प्रशिक्षण काफी उपयोगी साबित हो सकता है और हिंदी जानने वाले कार्मिकों को डेस्क प्रशिक्षण देने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिस पर संसदीय समिति ने भी अपने प्रतिवेदन के 9वें खंड में सिफारिश की है, वह हिंदी प्रशिक्षण की टाइमिंग से संबंधित है। यह आवश्यक है कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कार्मिकों को करियर की शुरुआत में ही हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए और उनमें हिंदी में काम करने की भावना की नींव मजबूती से रखी जाए।

हिंदी कामकाज के लिए स्टाफ–सदस्यों को दिए जाने वाला प्रशिक्षण किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह स्टाफ–सदस्यों की दक्षता, उत्पादकता और मनोबल को बढ़ाने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन अपने कर्मचारियों को विभिन्न कौशल और तकनीकों से लैस कर सकते हैं, जिससे उनमें क्षमता निर्माण होता है। हिंदी कामकाज के संदर्भ में, प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि उनकी उपादेयता और गुणवत्ता में भी सुधार लाता है।

हमें इस बात पर विचार करना होगा कि प्रशिक्षण की दिशा में क्या प्रयास किए जाने चाहिए। हिंदी में कामकाज बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और बेहतर, कारगर एवं प्रभावशाली बनाते हुए उपलब्ध मानव संसाधन के क्षमता निर्माण की दिशा में कतिपय प्रयास किए जा सकते हैं जो निम्नानुसार हैं:

क) **'पारंगत' प्रशिक्षण–** भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों के अनुसार हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को 'पारंगत' प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए ताकि वे हिंदी में कार्य करने में दक्षता प्राप्त कर सकें। कार्यालयों को इस दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है क्योंकि कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर ही हिंदी में सक्षम बनाया जा सकता है। 'पारंगत' प्रशिक्षण प्राप्त करने पर कार्मिकों का हिंदी में कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामान्य कामकाज के लिए अनुवाद पर निर्भरता कम होगी।

ख) **प्रशिक्षण की टाइमिंग–** हमें कार्मिकों को उनके करियर के आरंभ में ही राजभाषा हिंदी के महत्व और इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और गंभीरता से अवगत कराना होगा तथा उन्हें इस प्रकार सक्षम बनाना होगा कि वे मूल रूप से हिंदी में काम कर सकें। अतः प्रशिक्षण की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी स्टाफ–सदस्य को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि भर्ती के तुरंत बाद उसे हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए और फिर कार्यशाला, लक्ष्योन्मुख कार्यशाला और डेस्क प्रशिक्षण तथा राजभाषा अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रयासों से उसे इतना सक्षम बनाया जाए कि वह बेझिझक हिंदी में कार्य करना आरंभ कर दे।

ग) **हिंदी कार्यशालाओं के लिए समूह निर्माण एवं विषयों का चयन–** हमें सहभागियों की प्रोफाइल के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए। यदि कार्यशाला में सहभागियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उनके लिए हिंदी व्याकरण और शब्दावली आदि पर सत्र उतना उपयोगी नहीं होगा जबकि हिंदीतर भाषी स्टाफ–सदस्यों के लिए ये विषय बहुत आवश्यक हैं। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि जिन स्टाफ–सदस्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके लिए हिंदी कार्यशालाओं में सत्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमें पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना होगा कि सहभागियों को कार्यशाला के दौरान किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे हिंदी के साथ सहज और स्वाभाविक रूप से जुड़ाव महसूस करें। साथ ही, यह आवश्यक है कि हिंदी कार्यशाला या राजभाषा संबंधी अन्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागियों के हिंदी ज्ञान के स्तर के अनुसार समूह बनाया जाए। यदि हम प्रशिक्षणार्थियों का ऐसा समूह बनाएंगे जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त स्टाफ–सदस्य और दक्षिण या पूर्वोत्तर से आने वाले स्टाफ–सदस्य एक साथ शामिल हों तो सत्रों के दौरान चर्चा–परिचर्चा और अभ्यास का ईष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा और हमारा प्रयास महज खानापूर्ति बनकर रह जाएगा। इसी प्रकार, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हिंदीभाषी और हिंदीतर भाषी स्टाफ–सदस्यों के लिए कार्यालय में हिंदी में काम करने की चुनौतियां अलग–अलग होंगी, इसलिए उनके प्रशिक्षण के लिए विषय का चुनाव भी ऐसा किया जाना चाहिए जिससे उनको लाभ हो।

घ) **लक्ष्योन्मुख कार्यशाला एवं डेस्क प्रशिक्षण –** कार्यशाला के सहभागियों के लिए इनकी उपयोगिता और उपादेयता अलग–अलग होती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह कार्यशाला किसी खास लक्ष्य

को ध्यान में रखकर आयोजित की जाती है। लक्ष्योन्मुख कार्यशालाओं का उद्देश्य है कार्य के अलग–अलग विशिष्ट क्षेत्र के लिए अलग–अलग कार्यशाला आयोजित करके एक समान स्तर का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में दक्ष बनाना। यदि हम ईमेल सहित हिंदी पत्राचार, नोटिंग सहित सभी आंतरिक कामकाज, हिंदी कार्यों की रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग, हिंदी में कार्य करने के लिए सहायक आई टी टूल्स, कंप्यूटर पर टंकण के लिए यूनिकोड आदि के लिए अलग–अलग लक्ष्योन्मुख कार्यशाला आयोजित करेंगे तो पूरे दिन में छह सत्रों में अभ्यासमूलक सत्र रखकर हम अपनी कार्यशालाओं को सार्थक बना सकते हैं और इनकी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। इसी तरह विशेष संवर्ग के स्टाफ–सदस्यों के लिए अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इस कड़ी में डेस्क प्रशिक्षण भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के नौवें खंड की सिफारिश सं. 09 में भी इस बात पर बल दिया गया है कि डेस्क प्रशिक्षण के बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर हर स्टाफ–सदस्य को उसके डेस्क पर जाकर उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले पत्राचार, ईमेल, नोटिंग, आंतरिक कामकाज आदि का प्रशिक्षण दिया जाए तो उनमें यह विश्वास कायम होगा कि राजभाषा अधिकारी उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही, हिंदी में काम करने में आ रही उनकी कठिनाइयां भी दूर हो सकेंगी और उनके मन से झिझक दूर होगा।

ङ) **कंप्यूटर पर एवं ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण–** अब अधिकतर कार्यालयों में अधिकतर कार्य कंप्यूटर पर होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी स्टाफ–सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण करने एवं हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्ध आईटी सुविधाओं की समुचित जानकारी हो। हिंदी में कार्य को भी तकनीक ने हमारे लिए अत्यंत सरल बना दिया है। कार्यालय में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए भी यह आवश्यक है कि इसे आईटी के साथ जोड़कर रखा जाए ताकि हिंदी के प्रयोग में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। आज ऐसे कई आईटी टूल्स उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से न केवल हम बहुत आसानी से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य कर सकते हैं, बल्कि उसे सरल भी बना सकते हैं। सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि के विभिन्न कार्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्मिकों को हिंदी कार्यशालाओं में आईटी सुविधाओं की भी समुचित जानकारी दी जाए जिससे वे हिंदी में टाइपिंग, अनुवाद आदि आसानी से कर सकें और उनके समय की बचत हो। कार्यशालाओं में उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि अनुवाद के लिए 'कंठस्थ 2.0' किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। अनुवाद के अन्य माध्यमों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन टूल एवं बिंग ट्रांसलेट आदि द्वारा कभी भी–कहीं भी बड़ी आसानी से अनुवाद किया जा सकता है। गूगल लेंस की सहायता से किसी भी सामग्री की फोटो लेकर उसको टाइप किया जा सकता है एवं उसका किसी भी भाषा में अनुवाद भी किया जा सकता है। इसी तरह स्पेल चेक, स्पीच टू टेक्स्ट, विभिन्न टाइपिंग टूल्स जैसी अनेक आईटी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके सही ढंग से उपयोग कर हिंदी कार्य को सरल बनाने की विस्तृत जानकारी भी कार्यशाला में दी जानी चाहिए।

च) **कार्यपालकों के लिए कार्यशाला–** हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को राजभाषा संबंधी प्रावधानों एवं अपेक्षाओं की भली–भांति जानकारी हो तो वे अपने विभाग में हिंदी में काम बढ़ाने के लिए सार्थक और सक्रिय प्रयास करते हैं और उनके अधीनस्थ स्टाफ–सदस्यों में भी हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यालयों में वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए और उन्हें राजभाषा संबंधी प्रावधानों एवं अपेक्षाओं की अद्यतन जानकारी दी जा सके। किसी भी कार्यालय या विभाग में हिंदी का प्रयोग तभी बढ़ सकता है जब कार्यालय प्रमुख या विभाग–प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी में काम करके अपने अधीनस्थ स्टाफ–सदस्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें।

2. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अनुवाद का महत्वः

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में जितना महत्व प्रशिक्षण का है उतना ही महत्व अनुवाद का भी है। भारत एक बहुभाषी देश है जहां विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। अनुवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नीतियां, दस्तावेज और संवाद हिंदीतर भाषी लोगों के लिए भी सुलभ हों, जिससे समावेशिता और समझ को बढ़ावा मिलता है। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात सन 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए भी दी गई थी ताकि हिंदी न जानने वाले कार्मिकों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए और हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सके।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद यह चुनौती थी कि नियम, अधिनियम, विधिक दस्तावेज, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य, आदेश, निर्देश, परिपत्र, अन्य कागजात आदि अंग्रेजी में थे और भारत जैसे बहुभाषिक देश में तुरंत हिंदी में सभी सरकारी कार्य आरंभ कर देना चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा था। इस नीति के तहत, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई और यहीं से अनुवाद की प्रासंगिकता और आवश्यकता बढ़ी। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी दस्तावेज़, आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, रिपोर्ट आदि सभी संबंधित पक्षों तक पहुंच सकें, चाहे वे हिंदीभाषी हों या हिंदीतर भाषी। इसके अलावा, अनुवाद से यह भी सुनिश्चित होता है कि सभी सरकारी कार्य पारदर्शी और समावेशी हों।

अनुवाद के महत्व को रेखांकित करने के लिए राजभाषा संबंधी प्रावधानों की क्रमवार विवेचना आवश्यक है।

(क) **संवैधानिक प्रावधान–** संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है जिसमें लोकहित को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी थी कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकेगा। साथ ही, यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ–भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। संसद में सभी विधायी कार्य द्विभाषी रूप में निष्पादित करना अनिवार्य है। इस प्रकार, संसद में प्रत्येक दस्तावेज का द्विभाषी होना आवश्यक है और इसे सुनिश्चित करने के लिए अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसदीय प्रश्न के मामले में भी उत्तर द्विभाषी रूप में प्रस्तुत करना होता है। संसद में जहां लिखित अनुवाद के साथ–साथ मौखिक अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह संविधान के अनुछेद 348 के प्रावधानों के कारण भी अनुवाद का महत्व आरंभ से रहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी और संसद एवं विधानमंडलों में पेश किए जाने वाले अथवा पारित किए जाने वाले विधेयकों एवं राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि यदि किसी निचली अदालत में कार्यवाही हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में की गई हो तो उस पर उच्च या उच्चतम न्यायालय में अपील करने की स्थिति में उनका प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक होता है। साथ ही, केंद्र सरकार अथवा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विधायी कार्यों में लोकहित एवं समावेशिता के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अनुवाद का महत्व स्पष्ट है।

(ख) **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) (1967 यथासंशोधित)** – राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा 3 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। उक्त धारा 3(3) के तहत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, प्रेस–विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागज–पत्र, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना एवं निविदा फॉर्म को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों का समय पर सरल एवं सटीक भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराकर राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया गया है।

(ग) **राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987, 2007 तथा 2011) का नियम 11** – इस नियम के तहत सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य को द्विभाषी रूप में तैयार किया जाना है। साथ ही, कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक भी द्विभाषी में होना अनिवार्य है। इसी प्रकार, किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदों को द्विभाषी रूप में तैयार या मुद्रित करना अपेक्षित है। इस प्रावधान के अनुपालन में अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(घ) **संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश–** माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय–समय पर राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के प्रावधानों के अतिरिक्त भी कतिपय सामग्री एवं दस्तावेजों को द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में तैयार करने की सिफारिश की गई जिन पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए। इनमें प्रशिक्षण सामग्री, प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र, जनता के प्रयोग से संबंधित फार्म, राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम, विधि साहित्य, ज्ञान–विज्ञान की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होने एवं द्विभाषिकता की अनिवार्यता के

तहत आने वाले सभी दस्तावेजों के अनुवाद एवं इस कार्य के लिए अनुवाद व्यवस्था के महत्व पर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं और आदेश जारी किए गए। इन आदेशों का अनुपालन अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाया। इसी तरह वेबसाइट पर शत–प्रतिशत सामग्री हिंदी में भी अपलोड किए जाने एवं सभी विज्ञापन हिंदी में जारी किए जाने की अनिवार्यता संबंधी आदेश के पालन के लिए भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है और बड़ी मात्रा में अनुवाद कार्य किया जाता है। सरकार की राजभाषा नीति में यह स्पष्ट है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का आपसी सौहार्द बना रहे और सरकार हिंदीतर भाषी लोगों के साथ उनकी अपनी भाषा में संवाद करे। अतः आम जनता से जुड़े कतिपय मदों में जैसे साइन बोर्ड, फार्म, नागरिक चार्टर, सूचना आदि में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की अनिवार्यता है। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी अपेक्षाओं के कारण भी बड़े पैमाने पर अनुवाद किए जाते हैं।

(ङ) **अन्य दस्तावेजों का अनुवाद–** हमने अब तक संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, नियम, राष्ट्रपति के आदेश आदि से संबंधित अनुवाद की अपेक्षाओं पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त हम देखें तो पाएंगे कि कार्यालय में राजभाषा संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एवं हिंदी का समुचित ज्ञान न रखने वाले कार्मिकों की सहायता के लिए एवं कई बार हिंदी का ज्ञान रखने वाले कार्मिकों के लिए भी हिंदी से जुड़े कार्मिकों को बहुत बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री का अनुवाद भी उपलब्ध कराना पड़ता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राजभाषा नीति के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन में प्रशिक्षण और अनुवाद की बहुत अहम भूमिका है। साथ ही, हमें इस दिशा में भी प्रयास करना है कि राजभाषा से जुड़े कार्मिकों का अनुवाद कार्य सांविधिक दस्तावेजों के अनुवाद तक ही सीमित रहे एवं अन्य कार्मिक अपना सामान्य कामकाज यथा पत्राचार और टिप्पण के लिए अनुवाद पर निर्भर न रहें और यह प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है। जहां तक अनुवाद की बात है तो द्विभाषिकता संबंधी अपेक्षाओं एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग संबंधी आदेशों की पृष्ठभूमि में लोकहित की भावना अंतर्निहित है। राजभाषा नीति की मूल भावना भी यही है कि इस बहुभाषी देश में सभी लोगों का समुचित ध्यान रखा जाए और हिंदी या अंग्रेजी का समुचित ज्ञान न होने के कारण किसी का अहित न हो।

''हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।''

– सुमित्रानन्दन पंत

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों की भूमिका

– डॉ मानबेन्द्र मणिन्द्रकुमार डे
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर एनएएल, बेंगलूरू

"हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उसे हम सबको अपनाना है।"

भारत के गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उपर्युक्त शब्दों का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से हमारी राजभाषा के समुचित प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास करती आ रही है। भारत में, राजभाषा हिंदी भारतीय संविधान के भाग XVII, विशेष रूप से अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत शासित होती है। राजभाषा नीति का मूल विवरण राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 में विस्तृत रूप से दिया गया है। भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देती है, जिसमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों की स्थापना, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन तथा सूचनाओं का अनुवाद और प्रसार करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना शामिल है। भारत सरकार दैनिक सरकारी कामकाज, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इस लेख में हम अपनी राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। लेख के अगले भाग में हम राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए संगठनात्मक स्तर पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों पर नजर डालेंगे।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलनों की सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला राजभाषा सम्मेलन है। ये सम्मेलन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राजभाषा सम्मेलन की दो उप–श्रृंखलाएँ हैं – अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हैं, जिनकी संख्या क्षेत्रीय आवश्यकताओं और पहलों के आधार पर हर साल बदलती रहती है। अब तक राजभाषा विभाग द्वारा चार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। ये सम्मेलन वाराणसी, उत्तर प्रदेश (13–14 नवंबर, 2021), सूरत, गुजरात (14–15 सितंबर, 2022), पुणे, महाराष्ट्र (14–15 सितंबर, 2023) और नई दिल्ली (14–15 सितंबर, 2024) में आयोजित किए गए थे।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानने के बाद, आइए अब हम अपनी राजभाषा हिंदी के उपयोग को सुदृढ़ बनाने में इस सम्मेलन की भूमिका पर एक नज़र डालते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन देश में आधिकारिक संचार के लिए हिंदी को मुख्य भाषा बनाने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ संरेखित करते हुए आधिकारिक और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के उपयोग पर चर्चा और उसे बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह आयोजन सरकारी अधिकारियों, भाषाविदों, विशेषज्ञों, भाषा अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाता है। यह विविध भागीदारी प्रशासनिक और औपचारिक संदर्भों में हिंदी के प्रचार से संबंधित विचारों, चुनौतियों और समाधानों के आदान–प्रदान

ISSN No. : 0970-9398

में मदद करती है। यह हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने में आने वाली चुनौतियों, जैसे गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रतिरोध, भाषा प्रसंस्करण से संबंधित तकनीकी मुद्दे और गैर–देशी भाषियों के लिए हिंदी सीखने और उसका उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने का अवसर देता है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों को दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आधिकारिक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, हिंदी में संप्रेषण करना और सरकारी कर्मचारियों को इस भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। सम्मेलन के दौरान, गृह मंत्रालय हिंदी को बढ़ावा देने में सरकारी विभागों, को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों और संगठनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। यह आयोजन आम तौर पर देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है और स्थानीय स्तर पर आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह सम्मेलन पूरे देश में आधिकारिक प्रयोजनों के लिए राजभाषा को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करके, सम्मेलन विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संबंध को मजबूत करने में मदद करता है और सरकारी कार्यों में एक एकीकृत भाषा के रूप में

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और व्यक्तियों/लेखकों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए राजभाषा पुरस्कार भी प्रदान करता है। यह सम्मेलन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में अपनी दक्षता सुधारने में मदद करते हैं, जिससे वे अपने पेशेवर जीवन में इसका अधिक उपयोग करने में सक्षम बनते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भाषाई एकता और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। संक्षेप में, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भारत में शासन और प्रशासन की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने, इसकी चुनौतियों का समाधान करने, अधिकारियों के भाषा कौशल को बढ़ाने और भाषाई विविधता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन पूरे भारत में आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार इन सम्मेलनों का आयोजन करता है। कुछ हालिया सम्मेलनों के उदाहरण हैं 23 नवंबर, 2023 को मुंबई में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अपने कार्यस्थलों पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को पुरस्कार प्रदान किए। इनके अलावा, राजभाषा विभाग हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों जैसे भोपाल, छत्तीसगढ़ में रायपुर और महाराष्ट्र में पुणे में क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन कर चुका हैं।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की तरह, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन भी क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। सम्मेलन राजभाषा अधिकारियों, भाषा विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के क्षेत्रीय नेटवर्क बनाने में मदद करता है। ये नेटवर्क हिंदी के प्रचार में निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे सरकारी तंत्र के भीतर हिंदी के प्रयोग में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों, भाषाविदों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं, समाधानों और चुनौतियों के बारे में संवाद और आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सम्मेलन का एक प्रमुख कार्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह क्षमता निर्माण आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। भारत एक भाषाई रूप से विविध देश है और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभुत्व के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को अपनाने में चुनौतियाँ हो सकती हैं। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन इन चुनौतियों पर चर्चा करने और विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय भाषाई बाधाओं को दूर करने और आधिकारिक व्यवस्था में हिंदी को एकीकृत करने में मदद करता है। यह सम्मेलन सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य आधिकारिक निकायों को अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आयोजन प्रतिभागियों को सरकार की राजभाषा नीतियों और

ISSN No. : 0970-9398

संवैधानिक प्रावधानों के बारे में शिक्षित करता है जो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग का समर्थन करते हैं। इन नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाकर, सम्मेलन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी हिंदी के प्रचार–प्रसार से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को समझें और अपने राजकीय कार्यकलापों में इसका प्रयोग सुनिश्चित करें। संक्षेप में, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के क्षेत्रीय प्रचार में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय चर्चाओं को बढ़ावा देकर, प्रशिक्षण प्रदान करके, विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करके और प्रयासों को मान्यता देकर, यह आधिकारिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हिंदी के उपयोग को मजबूत करता है। अंततः, यह हिंदी को भारतीय सरकार में अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली और स्वीकृत भाषा बनाने के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और भाषाई सामंजस्य में योगदान देता है।

विश्व हिंदी सम्मेलन राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मेलन की अगली सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला है। इस सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा (महाराष्ट्र, भारत) द्वारा की गई थी। प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, साहित्य और शिक्षा में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोजन का नेतृत्व करता है। विश्व हिंदी सम्मेलनों की परंपरा वर्ष 1975 में नागपुर में पहले सम्मेलन के साथ शुरू हुई थी। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी, 1975 के दौरान आयोजित किया गया था। तब से, इन सम्मेलनों ने एक वैश्विक रूपरेखा और गति प्राप्त की है। पहले सम्मेलन को मिलाकर अब तक 12 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस (मॉरीशस) में दो बार – 28–30 अगस्त, 1976 और 2–4 दिसंबर, 1993 के दौरान, नई दिल्ली और भोपाल में (भारत) क्रमशः 28 – 30 अक्टूबर, 1983 और 10–12 सितंबर, 2015 के दौरान , पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद और टोबैगो) में 2–4 दिसंबर, 1993 के दौरान, लंदन (यूके) में 14–18 सितंबर, 1999 के दौरान, पारामारिबो (सूरीनाम) में 5–9 जून, 2003 के दौरान, न्यूयॉर्क (यूएसए) में 13–15 जुलाई, 2007 के दौरान, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में 22–24 सितंबर, 2012 के दौरान, पैलेस (मॉरीशस) में 18–20 अगस्त 2018 के दौरान और नादी (फिजी) में 15–17 फरवरी, 2023 के दौरान आयोजित किए जा चुके हैं।

आइए अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को व्यापक करने में इस सम्मेलन की भूमिका के बारे में एक नज़र डालें। दुनिया भर के विद्वानों, भाषाविदों, राजनयिकों और हिंदी भाषा के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाकर, यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदी के महत्व को बढ़ावा देता है। यह सम्मेलन भाषा के प्रति गर्व की भावना को बढ़ावा देता है और अप्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों और दुनिया भर के अन्य लोगों को अपने दैनिक जीवन, मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व हिंदी सम्मेलन वैश्विक संचार और संस्कृति में हिंदी की भूमिका पर जोर देकर भारत की भाषाई कूटनीति को मजबूत करने में मदद करता है। यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिंदी के उपयोग की वकालत करता है तथा भारत की सीमाओं से परे संचार की भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी की स्वीकृति को बढ़ावा देता है। यह सम्मेलन वैश्विक हिंदी भाषी प्रवासियों को एकजुट करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों के बीच समुदाय और सांस्कृतिक संबंध की एक मजबूत भावना को बढ़ावा मिलता है। यह उन्हें अपनी भाषाई विरासत को बनाए रखने, इसे भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने और अपने समुदायों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे भाषा का वैश्विक प्रसार और अधिक बढ़ जाता है।

विश्व हिंदी सम्मेलन विदेशों में हिंदी बोलने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और समाधानों पर चर्चा करने में मदद करता है। विश्व हिंदी सम्मेलन दुनिया भर

के शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी के शिक्षण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दुनिया भर की युवा पीढ़ी को हिंदी सीखने और उसका उपयोग करने का अवसर मिले। विश्व हिंदी सम्मेलन न केवल भाषा बल्कि हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति को भी वैश्विक स्तर पर पहचान देता है। साहित्यिक सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी साहित्य की समृद्धि और इसके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक प्रणालियों के साथ जुड़कर, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी को वैश्विक शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में और अधिक प्रमुखता से एकीकृत करने का काम करता है। विश्व हिंदी सम्मेलन भारत और हिंदी भाषी आबादी वाले देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक कूटनीतिक मंच के रूप में भी काम करता है। यह हिंदी के प्रचार–प्रसार के माध्यम से भारत और अन्य देशों के बीच साझा सांस्कृतिक संबंधों और शिक्षा, व्यापार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की अनुमति देता है। संक्षेप में, विश्व हिंदी सम्मेलन भारत से परे अपनी पहुँच का विस्तार करके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके उपयोग को प्रोत्साहित करके हिंदी को राजभाषा के रूप में वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों को एकजुट करके, संस्थागत समर्थन को बढ़ावा देकर और शिक्षा, मीडिया और कूटनीति में हिंदी को बढ़ावा देकर, सम्मेलन हिंदी की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करता है। यह न केवल भारत के भीतर भाषाई एकता के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी बढ़ाता है, जिससे दुनिया भर में हिंदी के व्यापक प्रसार और स्वीकृति में योगदान मिलता है।

राजभाषा हिंदी पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, आइए विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों पर एक नज़र डालें। क्षेत्रीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला भारत के विभिन्न राज्यों में संबंधित हिंदी अकादमियों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी साहित्य सम्मेलन हैं। ये सम्मेलन हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इस सम्मेलन में चर्चा– विमर्श, लेख प्रस्तुति, कविता पाठ, पुस्तक विमोचन और क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशालाएँ शामिल हैं। प्रत्येक सम्मेलन अद्वितीय है, चाहे वह हिंदी साहित्य में क्षेत्रीय योगदान को बढ़ावा देने पर हो या उस राज्य में भाषा में समकालीन मुद्दों पर चर्चा करना हो। इनमें से कुछ सम्मेलन, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है, वे हैं – उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आयोजित राजस्थान हिंदी सम्मेलन, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित बिहार हिंद साहित्य सम्मेलन, हिमाचल प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा शिमला और धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, उत्तराखंड हिंदी अकादमी द्वारा देहरादून और नैनीताल में आयोजित उत्तराखंड हिंदी साहित्य सम्मेलन, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा रायपुर और बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन, महाराष्ट्र हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा मुंबई और पुणे में आयोजित साहित्य सम्मेलन, गोवा हिंदी अकादमी द्वारा पणजी में गोवा हिंदी साहित्य सम्मेलन, तमिलनाडु हिंदी साहित्य द्वारा चैन्नै में तमिलनाडु हिंदी साहित्य सम्मेलन, केरल हिंदी अकादमी द्वारा तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में आयोजित केरल हिंदी साहित्य सम्मेलन, पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा कोलकाता में पश्चिम बंगाल हिंद साहित्य सम्मेलन, आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, तेलंगाना हिंदी अकादमी द्वारा हैदराबाद में तेलंगाना हिंदी साहित्य सम्मेलन और कर्नाटक हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा बेंगलुरु में कर्नाटक हिंदी सम्मेलन।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की तरह, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी जमीनी स्तर पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम अपनी राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने में इन हिंदी साहित्य सम्मेलनों की भूमिका पर संक्षिप्त नजर डालें। हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी साहित्य और इसके विभिन्न रूपों, जैसे कविता, गद्य, नाटक और लघु कथाएँ, को बढ़ावा देना है। चर्चाओं, साहित्यिक वाचन और कार्यशालाओं का आयोजन करके, सम्मेलन स्थापित और उभरते लेखकों को हिंदी में साहित्यिक कृतियाँ बनाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे भाषा के सांस्कृतिक और कलात्मक मूल्य में वृद्धि होती है। सम्मेलन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करने के साधन के रूप में हिंदी के महत्व पर जोर देता है। हिंदी साहित्य का जश्न मनाकर यह आयोजन हिंदी बोलने वालों में गर्व और अपनेपन की भावना पैदा करता है और दैनिक जीवन में हिंदी की सराहना करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हिंदी के विचार को एक सांस्कृतिक बंधन के रूप में मजबूत करता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है। सम्मेलन न केवल साहित्यिक हलकों में, बल्कि प्रशासन, शिक्षा और मीडिया जैसे सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इस आयोजन में अक्सर इस बात पर चर्चा की जाती है कि हिंदी को औपचारिक और अनौपचारिक संचार में कैसे एकीकृत किया जाए और सरकारी विभागों के कामकाज में इसका बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, जिससे राजभाषा एजेंडे को बढ़ावा मिले। राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके, सम्मेलन स्थानीय समुदायों से जुड़ता है और हिंदी के उपयोग और विकास के बारे में बातचीत के लिए एक

मंच तैयार करता है। यह जुड़ाव विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों संदर्भों में हिंदी का उपयोग करने में गर्व महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे संचार की राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ावा मिलता है।

सम्मेलन हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और भाषा विकास पर नए शोध की चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। सम्मेलन स्थापित और नवोदित लेखकों और कवियों को बातचीत करने, सहयोग करने और अपने कामों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह उन्हें हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली साहित्यिक सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो न केवल भाषा को बढ़ावा देता है बल्कि समकालीन समाज में इसे और अधिक जीवंत और प्रासंगिक बनाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान हिंदी साहित्य और भाषा के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखकों, कवियों और विद्वानों को सम्मानित किया जाता है। सम्मेलन में अक्सर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य प्रतिभागियों के साहित्यिक कौशल को बेहतर बनाना होता है। ये कार्यक्रम व्यक्तियों, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी लेखकों को अपने शिल्प को निखारने और हिंदी में लेखन की नई तकनीक सीखने में मदद करते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन न केवल स्थानीय लेखकों और हिंदी के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाता है, बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों और गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच व्यापक आदान–प्रदान की सुविधा भी देता है। यह हिंदी के प्रचार के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, भाषा और साहित्य के साझा माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, यह पारंपरिक और डिजिटल दोनों मीडिया में हिंदी की भूमिका को व्यापक दर्शकों तक पहुँचने और इसकी पहुँच और दृश्यता को बढ़ाने के साधन के रूप में उजागर करता है। चर्चाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से, सम्मेलन प्रतिभागियों को सरकारी राजभाषा नीतियों और आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार के लिए कानूनी ढाँचे के बारे में शिक्षित करता है। इससे सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों और आम जनता को भाषा को बढ़ावा देने और अपने–अपने क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग के लिए आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने में उनकी भूमिका को समझने में मदद मिलती है। राज्य राजभाषा अकादमियों द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी और स्थानीय भाषाओं के साहित्य के विकास और उत्सव, सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करके राजभाषा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद को सुविधाजनक बनाने, मान्यता प्रदान करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से, सम्मेलन संचार, शिक्षा और शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में हिंदी के विकास का समर्थन करता है, जो भारत में हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में स्थापित करने के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अब तक हमने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के प्रयासों का अवलोकन किया है। लेकिन संस्थान स्तर पर भी कई ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस लेख के अगले भाग में हम संस्थान स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हमारी राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। इसके अलावा भारतीय एवं तुलनात्मक भारतीय साहित्य के विभिन्न विषयों पर स्वस्थ पारस्परिक विचार–विमर्श आरंभ करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार विभिन्न हिंदी एवं हिंदीतर राज्यों के विश्वविद्यालयों/स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से प्रति वर्ष दो संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

हिंदी भाषा, साहित्य, भाषा शिक्षण और भाषा प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित और राजभाषा हिंदी के प्रचार और शोध के लिए समर्पित सम्मेलनों की एक और श्रृंखला है क्षेत्रीय सम्मेलन जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित की जाती है। यह सम्मेलन आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूरु, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद सहित पूरे भारत में आयोजित किए जाते हैं। 2019 में, नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज और यूपी भाषा संस्थान, लखनऊ के साथ, केंद्रीय हिंदी संस्थान ने राजभाषा, हिंदी में महिलाओं की भूमिका और योगदान को सामने लाने के लिए "हिंदी साहित्य की समृद्धि में महिला लेखन" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन शिक्षा में हिंदी के उपयोग की वकालत करता है और शैक्षणिक संस्थानों से सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से हिंदी पढ़ाने का आग्रह करता है। यह सम्मेलन हिंदी में शैक्षिक संसाधनों, पाठ्यपुस्तकों और अन्य सामग्रियों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)– राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (एनएएल) में, सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारियों और शोध विद्वानों को हिंदी में अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी (अंश) का आयोजन किया जाता है। पहला सेमिनार 1997 में आयोजित किया गया था। आज तक, सीएसआईआर–एनएएल द्वारा संगठनात्मक स्तर (5 संख्या), बेंगलुरु शहर स्तर (4 संख्या) और राष्ट्रीय स्तर (9 संख्या) पर अंश के कुल 18 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इस वर्ष, अंश का 19वां संस्करण 30 जुलाई 2025 को सीएसआईआर–एनएएल, बेंगलुरु में बेंगलुरु शहर स्तर पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन सिर्फ़ सरकारी संगठनों तक सीमित नहीं है।

भारत भर के शैक्षणिक संस्थान भी दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास करते आ रहे हैं। लेख के इस भाग में हम ऐसे ही कुछ सम्मेलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पांडिचेरी

विश्वविद्यालय के हिंदी अनुभाग ने 9 सितंबर, 2017 को कलापेट, पुदुचेरी में अधिकारियों और संकाय सदस्यों के लिए एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, ताकि आधिकारिक कार्यों में राजभाषा के महत्व को दर्शाया जा सके। हिंदी विभाग, श्री नारायण कॉलेज, कोल्लम, केरल ने 20 अगस्त 2019 को अपने संस्थान में "राजभाषा हिंदी और इसके विभिन्न पहलू" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। नागालैंड विश्वविद्यालय ने 31 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राजभाषा हिंदी की स्थिति पर केंद्रित एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार का आयोजन किया था। हिंदी विभाग ने साहित्यिक क्लब, राजकीय महिला महाविद्यालय, उधमपुर के सहयोग से 15 सितंबर, 2023 को कॉलेज परिसर में "राजभाषा हिंदी के बढ़ते चरण और संभावनाएं" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। कर्मचारियों को हिंदी में अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, राजभाषा प्रभाग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम द्वारा वर्ष 2022 में दो और 2023 में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

अब हम चर्चा करेंगे कि ये सम्मेलन हमारी राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक निकायों और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन प्राथमिक या आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ अनुवाद और व्याख्या सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यह हिंदी को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करता है और हिंदी को संचार के माध्यम के रूप में बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनों में अक्सर कविता पाठ, वैज्ञानिक लेखन, हिंदी साहित्य संगोष्ठी और राजभाषा हिंदी के शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ावा देना शामिल होता है। इस तरह, सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित राजभाषा हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा और साहित्य का उत्सव मनाने में मदद करते हैं। सीएसआईआर–एनएएल द्वारा आयोजित अंश जैसे सम्मेलन विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में हिंदी में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान और विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों द्वारा आयोजित सम्मेलन छात्रों और शोधकर्ताओं को हिंदी में लिखने और प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे सम्मेलन नीति निर्माताओं, शिक्षकों और भाषाविदों को शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में हिंदी के व्यापक उपयोग के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजनों में की गई संस्तुतियाँ अक्सर भाषा नीतियों को प्रभावित करती हैं जैसे स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल करना या डिजिटल सामग्री में इसके उपयोग को बढ़ावा देना। इससे जमीनी स्तर पर हिंदी की नीति वकालत और कार्यान्वयन में मदद मिलती है। इन सम्मेलनों में हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में उपयोग करके, सम्मेलन साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देते हैं। सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित राजभाषा हिंदी सम्मेलन स्थानीय भाषाओं को हिंदी के साथ मिलाने और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देने और यह दिखाने में भी मदद करते हैं कि हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कैसे सह–अस्तित्व में रह सकती है। इस तरह, ये सम्मेलन हमारी राजभाषा की सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित करने और आपसी सम्मान और सहजीवन की भावना पैदा करने में मदद करते हैं।

भारत भर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी मंच के रूप में काम करते हैं। सरकारी कार्यालयों में नीति–स्तरीय कार्यान्वयन से लेकर जमीनी स्तर पर साहित्यिक और शैक्षिक जुड़ाव तक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलन सांस्कृतिक रूप से समावेशी माहौल को बढ़ावा देते हैं। हिंदी डिजिटल पाठकों की संख्या में लगातार वृद्धि, विश्वविद्यालयों में अकादमिक एकीकरण और प्रशासन और विज्ञान संचार में हिंदी का बढ़ता उपयोग यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलन केवल औपचारिकता नहीं हैं – वे आधुनिक भारत के भाषा परिदृश्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहें हैं। हिंदी के उपयोग को मान्यता देकर पुरस्कृत करके, प्रशिक्षण प्रदान करके और विद्वानों के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करके, ये राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलन भाषाई एकता और विविधता का समर्थन करते हुए डिजिटल युग में हमारी राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता की पुष्टि करते हैं। इन्ही राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों परिणामस्वरूप, हिंदी शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में संचार, शिक्षा और राष्ट्रीय पहचान के साधन के रूप में विकसित हो रही है।

संदर्भ सूची :

1. राजभाषा अधिनियम, 1963
2. राजभाषा नियम, 1976
3. संघ का आधिकारिक कामकाज हिंदी में करने का वार्षिक कार्यक्रम 2025–26, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
4. लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 – "क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन"
5. लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4451–"विश्व हिंदी सम्मेलन"
6. https://rajbhasha.gov.in/
7. https://www.pib.gov.in/Press Release Page.aspx?PRID=1898339
8. https://pib.gov.in/Press ReleaseI frame Page.aspx?PRID=2040300
9. https://pib.gov.in/Press ReleaseI framePage.aspx?PRID=2054956
10. https://www.pib.gov.in/Press Relese Detailm.aspx?PRID=2055091
11. https://www.pib.gov.in/Press Release Page.aspx?PRID=2090185
12. https://pib.gov.in/Press Relese Detailm.aspx?PRID=2091233

ISSN No. : 0970-9398

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का प्रयोग – सफल प्रयास और नवाचार

– राजीव तिवारी
मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा का गौरव प्राप्त है जबकि अंग्रेजी सह–राजभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर नीतिगत पहलें की गई हैं। इन प्रतिष्ठित संस्थानों में हिंदी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक सफल प्रयास एवं अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जिन्होंने न केवल प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है, अपितु जनसामान्य के साथ संवाद को भी सुगम बनाया है।

पिछले कुछ दशकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने कामकाज में हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग में लाने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इन संस्थानों ने न केवल सरकारी निर्देशों का पालन किया है, बल्कि कई नवाचारी कदम भी उठाए हैं, जिससे हिंदी का प्रयोग सहज, सुगम और प्रभावी बना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के सफल प्रयास:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं, देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इन उपक्रमों का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें ऊर्जा, इस्पात, दूरसंचार, परिवहन और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं. इन संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं:

1. **हिंदी प्रकोष्ठों की स्थापना:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रचार–प्रसार और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हिंदी प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। इन प्रकोष्ठों का उद्देश्य न केवल हिंदी के प्रयोग को संस्थागत स्तर पर बढ़ावा देना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी प्रशासनिक, तकनीकी और पत्राचार संबंधी कार्यों में राजभाषा नियमों का पालन किया जाए। इन प्रकोष्ठों में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए समर्पित होते हैं तथा वे राजभाषा विभाग और उच्च प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस प्रकार हिंदी प्रकोष्ठ न केवल भाषा की तकनीकी और प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि संस्थान में हिंदी के सहज और नियमित प्रयोग को भी सुनिश्चित करते हैं।

2. **कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी उद्देश्य से विभिन्न उपक्रमों में नियमित रूप से हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को हिंदी में दक्ष बनाना और उन्हें राजकीय कार्यों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपिंग, राजभाषा नियमावली की जानकारी तथा तकनीकी विषयों की हिंदी शब्दावली का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कई उपक्रमों में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र, पुरस्कार अथवा पदोन्नति में वरीयता जैसे लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। कुल मिलाकर, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल भाषायी दक्षता बढ़ाते हैं, बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करते हैं।

3. **आधिकारिक संचार में हिंदी का प्रयोग:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आधिकारिक संचार में हिंदी का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ रहा है. परिपत्रों, ज्ञापनों, आदेशों और अधिसूचनाओं जैसी महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों को हिंदी में जारी किया जा रहा है. इसके अलावा, बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त भी हिंदी में तैयार किए जा रहे हैं. यह न केवल राजभाषा नियमों का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि हिंदी भाषी कर्मचारियों को कामकाज को समझने में भी सहायता करता है.

4. **प्रकाशन और प्रचार सामग्री में हिंदी का प्रयोग:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हिंदी में प्रकाशन और प्रचार सामग्री का उपयोग राजभाषा के संवर्धन की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। इन उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टें, विज्ञापन, सूचना पत्र, पत्रिकाएँ,

समाचार बुलेटिन आदि हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे न केवल आम जनता को उनके कार्यों की जानकारी मिलती है, बल्कि हिंदी को भी एक सशक्त अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में मान्यता मिलती है। हिंदी में तैयार की गई प्रचार सामग्री स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने में सहायक होती है और संस्था की छवि को जनोन्मुखी तथा पारदर्शी बनाती है। यह प्रयास हिंदी को जनसंचार की प्रभावी भाषा के रूप में भी स्थापित करता है।

5. **वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी:** डिजिटल युग में हिंदी को सशक्त बनाने की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हिंदी में सामग्री उपलब्ध कराना आरंभ किया है। इससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं को सहज और सरल रूप में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उनकी भागीदारी और विश्वास दोनों बढ़ते हैं। यह पहल 'डिजिटल इंडिया' अभियान को सशक्त बनाने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के डिजिटल उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। हिंदी में ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता से उपक्रमों की पहुंच व्यापक बनती है और भाषा की समावेशिता भी सुनिश्चित होती है।

6. **पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएँ:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिंदी निबंध लेखन, वाद–विवाद, काव्य पाठ आदि आयोजित की जाती हैं। इन आयोजनों के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी हिंदी कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी रुचि और उत्साह बढ़ता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के सफल प्रयास:

राष्ट्रीयकृत बैंक, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, देश की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ हैं। ये बैंक देश के कोने–कोने में अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और आम नागरिकों के साथ इनका सीधा संपर्क होता है। इसलिए, इन बैंकों में हिंदी का प्रयोग न केवल ग्राहकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सफल प्रयास किए गए हैं:

1. **ग्राहक सेवा में हिंदी का प्रयोग:** राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए हिंदी का व्यापक प्रयोग शुरू किया है। बैंक फॉर्म, पासबुक, चेक बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें और पूछताछ हिंदी में दर्ज करा सकते हैं और बैंक कर्मचारी भी हिंदी में उनका जवाब देने का प्रयास करते हैं। यह विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो अंग्रेजी में सहज नहीं होते हैं।

2. **एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग में हिंदी विकल्प:** राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी का विकल्प प्रदान किया है। इससे हिंदी भाषी ग्राहक आसानी से लेनदेन कर सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

3. **बैंक कर्मचारियों द्वारा हिंदी में संवाद:** राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी ग्राहकों के साथ हिंदी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। विशेष रूप से शाखा स्तर पर, जहाँ ग्राहकों का सीधा संपर्क होता है। कर्मचारियों को हिंदी में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने और उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है।

4. **आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग:** राष्ट्रीयकृत बैंकों में आंतरिक परिपत्रों, ज्ञापनों और रिपोर्टों को भी हिंदी में तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। यह न केवल राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि हिंदी भाषी कर्मचारियों को संगठन के कामकाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

5. **हिंदी में जागरूकता अभियान:** राष्ट्रीयकृत बैंक समय–समय पर हिंदी में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये अभियान ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के बारे में हिंदी में जानकारी प्रदान करते हैं।

हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने में नवाचार:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचारी कदम उठाए हैं, जिससे यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुगम बनी है:

1. **तकनीकी उपकरणों का प्रयोग:** अनुवाद सॉफ्टवेयर, श्रुतलेखन उपकरण और हिंदी टाइपिंग टूल का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। ये उपकरण हिंदी में दस्तावेजों को तैयार करने और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने में मदद करते हैं, जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है।

2. **हिंदी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजनः** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों द्वारा नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में कर्मचारियों को हिंदी में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है।

3. **हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कारः** कई संस्थानों ने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजनाएँ शुरू की हैं। यह कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है।

4. **जन जागरूकता अभियानः** हिंदी के महत्व और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों के माध्यम से लोगों को अपने दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. **हिंदी साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहनः** कुछ संस्थान हिंदी साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह कर्मचारियों के बीच हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को बढ़ाता है।

6. **मोबाइल एप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर का विकासः** सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों और बैंकों ने ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जो हिंदी में जानकारी प्रदान करते हैं और हिंदी में कार्य करने में सहायक होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी प्रयोग की दिशा में चुनौतियाँ एवं समाधान :

भारत जैसे बहुभाषी देश में राजभाषा हिंदी को प्रशासन और कार्यव्यवहार में प्रभावी रूप से लागू करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण, परंतु जटिल कार्य रहा है। विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। राजभाषा नियमों के अंतर्गत विभिन्न निर्देशों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुरस्कार योजनाओं तथा तकनीकी साधनों के माध्यम से हिंदी को कार्य की भाषा बनाने की दिशा में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। इसके बावजूद भी कुछ जमीनी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें दूर किए बिना हिंदी का सर्वांगीण और प्रभावशाली प्रसार संभव नहीं है।

प्रमुख चुनौतियाँ :

कर्मचारियों की मानसिकता और अनिच्छा

हिंदी को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों की मानसिकता है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में कार्य करना कठिन या समय–साध्य मानते हैं। उन्हें यह भ्रांति रहती है कि हिंदी में कार्य करने से उनके काम की गुणवत्ता या गति प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, हिंदी को लेकर यह धारणा भी है कि यह वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी जितनी प्रभावशाली नहीं है, जिससे उन्हें करियर की दृष्टि से असुरक्षा महसूस होती है।

प्रशिक्षण और संसाधनों की सीमाएँ

यद्यपि विभिन्न संस्थान हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, किंतु ये प्रशिक्षण अक्सर सामान्य स्तर के होते हैं और तकनीकी कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी तरह नहीं छूते। कर्मचारियों को तकनीकी शब्दावली, पत्राचार शैली, तथा हिंदी कंप्यूटिंग की समुचित जानकारी नहीं दी जाती, जिससे उनका आत्मविश्वास हिंदी में कार्य करते समय डगमगा जाता है।

तकनीकी उपकरणों का सीमित और जटिल उपयोग

यद्यपि आज हिंदी टाइपिंग टूल, अनुवाद सॉफ़्टवेयर और श्रुतलेखन तकनीक जैसे अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु इनके उपयोग में दक्षता की कमी एक प्रमुख समस्या है। कई बार इन उपकरणों की उपलब्धता सीमित होती है या कर्मचारियों को उन्हें सुचारू रूप से प्रयोग करना नहीं आता, जिससे तकनीक का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाता।

विभिन्न इकाइयों में प्रयोग की असंगति

बैंकों और उपक्रमों की विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों में हिंदी प्रयोग का स्तर एक समान नहीं होता। कहीं हिंदी का प्रयोग सक्रियता से होता है, तो कहीं यह केवल औपचारिकता तक सीमित रह जाता है। यह असंगति हिंदी के व्यापक प्रयोग में बाधा उत्पन्न करती है और नीति के प्रभाव को कमज़ोर करती है।

समाधान

इन चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक है कि संस्थागत, तकनीकी और व्यवहारिक तीनों स्तरों पर एक समन्वित रणनीति अपनाई जाएः

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और उन्नयन

हिंदी प्रशिक्षण को केवल औपचारिकता न मानते हुए उसे व्यावहारिक और कार्यक्षम बनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में तकनीकी विषयों से संबंधित हिंदी, कंप्यूटर पर हिंदी कार्य,

ISSN No. : 0970-9398

सरकारी पत्राचार की शैली और टर्मिनोलॉजी का समावेश आवश्यक है। कर्मचारियों के लिए नियमित और प्रगतिशील पाठ्यक्रमों की रचना की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन किया गया हो।

तकनीकी संसाधनों की सहज उपलब्धता और प्रशिक्षण

संस्थानों में हिंदी टाइपिंग टूल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर, अनुवाद ऐप तथा वॉयस टू टेक्स्ट जैसी तकनीकों को न केवल उपलब्ध कराना, बल्कि उनका उपयोग सिखाने के लिए अलग से प्रशिक्षण आयोजित करना अत्यावश्यक है। इसके साथ ही, हिंदी अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स को अपनाना और उनके प्रयोग में दक्षता बढ़ाना एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है।

राजभाषा कार्यान्वयन की सशक्त निगरानी प्रणाली

संस्थानों में राजभाषा विभाग की भूमिका केवल निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित न रहकर परिणाम–आधारित निगरानी की ओर बढ़नी चाहिए। हिंदी में कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर उनकी समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और श्रेष्ठ प्रयासों को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने से प्रेरणा का वातावरण बनेगा।

सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण

कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाना अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी में कार्य करना उनके करियर के लिए बाधक नहीं बल्कि सहायक है। वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी प्रयोग में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरणा मिले। हिंदी दिवस, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी के प्रति अनुराग बढ़ाया जा सकता है।

सामूहिक प्रयास और सहयोग

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों को अन्य सरकारी निकायों, विश्वविद्यालयों और हिंदी प्रोत्साहन संगठनों के साथ मिलकर साझा कार्यशालाएँ, शोध परियोजनाएँ और संसाधनों का विकास करना चाहिए। इससे हिंदी के प्रयोग में एकरूपता आएगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

उपसंहारः

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का प्रयोग न केवल संवैधानिक दायित्व है, बल्कि यह देश की भाषाई विविधता का सम्मान करने और आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। पिछले कुछ वर्षों में इन संस्थानों ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं और कई नवाचारी कदम उठाए हैं। हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। निरंतर प्रयासों, प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का सफल और व्यापक प्रयोग न केवल राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, बल्कि यह जन–जन तक सरकारी सेवाओं और सूचनाओं की पहुँच को सुनिश्चित करके राष्ट्रीय एकता और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

"हिंदी वह भाषा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी।"

– डॉ जाकिर हुसैन

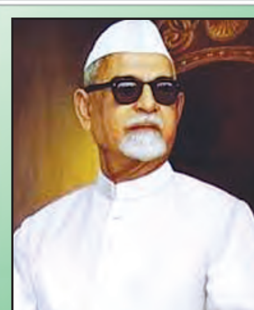

ISSN No. : 0970-9398

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी : अवसर एवं चुनौतियाँ

– सुमन दास
शाखा प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा,
मोहनबाटी शाखा, सिलीगुड़ी क्षेत्र

इक्कीसवीं सदी, जिसे विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की सदी कहा जाता है, ने मानव सभ्यता के इतिहास में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का सूत्रपात किया है। संचार, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन और यहाँ तक कि हमारे सोचने और रहने के ढंग को भी आईटी ने गहराई से रूपांतरित कर दिया है। इस तकनीकी क्रांति के प्रभाव से भाषाएँ भी अछूती नहीं रही हैं। भाषा, जो संस्कृति की वाहक और संचार का प्राथमिक माध्यम है, आईटी के इस दौर में नए आयाम और स्वरूप ग्रहण कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी का मूल तत्व सूचना का सृजन, भंडारण, प्रसंस्करण और प्रसारण है। जब यह शक्ति किसी भाषा से जुड़ती है, तो उस भाषा के विकास, प्रसार और मानकीकरण की प्रक्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और विभिन्न डिजिटल उपकरणों ने हिंदी के प्रयोग को पारंपरिक सीमाओं से निकालकर एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। आज हिंदी केवल साहित्य और बोलचाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस यात्रा में जहाँ एक ओर अनेक स्वर्णिम अवसर हिंदी की राह देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी बाधाएँ भी हैं जिन्हें पार किए बिना हिंदी आईटी के क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हम इन्हीं अवसरों और चुनौतियों का गहन विश्लेषण करेंगे, ताकि हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी के इस अंतर्संबंध को समग्रता में समझा जा सके।

अवसरः

सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा के विकास, संवर्धन और वैश्विक प्रसार के लिए अनगिनत और अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं। इन अवसरों ने हिंदी को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि इसे आमजन के लिए अधिक सुलभ और उपयोगी भी बनाया है।

1. वैश्विक पहुँचः

इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के विकास ने हिंदी को भौगोलिक सीमाओं के बंधन से मुक्त कर दिया है। आज विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति, चाहे वह हिंदी भाषी हो या हिंदी सीखने का इच्छुक, विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से हिंदी से जुड़ सकता है।

- **वेबसाइट और ब्लॉगः** अनगिनत वेबसाइटें और ब्लॉग आज हिंदी में विविध प्रकार की सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं – समाचार, साहित्य, कविता, तकनीकी जानकारी, यात्रा वृत्तांत और व्यक्तिगत अनुभव। बीबीसी हिंदी, गूगल समाचार (हिंदी), दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पोर्टलों के हिंदी संस्करण करोड़ों पाठकों तक पहुँच रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत ब्लॉगर्स और लेखकों ने भी अपने विचारों और रचनाओं को हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए इस माध्यम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- **सोशल मीडियाः** फेसबुक, ट्विटर (अब एक्स), इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने हिंदी को एक नया सामाजिक और संवादात्मक आयाम प्रदान किया है। लोग इन माध्यमों पर हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं और सांस्कृतिक आदान–प्रदान कर रहे हैं। हिंदी हैशटैग (हिंदी, हिंदी दिवस आदि) ट्रेंड करते हैं, जो हिंदी की बढ़ती ऑनलाइन उपस्थिति का प्रमाण है।
- **ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूबः** नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर हिंदी फिल्मों, वेब सीरीज़ और वृत्तचित्रों की उपलब्धता ने हिंदी मनोरंजन को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाया है। यूट्यूब पर हिंदी में शैक्षिक सामग्री, ट्यूटोरियल, संगीत, कॉमेडी और व्लॉग्स की भरमार है, जिससे न केवल हिंदी भाषियों को लाभ मिल रहा है, बल्कि विदेशी भी हिंदी भाषा और संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। कई सफल हिंदी यूट्यूबर्स ने इसे अपना पूर्णकालिक करियर बना लिया है।
- **भाषा शिक्षण एप्लिकेशनः** डुओलिंगो (Duolingo), बबेल (Babbel) जैसे भाषा शिक्षण एप्लिकेशन और विभिन्न ऑनलाइन कोर्स हिंदी सीखने को आसान और मनोरंजक बना रहे हैं। ये उपकरण इंटरैक्टिव पाठ, अभ्यास और मूल्यांकन के माध्यम से हिंदीतर हिंदी भाषियों को हिंदी सीखने में मदद करते हैं।
- **डिजिटल पुस्तकालय और अभिलेखागारः** कई संस्थाएँ पुरानी हिंदी पुस्तकों, पांडुलिपियों और साहित्यिक

कृतियों का डिजिटलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करा रही हैं। इससे शोधकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों के लिए दुर्लभ सामग्री तक पहुँच आसान हो गई है। 'कविता कोश' और 'गद्य कोश' जैसी परियोजनाएँ हिंदी साहित्य को डिजिटल रूप में संरक्षित और प्रसारित करने का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

- **भारतीय डायस्पोरा से जुड़ावः** विश्व भर में फैले भारतीय मूल के लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, आईटी के माध्यम से अपनी जड़ों और भाषा से जुड़े रह सकते हैं। हिंदी वेबसाइटें, ऑनलाइन सामुदायिक मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं।

2. ज्ञान का लोकतंत्रीकरणः

सूचना प्रौद्योगिकी ने ज्ञान को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों या भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रखने की बाधा को तोड़ दिया है। हिंदी में उपलब्ध डिजिटल सामग्री ने ज्ञान को आम आदमी, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुँचाया है।

- **शैक्षिक सामग्रीः** स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकें, नोट्स और व्याख्यान अब हिंदी में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी (NCERT) की पुस्तकें डिजिटल रूप में मुफ्त उपलब्ध हैं। स्वयं (SWAYAM) जैसे सरकारी पोर्टलों पर विभिन्न विषयों में हिंदी में ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) उपलब्ध हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
- शोधगंगा (Shodhganga) जैसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय विश्वविद्यालयों के शोध–प्रबंध (जीमेमे) हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे अकादमिक शोध को व्यापक पहुँच मिली है। धीरे–धीरे हिंदी में गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं का ऑनलाइन प्रकाशन भी बढ़ रहा है।
- किसानों के लिए मौसम, बीज, उर्वरक और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी हिंदी में विभिन्न पोर्टलों और ऐप्स पर उपलब्ध है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बीमारियों के लक्षण, बचाव के उपाय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी हिंदी में सुलभ हुई है। आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में हिंदी में जानकारी प्रदान करने वाले संसाधन भी विकसित हो रहे हैं।
- **कौशल विकासः** विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी पहलों के तहत हिंदी में कौशल विकास से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार योग्य बनने में मदद मिल रही है।

3. रोजगार के नए अवसरः

हिंदी भाषा के ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल का संयोजन आज रोजगार के अनेक नए और आकर्षक अवसर पैदा कर रहा है।

- **कंटेंट राइटिंग और संपादन (हिंदी):** वेबसाइटों, ब्लॉगों, सोशल मीडिया, विज्ञापन एजेंसियों और ई–कॉमर्स कंपनियों को अपनी सामग्री को हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए हिंदी कंटेंट राइटर और संपादकों की भारी माँग है। इसमें लेख लिखना, उत्पाद विवरण, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट आदि शामिल हैं।
- **डिजिटल मार्केटिंग (हिंदी):** कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं को हिंदी भाषी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग अभियान चला रही हैं। इसके लिए एसईओ (Search Engine Optimization) विशेषज्ञ, सोशल मीडिया मार्केटर, ईमेल मार्केटर और कंटेंट मार्केटर की आवश्यकता होती है जो हिंदी में प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें।
- **अनुवाद और स्थानीयकरणः** वैश्विक कंपनियाँ अपने सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, वेबसाइटों और मार्केटिंग सामग्री का भारतीय बाजार के लिए स्थानीयकरण कर रही हैं, जिसमें हिंदी एक प्रमुख भाषा है। इसके लिए कुशल अनुवादकों और स्थानीयकरण विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो न केवल भाषा का सटीक अनुवाद करें बल्कि सांस्कृतिक बारीकियों का भी ध्यान रखें।
- **हिंदी सॉफ्टवेयर विकास और परीक्षणः** हिंदी इंटरफेस वाले सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लिकेशन और वेब एप्लिकेशन के विकास और उनके परीक्षण (Testing) के लिए हिंदी जानने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और टेस्टर्स की माँग बढ़ी है।
- **डेटा एंट्री और बीपीओ (BPO):** कई कंपनियों को अपने डेटा को हिंदी में दर्ज करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, हिंदी भाषी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर और बीपीओ उद्योग में भी हिंदी जानने वालों के लिए अवसर हैं।
- **ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण (हिंदी):** विभिन्न विषयों में ऑनलाइन ट्यूशन और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिंदी में दक्ष प्रशिक्षकों की माँग है।
- **पत्रकारिता और मीडिया (डिजिटल):** ऑनलाइन समाचार पोर्टलों, यूट्यूब चैनलों और डिजिटल मीडिया हाउसों में हिंदी पत्रकारों, एंकरों, वीडियो संपादकों और ग्राफिक डिजाइनरों के लिए अवसर हैं।
- **उद्यमिताः** आईटी ने हिंदी भाषी युवाओं को अपने स्वयं के ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के लिए एक मंच प्रदान किया है, जैसे कि ई–कॉमर्स स्टोर, ब्लॉगिंग,

ब्लॉगिंग या डिजिटल सेवाएँ प्रदान करना।

4. हिंदी कंप्यूटिंग का विकासः

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के समानांतर हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसने हिंदी में काम करना पहले से कहीं अधिक सहज और कुशल बना दिया है।

- **यूनिकोड मानकीकरणः** यूनिकोड के आगमन ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर एक मानक पहचान दी है। इससे पहले विभिन्न गैर–मानक फॉन्ट के कारण फाइलों के आदान–प्रदान और वेब पर हिंदी सामग्री प्रदर्शित करने में समस्याएँ आती थीं। यूनिकोड ने इन समस्याओं का समाधान किया है, जिससे हिंदी सामग्री किसी भी डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर सही ढंग से प्रदर्शित हो सकती है। मंगल, अपराजिता जैसे यूनिकोड फॉन्ट व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
- **हिंदी टाइपिंग टूलः** इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड लेआउट को भारत सरकार द्वारा मानकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, रेमिंगटन (कृतिदेव/देवनागरी) जैसे लोकप्रिय लेआउट के लिए भी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं। गूगल इनपुट टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल जैसे फोनेटिक टाइपिंग टूल ने उन लोगों के लिए भी हिंदी टाइपिंग को आसान बना दिया है जो पारंपरिक टाइपिंग नहीं जानते।
- **वर्तनी और व्याकरण जांचकः** हिंदी में लिखे गए पाठ की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तनी और व्याकरण जांचक उपकरण विकसित किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल डॉक्स जैसे वर्ड प्रोसेसर में ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हालाँकि, इनमें अभी और सुधार की गुंजाइश है।
- **मशीनी अनुवाद (Machine Translation):** गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर और अन्य मशीनी अनुवाद प्रणालियाँ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से अन्य भाषाओं में तेजी से अनुवाद करने में सक्षम हैं। यद्यपि इनकी सटीकता अभी भी मानवीय अनुवादकों के स्तर तक नहीं पहुँची है, विशेषकर जटिल और साहित्यिक पाठों के लिए, तथापि सामान्य संचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए ये उपयोगी हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में हो रहे विकास से मशीनी अनुवाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है।
- **ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR):** हिंदी ओसीआर सॉफ्टवेयर मुद्रित या हस्तलिखित हिंदी पाठ को संपादन योग्य डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। यह पुरानी पुस्तकों और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में बहुत उपयोगी है।
- **वॉइस टाइपिंग और वॉयस असिस्टेंटः** गूगल वॉइस टाइपिंग और एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे वॉयस असिस्टेंट अब हिंदी में कमांड समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। इससे उन लोगों के लिए भी कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग आसान हो गया है जो टाइपिंग में सहज नहीं हैं या जिन्हें दृष्टि संबंधी समस्याएँ हैं।
- **ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में हिंदी इंटरफेसः** विंडोज, मैकओएस, एंड्रॉयड और आईओएस जैसे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अब हिंदी यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं। कई लोकप्रिय सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन भी हिंदी में उपलब्ध हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपनी भाषा में काम करने में सुविधा होती है।

5. ई–गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरताः

भारत सरकार "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने पर जोर दे रही है। इन पहलों की सफलता के लिए हिंदी का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की एक बड़ी आबादी की भाषा है।

- **सरकारी पोर्टल और सेवाएँः** केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक पोर्टल और वेबसाइटें अब हिंदी में जानकारी और सेवाएँ प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, MyGov.in, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP), आयकर विभाग की वेबसाइट और विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल हिंदी में उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिक सरकारी योजनाओं, नीतियों और सेवाओं के बारे में अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं।
- **डिजिटल भुगतानः** भीम (BHIM) ऐप और अन्य यूपीआई (UPI) आधारित भुगतान प्रणालियाँ हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला है।
- **डिजिटल साक्षरता अभियानः** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) जैसी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने में प्रशिक्षित करना है। इन कार्यक्रमों में हिंदी में प्रशिक्षण सामग्री और मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है।
- **जन सामान्य तक पहुँचः** ई–गवर्नेंस सेवाओं का हिंदी में उपलब्ध होना सुनिश्चित करता है कि वे नागरिक भी इनका लाभ उठा सकें जो अंग्रेजी में निपुण नहीं हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रष्टाचार कम होता है और सरकारी सेवाओं की पहुँच में सुधार होता है। हिंदी में उपलब्ध ऑनलाइन मंचों के माध्यम से नागरिक शासन प्रक्रिया में अपनी राय दे सकते हैं, शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं।

ISSN No. : 0970-9398

6. सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धनः

सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी भाषा और उससे जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है।

- **साहित्य का डिजिटलीकरणः** प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य, दुर्लभ पांडुलिपियों और महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर ऑनलाइन अभिलेखागारों में संरक्षित किया जा रहा है। इससे ये धरोहरें समय के साथ नष्ट होने से बच जाती हैं और शोधकर्ताओं तथा आम पाठकों के लिए सुलभ हो जाती हैं।
- **लोक कला और परंपराएँः** विभिन्न वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की लोक कलाओं, लोकगीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड और प्रसारित किया जा रहा है। इससे इन लुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करने और नई पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद मिल रही है।
- **हिंदी सिनेमा और संगीतः** ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं ने हिंदी सिनेमा और संगीत को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाया है। पुराने क्लासिक गीतों और फिल्मों को डिजिटल रूप में पुनर्स्थापित कर संरक्षित किया जा रहा है।
- **ऑनलाइन संग्रहालय और कला दीर्घाएँः** कुछ संग्रहालय और कला दीर्घाएँ अपनी हिंदी संबंधित कलाकृतियों और प्रदर्शनियों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर रही हैं, जिससे लोग घर बैठे भारतीय कला और संस्कृति का अवलोकन कर सकते हैं।
- **भाषा सामुदायिक मंचः** ऑनलाइन फोरम, ब्लॉग और सोशल मीडिया समूह हिंदी भाषियों को एक साथ आने, अपनी भाषा और संस्कृति पर चर्चा करने और साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँः

जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी के लिए अनेक अवसर खोले हैं, वहीं इसके मार्ग में कुछ गंभीर और जटिल चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जिनका समय पर निराकरण न होने पर हिंदी इस तकनीकी दौड़ में पिछड़ सकती है।

1. मानकीकरण का अभावः

यह हिंदी कंप्यूटिंग की सबसे पुरानी और प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

- **फॉन्ट संबंधी समस्याएँः** यूनिकोड के आने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कई वेबसाइटें और पुराने दस्तावेज़ नॉन–यूनिकोड फॉन्ट (जैसे कृतिदेव, शुषा) में हैं। इससे सामग्री को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने या वेब पर सही ढंग से प्रदर्शित करने में कठिनाई होती है। फॉन्ट कनवर्टर उपलब्ध हैं, लेकिन वे हमेशा 100% सटीक नहीं होते।
- **सॉफ्टवेयर संगतताः** कभी–कभी विशेष हिंदी फॉन्ट या इनपुट विधियाँ कुछ विशेष सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूरी तरह से संगत नहीं होती हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **क्षेत्रीय भिन्नताएँः** हिंदी की कुछ क्षेत्रीय बोलियों और शैलियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट वर्णों या संयुक्ताक्षरों की आवश्यकता हो सकती है, जिनके लिए मानकीकृत समर्थन का अभाव हो सकता है।

2. गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमीः

इंटरनेट पर हिंदी में सामग्री की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता एक बड़ा प्रश्नचिह्न है।

- **अकादमिक और वैज्ञानिक सामग्री का अभावः** उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में, विशेषकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन तथा तकनीकी जैसे विषयों में, उच्च गुणवत्ता वाली मौलिक हिंदी सामग्री की भारी कमी है। अधिकांश मानक पाठ्यपुस्तकें और शोध पत्र अंग्रेजी में हैं। जो अनुवाद उपलब्ध हैं, वे या तो क्लिष्ट हैं या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कई हिंदी वेबसाइटें और ब्लॉग तकनीकी विषयों पर जानकारी तो प्रदान करते हैं, लेकिन वह अक्सर सतही या केवल परिचयात्मक होती है।
- **गलत सूचना और फेक न्यूज़ः** सोशल मीडिया और कुछ अविश्वसनीय समाचार पोर्टलों के माध्यम से हिंदी में गलत सूचनाएँ और फेक न्यूज़ तेजी से फैलती हैं। जिससे समाज में भ्रम और नकारात्मकता फैल सकती है। तथ्य–जाँच (Fact-checking) करने वाली हिंदी वेबसाइटों की संख्या अभी भी कम है।
- **मौलिक सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहन का अभावः** डिजिटल माध्यमों पर अक्सर अनूदित या पुनः प्रस्तुत सामग्री अधिक होती है। हिंदी में मौलिक, शोधपरक और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने और उसके लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री का अभावः** बच्चों के लिए हिंदी में मनोरंजक और शिक्षाप्रद डिजिटल सामग्री (जैसे गेम्स, एनिमेटेड कहानियाँ, इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप्स) की भी कमी है।

3. **तकनीकी शब्दावली का अनुवाद और निर्माणः**

अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के लिए उपयुक्त, सहज और सर्वमान्य हिंदी पर्यायों का निर्माण और उनका प्रचलन एक सतत चुनौती बनी हुई है।

- **क्लिष्टता बनाम सुगमताः** वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) जैसी संस्थाएँ मानकीकृत तकनीकी शब्दावली का निर्माण करती हैं, लेकिन कई बार ये शब्द इतने संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट होते हैं कि आम उपयोगकर्ता और यहाँ तक कि विषय विशेषज्ञ भी, उन्हें अपनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। 'Computer' के लिए 'संगणक' तो स्वीकार्य हो गया, लेकिन कई अन्य शब्द प्रचलन में नहीं आ पाए।
- **असंगति और अनेकरूपताः** एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए कई अलग–अलग हिंदी पर्याय प्रचलन में आ जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकाशकों, लेखकों और संस्थाओं द्वारा अलग–अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है।
- **नए तकनीकी शब्दों का तीव्र विकासः** प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और हर दिन नए शब्द सामने आ रहे हैं। इन नए शब्दों के लिए तुरंत सटीक और स्वीकार्य हिंदी पर्याय खोजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

4. **डिजिटल डिवाइडः**

भारत में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच और उनके उपयोग में भारी असमानता है, जिसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। यह खाई हिंदी भाषी क्षेत्रों और समाज के कुछ वर्गों में अधिक गहरी है।

- **भौतिक पहुँच का अभावः** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी विश्वसनीय और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी (विशेषकर ब्रॉडबैंड) का अभाव है। स्मार्टफोन की पहुँच बढ़ी है, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप अभी भी कई परिवारों की पहुँच से बाहर हैं।
- **आर्थिक बाधाएँः** इंटरनेट डेटा प्लान और डिजिटल उपकरण खरीदना निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- **डिजिटल निरक्षरताः** केवल उपकरण और इंटरनेट कनेक्शन होना ही पर्याप्त नहीं है। उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए डिजिटल कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसका हिंदी भाषी आबादी के एक बड़े हिस्से में अभाव है।

5. **अंग्रेजी का प्रभुत्वः**

सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व आज भी निर्विवाद है। यह हिंदी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।

- **सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्मः** अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और वेब प्लेटफॉर्म मूल रूप से अंग्रेजी में विकसित होते हैं। उनका हिंदी संस्करण या तो बाद में आता है, या उसमें सभी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, या फिर उसका यूजर इंटरफेस उतना परिष्कृत नहीं होता। सभी प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएँ (जैसे C++, Java, Python) अंग्रेजी आधारित हैं। इससे हिंदी माध्यम से पढ़े छात्रों को कोडिंग सीखने में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए अंग्रेजी को अभी भी प्राथमिकता दी जाती है। इससे छात्रों और पेशेवरों पर अंग्रेजी सीखने का दबाव बना रहता है और वे हिंदी में काम करने के प्रति उदासीन हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और संचार के लिए अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है, जिससे आईटी क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है।

6. **जागरूकता और प्रशिक्षण का अभावः**

हिंदी भाषी आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी हिंदी कंप्यूटिंग उपकरणों, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन उपलब्ध हिंदी संसाधनों की क्षमताओं और लाभों से पूरी तरह परिचित नहीं है।

कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हिंदी में वॉइस कमांड दे सकते हैं या हिंदी में विभिन्न एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्तर पर हिंदी कंप्यूटिंग के व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव है। जो कार्यक्रम उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त हैं या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कई शिक्षक स्वयं हिंदी कंप्यूटिंग में पारंगत नहीं हैं, जिससे वे छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित नहीं कर पाते। लोगों को हिंदी में डिजिटल सामग्री का उपयोग करने और बनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं और अभियानों की कमी है।

7. **साइबर सुरक्षा और गोपनीयताः**

जैसे–जैसे हिंदी में इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे–वैसे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता से जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं।

- **भाषाई बाधाः** साइबर सुरक्षा संबंधी अधिकांश जानकारी और दिशानिर्देश अंग्रेजी में होते हैं, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए उन्हें समझना और उनका पालन

ISSN No. : 0970-9398

करना कठिन हो जाता है। हिंदी में भेजे गए फिशिंग ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से भोले–भाले उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और डेटा लीक जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं। अनेक हिंदी भाषी उपयोगकर्ता ऑनलाइन खतरों, सुरक्षित ब्राउज़िंग आदतों, मजबूत पासवर्ड बनाने के महत्व और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। हिंदी इंटरफेस वाले प्रभावी एंटीवायरस, एंटी–मैलवेयर और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनके उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कई वेबसाइटों और एप्स की गोपनीयता संबंधी नीतियाँ जटिल कानूनी भाषा में और अक्सर केवल अंग्रेजी में होती हैं, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ता यह नहीं समझ पाते कि उनका डेटा कैसे एकत्र और उपयोग किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

सूचना प्रौद्योगिकी ने निस्संदेह हिंदी भाषा के लिए विकास और विस्तार के ऐसे द्वार खोले हैं जिनकी पहले कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी। वैश्विक पहुँच से लेकर ज्ञान के लोकतंत्रीकरण तक, रोजगार सृजन से लेकर सांस्कृतिक संरक्षण तक, आईटी ने हिंदी को हर क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए हैं। हिंदी कंप्यूटिंग उपकरणों का विकास, ई–गवर्नेंस में हिंदी का बढ़ता प्रयोग और डिजिटल माध्यमों पर हिंदी सामग्री की उपलब्धता इस भाषा के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करते हैं। तथापि, इस यात्रा में चुनौतियों की भी कमी नहीं है। मानकीकरण का अभाव, गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी, तकनीकी शब्दावली की जटिलताएँ, डिजिटल डिवाइड की खाई, अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व, जागरूकता और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे ऐसी बाधाएँ हैं जिन्हें गंभीरता से संबोधित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए एक बहुआयामी और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है – नीतियों का निर्माण, मानकीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार और हिंदी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करना। सबसे महत्वपूर्ण है आम हिंदी भाषी उपयोगकर्ता की सक्रिय भागीदारी। जब तक उपयोगकर्ता स्वयं हिंदी में डिजिटल सामग्री का उपयोग करने, बनाने और साझा करने के प्रति जागरूक और उत्साहित नहीं होंगे, तब तक इन प्रयासों को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। यदि हम अवसरों का विवेकपूर्ण दोहन करें और चुनौतियों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करें, तो हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और विश्व भाषा के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ करेगी।

"देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है।"

– लाल बहादुर शास्त्री

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा में विज्ञान संचार की संभावनाएं

– संजय कुमार, हिंदी अधिकारी
सीएसआईआर–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पालमपुर, हिमाचल प्रदेश

दैनिक जीवन का कोई ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार न हो। पिछला एक दशक भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां भरा रहा है चाहे वो चन्द्रयान–3 की सफलता हो या आदित्य एल–1 हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर हमने कृषि, बागवानी, संचार, उद्योग, औषधि निर्माण, यातायात, अंतरिक्ष आदि न जाने कितने ही क्षेत्रों में प्रगति की है वहीं सामाजिक व घरेलू समस्याओं के उन्मूलन में भी सफलता पायी है। इसका अभिप्राय यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक का विकास तथा प्रगति हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इतना सब होते हुए भी हमें अभी भी सफलता के लिए सतत प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि आज भी हमारे देश में विज्ञान की शिक्षा, प्रचार–प्रसार, प्रयोग और अनुसंधान एवं विकास का माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी ही है। दूसरी ओर देश का अधिकांश जन अल्पशिक्षित है और ऐसे सामान्य जनसमुदायों के लिए विज्ञान उतना ही नया, विशिष्ट और जटिल है, जितना कि सामान्य शिक्षित जन के लिए।

भारत जैसे विशाल देश के विविध समुदायों को वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं नव परिवर्तनों की जानकारियों के साथ जीवन–स्तर में सुधार विषयक बातें उनकी जनभाषा में ही समझाने की आवश्यकता निःसन्देह भारतीय जनमानस में वैज्ञानिक उपलब्धियों की तथ्यपरक तथा सुस्पष्ट जानकारी सकारात्मक परिणाम दे सकती है। अतः आवश्यकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति एवं उपलब्धियां जन–सामान्य तक पहुँचें, क्योंकि यदि ये उपलब्धियां आम लोगों तक नहीं पहुँचेंगी, तो ऐसे अनुसंधान के औचित्य एवं सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह लगेगा। राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से वैज्ञानिक उपलब्धियों को जन–जन तक पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

भारत में विज्ञान संचार का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली है। संस्कृत ही आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी मानी गई है। हिंदी–विज्ञान लेखन की परम्परा भी उसी भाषा से मिली है। भारत में विज्ञान–लेखन का सूत्रपात प्राचीन भारतीय ग्रन्थों एवं वेदों से ही माना जाता है, क्योंकि इनमें चिकित्साशास्त्र, खगोल, गणित एवं रसायन विज्ञान का बहुतायत में वर्णित किया गया है। प्राचीन भारत में चरक शायद पहले वैज्ञानिक और सम्पादक थे जिन्होने 'चरक संहिता' का सम्पादन किया और इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रख दिया। यहीं से भारतीय विज्ञान लेखन की शुरुआत मानी जा सकती है। पाणिनी का 'अष्टाध्यायी', कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', वात्सायन का 'कामसूत्र', भास्कर का 'गोलाध्याय' आदि इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। अति प्राचीनकाल से हमारा आर्थिक व सामाजिक जीवन कृषि पर आधारित रहा है। यही कारण है कि भारतीय कृषि साहित्य को देश की प्राचीन कृषि साहित्य की गौरवशाली परम्परा से कश्यप मुनि की 'कृषि सूक्ति', महर्षि पराशर की 'कृषि पराशरी', शारंगधर ऋषि का 'उपवन विनोद', वराहमिहिर की 'वृहत संहिता' जैसे समृद्धशाली एवं महान ग्रंथों की धरोहर प्राप्त है।

यद्यपि स्वतन्त्रता से पूर्व कम ही साहित्य लिखा गया है, लेकिन जो लिखा गया है वह बहुत ही सार्थक प्रयास था तथा इसी से हिंदी में विज्ञान–लेखन को गति मिली। इस प्रकार स्वतन्त्रता से पूर्व हिंदी–विज्ञान लेखन में काफी प्रगति हुई। यदि इसमें एक ओर लोगों का अपना व्यक्तिगत योगदान रहा है तो दूसरी और विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद का योगदान भी कम नहीं है। साथ ही हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित विज्ञान परिषदों का योगदान भी अत्यन्त प्रभावशाली रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जहां अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है, सामाजिक चिन्तन में परिवर्तन हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है तथा हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का व्यापक प्रयोग हुआ है, वहां विज्ञान–लेखन हिंदी में हो–यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी उभर कर आया है। इसमें सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पंतनगर विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, विज्ञान प्रसार व एकलव्य जैसी अनेकों प्रमुख संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं ने हिंदी में मौलिक एवं लोकप्रिय विज्ञान लेखन को जन–जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया है। सीएसआईआर–निस्पर की पत्रिका 'विज्ञान प्रगति', एनआरडीसी की 'अविष्कार' तथा आईसीएआर की 'खेती' एवं 'फलफूल' बहुत

ही लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं जो विज्ञान को आम लोगों तक पंहुचाने में विशेष योगदान दे रही हैं।

हमने यह देखा है कि कुछ लोग बार–बार प्रश्न उठाते हैं कि विज्ञान का हिंदी में प्रचार–प्रसार या विज्ञान के रहस्यों या उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाना क्यों आवश्यक है? वे कौन से कारण हैं कि आम लोगों तक विज्ञान का प्रसार–प्रसार उन्ही की भाषा में किया जाए? इन सभी सवालों के जवाव में डॉ. कृपा शंकर तिवारी ने अपने लेख में लिखा है कि 'सामान्य वैज्ञानिक जानकारियों के अभाव में कभी–कभी छोटी सी घटना कितना त्रासद रुप ले सकती है।' उन्होंने वर्षों पहले भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड फैक्टरी में एक जहरीली गैस के रिसने से हजारों निरीह लोगों की हुई मौत का उदाहरण दिया है। गैस के दुष्प्रभाव से लाखों लोग आज भी पीड़ित हैं। केवल एक सामान्य सी जानकारी के अभाव में हजारों जाने चली गईं। यदि एक गीला कपड़ा गैस रिसने पर नाक और मुँह पर रख लिया जाता तो व्यक्ति इससे बच सकता था। यह जानकारी विज्ञान की मोटी–मोटी पुस्तकों में जटिल वैज्ञानिक शब्दावली के रुप में, वह भी अंग्रेजी में, लिखी रहीं होंगी पर यदि यही जानकारी फैक्टरी के आस–पास रहने वालों को आपदा से पूर्व उनकी आम बोलचाल की भाषा में बताई गई होती तो यह दु:खद घटना शायद न होती। इस प्रकार के कई ओर भी उदाहरण देखने को मिलते हैं।

मानसिकता एवं व्यवस्था के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में प्रकाशित करना एक मजबूरी हो सकती है लेकिन यह जानकारी उस प्रौद्योगिकी को अपनाने वालों की भाषा में प्रकाशित करना समय की पहली आवश्यकता बन जाती है। जैसे यदि एक वैज्ञानिक अपने शोध से किसी फसल की एक किस्म को विकसित कर लेता है जो भारत के किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु वाली परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो और वह अपना पेपर अंगेजी की प्रतिष्ठित पत्रिका में छापता है तो उसका क्या लाभ होगा। यदि यही जानकारी 'विज्ञान प्रगति', 'विज्ञान', 'आविष्कार', 'फलफूल', 'खेती' जैसी किसी पत्रिका में छपे तो वह उस किसान तक अवश्य पहुंचेगी तथा वह उस शोध के आधार पर तैयार किस्म को अपनाएगा।

आज के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और उपलब्धियों का प्रकाशन सबकी समझी, पढ़ी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी में ही होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग यह संदेह फैलाते हैं कि हिंदी वैज्ञानिक लेखन एक कठिन और श्रमसाध्य कार्य है, परन्तु यह एक भ्रम है। आज देश में अनेक लेखकों ने विज्ञान की जटिलतम विधाओं को हिंदी में सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉ. रमेशदत्त शर्मा, डॉ. शिव गोपाल मिश्र, श्री जगदीप शर्मा, श्री देवेन्द्र मेवाड़ी आदि अनेक लेखकों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फिर भी भारत जैसे विशाल देश में यह प्रयास अपर्याप्त हैं जिसे ओर बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है।

हिंदी में विज्ञान–संचार में कमी या स्तरीय विज्ञान–लेखन न होने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहले तो लोगों की मानसिकता ही इस कार्य में प्रमुख बाधा बनी हुई है। गुलामी ने हमें इतना संकुचित/हीनग्रस्त बना दिया है कि हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि हिंदी में लिखने से उनको हीन दृष्टि से देखा जाएगा और कुछ हद तक यह बात है भी। कुछ व्यक्ति लिखने में प्रयासरत तो हैं पर उनको शब्दावली समस्या आ जाती है, क्योंकि हम विज्ञान की शब्दावली के अभ्यस्त नहीं है। आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शब्दावली ग्राह्य और सरल होनी चाहिए। यह भी एक तथ्य है कि शब्द कठिन या सरल नहीं होते वो तो परिचित या अपरिचित होते हैं। जो शब्द हम प्रयोग में लाते है या जिनके बारे में हम जानते हैं वो तो हमें सरल लगते हैं, जिन शब्दों से हमारा परिचय न हो या जिनका हमनें कभी उपयोग ही न किया हो तो वह शब्द हमें कठिन लगते हैं। अभिप्राय यह है कि शब्दावली का यदि हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो यह समस्या तो हमेशा बनी रहेगी।

कुछ लोग कहते हैं कि हम व्यर्थ में क्यों प्रयास करें इससे हमें क्या फायदा होगा। यहां पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि शोध और विकास पर जो पैसा संस्थानों में व्यय हो रहा है, वह पैसा आम जनता का पैसा है तथा यह आम जनता की अपेक्षा है कि वे इस बात को जाने कि उनके पैसे द्वारा क्या अनुसंधान/शोध हुआ है। वैज्ञानिकों को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हिंदी में शोधपत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखन से क्या मिलेगा कुछ बातें समाज के प्रति दायित्व भी होती है और जीवन में हर चीज फायदे या नुकसान के नजरिये से नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन सरकारी स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग की कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण भी हिंदी विज्ञान–लेखन उस स्तर तक नहीं हो पा रहा है, हालांकि हमारे वैज्ञानिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों को हिंदी में लिखने में पूरी तरह सक्षम हैं फिर भी अधिकतर वैज्ञानिक हिंदी में लिखने से कतराते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों को अंग्रेजी की तुलना में हेय दृष्टि से देखा जाना तथा पदोन्नति तथा अन्य कार्यों में हिंदी में लिखे शोध–पत्र एवं लेखों को अंग्रेजी के समतुल्य नहीं आंका जाना भी हिंदी विज्ञान लेखन में कमी के कारण हैं। हम पश्चिमी देशों की पत्रिकाओं के 'इम्पैक्ट फेक्टर' के जाल में ऐसे फंसे हैं कि इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन देशों ने अपना एकाधिकार बना रखा है, वे हमारे शोध को छापने के भी पैसे लेते हैं ओर बाद में हमें इस शोधपत्र को पढ़ने के भी पैसे देने होते हैं। हम अपने देश की पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित ही नहीं करेंगे तो उन पत्रिकाओं का 'इम्पैक्ट फैक्टर' बनेगा कैसे? यदि हमारे शोध में दम होगा तो पश्चिम वाले हमारी शोध पत्रिकाओं को अवश्य पढ़ेगें। इस दिशा में शीर्ष स्तर पर पहल करनी होगी। हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियां भी एक कारण है, जिससे विज्ञान–लेखन उचित स्थान नहीं पा सका। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य ऐसे पहलू/समस्याएं हैं जिनके कारण भी हिंदी विज्ञान लेखन में आपेक्षित

प्रगति नहीं हुई। संचार माध्यमों द्वारा पर्याप्त कार्य न किया जाने तथा पत्र–पत्रिकाओं की कमी भी इसके लिए दोषी है।

संचार के इस युग में विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। प्रिंट व इलैक्टॉनिक्स संचार माध्यमों द्वारा भी हिंदी में विज्ञान को जन–जन तक पंहुचाने का कार्य अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। भारत के विज्ञान से संबंधित सभी संस्थान अपनी वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान संचार की दिशा में अग्रसर हैं। दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल हिंदी माध्यम से विज्ञान का प्रचार–प्रसार कर रहा है। इसके अतिरिक्त 'डिस्कवरी', 'नेशनल जियोग्राफिक' जैसे चैनल भी इस दिशा में अग्रसर है। इंटरनेट के माध्यम से भी हिंदी विज्ञान प्रचार–प्रसार में एक नयी क्रांति आई है। विभिन्न हिंदी समाचार पत्रों के अतिरिक्त बी.बी.सी., वायस ऑफ अमेरिका आदि ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए हिंदी माध्यम से अगल कॉलम निर्धारित कर रखा है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को विश्व बाजार मानकर अभी इसके और अधिक बढ़ाने की बहुत अधिक संभावना है। हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों के दूरदर्शन में बहुत से कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं।

मूल रूप से देखा जाए तो विज्ञान संचार या विज्ञान लोकप्रियकरण का मुख्य उद्देश्य है–वैज्ञानिक सूचनाओं और ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना, लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करना, विज्ञान और जनसामान्य के दैनिक क्रियाकलापों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना, समाज में विज्ञान को सही रूप में स्थापित करना एवं लोगों में विज्ञान की आधुनिकतम तकनीकों के प्रति स्वाभाविक रुझान एवं रूचि उत्पन्न करना, जिससे वह स्वयं को विज्ञान के निकट अनुभव करने लगे। वास्तविकता यह है कि समाज विज्ञान को तभी आत्मसात कर सकता है जब उसकी अभिव्यक्ति लोकभाषा में हो। लोकभाषा में विज्ञान अपेक्षित है, लेकिन विकासशील भारत में कई कारणों से जनसामान्य सुलभ विज्ञान से भी वंचित रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम अभी भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समूचे समाज में वैज्ञानिक जागृति हो और जनसामान्य में आविष्कारोन्मुखी प्रकृति का विकास हो। विज्ञान जब लोकविज्ञान बनेगा तो उसकी अभिव्यक्ति निसंदेह लोकभाषा में होगी।

वस्तुतः हिंदी विज्ञान–लेखन एक कठिन और श्रमसाध्य कार्य है। प्रसिद्ध हिंदी विज्ञान पत्रिका 'आविष्कार' के पूर्व वरिष्ठ सम्पादक श्री डी.एन. भटनागर के अनुसार हिंदी विज्ञान–लेखन एक यज्ञ है जिसमें लेखक को अपने जीवन की आहूति देनी पड़ती है। उनके इस कथन से कोई भले पूर्ण रूप से सहमत न हो, परन्तु यह तो मानना ही होगा कि हिंदी का विज्ञान लेखक अपने राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह ही करता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस राष्ट्रीय कर्म को करने में पूर्ण सहयोग दिया जाये। हिंदी के विज्ञान संचार के मार्ग में विद्यमान अनेक बाधाओं के रहते हुए भी दृढ़ इच्छा–शक्ति वाले लेखक उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके अपने लेखन का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। जो लोग कुछ भी नहीं लिखना चाहते वे तमाम सुविधाओं के बावजूद भी नहीं लिखते। हिंदी विज्ञान–लेखन में अभिरुचि रखने वाले लेखकों के लिए एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले सभी स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञान परिशिष्ट छपता है। 'विज्ञान', 'विज्ञान प्रगति', 'आविष्कार' जैसी विशुद्ध विज्ञान पत्रिकाएं है। जनसंचार माध्यम भी वैज्ञानिक कार्यक्रमों को प्रमुखता देते हैं। निःसंदेह एकदम मौलिक लेखन से हम विज्ञान–साहित्य को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए प्रारंभ में उपयोगी विज्ञान अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। परन्तु अनुदित साहित्य में संप्रेषणीयता का अभाव देखा गया है। इसलिए विज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने का काम मौलिक लेखन से करना पड़ेगा। तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में विज्ञान संचार की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है संगठित प्रयासों की, जो भारतीय सन्दर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ जनकल्याणकारी वैज्ञानिक उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाए। हिंदी विज्ञान–लेखन को अपनी प्राथमिकताएं तय कर लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। शिक्षा का माध्यम हिंदी में करना होगा। सरकार को प्रोत्साहन देना होगा तथा अभिव्यक्ति के माध्यमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा।

विविधता वाले इस विशाल देश के प्रबुद्ध वर्ग को छोड़ भी दें तो भी आम आदमी आज भी अनेक शंकाओं, संदेहों, अधकचरी जानकारियों और अनिश्चितता के बीच जीता है। प्रत्येक घटना और कार्य के पीछे वैज्ञानिक दृटिकोण विकसित करने में हिंदी में विज्ञान संचार का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। यह ठीक है कि हिंदी विज्ञान–लेखन को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता लेकिन हिंदी विज्ञान–लेखन की बढ़ती आवश्यकता की दृष्टि से हिंदी विज्ञान लेखकों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रहीं हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसे राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए देश के जन–जन को हिंदी में विज्ञान की जानकारी व सूचना उपलब्ध करवा कर हमारे हिंदी विज्ञान लेखक देश को प्रगति और ज्ञान के पथ पर अग्रसर करने में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहेगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान संचार की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है संगठित एवं ठोस प्रयासों एवं इच्छाशक्ति की, जो भारतीय जनमानस को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के साथ–साथ सुबोध एवं दैनिक जीवन में उपयोगी वैज्ञानिक उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाए।

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष : उपलब्धियाँ और भावी चुनौतियाँ

किशनकुमार मोहनगर अपारनाथी
तकनीशियन–एफ, अंतरिक्ष विभाग
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (इसरो), अहमदाबाद

प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ लगभग 22 आधिकारिक भाषाएँ संविधान द्वारा मान्य हैं और सैकड़ों बोलियाँ प्रचलित हैं। इस भाषाई विविधता के मध्य एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो प्रशासन, संप्रेषण और कार्यान्वयन में सहजता से प्रयोग की जा सके और देश के अधिकांश नागरिक इसे आसानी से समझ सकें। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

हिंदी का संवैधानिक स्थान

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। यह केवल घोषणा नहीं थी, अपितु इसे व्यवहार में लाना एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया थी। इसके लिए आवश्यक था कि एक ऐसा केंद्रीय निकाय हो जो इस कार्य को सुचारु रूप से क्रियान्वित कर सके और यहीं से राजभाषा विभाग की संकल्पना एवं स्थापना हुई।

राजभाषा विभाग की स्थापना का उद्देश्य

राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यरत है। राजभाषा विभाग की स्थापना का मूल उद्देश्य था भारत सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, उसके समुचित क्रियान्वयन के लिए योजनाएँ बनाना, नीतियाँ निर्धारित करना तथा उसका प्रभावी निरीक्षण करना। यह विभाग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को राजभाषा संबंधी निर्देश और सहायता प्रदान करता है।

50 वर्षों की यात्राः एक दृष्टिपात

राजभाषा विभाग ने अपने 50 वर्षों की यात्रा में न केवल हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उसने तकनीकी, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रयोग को सशक्त किया है। प्रारंभ में जहाँ सरकारी कार्यालयों में अंग्रेज़ी का वर्चस्व था, वहीं आज न सिर्फ हिंदी में फ़ाइलें तैयार की जाती हैं, ई–ऑफिस प्रणाली हिंदी में संचालित होती है और हिंदी प्रशिक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।

इस यात्रा की शुरुआत चुनौतियों से भरी रही– मानसिकता में परिवर्तन, तकनीकी संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएँ, अनुवाद की गुणवत्ता और शब्दावली का मानकीकरण जैसे कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। परंतु इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, विभाग अपने कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा।

राजभाषा विभाग की वर्तमान भूमिका

आज राजभाषा विभाग न केवल हिंदी के प्रशासनिक उपयोग का प्रहरी है, बल्कि यह नवाचार, तकनीकी अनुकूलता और डिजिटल समावेशन का भी वाहक बन चुका है। हिंदी कंप्यूटिंग से लेकर मशीन अनुवाद तक इसने भाषा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने में अहम योगदान दिया है।

राजभाषा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, पुरस्कार योजनाएँ एवं निरीक्षण प्रणाली तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर नियमित रूप से आयोजित सम्मेलनों ने कार्मिकों में न केवल भाषा के प्रति आत्मविश्वास और उत्साह उत्पन्न किया है बल्कि हिंदी के प्रयोग संबंधी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया है।

राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की यात्रा को विषयानुसार खंडों में विभाजित कर नीचे दर्शाया गया है–

– राजभाषा विभाग की ऐतिहासिक और संरचनात्मक समीक्षा
– राजभाषा विभाग की प्रमुख उपलब्धियां
– हिंदी की भावी संभावनाओं और दिशा का विश्लेषण
– समाज, शासन और तकनीक में हिंदी की भूमिका

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थापना (स्वतंत्रता के बाद भाषायी चुनौती)

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी राजभाषा के रूप में एक ऐसी भाषा को चुनना जो राष्ट्र की प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। इस संबंध में विशाल भारत की भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता एवं संपन्नता एक महत्वपूर्ण पहलू रहा क्योंकि देश के सभी राज्यों की अपनी–अपनी भाषाएँ थी। उस समय प्रशासन की भाषा अंग्रेज़ी थी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी स्वदेशी भाषा की आवश्यकता थी। संविधान निर्माताओं के सामने यह प्रश्न प्रमुख था कि भारत की राजभाषा क्या होगी। इस विषय पर संविधान सभा में लंबी चर्चा हुई और अंततः सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया।

संविधान में हिंदी का स्थान

भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं:

– अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी।

– अनुच्छेद 343(2) में यह व्यवस्था की गई कि प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी का भी उपयोग किया जा सकेगा।

– अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी समिति के गठन की बात कही गई।

– अनुच्छेद 351 उल्लेख है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भाषा विवाद और सहमति का मार्ग

1950 से 1965 के बीच हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के प्रयास शुरू हुए। लेकिन कई राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसका विरोध हुआ। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि 1965 में जब अंग्रेज़ी को हटाने का समय आया, तब सरकार को हस्तक्षेप कर तीव्र विरोध को शांत करने के लिए यह घोषित करना पड़ा कि अंग्रेज़ी भी यथावत बनी रहेगी। इस घटनाक्रम के परिणामस्वरूप वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ी भाषा को तब तक प्रयोग में रखा जाएगा जब तक कि दोनों सदन सहमत न हों कि उसका प्रयोग समाप्त किया जाए।

राजभाषा नियम, 1976

वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा नियम, 1976 बनाए गए। इन नियमों में सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की विधियाँ, समीक्षा प्रणाली, प्रगति रिपोर्टिंग, निरीक्षण तंत्र इत्यादि का उल्लेख किया गया।

–राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ये नियम बनाए।

राजभाषा विभाग की स्थापना

राजभाषा के प्रचार और क्रियान्वयन को संगठित और सशक्त रूप देने के लिए राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं –

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है ।
2. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।
3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र–पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।
4. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्य़क्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।
5. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।
6. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।
7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय ।
8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।
9. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।
10. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।
11. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।

प्रारंभिक चुनौतियाँ

राजभाषा विभाग की शुरुआत में उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ाः

– सरकारी कर्मियों में हिंदी का ज्ञान असमान स्तर का था।

– अंग्रेज़ी में कार्य करना एक आदत बन चुकी थी।

– प्रशासनिक फ़ाइलों का हिंदी में रूपांतरण कठिन कार्य था।

– अनुवादकों, हिंदी टाइपिस्टों और प्रशिक्षकों की भारी कमी थी।

– तकनीकी शब्दों और अभिव्यक्तियों का मानकीकरण नहीं था।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग ने क्रमिक योजना बनाईः

– अनुवाद कार्य को संस्थागत रूप दिया गया।

– त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रारंभ की गई।

– प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं की शुरुआत हुई।

– कार्यालयों को ग्रेडिंग प्रणाली के तहत मूल्यांकित किया जाने लगा।

राजभाषा विभाग की स्थापनाः एक ऐतिहासिक पहल

राजभाषा विभाग केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि यह भाषा, संस्कृति और राष्ट्र की आत्मा को जोड़ने का माध्यम बना। इसने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि प्रशासन, तकनीक, वित्त और विज्ञान की भाषा के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया। पचास वर्षों की यह यात्रा इस बात की साक्षी रही है कि जब संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी भाषा सिर्फ भावना नहीं, कार्यकुशलता का माध्यम बन सकती है।

क्षेत्रीय कार्यालय और समन्वय तंत्र

राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यालय देशभर में कार्यरत हैं, जो क्षेत्रीय निरीक्षण, प्रशिक्षण और समन्वय का कार्य करते हैं। ये कार्यालय स्थानीय स्तर पर हिंदी कार्यान्वयन में सहायक भूमिका निभाते हैं।

– **राजभाषा कार्यान्वयन समितिः** प्रत्येक कार्यालय में कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु।

– **केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितिः** राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों एवं विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थित की समीक्षा हेतु।

– **हिंदी सलाहकार समितिः** सभी मंत्रालयों, नामित संसद सदस्यों और भाषा विशेषज्ञों के साथ राजभाषा कार्यान्वयन एवं नीति निर्माण हेतु।

– **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)ः** नगर स्तर पर इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

राजभाषा विभाग की यह संरचना न केवल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि हिंदी भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को सशक्त और समकालीन बनाती है।

पिछले 50 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ–

1) हिंदी का प्रशासनिक प्रयोग

राजभाषा विभाग के प्रयासों से हिंदी को सरकारी कार्यों में व्यापक रूप से अपनाया गया। आज भारत सरकार के मंत्रालयों और उपक्रमों में हिंदी में आधिकारिक पत्राचार, आदेश, अधिसूचनाएँ और रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। हिंदी के प्रभावी प्रयोग से सरकारी सेवाओं में आम जनता की पहुँच सरल हुई है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में।

2) डिजिटल और तकनीकी विकास

राजभाषा विभाग ने हिंदी को डिजिटल युग में प्रभावी बनाने के लिए कई पहलें की हैंः

– हिंदी सॉफ़्टवेयर और टूल्सः विभाग ने यूनिकोड आधारित सॉफ़्टवेयर, कीबोर्ड लेआउट और अन्य टूल्स का विकास किया है जो सरकारी कार्यों को हिंदी में आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं।

– ऑनलाइन अनुवाद और शब्दकोशः विभाग ने मशीन अनुवाद की सुविधा, शब्दकोश और टर्मिनोलॉजी गाइडलाइन्स की शुरुआत की है, जिससे अनुवाद कार्य को तेज और अधिक सटीक बनाया गया है।

3) प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ

राजभाषा विभाग ने कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। इन कार्यशालाओं ने कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की क्षमता दी है और सरकारी दफ्तरों में हिंदी के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न किया है।

4) राजभाषा पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग ने उत्कृष्ट हिंदी कार्य करने वाले मंत्रालयों, विभागों और व्यक्तियों को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार न केवल उत्कृष्टता को मान्यता देता है, बल्कि अन्य संस्थाओं को प्रेरित करता है कि वे भी हिंदी का अधिकतम उपयोग करें।

5) क्षेत्रीय कार्यान्वयन और समीक्षा

राजभाषा विभाग ने विभिन्न राज्य और क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की। इन कार्यालयों ने विशेष रूप से दक्षिण भारत और अन्य हिंदी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। विभाग ने

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और निरीक्षण तंत्र के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी की है, जिससे हिंदी का प्रशासनिक प्रयोग प्रभावी हुआ है।

6) मीडिया और जनसम्पर्क

राजभाषा विभाग ने हिंदी को जन–जन तक पहुँचाने के लिए मीडिया और जनसंपर्क का प्रभावी उपयोग किया है। यह विभाग विभिन्न हिंदी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हिंदी प्रचारित करता है और भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

7) हिंदी दिवस और सप्ताह

प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हिंदी के प्रचार–प्रसार का महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। इस दिन विभिन्न समारोहों, कार्यशालाओं और आयोजनों के माध्यम से हिंदी के महत्व को रेखांकित किया जाता है। इसके अलावा हिंदी सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

8) भारतीय भाषाओं में समन्वय

राजभाषा विभाग ने न केवल हिंदी को प्रोत्साहित किया है, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। विभाग ने अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का सामंजस्य स्थापित किया, जिससे एक भाषाई संतुलन बना है और भारत की भाषायी विविधता को बढ़ावा मिला है।

इन प्रमुख उपलब्धियों ने राजभाषा विभाग को न केवल हिंदी के प्रचारक के रूप में स्थापित किया है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि हिंदी को एक सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए।

भविष्य की दिशा और चुनौतियाँ

राजभाषा विभाग ने पिछले 50 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन आने वाले समय में हिंदी को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ नए और विकसित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। भविष्य में हिंदी के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशाएँ आवश्यक हैं:

1) तकनीकी विकास और हिंदी में डिजिटल समावेशन

भविष्य में, हिंदी का डिजिटल रूप में प्रभावी प्रयोग और भी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) तकनीकों का उपयोग हिंदी भाषा में किया जा सकता है। हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सॉफ़्टवेयर में शामिल करके इसे स्मार्टफोन, ऐप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सहज रूप से उपयोगी बनाना एक आवश्यक कदम होगा।

2) शब्दावली का और अधिक मानकीकरण

हिंदी की शब्दावली का मानकीकरण महत्वपूर्ण रहेगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में एक समान शब्दों का प्रयोग किया जाए। विशेषकर विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और विधि क्षेत्र में नए शब्दों और अभिव्यक्तियों का मानकीकरण करना जरूरी होगा, ताकि हिंदी में अनुवाद कार्य सरल और सटीक हो सके।

3) शिक्षा और प्रशिक्षण

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को और अधिक प्रभावी तरीके से शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है, ताकि वे डिजिटल और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप हिंदी में कार्य कर सकें। इसके साथ ही, हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक सामग्री का विकास करना भी आवश्यक होगा।

4) स्थानीय भाषाओं के साथ समन्वय

भविष्य में हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ और बेहतर समन्वय करना होगा, ताकि विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ सके। इससे भारतीय भाषाओं के बीच तालमेल बना रहेगा और हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा।

चुनौतियाँ

1) भाषाई विविधता और असमानता

भारत में विभिन्न भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व है और हिंदी को सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू करना एक चुनौती हो सकती है। खासकर, दक्षिण भारत और अन्य गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का विरोध और अस्वीकृति एक बड़ी चुनौती है।

2) अंग्रेज़ी का वर्चस्व

अंग्रेज़ी आज भी भारतीय समाज में एक प्रमुख भाषा है, विशेष रूप से शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में। हिंदी को इन क्षेत्रों में प्रभावी बनाने के लिए, अंग्रेज़ी का वर्चस्व कम करना और हिंदी को समकालीन और व्यावसायिक भाषा के रूप में स्वीकार कराना चुनौतीपूर्ण होगा।

3) तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता

हिंदी के तकनीकी विकास के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मशीन अनुवाद, डिजिटलीकरण और स्वचालित शब्दावली निर्माण में बहुत सारे तकनीकी और संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए विशेष निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता है।

4) सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता

हिंदी के प्रचार के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा। लोगों को यह समझाना कि

हिंदी न केवल भारतीय संस्कृति की पहचान है, बल्कि एक सशक्त और कार्यकुशल भाषा भी है, एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

समापन और विश्लेषण

राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की यात्रा दर्शाती है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार एक निरंतर प्रयास है। भविष्य में हिंदी को डिजिटल, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए सरकारी नीति, समाज का सहयोग और तकनीकी निवेश की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, राजभाषा विभाग का कार्य भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जब तक हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में एक सशक्त भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिलती।

हिंदी का सरकारी कार्यों में स्थान

राजभाषा विभाग ने हिंदी को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों, बैंकों और कार्यालयों में प्रभावी रूप से लागू किया है। इसने हिंदी को न केवल प्रशासनिक कार्यों में, बल्कि न्यायिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित किया है। विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पुरस्कार योजनाओं ने सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया और इसे एक व्यवहारिक भाषा के रूप में प्रचलित किया।

प्रौद्योगिकी में योगदान

राजभाषा विभाग का योगदान केवल हिंदी के प्रचार–प्रसार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने हिंदी को डिजिटल युग में भी एक सशक्त स्थान पर स्थापित किया है। विभाग ने हिंदी के लिए डिजिटल टूल्स, सॉफ़्टवेयर और कीबोर्ड लेआउट का विकास किया है, जिससे हिंदी में कार्य करना अब और अधिक सुगम हो गया है। इसके अलावा, हिंदी में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्धता और सोशल मीडिया पर हिंदी के बढ़ते उपयोग ने इसे नई दिशा दी है।

शब्दावली और अनुवाद

राजभाषा विभाग ने हिंदी की शब्दावली का मानकीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में एक समान और सटीक शब्दों का प्रयोग किया जा सके। अनुवाद कार्य की दिशा में भी विभाग ने उच्च गुणवत्ता के अनुवाद और सांस्कृतिक समन्वय को प्राथमिकता दी है, ताकि हिंदी में सरकारी दस्तावेज़ों का अनुवाद सरल, प्रभावी और सटीक हो सके।

भविष्य की दिशा

आने वाले समय में हिंदी को तकनीकी, डिजिटल और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भाषा बनाने के लिए कई और पहलें की जानी चाहिए। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित अनुवाद प्रणाली के माध्यम से हिंदी का प्रभाव और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, हिंदी को विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रचलित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

समाज और संस्कृति में बदलाव

हिंदी के प्रचार में सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता का भी बड़ा योगदान है। लोगों को यह समझना होगा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और विविधता की पहचान है। इसके साथ ही, हिंदी को एक सशक्त और कार्यकुशल भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित किया जाएगा।

राजभाषा विभाग का 50 वर्षों का सफर न केवल हिंदी के प्रचार का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विविधता की महत्ता को भी उजागर करता है। विभाग के प्रयासों से हिंदी को एक सरकारी भाषा के रूप में सफलता मिली है और यह सुनिश्चित किया गया है कि हिंदी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक सम्मानित और उपयोगी भाषा के रूप में जानी जाए। भविष्य में जब तकनीकी विकास और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर हिंदी का अधिक उपयोग होगा, तब राजभाषा विभाग का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। विभाग का उद्देश्य केवल हिंदी का प्रचार नहीं है, बल्कि इसे एक सशक्त, तकनीकी और वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करना है।

राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की प्रेरक यात्रा हमें यह बताती है कि अगर किसी भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जाए, तो वह न केवल प्रशासनिक कार्यों में, बल्कि समाज की विकास यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ

1. राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

URL:https://rajbhasha.gov.in](https://rajbhasha.gov.in)

विवरणः राजभाषा विभाग के इतिहास, नीतियों, समितियों, प्रशिक्षण, तकनीकी विकास, तथा पुरस्कारों की जानकारी ली गई।

2. भारत सरकार का गृह मंत्रालय–वार्षिक रिपोर्ट

URL:https://www.mha.gov.in/document/annual-reports](https://www.mha.gov.in/document/annual-reports)

विवरणः गृह मंत्रालय की रिपोर्टों में राजभाषा विभाग की उपलब्धियों, बजट, योजनाओं व प्रशिक्षण गतिविधियों का उल्लेख की जानकारी ली गई ।

3. भारतीय संसद की राजभाषा समिति रिपोर्ट्स

URL:https://rajbhasha.nic.in/hi/committee-of-parliament-on-official-language](https://rajbhasha.nic.in/hi/committee-of-parliament-on-official-language)

विवरण:समिति की द्विवार्षिक निरीक्षण रिपोर्टें, अनुशंसाएँ व राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा की जानकारी ली गई ।

4. राजभाषा तकनीकी पत्रिका (राजभाषा भारती / राजभाषा सन्देश)

URL :https://rajbhasha.nic.in/hi/rajbhasha-bharti](https://rajbhasha.nic.in/hi/rajbhasha-bharti)

विवरण: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा गतिविधियों, लेखों, निबंधों और नवाचारों का संकलन की जानकारी ली गई।

5. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT)

URL:http://www.cstt.nic.in](http://www.cstt.nic.in)

विवरण:राजभाषा में तकनीकी शब्दावली और वैज्ञानिक शब्दों का विकास, आयोग की गतिविधियों का उल्लेख की जानकारी ली गई ।

6. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

URL:https://rajbhasha.gov.in/en/central-translation-bureau](https://rajbhasha.gov.in/en/central-translation-bureau)

विवरण: अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और अनुवाद सेवाओ की जानकारी ली गई ।

7. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन एवं तकनीकी संगोष्ठियाँ

URL:https://rajbhasha.gov.in/hi/activities/conferences](https://rajbhasha.gov.in/hi/activities/conferences)

विवरण: राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन, तकनीकी संगोष्ठियों की रिपोर्ट व निष्कर्ष की जानकारी ली गई ।

8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) – हिंदी सॉफ्टवेयर विकास

URL:https://www.nic.in](https://www.nic.in)

विवरण: राजभाषा प्रयोग हेतु विकसित हिंदी सॉफ्टवेयर, यूनीकोडसमर्थन और तकनीकी सहयोग की जानकारी ली गई।

9. संविधान का अनुच्छेद 343 से 351

URL:https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI-updated.pdf](https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI-updated.pdf)

विवरण: हिंदी को राजभाषा घोषित करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की जानकारी ली गई ।

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राजभाषा सेल

URL:https://www.ugc.gov.in](https://www.ugc.gov.in)

विवरण: उच्च शिक्षा में हिंदी का प्रयोग व शोध कार्य की जानकारी ली गई ।

11. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (च्व्ठ) पर हिंदी भाषा संबंधी प्रेस विज्ञप्तियाँ

URL:https://pib.gov.in](https://pib.gov.in)

विवरण: सरकारी योजनाओं में हिंदी के प्रयोग की जानकारी ली गई ।

"हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है।"

– मैथिलीशरण गुप्त

ISSN No. : 0970-9398

प्रशासनिक कार्य में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग: वर्तमान स्थिति और संभावनाएं

– बबली चतुर्वेदी, हिंदी अनुवादक
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल

राजभाषा किसी देश या प्रदेश के विभिन्न राजकाज या सरकारी कार्यों को चलाने के लिए प्रयुक्त विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है। गत वर्ष 14 सितम्बर 2024 को भारत की राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती (75वीं वर्षगांठ) मनाई गयी। हिंदी, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख भाषाओं में से एक है और यह भारत की राजभाषा भी है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया।संविधान (अनुच्छेद 351) ने केंद्र सरकार को हिंदी को विकसित करने और देश में इसके प्रसार का दायित्व सौंपा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में "राजभाषा विभाग" का गठन 1975 में किया गया, जिसका उद्देश्य राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पालन करना और संघ के कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना है। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के विकास की यह 50 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा न केवल भाषा की समृद्धि को दर्शाती है, बल्कि भारतीय समाज की विविधता और एकता का भी प्रतीक है।

इतिहास में हिंदी को एकीकृत कारक माना गया है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सहित कई नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की आधार भाषा बताया है। आज भी सरकारी नीतियाँ इसी धारा को आगे बढ़ा रही हैं; राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना सभी मंत्रालयों से अपेक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 40% भारतीयों ने हिंदी या उससे जुड़ी बोलियों को अपनी मातृभाषा बताया है। इसका अर्थ है कि करीब आधा देश हिंदी समझता है। इसी कारण हिंदी को राजभाषा बनाने का महत्व है। अगर सरकारी योजनाएँ और आदेश लोगों की भाषा में हों, तो उनका प्रभाव जनता तक बेहतर ढंग से और पारदर्शिता के साथ पहुँच सकता है। हिंदी के माध्यम से सरकारी कामकाज से जुड़कर आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है और प्रशासनिक तंत्र जनता के और निकट होता है।

यह ध्यान देने की बात है कि भारत 'बहुभाषिकता का संगम' है। दक्षिणी राज्यों (जैसे तमिलनाडु) में हिंदी को लेकर असहमति के बाद 1963 के अधिनियम में अंग्रेजी को सुरक्षित रखा गया, इसलिए वहां प्रशासन में अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा का प्रभुत्व है। दूसरी ओर उत्तर एवं मध्य प्रदेश जैसे हिंदी–भाषी राज्यों में सरकारी कामकाज ज्यादातर हिंदी में होता है। देवनागरी लिपि की सार्वभौमिकता भी हिंदी को एक सूत्र में बांधती है; इसे पढ़कर देश के विभिन्न भागों के लोग समझ पा रहे हैं। हिंदी अपनाने से क्षेत्रीय भाषाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन में एक आम भाषा की सुविधा बनी रह सकती है।

इन सभी दृष्टिकोणों को आधार मानकर आधुनिक युग में तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये हिंदी को प्रशासन में और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक हो गया है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय दस्तावेज़ों एवं तकनीकी रिपोर्टों में अभी भी अंग्रेजी का व्यापक प्रभुत्व है। संसद के दोनों सदनों में हिंदी अनुवाद की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, पर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश सुनवाई अंग्रेजी में ही होती है। केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के मूल संस्करण अंग्रेजी में तैयार होते हैं, जबकि हिंदी अनुवाद बाद में जारी होता है। परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नीति संबंधी दस्तावेज़ का सार हिंदी में समय पर न मिल पाने से जनता तक योजनाओं की समझ पहुँचने में विघ्न होता है। इस दबाव में उच्च अधिकारियों को भी अंग्रेजी टेम्पलेट से काम लेना आसान लगता है।

विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में राजभाषा निदेशालय नियमित रूप से निरीक्षण करता है। प्रत्येक वर्ष 'वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम' जारी होता है जिसमें विभागों को स्पष्ट लक्ष्य दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत विभागवार रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि कितने दस्तावेज़ हिंदी में तैयार हुए। उदाहरणतः भारतीय रेल में यात्री घोषणाओं के साथ–साथ शेड्यूल हिंदी में भी प्रकाशित होते हैं, बैंकिंग फॉर्मों में क्रेडिट–डेबिट विवरण हिंदी में उपलब्ध हैं। अतः रेलवे कार्यालयों और बैंक शाखाओं में हिंदी नाम–पट्टिका एवं प्रपत्र रोज़मर्रा की भाषा बने हैं। फिर भी कई केंद्रीय विभागों के उच्च अधिकारियों के बीच अंग्रेजी संवाद सामान्य है। कुछ बड़े संगठनों में विभागीय बैठकों के कार्यवृत्त अंग्रेजी में नोट किए जाते हैं।

सूचना–प्रौद्योगिकी के विकास ने मददगार अवसर प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कई अन्य केन्द्र सरकार की वेबसाइटों में हिंदी अनुभाग सक्रिय है। आधार कार्ड, आयकर पोर्टल, किसान निधि योजना आदि लोकप्रिय सरकारी पोर्टलों में भी हिंदी इंटरफ़ेस उपलब्ध है, जिससे लोगों को अपनी भाषा में सुलभ सेवा मिल रही है। इन प्रयासों से संकेत मिलता है कि प्रशासनिक स्तर पर हिंदी की पहुँच बढ़ रही है। किन्तु मुख्य नीति दस्तावेज, कानून और अधिसूचनाएँ आमतौर पर अंग्रेजी में ही तैयार की जा रही हैं; इस प्रथा को बदलने के लिए और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। संक्षेप में कहा जाए तो राजभाषा विभाग की सक्रियता के बावजूद सरकारी कामकाज में हिंदी को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता बनी हुई है।

व्यावहारिक सुझाव

प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं:

- **सरल एवं सहज भाषा अपनाएँ:** सरकारी आदेश–पत्रों, योजनाओं एवं परिपत्रों में जटिल एवं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से बचकर सरल हिन्दी का प्रयोगकरें। सक्रिय वाक्य–रचना और छोटे वाक्यों से स्पष्टता बढ़ती है। उदाहरणतः "प्रस्तुत अनुशंसा संलग्न की जा रही हैं" के बजाय "निम्नलिखित शिफारिशें संलग्न हैं" लिखने से अर्थ स्पष्ट होगा। कार्यालयों में राजभाषा विभाग के 'सरल और सहज हिंदी' नीति–निर्देश लागू करें। इन निर्देशों के अनुसार सरकारी भाषणों और लेखों में लिपि–संरचना साधारण होनी चाहिए। अंग्रेजी से लिए गए शब्दों को यदि अनिवार्य हो तो देवनागरी में लिखें (जैसे "इन्वेस्टमेंट" के लिए "इन्वेस्टमेंट" ही लिखना) और जितना संभव हो तात्कालिक हिन्दी शब्दों का ही प्रयोग करें।

- **प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ:** सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमित हिंदी लेखन व अनुवाद प्रशिक्षण आयोजित करें। कार्यशालाओं में हिंदी टाइपिंग, शुद्ध वाक्य–लेखन और शिष्ट लेखन पर जोर दें। प्रत्येक अधिकारी से मासिक रिपोर्ट या नोट हिंदी में तैयार करवाएं ताकि अभ्यास स्वाभाविक हो। विभागीय स्तर पर अनुवाद प्रतियोगिता, वाद–विवाद या निबंध लेखन जैसे कार्यक्रम भी कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और स्वयं–शिक्षण सामग्री (जैसे राजभाषा विभाग की ई–लर्निंग पोर्टल) का भी इस्तेमाल कराएं, जिससे अधिकारी घर बैठे भी भाषा कौशल सुधार सकें।

- **मानकीकृत शब्दावली:** प्रत्येक विभाग की तकनीकी एवं विशिष्ट शब्दावली को मानकीकृत करें। राजभाषा विभाग का 'हिंदी शब्द सिंधु' शब्दकोश और विभागीय शब्दावली पुस्तिकाएं उपयोग में लाएं। उदाहरणतः रेल मंत्रालय ने 'ब्रॉडगेज' को 'चौड़ा ऐन्टरे' लिखने का निर्णय लिया है। ऐसे मानकीकृत अनुवाद विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएं, ताकि सभी अधिकारी वही शब्दावली अपनाएँ। नए शब्द बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल गठित करें और हिंदी शब्दावली अद्यतित रखें। इससे एक शब्द के कई रूप न बनें और अनुवाद में सामंजस्य बना रहे।

- **प्रोत्साहन एवं पुरस्कार:** हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करें। न केवल केंद्र सरकार बल्कि प्रत्येक विभाग में अपने राजभाषा गौरव/कीर्ति पुरस्कार आयोजित करें। पुरस्कारों के साथ प्रशस्ति–पत्र, प्रशंसा–पत्र और पदोन्नति अंक जैसे लाभ दें, ताकि कर्मचारियों में हिंदी अपनाने की प्रेरणा बनी रहे। उदाहरणतः परमाणु ऊर्जा विभाग को राजभाषा अनुपालन में प्रथम पुरस्कार मिलना यह दिखाता है कि प्रोत्साहन से हिंदी कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होती है।

- **भाषाई जागरूकता अभियान:** हर वर्ष हिंदी दिवस (14 सितंबर) और अन्य प्रमुख दिवसों पर हिंदी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। विभागीय समाचार–पत्र, ईमेल न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया पर हिंदी सामग्री प्रकाशित करें। उच्च अधिकारी हिंदी भाषा के महत्व पर न सिर्फ अपने विचार रखें बल्कि अपने कार्य एवं आचरण से अन्य कार्मिकों को प्रेरित करें। कार्यालयों में हिंदी पोस्टर, स्लोगन और कैम्पेन से कर्मचारियों को प्रेरित करें। इन पहलों से हिंदी को अपनाने का सकारात्मक माहौल बनेगा।

- **निगरानी तंत्रः** प्रत्येक विभाग में राजभाषा अधिकारी/प्रभारी नियुक्त करें जो मासिक या त्रैमासिक आधार पर हिंदी उपयोग की रिपोर्ट तैयार करे। उसमें यह दर्शाएं कि विभागीय कार्यों में कितना हिंदी में हुआ और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मानकीकृत भाषाई ऑडिट के माध्यम से नियमित परीक्षण करें कि कार्यालयी पत्राचार और बैठकों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है या नहीं। इससे अधिकारी हिंदी अपनाने के प्रति सजग रहेंगे।

इन उपायों के सतत् क्रियान्वयन से सरकारी कार्य–प्रणाली में हिंदी स्वाभाविक रूप से समाहित होगी और अंग्रेजी पर निर्भरता घटेगी। उदाहरणतः यदि सब्सिडी आवेदन फॉर्म या लाभार्थी सूची हिंदी में उपलब्ध हों, तो ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यही लक्ष्य है कि हिन्दी को सिर्फ औपचारिकता न रह जाने दें, बल्कि इसे कार्यालयों की पहचान बना दें। यह कार्य हमें मिलकर करना होगा; जब कार्यालयीन भाषा सहज हिंदी बन जाएगी तभी प्रशासन जनता के और करीब आएगा।

तकनीकी समाधान

प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हिंदी, जो भारत की राजभाषा है, को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अनुवाद की भूमिका विशेष रूप

से महत्वपूर्ण है। अनुवाद के माध्यम से केंद्रीय शासन के अंग्रेज़ी में उपलब्ध दस्तावेज़ों, अधिसूचनाओं, आदेशों एवं नीतियों को हिंदी में रूपांतरित कर जनसामान्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है। इससे न केवल हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार होता है बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी सुनिश्चित होती है।

अनुवाद की गुणवत्ता जितनी अधिक सटीक और सरल होती है, उतनी ही अधिक स्वीकार्यता और उपयोगिता बढ़ती है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुवादकों को न केवल भाषागत दक्षता बल्कि प्रशासनिक शब्दावली एवं संवैधानिक प्रावधानों की भी अच्छी समझ आवश्यक है। इसके साथ ही तकनीकी अनुवाद के क्षेत्र में निरंतर नवाचार और प्रशिक्षण भी हिंदी के विस्तार में सहायक सिद्ध होते हैं।

आधुनिक तकनीक से अनुवाद हिंदी के प्रसार में सहायक सिद्ध हो रहा है। कुछ प्रमुख तकनीकी साधन निम्नलिखित हैं:

- **मशीन अनुवाद उपकरणः** प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में राजभाषा सहायता कक्ष (Translation Cell) बनाएं, जहां अनुभवी अनुवादक उपलब्ध हों। साथ ही मंत्रा एवं कंठस्थ अनुवाद टूल को विभाग के अधिकारी प्रयोग में लाएं। यह टूल प्रशासनिक दस्तावेज़ों के अंग्रेजी–अनुवाद को तेज और मानकीकृत करता है। अधिकारियों को 'कंठस्थ' या Google Translate जैसे उपकरण और हिंदी इनपुट टूल (इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आदि) उपलब्ध कराएं, जिससे ऑफिस में हिंदी टंकण सुगम हो। जरुरत पड़ने पर विश्वकोश, तकनीकी ग्रंथ और अनुवाद याददाश्त वाले सॉफ़्टवेयर (Translation Memory) का सहारा लें। उदाहरणतः कृषि मंत्रालय ने बीज एवं पशु चिकित्सा संबंधी दस्तावेज़ों का प्रारंभिक हिंदी अनुवाद मनत्रा से करवाया है, जिसे विशेषज्ञ संपादित करके प्रकाशित करते हैं। इस तरह विभागीय शब्दावली भी मशीन में समाहित हो जाती है, जिससे अनुवाद में निरंतरता आती है।
- **भाषिणीः** भारत सरकार के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत विकसित 'भाषिणी' मंच ने 22 भारतीय भाषाओं के लिए 300 से अधिक पूर्व–प्रशिक्षित AI मॉडल तैयार किए हैं। यह ओपन–सोर्स मॉडल सरकारी दस्तावेज़ों, बातचीत और भाषणों का तात्कालिक अनुवाद सक्षम करते हैं। दिसम्बर 2023 में प्रधानमंत्री ने अपनी हिंदी भाषण को तमिल में अनुवादित कर दिखाया और वित्त मंत्री ने 2024 के बजट भाषण में इसका प्रयोग किया। भाषिणी मंच ने सिंधी जैसी भाषाओं के लिए भी डिजिटल संसाधन तैयार किए हैं, जहाँ पहले कोई ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध नहीं थी। उदाहरणस्वरूप, इस मंच का उपयोग किसानों को सरकारी योजनाएँ उनकी स्थानीय भाषा में समझाने में किया जा रहा है; बैंक दस्तावेज़ों को स्थानीय भाषा में अनुवाद कर ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। भविष्य में यह मंच और अधिक उन्नत हो रहा है, जैसे– चाटबॉट, SMS अनुवाद और कानूनी दस्तावेज़ीकरण के लिए AI समाधान प्रदान करना।
- **ऑनलाइन शब्दकोश एवं डेटाबेसः** 'हिंदी शब्द सिंधु' एवं अन्य सरकारी ऑनलाइन शब्दकोशों में करोड़ों हिंदी–अंग्रेज़ी शब्द संजोए गए हैं। अधिकारी इनकी सहायता से कठिन शब्दों के सार्वभौमिक अनुवाद पा सकते हैं। साथ ही 'ई–सरल हिंदी वाक्यकोश' जैसे टूल में पूछे गए वाक्यों के समान अर्थ के कई विकल्प मिलते हैं, जिससे अनुवादक सही वाक्य चुन सकते हैं। इन संसाधनों को नियमित रूप से अपडेट एवं उपयोग में रखा जाना चाहिए।
- **स्वयं–शिक्षण पोर्टलः** राजभाषा विभाग ने स्वयं–शिक्षण के लिए ऑनलाइन कोर्स बनाए हैं। इसमें हिंदी व्याकरण, शब्दावली, लेखन व अनुवाद कोर्स (प्रारंभिक से उन्नत स्तर तक) उपलब्ध हैं। अधिकारी इन पोर्टलों से कभी भी हिन्दी सीख सकते हैं। उदाहरणतः विभाग की वेबसाइट पर ÞHindi Learning Module" में विभागीय शब्दावली एवं लेखन अभ्यास है।
- **अन्य उपकरणः** आधुनिक कंप्यूटरों और स्मार्टफ़ोनों में हिंदी इनपुट टूल (जैसे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड) मौलिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा Google Translate, Microsoft Translator जैसे ऐप्स भी हिंदी समर्थन देते हैं, जिससे त्वरित अनुवाद संभव होता है। सरकारी कामों के लिए विशेष रूप से बनाए गए ऐप्स (जैसे "राष्ट्र भाषा ऐप") हिंदी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- **वॉयस–मान्यता एवं वॉयस अनुवादः** हिंदी भाषण को तत्काल अनुवाद करने के उपकरण विकसित हो रहे हैं। उदाहरणतः मोबाइल पर उपलब्ध Speech-to-Text ऐप्स से अधिकारी बोली गई हिंदी को सीधे लिखित रूप में बदल सकते हैं। इससे मीटिंग या भाषणों का तत्काल हिंदी अनुवाद संभव हुआ है, जो बहुभाषी संवाद में सहायक है।
- **भविष्य की तकनीकः** आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल हिंदी अनुवाद को और भी बेहतर बनाएंगे। उदाहरणतः बड़े भाषा मॉडल (GPT–आधारित) दोनों भाषाओं के भावार्थपूर्ण अनुवाद करने में सक्षम हैं, जिससे प्रशासनिक दस्तावेज़ों का त्वरित एवं सटीक अनुवाद संभव हो सकेगा। ध्वनि पहचान, त्वरित प्रोसेसिंग और क्लाउड–आधारित अनुवाद सेवाओं के विस्तार से कार्यालयी अनुवाद की क्षमता बढ़ेगी।

इन तकनीकी उपायों के माध्यम से हिंदी अनुवाद तेज, सरल और अधिक विश्वसनीय हुआ है। भाषिणी जैसे मंच से अब तक

अनेक सरकारी भाषणों, सूचनाओं और दस्तावेज़ों का स्वचालित हिंदीकरण किया जा चुका है। भविष्य में AI–आधारित मॉडल और उन्नत भाषाई सेवाएँ उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद सुनिश्चित करेंगी, जिससे प्रशासनिक अंगों में हिंदी के प्रयोग को सहजता से बढ़ाया जा सकता है।

संक्षिप्त में, हिन्दी भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। प्रशासनिक कार्यों में इसका समुचित प्रयोग लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। हिंदी को प्रशासनिक कार्यों की सहज और प्राथमिक भाषा बनाने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक प्रयास आवश्यक हैं। राजभाषा विभाग ने 50 वर्षों में हिन्दी को प्रशासनिक कार्यों में स्थापित करने हेतु उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजभाषा विभाग ने पिछले 50 वर्षों में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में हिन्दी प्रशासनिक भाषा के रूप में पूरी तरह सशक्त हो सके।

भारतीय संविधान एवं राजभाषा नीति ने हिंदी को बढ़ावा देने का स्पष्ट निर्देश दिया है और राजभाषा विभाग पिछले 50 वर्षों से इसी दिशा में कार्यरत है। भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से यह कदम सामंजस्यपूर्ण है, क्योंकि इससे समग्र एकता एवं समावेशिता मजबूत होती है। प्रशासनिक स्तर पर हिंदी के प्रयोग से जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है; सरकारी दस्तावेज़ की सरल हिंदी उपलब्धता से योजनाएँ भ्रष्टाचार–मुक्त होकर अधिक लोगों तक पहुँचती हैं। उदाहरणतः यदि सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र और आवश्यक सूचना हिंदी में हों, तो ग्रामीण नागरिकभीबिना भाषा की बाधा के योजनाओं का सीधे लाभ उठा सकेंगे।

इसके साथ ही, तकनीकी नवाचार ने भाषा की बाधाएँ काफी हद तक दूर कर दी हैं। आधुनिक AI टूल्स, मशीन ट्रांसलेशन और स्वयं–शिक्षण पोर्टल से हिंदी सरकारी दस्तावेज़ों में आत्मसात हो रही है। यदि हम सरल भाषा, मानकीकृत शब्दावली, प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों का सम्मिश्रण करें, तो सरकारी कार्य–प्रणाली में अंग्रेज़ी पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और भाषा विशेषज्ञों को मिलकर लागू करना होगा, तभी हिंदी का वास्तविक सम्मान होगा।

हमारे सामने 50 वर्ष पुरानी यात्रा का नया पड़ाव है। इस अवसर पर हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हिन्दी का उपयोग अपनी प्राथमिक प्रशासनिक भाषा के रूप में व्यापक रूप से करेंगे, ताकि यह मात्र औपचारिकता न रह जाए बल्कि शासन की पहचान बन जाए। सरकारी योजनाएँ एवं सेवाएँ सीधे आम जनता तक पहुंचेगी और लोकतंत्र और सशक्त बनेगा। यह कार्य हमें मिलकर करना होगा। आइए, मिलकर हिंदी को प्रशासन की नई शक्ति बनाएं। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हिंदी को शासन की सहज और प्राथमिक भाषा बनाकर संविधान की मूल आकांक्षा को साकार करें। यही वह रास्ता है जिसपर चलकर हम हिंदी को शासन की वास्तविक राजभाषा बना सकते हैं।

"हिंदी विश्व की भाषा बने, यही है आज की पुकार,
सांस्कृतिक चेतना का बने वह सशक्त आधार।"

''हिंदी जन–जन की भाषा है, एकता की परिभाषा है।''

ISSN No. : 0970-9398

हिंदी के प्रयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी अनुवाद की भूमिका एवं इसका प्रभाव

– प्रणव कुमार झा, अनुभाग अधिकारी,
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

"भाषा वही बढ़ेगी, जो तकनीक से जुड़ जाए।" इस युग का यह नया घोष वाक्य अब केवल नारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी यथार्थ बन गया है। हिंदी भाषा भी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीनी अनुवाद (Machine Translation) के माध्यम से एक नई चेतना में प्रवेश कर चुकी है। पिछले एक दशक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीनी अनुवाद (मशीन ट्रांसलेशन) ने हिंदी के प्रयोग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और यह भाषाओं से कैसे जुड़ा?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) वह तकनीक है, जिसमें कंप्यूटर और अन्य मशीनें मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। जब यह तकनीक भाषाओं से जुड़ती है, तो उसे हम प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing - NLP) कहते हैं।

NLP के माध्यम से मशीनें भाषा को समझती, उसका विश्लेषण करती और आवश्यकतानुसार प्रतिक्रिया देती हैं। उदाहरणस्वरूप, जब कोई उपयोगकर्ता कहता है, "मुझे कल का मौसम बताइए," तो AI न केवल इस वाक्य को समझता है, बल्कि उसमें मौजूद समय, क्रिया और अपेक्षा को पहचान कर उत्तर देता है।

AI की हिंदी भाषा से जुड़ाव की प्रक्रिया में कई स्तर हैं:

- **भाषा मॉडलिंग:** GPT, BERT, MURIL जैसे मॉडल हिंदी को समझने में सक्षम हुए हैं।
- **स्वर की पहचान:** ASR (Automatic Speech Recognition) हिंदी वाक्यों को टेक्स्ट में बदलता है।
- **पाठ का स्वर में रूपांतरण:** TTS (Text to Speech) हिंदी टेक्स्ट को मनोहर आवाज में पढ़ता है।
- **भावार्थ विश्लेषण:** किसी वाक्य का मूड, आशय और व्यंग्य समझना।

मशीनी अनुवाद की शुरुआत और भारत में हिंदी की स्थिति भारत में मशीनी अनुवाद की शुरुआत 1980 के दशक में वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में हुई। प्रारंभिक प्रयासों में हिंदी को अंग्रेज़ी से अनुवाद करने की सीमित क्षमता थी, क्योंकि तकनीकी संसाधन और भाषाई डेटाबेस सीमित थे।

भारत सरकार ने 2006 में TDIL (Technology Development for Indian Languagese) पहल के तहत भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास आरंभ किया। इस पहल के अंतर्गत कई संस्थानों ने हिंदी आधारित मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित किए:

- Anuvadaksh – IIT-BHU द्वारा विकसित, जो हिंदी–अंग्रेज़ी अनुवाद करता है।
- Sampark – IIT हैदराबाद का एक बहुभाषीय ट्रांसफर आधारित अनुवाद तंत्र।
- AnglaMT – CDAC द्वारा विकसित, जो संरचनात्मक नियमों पर आधारित है।

2014 के बाद, निजी कंपनियों जैसे Google, Microsoft और Amazon ने AI आधारित अनुवाद सेवाएं शुरू कीं।

पिछले दशक में प्रमुख विकास

1. प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) में प्रगति

पिछले दशक में, एनएलपी ने हिंदी भाषा के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। 2015 के आसपास, हिंदी के लिए मशीनी अनुवाद प्रणालियाँ मुख्य रूप से नियम–आधारित (रूल–बेस्ड) और सांख्यिकीय (स्टैटिस्टिकल) मॉडल पर आधारित थीं। ये प्रणालियाँ सीमित थीं और जटिल वाक्य संरचनाओं या सांस्कृतिक संदर्भों को समझने में अक्षम थीं।

2016 में, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनएमटी) की शुरुआत से इस क्षेत्र में नया मोड़ आया। एनएमटी मॉडल, जो डीप लर्निंग पर आधारित हैं, ने हिंदी–अंग्रेजी और हिंदी–अन्य भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार किया। गूगल ट्रांसलेट ने 2017 में हिंदी के लिए एनएमटी को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप अनुवाद की सटीकता में 60% तक की वृद्धि हुई।

2020 तक, ट्रांसफॉर्मर मॉडल जैसे BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) और GPT (Generative Pre-trained Transformer) ने हिंदी के लिए भाषा मॉडलिंग को और सशक्त किया। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत, भारतीय भाषाओं के लिए डेटासेट जैसे AI4 Bharat और Bhasha Daan (भाषा दान) ने हिंदी एनएलपी मॉडल को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन डेटासेट में लाखों हिंदी वाक्य और उनके समानांतर अनुवाद

शामिल हैं, जो मशीनी अनुवाद की सटीकता को बढ़ाते हैं।

2. भारतीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पहल

भारत सरकार ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। 2018 में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (National Artificial Intelligence Program) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम के तहत, हिंदी के लिए मशीनी अनुवाद और वॉयस असिस्टेंट जैसी तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया।

2020 में, भारत सरकार ने 'भाषा दान' पहल शुरू की, जिसके तहत हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए डेटा संग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया, जो हिंदी में स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट प्रोसेसिंग पर केंद्रित है।

3. कंठस्थ 2.0

सी–डैक (Centre for Development of Advanced Computing) भारत की एक अग्रणी तकनीकी संस्था है, जो भाषाई कम्प्यूटिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसका कंठस्थ 2.0 एक उन्नत स्पीच–टू–टेक्स्ट और टेक्स्ट–टू–स्पीच टूल है, जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए विकसित किया गया है। कंठस्थ 2.0 का विकास चरण निम्नलिखित रहा है:

- **प्रारंभिक चरण (2015–2018) :** सी–डैक ने 2015 में कंठस्थ 1.0 लॉन्च किया, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी में स्पीच रिकग्निशन पर केंद्रित था। यह नियम–आधारित और सांख्यिकीय मॉडल पर आधारित था, जिसकी सटीकता 70% थी।
- **उन्नति चरण (2019–2022) :** 2019 में, सी–डैक ने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को अपनाया, जिससे कंठस्थ 2.0 का विकास शुरू हुआ।
- **वर्तमान चरण (2023–2025) :** कंठस्थ 2.0 को 2023 में लॉन्च किया गया, जिसमें ट्रांसफॉर्मर–आधारित मॉडल और AI4Bharat डेटासेट का उपयोग किया गया। यह टूल अब रीयल–टाइम अनुवाद और मल्टीमॉडल इनपुट (टेक्स्ट, वॉयस और इमेज) को सपोर्ट करता है।

कंठस्थ 2.0 ने 2024 तक 1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की, जिनमें से 60% सरकारी कार्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से थे। यह टूल हिंदी में प्रशासनिक दस्तावेजों को डिजिटाइज़ करने और वॉयस–आधारित कमांड को प्रोसेस करने में उपयोगी साबित हुआ है।

4. अनुवादिनी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को सशक्त बनाने के लिए 'अनुवादिनी' प्रोजेक्ट शुरू किया। यह एक मशीनी अनुवाद टूल है, जो शैक्षिक सामग्री को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **प्रारंभिक चरण (2018–2020):** एनसीईआरटी ने 2018 में अनुवादिनी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पाठ्यपुस्तकों को अंग्रेजी से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करना था।
- **विकास चरण (2021–2023):** 2021 में, एनसीईआरटी ने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन को अपनाया और भाषा दान डेटासेट का उपयोग शुरू किया। इसने अनुवाद की सटीकता को 80% तक बढ़ाया। 2022 में, अनुवादिनी को भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के लिए अनुकूलित किया गया, जिससे श्रवण बाधित छात्रों को लाभ हुआ।
- **वर्तमान चरण (2024–2025):** अनुवादिनी अब ट्रांसफॉर्मर–आधारित मॉडल का उपयोग करता है और रीयल–टाइम अनुवाद प्रदान करता है। यह टूल एनसीईआरटी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।

5. एनआईसी का भाषिणी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने ई–ऑफिस टूल 'भाषिणी' विकसित किया, जो सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में दस्तावेज़ अनुवाद और प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **प्रारंभिक चरण (2019–2021):** भाषिणी की शुरुआत 2019 में हुई, जब एनआईसी ने ई–ऑफिस सिस्टम में भाषा अनुवाद को एकीकृत करने का निर्णय लिया। यह सांख्यिकीय मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित था और मुख्य रूप से हिंदी–अंग्रेजी अनुवाद पर केंद्रित था।
- **विकास चरण (2022–2023):** 2022 में, भाषिणी ने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन और AI 4Bharat डेटासेट को अपनाया। 2023 में, भाषिणी को वॉयस रिकग्निशन और टेक्स्ट–टू–स्पीच सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया।
- **वर्तमान चरण (2024–2025):** भाषिणी अब एक मल्टीमॉडल अनुवाद टूल है, जो टेक्स्ट, वॉयस और इमेज–आधारित इनपुट को सपोर्ट करता है। यह ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह एकीकृत है और सरकारी दस्तावेज़ों को रीयल–टाइम में अनुवाद करता है।

6. बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान

वैश्विक तकनीकी कंपनियों ने भी हिंदी के लिए मशीनी अनुवाद को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गूगल ने 2017 में अपने ट्रांसलेट ऐप में हिंदी के लिए न्यूरल अनुवाद को एकीकृत किया, जिससे हिंदी–अंग्रेजी अनुवाद की BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) स्कोर 30% तक बढ़ा। 2020 में, गूगल ने 'प्रोजेक्ट नवरस' शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एनएलपी मॉडल विकसित करना था। इस परियोजना के तहत, हिंदी के लिए टेक्स्ट–टू–स्पीच और स्पीच–टू–टेक्स्ट तकनीकों में सुधार हुआ।

माइक्रोसॉफ्ट ने 2017 में 'प्रोजेक्ट ब्रेनवेव' लॉन्च किया, जो रीयल–टाइम एआई अनुप्रयोगों पर केंद्रित था। इस परियोजना ने हिंदी के लिए स्वचालित अनुवाद और चैटबॉट्स को बेहतर

बनाया। 2020 में, माइक्रोसॉफ्ट ने ट्यूरिंग नेचुरल लैंग्वेज जेनरेशन टूल लॉन्च किया, जो हिंदी में टेक्स्ट जनरेशन और अनुवाद में उपयोगी साबित हुआ।

7. हिंदी के लिए वॉयस असिस्टेंट और चैटबॉट्स

पिछले दशक में, हिंदी में वॉयस असिस्टेंट और चैटबॉट्स का विकास तेजी से हुआ है। 2017 में, सैमसंग ने अपने एआई–आधारित वर्चुअल असिस्टेंट 'बिक्सबी' को हिंदी में लॉन्च किया। अमेज़न ने 2019 में अपने एलेक्सा असिस्टेंट में हिंदी सपोर्ट जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारत में इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में 50% की वृद्धि हुई।

हिंदी चैटबॉट्स ने ग्राहक सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। उदाहरण के लिए, पाइप्स्ट्रीम (Pypestream) ने 2018 में हिंदी में स्वचालित ग्राहक सेवा चैटबॉट लॉन्च किया, जो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ग्राहकों के साथ संचार को बेहतर बनाता है।

8. शिक्षा में हिंदी AI का उपयोग

NEP 2020 ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता दी, जिसके तहत हिंदी भाषी क्षेत्रों में शिक्षण सामग्री और डिजिटल उपकरणों की माँग बढ़ी। AI ने इस माँग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो न केवल शिक्षण को व्यक्तिगत बनाता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की खाई को भी कम करता है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख AI आधारित हिंदी शिक्षण उपकरण हैं:

- **Google ReadAlong:** यह AI आधारित ऐप बच्चों को हिंदी में पढ़ना और उच्चारण सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वॉयस रिकग्निशन और टेक्स्ट–टू–स्पीच तकनीकों का उपयोग करता है, जो बच्चों को शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ समझने में मदद करता है।
- **BoloApp:** गूगल द्वारा विकसित यह ऐप संवाद–आधारित शिक्षण पर केंद्रित है। यह AI का उपयोग करके बच्चों के साथ हिंदी में संवाद करता है और उनकी पढ़ने की गति और समझ को मापता है। ऐप में गेम–आधारित गतिविधियाँ शामिल हैं, जो बच्चों को सीखने में रुचि बढ़ाती हैं।
- **Byju's और Vedantu:** ये ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हिंदी मीडियम छात्रों के लिए AI आधारित अनुकूलित शिक्षण प्रदान करते हैं। Byju*s ने 2022 में हिंदी में AI–संचालित क्विज़ और वैयक्तिकृत पाठ्यक्रम लॉन्च किए, जो छात्रों की प्रगति को ट्रैक करते हैं। Vedantu ने हिंदी में लाइव क्लासेस और AI आधारित होमवर्क सॉल्वर टूल्स शुरू किए।
- **DIKSHA प्लेटफॉर्म:** भारत सरकार का DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) प्लेटफॉर्म NEP 2020 के तहत शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। 2023 में, DIKSHA ने AI–संचालित व्यक्तिगत प्रशिक्षण मॉड्यूल को हिंदी में एकीकृत किया, जो शिक्षकों को उनकी शिक्षण शैली में सुधार करने में मदद करता है।
- **NCERT का अनुवादिनी:** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 'अनुवादिनी' प्रोजेक्ट के तहत हिंदी में शैक्षिक सामग्री का अनुवाद किया। यह AI–संचालित टूल पाठ्यपुस्तकों को अंग्रेजी से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करता है।

9. प्रशासन में हिंदी AI का उपयोग

प्रशासनिक क्षेत्र में, AI ने हिंदी को सरकारी संवाद, दस्तावेजीकरण और नागरिक सेवाओं का एक प्रभावी माध्यम बनाया है। यह न केवल कार्यक्षमता बढ़ाता है, बल्कि हिंदी भाषी नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सुलभ बनाता है। निम्नलिखित प्रमुख उदाहरण हैं:

- MyGov हिंदी पोर्टल: MyGov भारत सरकार का एक नागरिक–केंद्रित मंच है, जो नीति–निर्माण में नागरिकों की राय को शामिल करता है। इस पोर्टल पर हिंदी में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों का विश्लेषण करने के लिए AI–संचालित प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) टूल्स का उपयोग किया जाता है।
- **न्यायालयों में हिंदी AI:** सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में SUVAS (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software) लॉन्च किया, जो एक AI–संचालित अनुवाद प्रणाली है। यह क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी, में न्यायिक निर्णयों का अनुवाद करती है।
- **भाषिणी का उपयोग:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) का भाषिणी टूल सरकारी कार्यालयों में हिंदी दस्तावेजों के अनुवाद और प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
- **कंठस्थ 2.0:** सी–डैक का कंठस्थ 2.0 एक स्पीच–टू–टेक्स्ट और टेक्स्ट–टू–स्पीच टूल है, जो सरकारी कार्यालयों में हिंदी वॉयस कमांड और दस्तावेजीकरण को प्रोसेस करता है।

AI ने हिंदी को केवल शिक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि शासकीय संवाद और प्रशासनिक कार्यों का एक अभिन्न अंग बनाया है। यह हिंदी भाषी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाता है।

ऑनलाइन सेवाओं में हिंदी AI

भारत के प्रमुख ई–कॉमर्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने हिंदी AI चैटबॉट्स को अपनाया है, जो ग्राहक सेवा को अधिक सुलभ और वैयक्तिक बनाते हैं। निम्नलिखित प्रमुख उदाहरण हैं:

- **फ्लिपकार्ट:** फ्लिपकार्ट ने 2022 में हिंदी AI चैटबॉट 'Flippy' लॉन्च किया, जो ग्राहकों के प्रश्नों का हिंदी में जवाब देता है।
- **अमेजॉन:** अमेजॉन ने अपने Alexa वॉयस असिस्टेंट में हिंदी सपोर्ट जोड़ा और 2023 में AI चैटबॉट को हिंदी में एकीकृत किया। यह चैटबॉट ग्राहकों को ऑर्डर ट्रैकिंग और उत्पाद सुझाव प्रदान करता है।
- **Paytm:** Paytm ने 2023 में हिंदी AI चैटबॉट लॉन्च किया, जो भुगतान, रीचार्ज और ग्राहक शिकायतों को

संभालता है।

मशीनी अनुवाद मे हिंदी के लिए चुनौतियाँ और समाधान

हिंदी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीनी अनुवाद के माध्यम से डिजिटल युग में नई ऊँचाइयों को छू रही है। हालाँकि, इस यात्रा में कई चुनौतियाँ हैं, जो भाषा की जटिलता, सांस्कृतिक गहराई और तकनीकी सीमाओं से उत्पन्न होती हैं।

1. सांस्कृतिक और संदर्भगत अनुवाद

हिंदी में मशीनी अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती सांस्कृतिक और संदर्भगत बारीकियों को समझना और उनका सटीक अनुवाद करना है। हिंदी भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है; यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और भावनाओं का वाहक है। उदाहरण के लिए, "चार चाँद लगाना" जैसे मुहावरे का शाब्दिक अनुवाद ("to add four moons") इसका सही अर्थ–किसी की शोभा बढ़ाना–प्रकट नहीं करता।

समाधानः इस चुनौती से निपटने के लिए, AI4Bharat और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जैसे संगठन सांस्कृतिक डेटासेट विकसित कर रहे हैं। ये डेटासेट हिंदी मुहावरों, लोकोक्तियों और साहित्यिक रूपकों को शामिल करते हैं। 2024 तक, AI4Bharat ने 5 लाख से अधिक हिंदी मुहावरों और उनके संदर्भगत अनुवादों का डेटासेट तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसफॉर्मर–आधारित मॉडल जैसे mBERT (Multilingual BERT) को हिंदी सांस्कृतिक संदर्भों के लिए फाइन–ट्यून किया जा रहा है। भारत सरकार की 'भाषा दान' पहल ने भी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध 2 मिलियन हिंदी वाक्यों का योगदान दिया है, जो मशीनी अनुवाद की सटीकता को बढ़ा रहे हैं।

2. डेटा की कमी

हिंदी के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले डेटासेट की कमी मशीनी अनुवाद के विकास में एक प्रमुख बाधा रही है। मशीनी अनुवाद मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लाखों समानांतर वाक्यों (हिंदी और अन्य भाषाओं में) की आवश्यकता होती है।

इस चुनौती को दूर करने के लिए, भारत सरकार की 'भाषा दान' पहल और AI 4Bharat जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। भाषा दान ने 2023 तक 12 मिलियन हिंदी वाक्यों का डेटासेट तैयार किया, जिसमें समाचार, साहित्य और बोलचाल की भाषा शामिल है। AI 4Bharat ने 2024 में 8 मिलियन समानांतर वाक्यों का एक और डेटासेट लॉन्च किया, जो हिंदी–अंग्रेजी और हिंदी–क्षेत्रीय भाषा जोड़ियों को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से स्वयंसेवकों ने 3 मिलियन से अधिक हिंदी वाक्यों का योगदान दिया है। 2025 तक, हिंदी के लिए 20 मिलियन वाक्यों का डेटासेट तैयार होने की उम्मीद है, जो मशीनी अनुवाद मॉडल की सटीकता को और बढ़ाएगा।

3. बोली और क्षेत्रीय विविधता

हिंदी एक समृद्ध और विविध भाषा है, जिसमें अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी और ब्रज जैसी बोलियाँ शामिल हैं। प्रत्येक बोली की अपनी शब्दावली, व्याकरण और उच्चारण शैली है, जो मशीनी अनुवाद मॉडल के लिए जटिलता पैदा करती है। वर्तमान मॉडल मुख्य रूप से मानक हिंदी (खड़ी बोली) पर प्रशिक्षित हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय बोलियों का अनुवाद कम सटीक होता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए, क्षेत्रीय डेटासेट और बोली–आधारित मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। AI 4Bharat ने 2024 में भोजपुरी, अवधी और हरियाणवी के लिए 2 मिलियन वाक्यों का डेटासेट लॉन्च किया। सी–डैक का कंठस्थ 2.0 भी क्षेत्रीय बोलियों के लिए स्पीच रिकग्निशन को अनुकूलित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2023 में 'क्षेत्रीय भाषा संवर्धन' पहल शुरू की, जिसके तहत स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बोली–आधारित डेटा संग्रह किया जा रहा है। 2024 तक, इस पहल ने 1 मिलियन से अधिक क्षेत्रीय हिंदी वाक्यों का योगदान दिया है।

4. तकनीकी सीमाएँ

कंठस्थ 2.0, अनुवादिनी और भाषिणी जैसे टूल्स ने हिंदी में मशीनी अनुवाद और भाषा प्रसंस्करण को सशक्त बनाया है, लेकिन इनमें अभी भी तकनीकी सीमाएँ मौजूद हैं। इनमें शोरयुक्त वातावरण में स्पीच रिकग्निशन, जटिल शब्दावली का अनुवाद और रीयल–टाइम प्रोसेसिंग की गति शामिल हैं।

इन तकनीकी सीमाओं को दूर करने के लिए, उन्नत एल्गोरिदम और हार्डवेयर एकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। सी–डैक ने कंठस्थ 2.0 के लिए नॉयस कैंसिलेशन तकनीक और ट्रांसफॉर्मर–आधारित स्पीच मॉडल को एकीकृत किया है। अनुवादिनी के लिए, एनसीईआरटी ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का एक समर्पित डेटासेट विकसित किया है, जिसमें 1 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। भाषिणी के लिए, एनआईसी ने क्लाउड–आधारित प्रोसेसिंग को अपनाया है, जिससे रीयल–टाइम अनुवाद की गति 50 मिलीसेकंड तक कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, क्वांटम कम्प्यूटिंग और 5G तकनीक का उपयोग मशीनी अनुवाद की गति और सटीकता को और बढ़ाने की दिशा में शोध किया जा रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

हिंदी के लिए एआई और मशीनी अनुवाद का भविष्य उज्ज्वल है। 2030 तक, भारत को एआई महाशक्ति बनने की उम्मीद है, जिसमें हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हिंदी, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी अनुवाद के माध्यम से डिजिटल युग में नई पहचान बना रही है। पिछले दशक में, न्यूरल अनुवाद, एनएलपी और भारतीय भाषा डेटासेट ने हिंदी को वैश्विक मंच पर सशक्त किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी अनुवाद ने हिंदी को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। यह यात्रा अभी शुरू हुई है, जिसे बहुत आगे तक जाना है।

ISSN No. : 0970-9398

डिजिटल बैंकिंग में स्थानीय भाषाओं का महत्व

– डॉ. सुमेध हाडके
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पणजी

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां विभिन्न राज्यों और समुदायों में अलग–अलग भाषाएं बोली जाती हैं, स्थानीय भाषाओं का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह न केवल उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाता है, बल्कि डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा देता है। डिजिटल बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंकिंग सेवाओं को इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह प्रणाली ग्राहकों को कहीं भी और कभी भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर देती है। लेन–देन, बैलेंस चेक करना, निवेश प्रबंधन और लोन आवेदन जैसी सेवाएं अब डिजिटल बैंकिंग के जरिए कुछ ही क्लिक में संभव हैं। डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में क्रांति ला दी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में डिजिटल बैंकिंग का विकास

डिजिटल बैंकिंग का अर्थ है बैंकिंग सेवाओं और प्रक्रियाओं को इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रदान करना। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), डिजिटल वॉलेट्स और अन्य डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। डिजिटल बैंकिंग ने बैंकिंग प्रणाली को एक नए युग में प्रवेश कराया है, जहां उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं।

डिजिटल बैंकिंग ने निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्रदान किए हैं:

- **सुविधा:** उपयोगकर्ता कहीं भी, कभी भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- **समय की बचत:** बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होती।
- **कम लागत:** पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में डिजिटल बैंकिंग की लागत कम होती है।
- **पारदर्शिता:** उपयोगकर्ता अपने लेन–देन का रिकॉर्ड आसानी से देख सकते हैं।
- **सुरक्षा:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।

भारत में डिजिटल बैंकिंग का विकास प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल इंडिया पहल और आधार से जुड़े बैंक खातों के कारण तेजी से हुआ। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और भारत क्यूआर कोड जैसे माध्यमों ने लेन–देन को सरल और सुलभ बनाया है। लेकिन यह विकास तभी व्यापक हो सकता है जब सभी लोग इसे समझें और इस्तेमाल कर सकें।

स्थानीय भाषाओं की भूमिका और आवश्यकता

भारत एक बहुभाषी देश है जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और 1000 से अधिक बोलियाँ हैं। बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी स्थानीय भाषा में सहज महसूस करते हैं। हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु और अन्य भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने से अधिक से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में, जहां अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सीमित है, वहां डिजिटल बैंकिंग का उपयोग बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं का समावेश आवश्यक हो जाता है।

स्थानीय भाषाओं का महत्व

- **व्यापक पहुंच:** स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंच सकती हैं जो अंग्रेजी

या अन्य राष्ट्रीय भाषाओं से परिचित नहीं हैं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

- **उपयोग में आसानी:** अपनी भाषा में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना लोगों के लिए अधिक सहज होता है। इससे गलतफहमियों और त्रुटियों की संभावना कम होती है।
- **विश्वास का निर्माण:** स्थानीय भाषा में संचार करने से बैंक और ग्राहकों के बीच विश्वास का मजबूत बंधन बनता है।
- **ब्रांड इमेज:** स्थानीय भाषाओं को अपनाकर बैंक अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत बना सकते हैं और स्थानीय बाजार में अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा:** स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होने से लोग डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। स्थानीय भाषाओं के उपयोग से डिजिटल सेवाएं अधिक लोगों तक पहुंच सकती हैं, जिससे समाज में समानता बढ़ती है।
- **ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में सेवाओं का उपयोग करना पसंद करते हैं।
- **ग्राहक सन्तुष्टि:** ग्राहक अपनी भाषा में सेवाओं का उपयोग करके अधिक संतुष्टि अनुभव करते हैं।
- **आर्थिक विकास:** स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

डिजिटल बैंकिंग और भारतीय भाषाओं का प्रभाव

भारत में विभिन्न भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए:

- **यूपीआई और स्थानीय भाषाएं:** भीम ऐप और अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म्स को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।
- **ग्राहक सहायता:** कॉल सेंटर और चैटबॉट्स में स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है।
- **मोबाइल बैंकिंग ऐप्स:** प्रमुख बैंकिंग ऐप्स को बहुभाषी बनाया गया है।
- **शिक्षा और जागरूकता अभियान:** बैंकों द्वारा स्थानीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं।
- डिजिटल भारत अभियान: डिजिटल भारत अभियान का उद्देश्य पूरे देश को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है। इस अभियान में स्थानीय भाषाओं का समावेश बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुभाषी बनाने के लिए कई पहल की हैं।

डिजिटल बैंकिंग में स्थानीय भाषाओं के लाभ

डिजिटल बैंकिंग में स्थानीय भाषाओं के समावेशन से निम्नलिखित लाभ होंगे:

- **वित्तीय समावेशन:** स्थानीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- **साक्षरता दर में वृद्धि:** स्थानीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से साक्षरता दर में वृद्धि होती है। लोग अपनी भाषा में बैंकिंग लेनदेन करके वित्तीय साक्षरता हासिल करते हैं।
- **आर्थिक विकास:** स्थानीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाओं के कारण अधिक से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं। इससे बचत बढ़ती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है।
- **डिजिटल रूपांतरण:** स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को विकसित करने से डिजिटल रूपांतरण को गति मिलती है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास के लिए नई तकनीकों और नवाचारों का उपयोग किया जाता है।
- **समझ में आसानी:** जब लोग अपनी मातृभाषा में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वे उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। अंग्रेजी न जानने वाले लोग भी डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं।
- **सहजता और आत्मविश्वास:** अपनी भाषा में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से लोग अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह उन्हें डिजिटल लेन–देन को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
- **धोखाधड़ी में कमी:** कई बार भाषा न समझने के कारण लोग गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं। स्थानीय भाषाओं में स्पष्ट जानकारी प्रदान करने से धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सकती है।
- **डिजिटल क्रांति का विस्तार:** डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा और तकनीकी प्रगति से देश के हर कोने में समान विकास होगा।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** भाषा का समावेशन समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को। यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

ISSN No. : 0970-9398

स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास में आने वाली चुनौतियों का समाधान

स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. **तकनीकी चुनौतियाँ:**

- **भाषा डेटा का अभाव:** कई स्थानीय भाषाओं के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। बड़े डेटासेट बनाने के लिए सरकार, निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। क्राउडसोर्सिंग का उपयोग करके भी डेटा एकत्र किया जा सकता है।
- **भाषा प्रसंस्करण:** स्थानीय भाषाओं के लिए भाषा प्रसंस्करण उपकरणों का विकास एक चुनौती है। ओपन–सोर्स तकनीकों का उपयोग करके और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करके भाषा प्रसंस्करण उपकरणों को विकसित किया जा सकता है।
- **अनुवाद की सटीकता:** विभिन्न भाषाओं के बीच सटीक अनुवाद सुनिश्चित करना एक मुश्किल काम है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अनुवाद की सटीकता को बढ़ाया जा सकता है।

2. **मानव संसाधन की चुनौतियाँ:**

- **कुशल जनशक्ति का अभाव:** स्थानीय भाषाओं में कुशल तकनीकी विशेषज्ञों की कमी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षण संस्थानों में स्थानीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
- **कर्मचारियों का प्रशिक्षण:** बैंकों को अपने कर्मचारियों को स्थानीय भाषाओं में संचार करने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

3. **नियामक चुनौतियाँ:**

- **नियामक ढांचा:** स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए नियामक ढांचे को स्पष्ट और लचीला बनाया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो बैंकों को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- **सुरक्षा और गोपनीयता:** स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। समाधानः मजबूत सुरक्षा उपायों को अपनाकर और डेटा गोपनीयता कानूनों का पालन करके इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है।

4. **सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ:**

- **डिजिटल साक्षरता:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का स्तर कम है। समाधानः सरकार और बैंकों को मिलकर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने चाहिए।
- **इंटरनेट कनेक्टिविटी:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी एक बड़ी चुनौती है। समाधानः सरकार को इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
- **भाषाओं की विविधता:** भारत में भाषाओं की विविधता एक बड़ी चुनौती है। सभी भाषाओं के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं विकसित करना एक महंगा और जटिल कार्य है।
- **तकनीकी लागत:** विभिन्न भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने में समय और धन लगता है।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** भाषा के बावजूद, ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी बाधा है।
- **भाषा अनुवाद की गुणवत्ता:** कई बार अनुवाद सही नहीं होता, जिससे उपयोगकर्ताओं को समस्याएं होती हैं।
- **सुरक्षा चिंताएं:** बहुभाषी प्लेटफॉर्म्स पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
- **संसाधन और निवेश:** स्थानीय भाषाओं के लिए अतिरिक्त निवेश और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास में सरकार की भूमिका

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहां डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और देश के

आर्थिक विकास में योगदान होता है। इस दिशा में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार की भूमिका का महत्वः

- **वित्तीय समावेशनः** स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं और लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ती हैं।
- **आर्थिक विकासः** यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और देश के विकास में योगदान देता है।
- **सामाजिक सशक्तिकरणः** यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- **डिजिटल इंडियाः** यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।
- **पीएम जन धन योजनाः** ग्रामीण और गरीब जनता को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया गया।
- **डिजिटल भुगतानः** स्थानीय भाषाओं में भुगतान प्लेटफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया गया।
- **साइबर सुरक्षा जागरूकताः** क्षेत्रीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है।

स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सरकार की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। सरकार को नीतिगत ढांचा तैयार करना, सब्सिडी और प्रोत्साहन देना, मानक निर्धारित करना, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, भाषा प्रौद्योगिकी का विकास करना और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और देश के विकास में योगदान होगा।

भविष्य में स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास के लिए सुझाव

स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विकास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी विकास, नीतिगत सुधार और बैंकिंग उद्योग के प्रयासों से इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति की जा सकती है। भविष्य में स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. भाषायी अनुकूलता (Localization)

- **स्थानीय भाषाओं में इंटरफ़ेसः** सभी बैंकिंग ऐप्स और वेबसाइटों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। इसमें भाषा का आसान और स्पष्ट अनुवाद सुनिश्चित किया जाए।
- **वॉयस असिस्टेंसः** स्थानीय भाषाओं में वॉयस–आधारित सेवाएं, जैसे बैलेंस चेक करना, लेनदेन करना आदि, उपयोगकर्ताओं के लिए सरल और उपयोगी होंगी।
- **संदेश और नोटिफिकेशनः** उपयोगकर्ताओं को उनके लेनदेन और अन्य सेवाओं की जानकारी उनकी पसंदीदा भाषा में भेजी जाए।

2. यूज़र इंटरफेस को सरल बनाना

- **प्राकृतिक भाषाः** इंटरफ़ेस को इस तरह डिज़ाइन करें कि स्थानीय बोलचाल की भाषा में निर्देश समझे जा सकें।
- **चिह्न एवं दृश्यः** कम पढ़े–लिखे उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतीकात्मक चिह्न और सरल विज़ुअल्स का उपयोग करें।

3. स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण और जागरूकता

- **डिजिटल साक्षरता अभियानः** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर प्रशिक्षण दें।
- **वीडियो और ऑडियो सामग्रीः** स्थानीय भाषाओं में समझने योग्य और रोचक सामग्री विकसित करें, जैसे कि उपयोग के तरीके समझाने वाले वीडियो।

4. सुरक्षा और विश्वास बढ़ाना

- स्थानीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा जानकारीः उपयोगकर्ताओं को उनकी भाषा में साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी जाए।
- **ग्राहक सहायताः** हेल्पलाइन और चैटबॉट सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराएं ताकि उपयोगकर्ता अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सकें।

5. स्थानीय सहयोग और भागीदारी

- **स्थानीय विशेषज्ञों की मददः** भाषा और संस्कृति को समझने वाले विशेषज्ञों की मदद से बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाया जाए।
- **सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारीः** स्थानीय स्तर पर संस्थानों और संगठनों के माध्यम से लोगों को सेवाओं के बारे में जागरूक करें।

6. प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग

- **एआई और मशीन लर्निंगः** स्थानीय भाषाओं में बेहतर अनुवाद और संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें।
- **ओपन–सोर्स प्लेटफॉर्मः** स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग समाधान विकसित करने के लिए ओपन–सोर्स टूल्स का उपयोग करें।

ISSN No. : 0970-9398

7. कानूनी और नियामक सहयोग

सरकार और आरबीआई जैसी संस्थाओं को स्थानीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाओं के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने चाहिए। सभी बैंकों के लिए स्थानीय भाषा अनिवार्यताः बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उनकी सेवाएं कम से कम दो या तीन स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हों।

8. फीडबैक सिस्टम

- उपयोगकर्ताओं से स्थानीय भाषाओं में फीडबैक लेने की व्यवस्था करें ताकि सेवाओं में सुधार किया जा सके।
- उपयोगकर्ताओं के अनुभव को समझने और सुधार के लिए नियमित सर्वेक्षण आयोजित करें।
- इन सुझावों पर अमल करके स्थानीय भाषाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों के लोग समान रूप से लाभान्वित हो सकें।

डिजिटल बैंकिंग में स्थानीय भाषाओं का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाता है, बल्कि डिजिटल समावेशन को भी सुनिश्चित करता है। भारत जैसे विविध भाषायी देश में, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय भाषाओं का उपयोग अनिवार्य है। भारत जैसे देश में, जहां विविधता ही हमारी ताकत है, डिजिटल बैंकिंग को बहुभाषी बनाना समय की मांग है।

प्रपत्र–4 (देखिए नियम–8) **पं.सं. 3246/77**

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम

"राजभाषा भारती" के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	इन्दु कार्ड्स एण्ड ग्राफिक्स
4.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाशन का नाम व पता	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.–2 भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
6.	संपादक का नाम व पता	श्री अनिल कुमार, उप सचिव (पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.–2 भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, अनिल कुमार घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./–

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग–इन्दु कार्ड्स एण्ड ग्राफिक्स, चावड़ी बाजार, दिल्ली–6 **प्रकाशक का हस्ताक्षर**

ISSN No. : 0970-9398

अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की परस्पर सहभागिता

– डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और जीवन दर्शन का अभिन्न हिस्सा हैं। आजादी के 75 वर्षों के उपरांत, भारत ने "अमृत काल" में प्रवेश किया है – यह न केवल आर्थिक और तकनीकी उन्नति का काल है, बल्कि भाषाई समन्वय और पुनर्निर्माण का भी उपयुक्त समय है। व्यवहारिक जीवन शैली हो, व्यापार हो, चाहे अध्ययन हो, इन सब में संप्रेषण हेतु भाषा होना अत्यावश्यक है। यदि संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा हो तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि मातृभाषा में जितनी सहज अभिव्यक्ति होती हैं, जितना अपनत्व होता है उतना किसी विदेशी भाषा में नहीं होता है। भारतेंदु जी ने लिखा है –

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषा–ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।

"प्राणी मात्र के भाव प्राकट्य की भाषा ही उसकी अस्मिता है।" मानव मन के बिना अधूरा। मन भाव के बिना अधूरा है। जहाँ भाव है वहाँ भाषा है। मूक व बधिर भी सांकेतिक भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अतः उनकी भी अपनी भाषाई अस्मिता है। भारतीय भाषा दर्शन यह बताता है कि व्यवहार में ही नहीं मनुष्य के अंतःकरण में भी भाषा निहित होती है। आन्तरिक एवं बाह्य स्तरों पर मानव की अस्मिता भाषा से ही सृजित और अभिव्यक्त होती है।

"अमृत काल" शब्द वैदिक ज्योतिष से आया है और इसका तात्पर्य उस महत्वपूर्ण अवधि से है जब मनुष्यों, स्वर्गदूतों और अन्य प्राणियों के लिए अधिक आनंद के द्वार खुलते हैं, सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ऐसा शुभ और निर्णायक समय जब देश अपने भविष्य को फिर से गढ़ता है, जब न केवल भौतिक प्रगति का ध्यान रखा जाता है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भाषाई विकास को भी समान महत्व दिया जाता है।। अमृत काल को किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे भाग्यशाली समय माना जाता है 'अमृत काल' एक विशेष अवधारणा है जिसे भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में भारत को एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। यह काल न केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्थान का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में घोषित इस अवधारणा का लक्ष्य वर्ष 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है।

अमृत काल की अवधारणा के पीछे का विचार यह है कि यह समय अवधि एक सुनहरा अवसर है जिसमें भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए, आधुनिक तकनीकों और नवाचारों का उपयोग करके विकास के नए मानदंड स्थापित कर सकता है। अमृत काल की परिभाषा में यह स्पष्ट है कि यह काल केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास भी शामिल है।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुल 14 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी, तत्पश्चात 21 वें संशोधन में सिंधी और 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संविधान के संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के साथ इनकी संख्या 22 हो गई। (संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, सिंधी, कोंकणी,मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) इन सभी भाषाओं की अपनी विशेषताएं हैं। जिस भाषा का जितना व्यवहार किया जाता है वह उतनी ही अधिक प्रौढ़ और प्रवाहमय होती है, समय के साथ गतिशील होती हैं। इसके विपरीत जिन भाषाओं का प्रयोग या व्यवहार कम होता जाता है वे भाषाएं मृतप्राय हो जाती है जैसे वैदिक काल में संस्कृत भाषा का वर्चस्व था, वह शिक्षा के साथ लोक व्यवहार की भाषा भी रही, भारतीय संस्कृति की पहचान बनी किन्तु आज इसे पुनर्जीवित करने पर जोर दिया जा रहा है। भाषाओं की इस विविधता ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। हर भाषा अपने साहित्य, संगीत, कला, दर्शन और जीवन पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को आकार देती है।

किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति की संवाहिका वहाँ की भाषा होती है। "हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग और निराला ढंग होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हिंदी वाले एक ढंग से कहते हैं, उर्दू वाले दूसरे ढंग से

और अंग्रेजी वाले किसी तीसरे ढंग से यही बात बंगला, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में किसी तीसरे ढंग से भाषा का यह ढंग ही उसका रुप शुद्ध रखता है और यही उसके अच्छे होने की सबसे बड़ी पहचान या कसौटी है। "ढंग को साहित्य में प्रायः रीति शैली के रूप में पहचान मिली है। सभी भाषाओं में एक ही बात को अभिव्यक्त करने की अपनी विशिष्ट क्षमता होती है। भारतीय भाषाएं यदि एक दूसरे से रूप एवं गुण में कुछ भिन्नताएं रखती हैं तो कई मायने में समानताएं भी रखती हैं तथा आपसी अंतःसंबंध स्थापित करती हैं। बहुत सी भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, चीनी इत्यादि विदेशी भाषाओं के शब्द अपनी पहचान रखते हैं। ज्ञान संवर्धन, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, परम्पराओं, प्रथाओं इत्यादि को बढ़ावा देने में भाषाओं का महत्व सर्वाधिक होता है। भाषाई एकता सदैव राष्ट्र उन्नति में सहायक होती है। हिंदी साहित्य में उर्दू, संस्कृत, फारसी और स्थानीय बोलियों का सुंदर मिश्रण दिखाई पड़ता है। कबीर, तुलसी, सूर जैसे भक्तिकालीन कवियों ने विभिन्न बोलियों और भाषाओं को मिलाकर साहित्य रचा। भारतीय संस्कृति में भाषा को हृदय से जोड़कर देखा गया और यह माना गया कि सर्वसाधारण के सर्वांगीण विकास में भाषा बहुत सहायक होती है। अपनी भाषा में बात करने से जो आत्म संतुष्टि और आनंद मिलता है वह अन्यत्र भाषा में नहीं है इसलिए अपनी भाषा को हृदय की भाषा माना गया।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय भाषाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी ने देशव्यापी संवाद का माध्यम बनने की कोशिश की, वहीं क्षेत्रीय भाषाओं ने स्थानीय स्तर पर जनजागरण किया। महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सभी नेताओं ने भारतीय भाषाओं के महत्व को पहचाना। हिंदी ने व्यापक जनसमूह को एकसूत्र में बाँधने का कार्य किया। गांधीजी ने हिंदी को 'जनभाषा' का दर्जा दिया और इसे जनजागरण का माध्यम बनाया। क्षेत्रीय भाषाओं ने अपने–अपने क्षेत्रों में जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का कार्य किया। जैसे बंगाली में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का 'वंदे मातरम्' राष्ट्रगान बना, मराठी में तिलक और फडके ने स्वतंत्रता की चेतना जगाई, तमिल में सुब्रमण्यम भारती ने क्रांति के गीत गाए। क्षेत्रीय भाषाओं में क्रांतिकारी साहित्य, अखबार और पर्चे प्रकाशित हुए। हिंदी और उर्दू दोनों में आजादी के गीतों और कविताओं ने आंदोलन को बल दिया। बहुभाषी नेताओं ने अलग–अलग भाषाओं में जनता को एकजुट किया। तो वहीं संस्थागत प्रयास के रूप में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का पुल बनाने का काम किया था। संविधान सभा की बहसों में हिंदी को राजभाषा बनाने पर विचार हुआ, परंतु अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए भी प्रावधान किए गए। राजभाषा नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी समान प्रयोग सुनिश्चित किया। 'हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाना, परंतु क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकारों की रक्षा करना' – यह संतुलन भी अपनाया गया। भारतीय भाषाओं ने न केवल क्षेत्रीय साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि भारतीय संस्कृति को विविध रंगों में सजाया है। अमृतकाल के इस दौर में सरकार द्वारा भाषाओं के परस्पर सहभागिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

शिक्षा और अकादमिक संवादः

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे बच्चों को न केवल अपनी भाषा में बुनियादी ज्ञान मिलेगा, बल्कि यह विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी बढ़ाएगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में आपसी सहयोग से द्विभाषिक शिक्षा सामग्री तैयार की जा सकती है। उदाहरण के लिए, विज्ञान की पुस्तकें हिंदी और मराठी दोनों में प्रकाशित हों, ताकि विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी समान ज्ञान अर्जित कर सकें।

अनुवाद और साहित्यिक साझेदारीः

साहित्य का परस्पर अनुवाद भाषाओं के बीच संवाद का सेतु है। हिंदी साहित्य को तमिल, मलयालम या बंगाली में अनुदित कर दक्षिण और पूर्व भारत के पाठकों तक पहुँचाया जा सकता है और इसी प्रकार अन्य भाषाओं की रचनाएँ हिंदी में लाकर राष्ट्रीय मंच पर लाई जा सकती हैं। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय भाषा संस्थान जैसे संगठनों को इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

मीडिया और डिजिटल तकनीक में सहयोगः

आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेब सीरीज़, ओटीटी प्लेटफार्म्स आदि ने भाषाई सामग्री को व्यापक पहुँच दी है। एक हिंदी वेबसीरीज़ का बंगाली में डब होना, या एक मराठी डॉक्यूमेंट्री का मलयालम उपशीर्षक में आना सामान्य बात हो गई है। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से भाषाओं के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बल मिल रहा है। SWAYAM, DIKSHA जैसे राष्ट्रीय पोर्टलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। गूगल ट्रांसलेट, AI अनुवाद टूल्स और वॉइस–टू–टेक्स्ट तकनीक ने भाषाई अवरोधों को कम किया है, तो वहीं राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) और हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसे पोर्टल्स पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में पढ़ा जा सकता है। मीडिया और डिजिटल तकनीक ने भारतीय भाषाओं के बीच सहयोग, समझ और प्रसार के नए आयाम खोल दिए हैं।

प्रशासनिक सहयोग और नीति निर्माणः

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं के प्रयोग और संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वह हिंदी का प्रचार–प्रसार करे तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों और शैलियों को समाहित करते हुए उसका विकास करे। आजकल भाषा तकनीकी मिशन और डिजिटल इंडिया के तहत अब कई सरकारी पोर्टल और सेवाएं बहुभाषिक

हो गई हैं। MyGov, e-Office, Digi Locker जैसे सरकारी पोर्टल अब हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को मातृभाषा में सेवाएँ मिलती हैं। इससे नागरिकों को उनकी मातृभाषा में सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। प्रशासनिक प्रशिक्षणों में भी बहुभाषिक सहयोग बढ़ाया जा सकता है, जिससे अफसरों में भाषाई विविधता के प्रति संवेदनशीलता आए। तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली आयोग भी विभिन्न विषयों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली तैयार करके भाषायी समरसता, लोकतांत्रिक सहभागिता और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में आधारशिला की भूमिका निभा रहा है।

संस्कृति और सांस्कृतिक आयोजनः

साहित्यिक महोत्सव, राष्ट्रीय एकता सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसे अवसरों पर बहुभाषिक मंचों का आयोजन करके एक–दूसरे की भाषा–संस्कृति को समझा और सराहा जा सकता है। इनमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, कथा–कहानियाँ, रंगमंच आदि सभी कलाएँ सहभागिता के सशक्त माध्यम बन सकती हैं। आजकल विभिन्न स्थानों पर साहित्यिक महोत्सव (Literary festivals) के आयोजन हो रहे हैं, जिन्हें हम भाषाई विविधता को संरक्षित करने के प्रयास के रूप में देख सकते हैं! साहित्य आज तक, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, विश्व हिंदी सम्मेलन आदि में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों, कवियों और पाठकों का जमावड़ा होता है। इन आयोजनों में कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, पैनल चर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती हैं।

तकनीकी नवाचार में योगदानः

भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। हिंदी में तो कई टूल्स विकसित हो चुके हैं, जैसे वॉयस–टू–टेक्स्ट, स्पीच सिंथेसिस आदि। अब अन्य भाषाओं के लिए भी ऐसी तकनीक विकसित की जानी चाहिए। भाषाओं के बीच तकनीकी अनुप्रयोगों के साझा प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं।

व्यवसाय और बाज़ार में भाषायी साझेदारीः

भारतीय बाज़ार अब बहुभाषिक हो चुका है। उपभोक्ता उत्पादों के विज्ञापन, पैकेजिंग, ग्राहक सेवा इत्यादि में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का मिश्रण आम हो गया है। इससे ब्रांड स्थानीयता के साथ जुड़ाव बना पाते हैं। भाषाई सहभागिता व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है।

विभिन्न भाषाओं के साहित्य, कला और संगीत का आदान–प्रदान भारतीय संस्कृति को और समृद्ध करता है। जब विभिन्न भाषाओं में विद्यमान ज्ञान का अनुवाद होता है, तो समाज समग्र रूप से लाभान्वित होता है। भाषायी कौशल के कारण आज डिजिटल मीडिया, अनुवाद, BPO, कंटेंट राइटिंग आदि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देने और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दिए जाने की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। इससे भारतीय भाषाओं के अंतःसंबंध और अधिक मजबूत बनने की आशा बलवती होती दिख रही है किन्तु इससे अनेकों प्रकार की आशंकाएँ मन में उठ रही है जैसे एक राज्य के एक ही जिले में अनेकों मातृभाषा का व्यवहार होता है तब यह कैसे संभव होगा कि क्षेत्रानुसार प्राथमिक विद्यालयों में किस मातृभाषा की पुस्तक लगेगी? एक क्षेत्र में भी विविध भाषा–भाषी लोग रहते हैं तब उनके बच्चे एक विद्यालय में पढ़ते हुए क्या अपनी –अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकेंगे? जो नागरिक नौकरी, पेशा या कार्य व्यापार के लिए दूसरे राज्यों के क्षेत्रों में रहते हैं उनके बच्चे अपनी मातृभाषा में कैसे पढ़ सकेंगे? इत्यादि प्रश्न है जिनका उत्तर अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। सभी भारतीय भाषाओं की पहचान, सुरक्षा और सम्मान को व्यापकता मिले, सर्वहित के उद्देश्य से इस पर विचार–विमर्श की महती आवश्यकता है। कई भाषाओं के लिए अभी भी पर्याप्त शैक्षिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। जिस पर आज जोर देने की आवश्यकता है।

अमृतकाल एक ऐसा कालखंड है जिसमें हम भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना संजो रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी भाषाओं की ताकत को पहचानना और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। यदि हम हिंदी को संपर्क भाषा और अन्य भाषाओं को शक्ति का स्रोत मानकर चलें, तो भारत में एक नया भाषायी युग प्रारंभ हो सकता है, जहाँ विविधता में ही एकता की सच्ची भावना परिलक्षित हो।

संदर्भ :

1. डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद, प्रकाशन वर्ष 1993, पुनः मुद्रण–2012, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, प्रकाशक – भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृष्ठ संख्या–14, संस्करण–23
2. डॉ. हरदेव बाहरी, प्रकाशन वर्ष विकास और रूप, प्रकाशक 2017, हिंदी उद्‌भव, किताब महल 221 सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या–19 व 21
3. अमृत काल में लिए गए फैसले अगले 1000 साल तक असर डालेंगे, https://www.jagran.com/news/national-77th-independence-day-2023-india-pm-narendra-modi-says-decisions-taken-in-amrit-kaal-will-affect-for-next-1000-years-23502236.htm
4. क्या है अमृत काल https://www.prabhatkhabar.com/national/what-is-amit-kaal-know-its-meaning-and-from-where-il-originated-bm
5. स्वाभिमान और गर्व की भाषा है हिंदी https://hindi.webdunia.com/hindi-essay/hindi-divas-essay-120090900070 1.htm
6. डॉ. शैलेश शुक्ला, न्यू मीडिया में हिंदी की वर्तमान स्थिति, राजभाषा भारती, अंक 157, पृष्ठ 114–119
7. नूतन पांडेय, प्रकाशन वर्ष 2022 (मार्च–अप्रैल), भाषा (पत्रिका), केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार, पश्चिमी खंड–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–87, अंक–301

8. डॉ. हरदेव बाहरी, प्रकाशन वर्ष 2017, हिंदी उदभव, विकास और रूप, प्रकाशक किताब महल 22 सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या– 48,50,52

9. ऋतम्बरा तिवारी, प्रकाशन वर्ष–2019 (जुलाई – सितंबर) गवेषणा (पत्रिका), केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा, पृष्ठ संख्या 66–67, अंक –117

10. डॉ. अभिजीत सिंह, प्रकाशन वर्ष 2022 (मार्च–अप्रैल), भाषा (पत्रिका), केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी खंड–7. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–72, अंक–301

11. हिंदी भाषा का महत्व, प्रसार और प्रासंगिकता, https://www.drishtiias.com/hindi/blog/hindi-divas-special-importance-spread-and-relevance-of-hindi-language

12. राकेश शर्मा 'निशीथ', विश्व भाषा की ओर हिंदी के बढ़ते कदम, राजभाषा भारती, विश्व हिंदी सम्मेलन, 2018 विशेषांक

13. राहुल देव, भारतीय भाषाओं का भविष्य, गर्भनाल, https://www.garbhanal.com/the-future-of-indian-languages-

14. भारतीय भाषाओं से सशक्त होती हिंदी.... https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-hindi-is-becoming-stronger-than-indian-languages-23529682.htm

15. प्रो. विजय काना वर्मा, भारतीय भाषाओं में हिंदी की भूमिका, गर्भनाल, https://www.garbhanal.com/bharateeya-bhashon-men-hinadee-kee-bhoomika

16. पत्र सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, https://pib.gov.in/PressRejeaselframePage.aspx?PR ID-1654009

17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www.education.gov.in/national-education-policy

18. रामधारी सिंह दिनकर 'संस्कृति के चार अध्याय, भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य (संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी). साहित्य अकादमी, 2015, पृष्ठ 72–85.

19. विश्वनाथ त्रिपाठी भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, 2015. पृष्ठ 55–70.

20. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर साहित्य और समाज, समाज और संस्कृति (अंक 7), अप्रैल 1995, पृष्ठ 25–35

21. राजभाषा विभाग की वेबसाइट https://rajbhasha.gov.in/

''प्रान्तीय ईर्ष्या–द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती।''

– सुभाषचंद्र बोस

ISSN No. : 0970-9398

हिंदी : सूचना प्रौद्योगिकी युग की नई शक्ति

– डॉ. शैलेश शुक्ला
राजभाषा अधिकारी
एनएमडीसी लिमिटेड, मझगवाँ, पन्ना

सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्विक संचार, शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हिंदी, जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence -AI) आधारित अनुवाद तकनीकों और इंटरनेट के व्यापक प्रसार ने हिंदी भाषा को वैश्विक मंच प्रदान किया है। वहीं, तकनीकी समावेशन के साथ भाषा की शुद्धता, भाषायी विविधता, तकनीकी शब्दावली के मानकीकरण और डिजिटल साक्षरता जैसे गंभीर प्रश्न भी उभरकर सामने आए हैं।

यह शोध पत्र सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के अवसरों तथा चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदी भाषा के डिजिटल प्रसार, ई–गवर्नेंस में हिंदी का योगदान, हिंदी कंटेंट निर्माण, मशीन अनुवाद, भाषायी आंकड़ों का संरक्षण, तकनीकी शिक्षा में हिंदी का उपयोग तथा डिजिटल माध्यमों पर हिंदी साहित्य के विकास जैसे अवसरों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, तकनीकी अवसंरचना की कमी, हिंदी कम्प्यूटिंग के मानकीकरण में चुनौतियाँ, भाषायी उपेक्षा और साइबर दुनिया में हिंदी की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है।

यह शोध प्रयास इस दिशा में एक संगठित विमर्श प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य बनाते हुए, ज्ञान–समाज में अपनी सशक्त भूमिका सुनिश्चित कर सकती है। शोध के निष्कर्ष हिंदी भाषा नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और डिजिटल उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं।

1. भूमिका

21वीं सदी को "सूचना प्रौद्योगिकी युग" के नाम से पहचाना जाता है। यह युग वैश्वीकरण डिजिटलीकरण और संचार क्रांति का साक्षी रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने न केवल वैश्विक स्तर पर ज्ञान, सूचना और विचारों के आदान–प्रदान को तीव्र किया है, बल्कि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं। हिंदी भाषा, जो भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा है और लगभग 60 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है[1], इस डिजिटल युग में अपनी नई भूमिका तलाश रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन ने भाषा की सीमाओं को तोड़ा है। आज हिंदी न केवल भारत में, बल्कि विश्वभर में इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल साहित्य, ई–गवर्नेंस (E-Governance) सेवाओं और वैश्विक संचार माध्यमों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। इसके साथ ही, हिंदी भाषा को नई तकनीकों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता भी बढ़ी है, ताकि वह वैश्विक संवाद और डिजिटल आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बन सके।

भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम[2] के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी को गाँव–गाँव तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, जिसमें हिंदी का प्रमुख स्थान है। लेकिन, इस परिवर्तनशील वातावरण में कुछ गंभीर प्रश्न भी सामने आते हैं... जैसे कि हिंदी भाषा के तकनीकी शब्दों का मानकीकरण (Standardization of Technical Terminology), हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री का अभाव तथा हिंदी भाषियों के बीच डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) के असमान स्तर।

सूचना प्रौद्योगिकी ने 'ज्ञान का लोकतंत्रीकरण' (Democratization of Knowledge) किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सूचना तक त्वरित और सुलभ पहुँच मिली है। हिंदी भाषी समाज, जो भौगोलिक दृष्टि से विशाल और सांस्कृतिक रूप से विविध है, इस नई डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान को और मजबूत कर सकता है। परंतु, इसके लिए यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रत्येक पहलू ... जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence -AI), ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology) आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करे।

वर्तमान में, हिंदी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2021 तक हिंदी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अंग्रेजी उपयोगकर्ताओं से अधिक हो गई थी।[3] इससे यह स्पष्ट

होता है कि डिजिटल स्पेस में हिंदी के लिए संभावनाएँ अपार हैं। किंतु साथ ही, तकनीकी अवसंरचना की कमी, हिंदी फॉन्ट्स और कीबोर्ड लेआउट की विविधता, सॉफ्टवेयर विकास में हिंदी के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता की कमी तथा हिंदी सामग्री की गुणवत्ता और प्रामाणिकता संबंधी मुद्दे अभी भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का योगदान :

आज हिंदी में ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, ई–बुक्स, ऑनलाइन समाचार पत्र, यूट्यूब चैनल, पोडकास्टिंग (Podcasting) और वेबिनार जैसे माध्यमों का निरंतर विस्तार हो रहा है। सरकारी सेवाओं, जैसे कि डिजिलॉकर (DigiLocker) भी अब हिंदी में उपलब्ध हैं।[4] निजी कंपनियाँ भी हिंदी भाषी बाजार को ध्यान में रखते हुए हिंदी वेबसाइट, ऐप और सेवा मंच तैयार कर रही हैं। इससे हिंदी भाषियों के लिए डिजिटल अवसरों का एक नया क्षितिज खुला है।

हिंदी और उभरती हुई तकनीकें :

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (Machine Learning - ML), वॉयस रिकग्निशन (Voice Recognition), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Natural Language Processing - NLP) जैसी तकनीकों का हिंदी भाषा के साथ एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है। उदाहरण स्वरूप, गूगल असिस्टेंट, अमेज़न एलेक्सा आदि में हिंदी समर्थन ने हिंदी भाषा के उपयोग को तकनीकी उपकरणों में सहज बनाया है।[5] इसके बावजूद, हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली भाषा मॉडलिंग और विविध बोलियों के समर्थन में अभी भी व्यापक शोध और विकास की आवश्यकता है।

भविष्य की आवश्यकता :

यदि हिंदी को सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र में स्थापित करना है, तो उसे नवाचार, सहयोग और नीति निर्माण के स्तर पर सशक्त पहल करनी होगी। इसमें डिजिटल शिक्षा में हिंदी को प्राथमिकता देना, बहुभाषी तकनीकी उपकरणों का विकास करना और हिंदी भाषियों के लिए डिजिटल उद्यमिता के अवसर सृजित करना प्रमुख हैं।

अतः यह शोधपत्र सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के अंतर्संबंधों को विभिन्न आयामों से समझने, अवसरों को पहचानने, चुनौतियों को विश्लेषित करने और संभावित समाधान प्रस्तुत करने का एक संगठित प्रयास है। यह न केवल हिंदी भाषा के भविष्य की दिशा निर्धारित करने का प्रयास करेगा, बल्कि भारत की बहुभाषी डिजिटल क्रांति में हिंदी की सशक्त भूमिका को भी रेखांकित करेगा।

2. सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा के अंतर्संबंधों का इतिहास लगभग चार दशकों पुराना है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की यात्रा ने हिंदी को एक नई तकनीकी पहचान दी और हिंदी को डिजिटल युग के अनुरूप ढालने की दिशा में विविध प्रयास प्रारंभ हुए।

2.1 प्रारंभिक युग : हिंदी कंप्यूटिंग का जन्म

1970 और 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत में कंप्यूटर का आगमन हुआ। किंतु उस समय कंप्यूटिंग लगभग पूरी तरह अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी। हिंदी जैसी देवनागरी लिपि आधारित भाषाओं को कंप्यूटर पर उपयोग करने की कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। प्रारंभ में हिंदी भाषा को कंप्यूटर पर प्रस्तुत करने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता था।

1983 में भारत में पहली बार हिंदी में कंप्यूटिंग की दिशा में संगठित प्रयास प्रारंभ हुए, जब वैज्ञानिकों और भाषा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर प्रस्तुत करने के लिए फॉन्ट आधारित तकनीकों का विकास करना शुरू किया। इसी क्रम में "देवनागरी एनकोडिंग" (Devanagari Encoding) और प्रारंभिक हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर जैसे "आईट्रांस" (ITRANS) विकसित हुए।

2.2 देवनागरी लिपि और तकनीकी जटिलताएँ

देवनागरी लिपि की संरचना (Structure) अंग्रेजी से भिन्न है। देवनागरी में मात्राएँ (Matras), संयुक्ताक्षर (Conjunct Letters) और वर्णों का संयोजन (Ligature Formation) कंप्यूटर के लिए चुनौतीपूर्ण था। अतः हिंदी के लिए यूनिकोड आधारित एक समान मानकीकृत प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। 1991 में यूनिकोड कंसोर्टियम (Unicode Consortium) की स्थापना हुई और 1999 में देवनागरी को यूनिकोड के अंतर्गत मान्यता मिली[6]। यह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहली बार वैश्विक डिजिटल मंच पर हिंदी को समान अवसर मिला।

2.3 यूनिकोड क्रांति : हिंदी के डिजिटल विस्तार की आधारशिला

यूनिकोड ने हिंदी के डिजिटलीकरण को स्थायित्व प्रदान किया। अब हिंदी को वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर इंटरफेस और डेटा स्टोरेज सिस्टम्स पर समान रूप से प्रदर्शित किया जा सकता था। इससे पहले विभिन्न फॉन्ट आधारित तकनीकों (जैसे कृतिदेव, शुषा) के कारण हिंदी सामग्री के आदान–प्रदान में समस्याएँ आती थीं। यूनिकोड ने इस बाधा को समाप्त कर हिंदी को वैश्विक डिजिटल संचार का हिस्सा बनाया।

यूनिकोड के साथ ही हिंदी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, डिजिटल आर्काइविंग और मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण संभव हुआ। यह डिजिटल साहित्य, ऑनलाइन पत्रकारिता और सोशल मीडिया पर हिंदी की बढ़ती उपस्थिति का प्रमुख कारण बना।

2.4 ई–गवर्नेंस और हिंदी : नई संभावनाएँ

2000 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के तहत हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने की पहल की। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन" (Technology Development for Indian Languages – TDIL)[7] के माध्यम से हिंदी में डिजिटल सामग्री और तकनीक के विकास को प्रोत्साहित किया।

2.5 इस दौर की मुख्य उपलब्धियाँ:

- हिंदी में सरकारी वेबसाइटों का निर्माण।
- हिंदी वर्ड प्रोसेसर और अनुवाद उपकरणों का विकास।
- हिंदी में ई–गवर्नेंस पोर्टल्स और नागरिक सेवाएँ।
- मोबाइल एप्स में हिंदी भाषा विकल्पों का समावेश।

2.6 हिंदी में सोशल मीडिया और मोबाइल क्रांति

2010 के बाद स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की व्यापकता ने हिंदी के डिजिटल प्रसार को नई गति दी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी वैश्विक कंपनियों ने हिंदी भाषा को समर्थन देना शुरू किया। हिंदी में टाइप करना अब अत्यंत सरल हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड और आईओएस आधारित हिंदी कीबोर्ड और वॉयस इनपुट तकनीकों ने हिंदी लेखन को सहज बना दिया।

आज फेसबुक पर हिंदी दुनिया की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है[8]। यूट्यूब पर हिंदी में कंटेंट निर्माता करोड़ों दर्शकों तक पहुँच बना रहे हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी हिंदी में संवाद का सशक्त माध्यम बन चुके हैं।

2.7 हिंदी भाषा और मशीन अनुवाद प्रणालियाँ

गूगल ट्रांसलेट जैसे प्लेटफॉर्म ने हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद को सरल बनाया। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में मशीन अनुवाद की गुणवत्ता सीमित थी, परंतु हाल के वर्षों में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और डीप लर्निंग (Deep Learning) आधारित मॉडल्स ने हिंदी अनुवाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

2.8 वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण

आज हिंदी इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ती भाषाओं में से एक है। डिजिटल साहित्य, ई–कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ, शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है।

लेकिन इस विकास के साथ कुछ चिंताएँ भी बनी हुई हैं जैसे कि हिंदी सामग्री की गुणवत्ता, हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक सामग्री की कमी और हिंदी वर्तनी तथा व्याकरण की त्रुटियाँ। इन चुनौतियों का समाधान करना आने वाले समय में हिंदी के डिजिटल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के अवसर

सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोले हैं। वैश्विक संचार माध्यमों, डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence -AI) जैसे नवाचारों ने हिंदी को एक वैश्विक पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस खंड में हम विस्तार से उन विभिन्न अवसरों का विश्लेषण करेंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

3.1 डिजिटल कंटेंट निर्माण में हिंदी का बढ़ता वर्चस्व

वर्तमान डिजिटल युग में विषय–वस्तु ही मुख्य साधन है। हिंदी में डिजिटल कंटेंट निर्माण (Digital Content Creation) की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं। ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, ऑनलाइन पत्रकारिता और सोशल मीडिया पोस्टिंग के क्षेत्र में हिंदी ने अद्वितीय वृद्धि दर्ज की है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 70% से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता मातृभाषा में सामग्री देखना और पढ़ना पसंद करते हैं, जिसमें हिंदी प्रमुख भाषा है[10]। इससे हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ई–लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य, वित्त और तकनीकी शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में अपार अवसर पैदा हुए हैं।

3.2 ई–गवर्नेंस और हिंदी भाषा

ई–गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने में क्रांति ला दी है। भारत सरकार ने "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत कई सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को हिंदी में उपलब्ध कराया है[11]। जैसे – डिजिलॉकर, उमंग ऐप, सरकारी वेबसाइट्स और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियाँ।

हिंदी में ई–गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार नागरिकों को उनकी मातृभाषा में सशक्त बनाता है, जिससे सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ती है। इससे हिंदी के प्रशासनिक, विधिक और तकनीकी शब्दकोष (Lexicon) के विकास की भी दिशा सुदृढ़ होती है।

3.3 मोबाइल एप्लीकेशनों में हिंदी का बढ़ता समावेश

आज के डिजिटल युग में मोबाइल एप्लीकेशन हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई–कॉमर्स और मनोरंजन से संबंधित अधिकांश प्रमुख मोबाइल एप्स हिंदी भाषा विकल्प प्रदान कर रही हैं।

पेटीएम, फोनपे, स्विगी, अमेज़न इंडिया जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हिंदी भाषा में सेवा उपलब्ध करा रहे हैं[12]। इससे हिंदी उपयोगकर्ताओं की पहुँच तकनीकी सेवाओं तक सरल हुई है और हिंदी का तकनीकी शब्द भंडार भी समृद्ध हुआ है।

3.4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का प्रभाव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स — फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब आदि पर हिंदी कंटेंट का उपभोग तेजी से बढ़ा है। फेसबुक इंडिया के आँकड़ों के अनुसार, हिंदी फेसबुक पर दूसरी सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा बन गई है।

यह प्रवृत्ति न केवल हिंदी में संवाद और रचनात्मकता के प्रसार को बढ़ावा देती है, बल्कि डिजिटल विपणन, ब्रांडिंग और सूचना प्रसार के नए अवसर भी उत्पन्न करती है। कंपनियाँ अब हिंदी में विज्ञापन अभियान चला रही हैं, जिससे हिंदी भाषी बाजार का व्यावसायिक महत्व बढ़ा है।

3.5 हिंदी में ऑनलाइन शिक्षा और ई—लर्निंग के अवसर

कोविड—19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का जो विस्फोटक प्रसार हुआ, उसमें हिंदी में शिक्षा प्रदान करने की माँग भी तेज हुई। कोर्सेरा, एनपीटीईएल, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म अब हिंदी में भी पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं[13]।

ऑनलाइन शिक्षा में हिंदी माध्यम से उपलब्धता ग्रामीण और अर्ध—शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर उठाने में सहायक बन रही है। साथ ही, इससे हिंदी में शैक्षिक कंटेंट निर्माण और शिक्षण तकनीकों के विकास के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

3.6 कृत्रिम मेधा और हिंदी भाषा का उभरता संबंध

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हिंदी के लिए नए अवसर विकसित हो रहे हैं। हिंदी वॉयस असिस्टेंट्स, हिंदी चैटबॉट्स, हिंदी स्पीच टू टेक्स्ट (Speech-to-Text) सेवाएँ और हिंदी आधारित सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) तकनीकों का विकास इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं।

आने वाले वर्षों में हिंदी में संवेदनशील और प्राकृतिक वार्तालाप संभव करने वाले एआई मॉडल्स का निर्माण हिंदी डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा।

3.7 डिजिटल साहित्य और हिंदी भाषा

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी साहित्य का एक नया युग प्रारंभ हो चुका है। 'प्रतिलिपि' (Pratilipi), 'हिंदी कथा' (Hindikatha-com), 'कथादेश डिजिटल' (Kathadesh Digital) जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी कहानियाँ, उपन्यास, कविताएँ, निबंध आदि डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हैं[14]।

डिजिटल साहित्य ने नए लेखकों को मंच दिया है और पाठकों के लिए हिंदी साहित्य तक पहुँच को आसान बनाया है। इससे हिंदी भाषा का समृद्ध साहित्यिक भंडार विश्व भर के हिंदी प्रेमियों तक पहुँच रहा है।

3.8 हिंदी में डिजिटल उद्यमिता के अवसर

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी में स्टार्टअप्स, ई—कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में नये उद्यमी उभर रहे हैं। हिंदी में वेबसाइट निर्माण, ऐप विकास और ऑनलाइन सेवाओं के लिए बाजार लगातार बढ़ रहा है।

2025 तक भारत में हिंदीभाषी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 53% तक पहुँचने की संभावना है, जिससे हिंदी डिजिटल उद्यमिता का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के समक्ष चुनौतियाँ

जहाँ एक ओर सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा के समक्ष नए अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी ओर इसने कई जटिल और बहुआयामी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। यदि हिंदी को डिजिटल युग में अपनी सशक्त और सम्मानजनक उपस्थिति बनानी है, तो इन चुनौतियों का सम्यक विश्लेषण कर समाधान खोजना अनिवार्य है।

4.1 तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ

भारत के ग्रामीण और अर्ध—शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, हार्डवेयर उपलब्धता और तकनीकी अवसंरचना अभी भी असंतुलित है। हिंदीभाषी आबादी का एक बड़ा भाग गाँवों और कस्बों में निवास करता है[15], जहाँ उच्च गति इंटरनेट और तकनीकी साधनों की पहुँच सीमित है। इससे हिंदी भाषियों के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना कठिन होता है, जिससे डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) की स्थिति बनती है।

4.2 डिजिटल साक्षरता की कमी

हालाँकि हिंदी भाषी आबादी इंटरनेट पर बढ़ रही है, परंतु उनमें डिजिटल साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। अधिकांश हिंदी उपयोगकर्ता केवल सोशल मीडिया या मनोरंजन से जुड़े कार्यों तक सीमित रहते हैं[16]। जटिल ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल लेनदेन, ई—गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स और तकनीकी एप्लीकेशनों का प्रभावी उपयोग अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

4.3 तकनीकी शब्दावली का मानकीकरण

हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का मानकीकरण अभी भी अधूरा है। विभिन्न सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और डिजिटल सेवाओं में हिंदी शब्दों के प्रयोग में एकरूपता नहीं है। एक ही तकनीकी शब्द के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अलग—अलग हिंदी अनुवाद देखने को मिलते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं में भ्रम उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, "Download" के लिए कहीं "डाउनलोड" लिखा जाता है, तो कहीं "भंडारण हेतु प्राप्त करें"। यह असंगतता हिंदी के तकनीकी विकास में बाधक बन रही है[17]।

4.4 हिंदी फॉन्ट्स और यूनिकोड समस्याएँ

यद्यपि यूनिकोड ने हिंदी के डिजिटलीकरण को गति दी है, फिर भी कई पुराने दस्तावेज फॉन्ट आधारित तकनीकों में हैं, जिन्हें यूनिकोड में परिवर्तित करना एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त, कई ऐप्स और वेबसाइट्स में हिंदी फॉन्ट रेंडरिंग

(Font Rendering) सही नहीं होती, जिससे पठनीयता प्रभावित होती है। देवनागरी लिपि के संयुक्ताक्षरों (Conjunct Characters) के प्रदर्शन में भी तकनीकी समस्याएँ आती हैं।

4.5 हिंदी सामग्री की गुणवत्ता और प्रामाणिकता

डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध हिंदी सामग्री की गुणवत्ता और प्रामाणिकता एक गंभीर चिंता का विषय है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पर वर्तनी दोष, व्याकरणिक त्रुटियाँ और तथ्यात्मक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में देखी जाती हैं। इससे हिंदी भाषा की विश्वसनीयता और गंभीरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

4.6 हिंदी में मशीन अनुवाद की सीमाएँ

यद्यपि गूगल ट्रांसलेट और अन्य अनुवाद प्लेटफॉर्म्स हिंदी को समर्थन देते हैं, परंतु मशीन अनुवाद की गुणवत्ता अभी भी संतोषजनक नहीं है। हिंदी की जटिल व्याकरणिक संरचना और विविध स्थानीय बोलियों के कारण स्वचालित अनुवाद में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विशेषकर तकनीकी, कानूनी और शैक्षणिक दस्तावेजों के सटीक अनुवाद के क्षेत्र में अभी व्यापक अनुसंधान और सुधार की आवश्यकता है।

4.7 बहुभाषी डिजिटल दुनिया में हिंदी की प्रतिस्पर्धा

डिजिटल स्पेस में हिंदी को अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी, अरबी आदि प्रमुख भाषाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन एल्गोरिद्म (Algorithms) अंग्रेजी कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं, जिससे हिंदी कंटेंट की दृश्यता (Visibility) प्रभावित होती है[18]। इससे हिंदी वेबसाइटों, ब्लॉग्स और डिजिटल परियोजनाओं को अपेक्षित वैश्विक पहुँच नहीं मिल पाती।

4.8 हिंदी में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मुद्दे

हिंदीभाषी डिजिटल उपयोगकर्ताओं में साइबर सुरक्षा (Cyber Security) और डेटा गोपनीयता (Data Privacy) के प्रति जागरूकता का अभाव है। यह उन्हें फिशिंग (Phishing), डेटा चोरी (Data Theft) और ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) का आसान शिकार बना देता है। हिंदी में साइबर सुरक्षा से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले जागरूकता कार्यक्रमों, गाइडलाइंस और संसाधनों की भारी कमी है[19]।

5. हिंदी भाषा के डिजिटलीकरण के प्रयास

हिंदी भाषा का डिजिटलीकरण (Digitization of Hindi Language) सूचना प्रौद्योगिकी युग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार, निजी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी संगठनों ने पिछले तीन दशकों में हिंदी को डिजिटल माध्यमों पर सशक्त बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संगठित प्रयास किए हैं। इन प्रयासों ने हिंदी को वैश्विक डिजिटल संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

5.1 सरकार द्वारा किए गए प्रयास

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (Technology Development for Indian Languages - TDIL) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics And Information Technology - MeitY) ने TDIL कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी के लिए यूनिकोड समर्थन, भाषा संसाधन विकास, अनुवाद उपकरण, भाषायी शोध और मशीन अनुवाद प्रणालियों का विकास किया गया है।

5.2 राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (National Language Technology Mission & NLTM)

वर्ष 2022 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (NLTM) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उन्नत तकनीकी समाधान तैयार करना है, जिसमें हिंदी भी प्रमुख रूप से शामिल है। इस मिशन के तहत वॉयस–टू–टेक्स्ट (Voice-to-Text), टेक्स्ट–टू–स्पीच (Text-to-Speech) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Natural Language Processing - NLP) आधारित हिंदी तकनीकों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है[20]।

5.3 शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रयास

सी–डैक (C-DAC) द्वारा हिंदी टूल्स का विकास

सी–डैक (Centre for Development ofAdvanced Computing - C-DAC) ने हिंदी के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर और उपकरण विकसित किए हैं, जैसे – हिंदी वर्ड प्रोसेसर, हिंदी वर्तनी जांचक (Spell Checker), अनुवाद प्रणाली और हिंदी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) तकनीक।[21] इससे हिंदी के डिजिटल दस्तावेजों को तैयार करना और प्रबंधन करना सरल हुआ है।

भाषा संसाधन केंद्र (Language Resource Centers)

भारत के कई विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों ने हिंदी भाषा के लिए डिजिटल कॉर्पस (Corpus) निर्माण, टर्मिनोलॉजी बैंकिंग और भाषायी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किया है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी सम्मेलन (ICON) के माध्यम से हिंदी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और मशीन अनुवाद (Machine Translation) के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान किया गया है [22]।

5.4 निजी कंपनियों द्वारा हिंदी के डिजिटलीकरण में योगदान

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न जैसी वैश्विक कंपनियाँ हिंदी भाषा के समर्थन के लिए विशेष प्रयास कर रही

हैं। गूगल असिस्टेंट और गूगल ट्रांसलेट (9) ने हिंदी को पूर्ण समर्थन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी में वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट, आउटलुक जैसे ऑफिस टूल्स उपलब्ध कराए हैं[23]। फेसबुक और यूट्यूब ने हिंदी कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियाँ अनुकूलित की हैं।

स्थानीय स्टार्टअप्स का योगदान

'प्रतिलिपि' (Pratilipi), 'Your Quote', 'Share Chat' जैसे प्लेटफॉर्म ने हिंदीभाषी कंटेंट क्रिएटर्स को एक नया मंच प्रदान किया है। इससे हिंदी डिजिटल साहित्य, हिंदी ब्लॉगिंग और हिंदी में सोशल मीडिया संवाद को नया आयाम मिला है।

5.5 हिंदी फॉन्ट्स और टाइपिंग उपकरणों का विकास

हिंदी में सहज टाइपिंग को संभव बनाने हेतु कई इनपुट टूल्स विकसित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं – गूगल इनपुट टूल्स, इंटरफेस हिंदी टाइपिंग टूल्स और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। इन उपकरणों ने हिंदी टाइपिंग को सरल, तीव्र और सहज बनाते हुए हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सहभागिता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

5.6 हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रयास

हाल के वर्षों में हिंदी में वॉयस रिकग्निशन (Voice Recognition), नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग (NLU) और चैटबॉट विकास (Chatbot Development) जैसे एआई आधारित प्रयास भी हो रहे हैं। कई स्टार्टअप्स हिंदी में स्वचालित संवाद प्रणालियों और संवेदनशील वॉयस असिस्टेंट्स के विकास पर कार्य कर रहे हैं, जिससे हिंदी का तकनीकी भविष्य और अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है।

6. हिंदी में मशीन अनुवाद और कृत्रिम मेधा का उपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से बदलते परिदृश्य में मशीन अनुवाद और कृत्रिम मेधा ने भाषायी सीमाओं को पाटने और वैश्विक संचार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा भी इस तकनीकी क्रांति से अछूती नहीं रही है। आज हिंदी में मशीन अनुवाद, स्वचालित संवाद प्रणालियाँ (Chatbots), वॉयस असिस्टेंट्स (VoiceAssistants) और भाषायी मॉडल्स (Language Models) का प्रभावी विकास हो रहा है, जो हिंदी भाषा के डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण को गति प्रदान कर रहा है।

हिंदी, भारत की प्रमुख भाषा होने के कारण, मशीन अनुवाद तकनीक के विकास में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर तथा भारत सरकार के TDIL कार्यक्रम द्वारा विकसित 'अनुवादक' और 'समर्थ' जैसे प्रयासों ने हिंदी अनुवाद को तकनीकी समर्थन दिया है; फिर भी सटीकता और भावार्थ संबंधी चुनौतियाँ यथावत हैं। हिंदी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) के अंतर्गत वर्तनी जांचक, टेक्स्ट समरीकरण, भाव विश्लेषण और नाम पहचान प्रणाली जैसे उपकरण IITs और IIITs द्वारा विकसित किए गए हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग में सहायक हैं। वॉयस रिकग्निशन तकनीक के अंतर्गत गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी और मोबाइल सेवाओं ने हिंदी उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संवाद में सक्षम बनाया है। बैंकिंग, ई–कॉमर्स और सरकारी क्षेत्रों में हिंदी चैटबॉट्स जैसे SBI Buddy ने सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया है, जिससे बाजार विस्तार संभव हुआ है। AI 4Bharat, Indic BERT और mBERT जैसे AI भाषा मॉडल्स ने हिंदी में संवाद, विश्लेषण और लेखन को संभव बनाकर इसे वैश्विक AI अनुसंधान में सम्मिलित किया है। यद्यपि क्षेत्रीय विविधता, संदर्भगत अर्थ ग्रहण और गुणवत्तापूर्ण डेटा की कमी जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी निरंतर शोध और नवाचार से हिंदी में कृत्रिम मेधा का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

10. निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) ने हिंदी भाषा को एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कराया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence -AI) आधारित अनुवाद तकनीकों और इंटरनेट के व्यापक प्रसार के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

तकनीकी सशक्तता के साथ हिंदी भाषा ने नए अवसरों का सृजन किया है। ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ई–लर्निंग, ऑनलाइन समाचार पत्र और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हिंदी में डिजिटल कंटेंट का प्रसार हुआ है। डिजिटल इंडिया अभियान और ई–गवर्नेंस सेवाओं के हिंदी में सुलभ होने से हिंदीभाषी नागरिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही, मशीन अनुवाद और वॉयस रिकग्निशन जैसी तकनीकों में हिंदी को समर्थन देने के प्रयासों ने भी इसकी उपयोगिता को बढ़ाया है।

भविष्य में हिंदी भाषा के तकनीकी विकास के लिए संगठित प्रयास आवश्यक हैं। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाली हिंदी तकनीकी सामग्री का निर्माण, हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का समावेश और हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने जैसे प्रयास हिंदी के सुदृढ़ डिजिटल भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही, बहुभाषी तकनीकी उपकरणों और सेवाओं में हिंदी का समावेश अनिवार्य है। हिंदी भाषा को डिजिटल दुनिया में सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र को मिलकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. एथ्नोलॉग, (2022), हिंदी भाषा सांख्यिकी / Ethnologue, Hindi Language Statistics, https ://www.ethnologue. com/ language/hin

2. भारत सरकार, (2015), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम / Government of India, Digital India Programme, https :// www.digitalindia.gov.in/

3. केपीएमजी और गूगल रिपोर्ट, (2017), भारतीय भाषाएँ – भारत के इंटरनेट की परिभाषा / KPMG & Google Report, Indian Languages – Defining India's Internet, https :// www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/indian-languages-defining-indias-internet/

4. भारत सरकार, (2015), डिजीलॉकर – एक डिजिटल लॉकर प्रणाली /Government of India, DigiLocker - A Digital Locker System, https ://www.digilocker.gov.in/

5. गूगल इंडिया, (2020), गूगल असिस्टेंट अब हिंदी में उपलब्ध / Google India, Google Assistant now supports Hindi, https ://india.googleblog.com/2018/08/google-assistant-now-speaks-hindi.html

6. यूनिकोड कंसोर्टियम, (1999), देवनागरी के लिए यूनिकोड मानक / Unicode Consortium, Unicode Standard for Devanagari, https :// home.unicode.org/

7. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (2021), भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास (TDIL) / (TDIL) / Ministry of Electronics and Information Technology, Technology Development for Indian Languages (TDIL), https ://www.meity.gov.in/ content/technology-development-indian-languages

8. फेसबुक इंडिया रिपोर्ट, (2020), फेसबुक इंडिया में शीर्ष भाषाएँ / Facebook India Report, Top Languages on Facebook India, https ://about.fb.com/news/2020/09/ facebook-language-data-india/

9. गूगल ट्रांसलेट, (2022), समर्थित भाषाएँ / Google Translate, Languages Supported, https ://translate.google.com/ about/intl/en_ALL/

10. आईएएमएआई रिपोर्ट, (2021), भारत में डिजिटल 2021 2021 / IAMAI Report, Digital in India 2021, https :// cms.iamai.in/Content/ResearchPapers/2e3c3c6d-9d09-4fcd-9c8c-c6f6b78953b0.pdf

11. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, (2015), भारत सरकार / Digital India Programme, Government of India, https :// www.digitalindia.gov.in/

12. अमेज़न इंडिया, (2021), अमेज़न इंडिया अब हिंदी में Amazon India, Amazon.in Adds Hindi Language, https :// www.aboutamazon.in/news/innovation/amazon-india-now-in-hindi

13. स्वयं, (2023), मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा /SWAYAM, Free Online Education, https ://swayam.gov.in/

14. प्रतिलिपि, (2024), हिंदी साहित्य मंच /Pratilipi, Hindi Literature Platform, https ://www.pratilipi.com/

15. ट्राई रिपोर्ट, (2021), भारत में ग्रामीण इंटरनेट पहुँच / TRAI Report, Rural Internet Penetration in India, https :/ /trai.gov.in/sites/default/files/Report_Internet_ Penetration_2021.pdf

16. आईएएमएआई और नील्सन, (2021), भारत में डिजिटल रिपोर्ट / IAMAI & Nielsen, Digital in India Report, https ://cms.iamai.in/Content/ResearchPapers/2e3c3c6d-9d09-4fcd-9c8c-c6f6b78953b0.pdf

17. सी–डैक इंडिया, (2020), हिंदी तकनीकी शब्दावली का विकास / C-DAC India, Development of Standardized Hindi Terminology, https ://www.cdac.in/

18. इंटरनेट वर्ल्ड स्टैट्स, (2022), विश्व इंटरनेट उपयोग और जनसंख्या आँकड़े / Internet World Stats, World Internet Usage and Population Statistics, https :// www.internetworldstats.com/stats.htm

19. सीईआरटी–इन, (2021), भारतीय भाषाओं के लिए साइबर सुरक्षा पहल / CERT-In, Cyber Security Initiatives for Indian Languages, https :// www.cert-in.org.in/

20. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (2022), राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन//MeitY, National Language Technology Mission (NLTM), https :// www.meity.gov.in/content/national-language-technology-mission

21. सी–डैक इंडिया, (2020), हिंदी तकनीकी शब्दावली का विकास / C-DAC India, Development of Standardized Hindi Terminology, https ://www.cdac.in/

22. प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICON), (2022) / International Conference on Natural Language Processing (ICON), (2022), https ://ltrc.iiit.ac.in/ icon2022/

23. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, (2021), माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिंदी में / Microsoft India, Microsoft Office in Hindi, https :// www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/microsoft-office-languages

ISSN No. : 0970-9398

राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में प्रशिक्षण और अनुवाद की भूमिका

– प्रशांत चौबे
संस्कृति कर्मी एवं समाजसेवी, लखनऊ

भारत का संविधान राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सशक्त करने हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करता है। राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण और अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विविध भाषायी पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को हिंदी में दक्ष बनाने और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए ये दो घटक आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों में हिंदी में लिखने, बोलने और संवाद स्थापित करने की क्षमता विकसित की जाती है, वहीं अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के दस्तावेजों का हिंदी में रूपांतरण कर प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाता है।

प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न भाषाओं और बोलियों का समृद्ध परिदृश्य विद्यमान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में यह भी निर्देशित किया गया है कि सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ाया जाए ताकि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र में भारतीय भाषाओं का सम्मान सुनिश्चित हो सके।1

परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कार्य अत्यंत जटिल है, क्योंकि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए दो प्रमुख उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं–प्रशिक्षण और अनुवाद।

प्रशिक्षण कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की दक्षता प्रदान करता है, जिससे वे आत्मविश्वासपूर्वक हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं के दस्तावेजों को हिंदी में प्रस्तुत कर राजभाषा के प्रयोग को व्यवहारिकता प्रदान की जाती है। इन दोनों पहलुओं की उपेक्षा करने पर राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाता।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल हिंदी लेखन एवं पठन क्षमता बढ़ती है, बल्कि प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी में ई–गवर्नेंस कार्य, तकनीकी रिपोर्ट लेखन, अनुबंध निर्माण आदि विशेष कौशल भी विकसित किए जाते हैं। दूसरी ओर, अनुवाद कार्य में गुणवत्ता, शुद्धता और सटीकता का विशेष महत्व होता है, ताकि मूल भावार्थ और तकनीकी गहनता हिंदी में सही रूप से व्यक्त हो सके।

इस शोधपत्र में हम राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण और अनुवाद के महत्व का बहुआयामी विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि इन दोनों के माध्यम से कैसे भारत के प्रशासनिक तंत्र में हिंदी का सम्मान और प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। साथ ही प्रशिक्षण और अनुवाद की वर्तमान चुनौतियों, संभावनाओं तथा समाधान प्रस्तावों का भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

राजभाषा का कार्यान्वयन मात्र एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, अपितु यह भारत की भाषायी अस्मिता और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। इस हेतु प्रशिक्षण और अनुवाद के माध्यम से एक सशक्त नींव तैयार करना समय की अनिवार्यता बन गई है।

2. राजभाषा कार्यान्वयन का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारत की भाषिक संरचना विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण है। ऐसे बहुभाषिक राष्ट्र में राजकीय कार्यों के लिए एक साझा भाषा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित किया। यह खंड भारत के भाषायी परिदृश्य और राजभाषा नीति की संवैधानिक पृष्ठभूमि का विवेचन प्रस्तुत करता है।

2.1 भारत का भाषायी परिदृश्य और राजभाषा नीति

भारत विश्व के उन विरले देशों में से है जहाँ भाषायी विविधता अत्यंत गहन और समृद्ध है। भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और विभिन्न राज्यों में अनेक क्षेत्रीय भाषाएँ प्रचलन में हैं।[2] इस बहुभाषिक परिदृश्य के बीच हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय भारतीय संविधान सभा द्वारा अत्यंत सोच–समझकर लिया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार –

"संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी।"[3]

इस संवैधानिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक ऐसी भाषा का विकास हो जो जनसाधारण की भाषा के रूप में सहज स्वीकार्य हो और संपूर्ण देश के एकीकरण में सहायक बने।

ISSN No. : 0970-9398

2.2 अनुच्छेद 343 से 351 तक : राजभाषा संबंधी प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इनमें से मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- **अनुच्छेद 343(2):** अंग्रेजी भाषा को, हिंदी के साथ, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्षों तक प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई।
- **अनुच्छेद 344:** राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया ताकि समय–समय पर भाषायी नीति का मूल्यांकन किया जा सके।
- **अनुच्छेद 345:** राज्यों को अपनी राजकीय भाषा तय करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- **अनुच्छेद 346:** राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्र सरकार के बीच के संचार के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 347:** किसी क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देने के लिए विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 348:** उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विधायी कार्यों की भाषा अंग्रेजी होगी, किंतु कुछ शर्तों के साथ हिंदी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है।
- **अनुच्छेद 351:** केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार हो और उसका विकास इस प्रकार हो कि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने में सक्षम बने।[4]

इस प्रकार संविधान ने हिंदी के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त आधार प्रदान किया है।

2.3 राजभाषा अधिनियम, 1963

भारतीय संविधान में अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्षों तक सीमित करने की कल्पना की गई थी। परंतु देश में व्याप्त विविध भाषायी भावनाओं को देखते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- केंद्र सरकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग कर सकती है।
- हिंदी का प्रयोग संघ के सभी कार्यों में प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद के लिए यदि कोई राज्य अंग्रेजी का प्रयोग चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
- अधिनियम में द्विभाषिकता को स्वीकार करते हुए हिंदी के विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करने का निर्देश भी दिया गया।[5]

2.4 राष्ट्रपति के राजभाषा आदेश

संविधान के अनुच्छेद 344(2) के तहत गठित संसदीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के प्रयोग से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं पर बल दिया गया है:

- केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी का प्राथमिकता से प्रयोग।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी में काम करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य।
- द्विभाषिक कार्यसंचालनः सभी सरकारी संचार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में।
- हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता को बढ़ावा।[6]

इन आदेशों के अनुपालन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और उपक्रमों में राजभाषा अनुभागों की स्थापना की गई है तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं।

2.5 राजभाषा नीति और प्रशिक्षण की भूमिका

संविधानिक व्यवस्था के अनुसार राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को सक्षम बनाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में दक्ष बनाने हेतु कई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जैसे:

- हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण।
- हिंदी प्रशासनिक शब्दावली प्रशिक्षण।
- अनुवाद तकनीक और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण।
- राजभाषा कार्यान्वयन के नियमों एवं आदेशों की जानकारी हेतु कार्यशालाएँ।

इसी प्रकार, अनुवाद कार्य का महत्व भी संविधान के राजभाषा प्रावधानों से जुड़ा है, क्योंकि द्विभाषिक संचार प्रणाली में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद की आवश्यकता अनिवार्य है। इस प्रकार, संविधान के प्रावधानों और अधिनियमों के आलोक में स्पष्ट होता है कि राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण और अनुवाद दोनों अनिवार्य और सहायक उपकरण हैं।

3. राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण का महत्व

यह समझना आवश्यक है कि किसी भी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित मानव संसाधन को उस नीति की भाषा, प्रक्रिया और उद्देश्य से परिचित कराना अत्यावश्यक होता है। हिंदी को प्रशासनिक कार्यों की प्रभावी भाषा बनाने की दिशा में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हिंदी की व्यावहारिक दक्षता केवल भावनात्मक प्रेरणा से नहीं, बल्कि योजनाबद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण एक ऐसा सशक्त उपकरण है, जो कर्मचारियों को न केवल हिंदी भाषा में प्रवीण

ISSN No. : 0970-9398

बनाता है, बल्कि उन्हें कार्यालयीन कार्यपद्धति, शब्दावली, पत्राचार एवं संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में हिंदी प्रयोग के प्रति आत्मविश्वास और स्वाभाविकता प्रदान करता है। इस खंड में हम प्रशिक्षण की अवधारणा, उसकी अनिवार्यता, प्रकार, उद्देश्यों और प्रभावशीलता पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

3.1 प्रशिक्षण की अवधारणा और उसकी अनिवार्यता

किसी भी नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए जागरूकता और क्षमता विकास अत्यंत आवश्यक होते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन भी इससे अछूता नहीं है। भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी को प्रशासनिक कार्यों की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक हिंदी दक्षता प्रदान करना प्रशिक्षण (Training) का मूल उद्देश्य है।

प्रशिक्षण का तात्पर्य है – कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग में प्रवीण बनाना ताकि वे कार्यालयी कार्यों में हिंदी का आत्मविश्वासपूर्वक प्रयोग कर सकें। यदि प्रशिक्षण उपयुक्त ढंग से और नियमित रूप से प्रदान किया जाए, तो राजभाषा हिंदी को व्यवहारिक जीवन में प्रभावी रूप से लागू करना सरल हो जाता है। बिना प्रशिक्षण के अपेक्षा करना कि एक कर्मचारी जो अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में सहज है, वह स्वतः ही हिंदी में दक्ष हो जाएगा, एक अव्यावहारिक कल्पना है।

3.2 प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य

राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने का आत्मविश्वास विकसित करना।
- हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का परिचय और अभ्यास कराना।
- हिंदी टंकण और कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का कौशल प्रदान करना।
- पत्राचार, नोटशीट, रिपोर्ट लेखन, सरकारी आदेश आदि हिंदी में तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
- कार्यालयीन कार्य प्रणाली में हिंदी के उपयोग को सहज और सरल बनाना।
- द्विभाषिक कार्यसंचालन हेतु कर्मचारियों को तैयार करना।

इस प्रकार प्रशिक्षण न केवल भाषायी दक्षता प्रदान करता है बल्कि व्यवहारिक कार्य–कुशलता में भी वृद्धि करता है।

3.3 प्रशिक्षण के प्रकार

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं:

(i) प्रारंभिक हिंदी प्रशिक्षण

उन कर्मचारियों के लिए जो हिंदी भाषा में कार्य करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, प्रारंभिक स्तर का हिंदी शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसमें हिंदी वर्णमाला, वाक्य संरचना, मूल शब्दावली और सरल वाक्य लेखन का अभ्यास कराया जाता है।

(ii) कार्यसाधक हिंदी प्रशिक्षण

यह उन कर्मचारियों के लिए होता है जो हिंदी पढ़ने–लिखने में सक्षम हैं, परंतु प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक विशेष शब्दावली और कार्य पद्धतियों से भलीभांति परिचित नहीं हैं। इस प्रशिक्षण में फाइल संचालन, पत्राचार, सरकारी आदेश लेखन, अनुबंध निर्माण जैसी व्यवहारिक दक्षताएँ विकसित की जाती हैं।

(iii) टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी टंकण और आशुलिपि का विशेष महत्व है। इसके लिए कर्मचारियों को हिंदी टंकण (Hindi Typing) और हिंदी आशुलिपि (Hindi Stenography) का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग यथासंभव बढ़ सके।

(iv) कंप्यूटर आधारित हिंदी प्रशिक्षण

डिजिटल युग में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए हिंदी यूनिकोड टंकण, हिंदी सॉफ्टवेयर (जैसे इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन) का प्रयोग, हिंदी ई–मेल, हिंदी रिपोर्ट लेखन आदि विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.4 प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- नियमित और अद्यतन पाठ्यक्रम तैयार करना।
- प्रशिक्षण सामग्री को सरल, व्यवहारिक और उदाहरण प्रधान बनाना।

- ई–लर्निंग मॉड्यूल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म का उपयोग।
- प्रशिक्षण पश्चात् मूल्यांकन (Post Training Evaluation) और फीडबैक प्रणाली लागू करना।
- सफल प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार/प्रमाणपत्र प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
- प्रशिक्षण को एक अनिवार्य सेवा शर्त के रूप में अपनाना।

3.5 राजभाषा प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत कई प्रतिष्ठित संस्थाएँ राजभाषा प्रशिक्षण कार्य में संलग्न हैं, जैसे:

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थानः यह संस्थान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण, कार्यसाधक हिंदी और टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करता है।[7]
- क्षेत्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थानः देश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण संस्थानों की शाखाएँ स्थापित हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करती हैं।[8]
- राष्ट्रीय अनुवाद संस्थानः अनुवाद कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित करता है।

इन संस्थानों के माध्यम से एक संगठित प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी हिंदी में दक्ष हों और अपने कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग कर सकें।

3.6 प्रशिक्षण का दूरगामी प्रभाव

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल आयोजन से न केवल राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार होता है, बल्कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समानता और स्थानीय स्तर पर जनता से संपर्क स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में दक्ष होकर कार्य करते हैं, तो जनता के साथ संवाद अधिक सुलभ और प्रभावी बनता है, जिससे शासन प्रणाली में विश्वास और भागीदारी बढ़ती है। इस प्रकार, राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण केवल एक औपचारिकता नहीं, अपितु राष्ट्र के समावेशी विकास का एक सशक्त साधन है।

4. प्रशिक्षण के प्रकार और पद्धतियाँ

राजभाषा कार्यान्वयन की सफलता का आधार केवल नीति निर्धारण नहीं, अपितु विविध प्रकार के प्रशिक्षणों की उपयुक्त संरचना और प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की भिन्न–भिन्न भाषायी पृष्ठभूमि, प्रशासनिक आवश्यकताएँ और तकनीकी क्षमताएँ ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्तरानुसार वर्गीकरण किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी वर्तमान दक्षता के अनुरूप उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करे और राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु आत्मविश्वास विकसित कर सके।

4.1 प्रशिक्षण के प्रकार

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण को विभिन्न स्तरों और उद्देश्यों के अनुसार विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की हिंदी दक्षता के विविध स्तरों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

(i) हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण (Hindi Teaching Training)

यह उन कर्मचारियों के लिए होता है जो हिंदी पढ़ने–लिखने में असहज हैं या जिनकी प्राथमिक भाषा अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषा है। इस प्रशिक्षण में हिंदी वर्णमाला, सरल शब्द निर्माण, वाक्य रचना, सामान्य प्रशासनिक शब्दावली का अभ्यास कराया जाता है। हिंदी को बोलचाल और लिखित रूप में आत्मसात कराने पर जोर दिया जाता है।

(ii) कार्यसाधक हिंदी प्रशिक्षण (Working Hindi Training)

यह प्रशिक्षण उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो हिंदी पढ़ और लिख सकते हैं, लेकिन सरकारी कार्यप्रणाली में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली, स्वरूपों (formats) और प्रक्रिया (process) से परिचित नहीं हैं। इसमें फाइल नोटिंग, पत्राचार, आदेश लेखन, प्रतिवेदन (report writing) आदि व्यवहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(iii) हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन में टंकण और आशुलिपि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत हिंदी यूनिकोड टंकण, हिंदी रेमिंगटन/इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड लेआउट, कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्य तथा हिंदी आशुलिपि की गति एवं शुद्धता पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iv) कंप्यूटर आधारित हिंदी प्रशिक्षण

डिजिटल युग में ई–गवर्नेंस के बढ़ते प्रयोग के कारण यह प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसमें हिंदी ई–मेल लेखन, हिंदी में पावरपॉइंट प्रजेंटेशन, हिंदी सॉफ्टवेयर के उपयोग और डिजिटल हिंदी दस्तावेज़ तैयार करने के कौशल सिखाए जाते हैं।

(v) अनुवाद प्रशिक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन में द्विभाषिकता (bilingualism) की अनिवार्यता के कारण अनुवाद कौशल एक प्रमुख आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण में अनुवाद के सिद्धांत, तकनीकी शब्दावली का हिंदी में सटीक अनुवाद, शैलीगत एकरूपता (stylistic consistency) और गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है।[9]

4.2 प्रशिक्षण पद्धतियाँ

प्रशिक्षण केवल विषयवस्तु प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सुविचारित प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अपनाई जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रमुख पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं:

(i) कक्षा शिक्षण विधि

यह पारंपरिक विधि अब भी प्रभावी है, विशेषकर जब प्रशिक्षण प्रत्यक्ष संवाद और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की माँग करता है। प्रशिक्षक (Trainer) कक्षा में व्याख्यान (lecture), चर्चा (discussion), प्रश्नोत्तर (Q-A) और अभ्यास सत्रों (practice sessions) के माध्यम से विषयवस्तु समझाते हैं।

(ii) कार्यशाला पद्धति

कार्यशालाएँ (workshops) प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक और सहभागितापूर्ण (participative) बनाती हैं। इसमें प्रतिभागियों को विशिष्ट कार्य (task) दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से वे स्वयं कार्य करके सीखते हैं। उदाहरणार्थ, हिंदी में फाइल नोटिंग तैयार कराना, अनुवाद अभ्यास कराना आदि।

(iii) कार्य स्थल पर प्रशिक्षण

यह पद्धति अत्यंत व्यावहारिक है। कर्मचारियों को उनके वास्तविक कार्यस्थल पर ही हिंदी में कार्य करने का अभ्यास कराया जाता है। प्रशिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में सहायता करते हैं और वास्तविक कार्यों के माध्यम से हिंदी दक्षता को बढ़ावा दिया जाता है।

(iv) ई–लर्निंग और डिजिटल प्रशिक्षण

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार, वीडियो ट्यूटोरियल्स और मोबाइल एप्स के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे स्थान और समय की बाधाएँ समाप्त होती हैं और अधिक व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है।

(v) आत्म–प्रशिक्षण पद्धति

राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्व–शिक्षण मॉड्यूल (Self-Learning Modules) और पुस्तक सामग्रियाँ कर्मचारियों को अपनी गति से हिंदी सीखने में सहायता करती हैं। इससे स्वप्रेरणा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है।[10]

4.3 प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रणाली

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनका मूल्यांकन (evaluation) अत्यंत आवश्यक है। आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में मूल्यांकन किया जाता है:

- **पूर्व परीक्षणः** प्रशिक्षण से पूर्व प्रतिभागियों की हिंदी दक्षता का आकलन।
- **पाठ्यक्रम के दौरान मूल्यांकनः** समय–समय पर लघु परीक्षण और व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन।
- **अंतिम परीक्षणः** प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अंतिम मूल्यांकन।
- **प्रभाव मूल्यांकनः** प्रशिक्षण के बाद कार्यस्थल पर हिंदी के प्रयोग में आई वास्तविक वृद्धि का विश्लेषण।

मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार सुधार भी किया जाता है।

स्पष्ट है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विविधता और उद्देश्यपूर्ण तरीके से आयोजन राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से न केवल हिंदी भाषा की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, बल्कि कर्मचारियों के भीतर हिंदी के प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया जा सकता है।

इस दिशा में निरंतर नवाचार, अद्यतन सामग्री और सहभागिता आधारित प्रशिक्षण रणनीतियों को अपनाना समय की माँग है। तभी हम राजभाषा हिंदी को प्रशासन की मुख्य धारा में प्रभावी ढंग से प्रतिष्ठित कर पाएंगे।

5. राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद का महत्व

राजभाषा कार्यान्वयन की संपूर्ण प्रक्रिया में अनुवाद एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में कार्य करता है। भारत जैसे बहुभाषिक राष्ट्र में जहाँ अंग्रेज़ी उच्च प्रशासनिक, विधिक एवं तकनीकी संप्रेषण का प्रमुख माध्यम रही है, वहां हिंदी को प्रभावी प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु सटीक, प्रवाहयुक्त और गुणवत्ता–परक अनुवाद अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अनुवाद न केवल प्रशासनिक आवश्यकता है, बल्कि यह लोकतंत्र को भाषा के माध्यम से सशक्त बनाने का साधन भी है। आगामी उपखंडों में अनुवाद की भूमिका, गुणवत्ता, चुनौतियाँ एवं सुधार उपायों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5.1 अनुवादः प्रशासनिक संवाद का सेतु

राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद, प्रशासनिक संवाद का बहुभाषिक सेतु, लोकतांत्रिक पारदर्शिता का माध्यम और नागरिक–जागरूकता का संवाहक है। केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अंग्रेज़ी में निर्मित अधिसूचनाओं, अधिनियमों, आदेशों और तकनीकी दस्तावेज़ों का हिंदी अनुवाद अनिवार्य है, जिससे जन–संवाद सुगम हो सके। सटीक, प्रवाहयुक्त और सुसंगत अनुवाद प्रशासनिक प्रक्रिया की गति और दक्षता दोनों को सुदृढ़ करता है। विधिक व प्रशासनिक शब्दावली के यथासंभव समतुल्य चयन से न केवल संप्रेषण की स्पष्टता बनी रहती है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में न्यायसंगतता और समरसता भी सुनिश्चित होती है।

5.2 अनुवादः लोकतांत्रिक सहभागिता का माध्यम

अनुवाद के माध्यम से शासन की योजनाएँ, नीतियाँ एवं विधिक प्रक्रियाएँ हिंदीभाषी जनता के लिए सुलभ बनती हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी होती हैं। भारत जैसे बहुभाषिक देश में जहाँ अंग्रेज़ी एक प्रभावी प्रशासकीय भाषा है, वहाँ हिंदी अनुवाद से ही शासन की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। जब नागरिकों को अपनी भाषा में सरकारी निर्णयों की जानकारी प्राप्त होती है, तो उनकी भागीदारी और विश्वास शासन प्रणाली में स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं।

5.3 अनुवाद गुणवत्ताः कार्यसफलता की रीढ़

राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद का मात्र अस्तित्व पर्याप्त नहीं, उसकी गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सटीकता, स्वाभाविकता, प्रासंगिकता और तकनीकी दक्षता – अनुवाद की ये चार प्रमुख शर्तें हैं। यदि अनुवाद शब्दशः एवं यंत्रवत् किया जाए तो प्रशासनिक संप्रेषण में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। एक सफल अनुवादक को भाषा के साथ–साथ विषयवस्तु की भी समझ होनी चाहिए ताकि अनुवाद न केवल भाषिक रूपांतरण रहे, अपितु आशय–प्रदर्शन का सशक्त माध्यम बन सके।

5.4 अनुवाद क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत अनुवाद क्षेत्र में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। तकनीकी शब्दावली का अभाव, प्रशिक्षित अनुवादकों की कमी, दस्तावेज़ों में असंगत शैली, तथा आधुनिक CAT टूल्स व अनुवाद संसाधनों का न्यून उपयोग – ये सभी समस्याएँ अनुवाद की गति और गुणवत्ता को बाधित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप राजभाषा नीति की प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है और हिंदी में कार्य निष्पादन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।

5.5 अनुवाद प्रक्रिया का सशक्तिकरणः सुधारात्मक उपाय

अनुवाद क्षेत्र में सुधार हेतु तकनीकी शब्दकोशों का अद्यतन, केंद्रीय अनुवाद पोर्टल की स्थापना, अनुवादकों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन और कंप्यूटर सहायक अनुवाद उपकरणों का अनिवार्य उपयोग अत्यंत आवश्यक हैं। उत्कृष्ट अनुवादकों को सम्मानित कर अनुवादक समुदाय को प्रेरित किया जा सकता है। अनुवाद कार्य में गुणवत्ता के साथ–साथ स्वाभिमान और उद्देश्यबोध भी निहित होना चाहिए, तभी हिंदी को प्रशासन की जीवंत भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकेगा।[11]

6. अनुवाद की गुणवत्ता सुधार हेतु उपाय

राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रशासनिक और विधिक संप्रेषण की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। अनुवाद केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह विचारों और सूचनाओं को सही रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यदि अनुवाद गलत या असंगत हो, तो यह न केवल गलतफहमी पैदा कर सकता है, बल्कि प्रशासन की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। इसलिए, अनुवाद कार्य में सटीकता, प्राकृतिकता और विषयवस्तु की गहरी समझ अनिवार्य है। इस संबंध में विभिन्न रणनीतिक, तकनीकी और संरचनात्मक उपायों को अपनाना आवश्यक है।

6.1 राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद

राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल शब्दों के परिवर्तन का कार्य नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और विधिक संप्रेषण की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। यदि अनुवाद त्रुटिपूर्ण या असंगत हो तो न केवल गलतफहमी उत्पन्न होती है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। इसलिए अनुवाद कार्य को सटीकता, प्राकृतिकता और विषयवस्तु की गहन समझ के साथ संपन्न करना अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक, तकनीकी और संरचनात्मक उपायों का समन्वय आवश्यक है। आइए विस्तार से इन उपायों का अध्ययन करें।

6.2 अनुवाद की गुणवत्ता सुधार के रणनीतिक उपाय

(i) अनुवादकों का नियमित प्रशिक्षण

अनुवाद कौशल केवल भाषा ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर परिष्कृत होने वाली प्रक्रिया है। अनुवादकों को नियमित अंतराल पर निम्न बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिएः

- तकनीकी शब्दावली (Technical Terminology) का अद्यतन ज्ञान
- विधिक और प्रशासनिक अनुवाद की विशेषताएँ
- शैलीगत सामंजस्य (Stylistic Consistency) बनाए रखने की तकनीकें
- यांत्रिक अनुवाद (Machine Translation) से बचने की रणनीतियाँ।

इससे अनुवादकों की दक्षता में निरंतर सुधार होता है और नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार वे स्वयं को तैयार कर पाते हैं।

(ii) मानकीकृत शब्दावली का प्रयोग

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित तकनीकी शब्दकोशों का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे अनुवाद में एकरूपता आती है और विभिन्न अनुवादकों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में शब्दावली का भिन्नता नहीं पाई जाती।

उदाहरण के लिएः

- 'Application' का हिंदी अनुवाद 'आवेदन' और 'Notification' का हिंदी अनुवाद 'अधिसूचना'

इन्हीं स्वीकृत शब्दों का निरंतर प्रयोग गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

(iii) द्विस्तरीय संपादन प्रणाली

प्रत्येक अनुवाद के बाद उसे एक द्वितीयक अनुवादक (Second Translator) या संपादक (Editor) द्वारा संपादित और प्रूफरीड किया जाना चाहिए। इससे अनजानी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है और अनुवाद की भाषा को और अधिक स्वाभाविक एवं सटीक बनाया जा सकता है।[12]

6.3 अनुवाद की गुणवत्ता सुधार के तकनीकी उपाय

(i) कम्प्यूटर सहायक अनुवाद उपकरणों का प्रयोग

आज अनेक ऐसे कम्प्यूटर सहायक अनुवाद उपकरण (Computer-Assisted Translation Tools) उपलब्ध हैं जो अनुवादक को सटीकता, गति और एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं, जैसे – SDL Trados, MemoQ और Wordfast[13]

इन संसाधनों का प्रयोग राजभाषा अनुभागों में अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि अनुवाद का मानकीकरण और गुणवत्ता दोनों बढ़ सकें।

(ii) स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली

स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली (Translation Memory – TM) के तहत एक डेटाबेस तैयार होता है जिसमें पूर्व में किए गए अनुवाद सुरक्षित रहते हैं। इससे समान वाक्यांशों या वाक्यों के पुनः अनुवाद में समय और प्रयास की बचत होती है तथा अनुवाद की एकरूपता बनी रहती है। यह प्रणाली विशेषतः बड़े सरकारी दस्तावेजों, नियम पुस्तिकाओं और अधिनियमों के अनुवाद में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

(iii) टर्मबेस का विकास

टर्मबेस (Termbase) एक विशेष शब्दावली संग्रह होता है जिसमें विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित तकनीकी शब्दों और उनके स्वीकृत हिंदी समतुल्यों का संग्रह होता है। प्रत्येक मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक उपक्रम के लिए अपना अलग टर्मबेस तैयार किया जाना चाहिए।

6.4 अनुवाद की गुणवत्ता सुधार हेतु संरचनात्मक उपाय

(i) अनुवाद गुणवत्ता मानक का निर्धारण

राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद गुणवत्ता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने चाहिए, जिनमें भाषा की स्पष्टता, शैली की संगति, तकनीकी सटीकता आदि मापदंड सम्मिलित हों।

(ii) अनुवादक एवं संपादक की जिम्मेदारी तय करना

स्पष्ट रूप से यह तय होना चाहिए कि अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रथम जिम्मेदारी अनुवादक की तथा अंतिम गुणवत्ता सत्यापन की जिम्मेदारी संपादक की होगी। इससे जवाबदेही तय होगी और लापरवाही की संभावना घटेगी।

(iii) अनुवाद गुणवत्ता ऑडिट

समय–समय पर स्वतंत्र राजभाषा निरीक्षण दलों द्वारा अनुवाद गुणवत्ता का ऑडिट कराया जाना चाहिए। इससे अनुवादकों में गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी और राजभाषा कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में भी वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद की गुणवत्ता केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की पारदर्शिता, दक्षता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भी द्योतक है। उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद प्रशासनिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है।

इस दिशा में हमें अनुवादकों के सतत प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी उपकरणों के प्रयोग, संरचनात्मक मानकीकरण और गुणवत्ता ऑडिट जैसे उपायों को संगठित ढंग से लागू करना होगा। तभी हम संविधान में निहित राजभाषा हिंदी के विकास और विस्तार के लक्ष्य को पूर्णता की ओर ले जा सकेंगे।

राजभाषा हिंदी भारतीय प्रशासनिक तंत्र की सजीव संवाहिका है, जो केवल संप्रेषण की भाषा नहीं, अपितु राष्ट्रीय अस्मिता, लोकतांत्रिक चेतना एवं सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह शोध इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्रशिक्षण–आधारित दक्षतावर्धन एवं अनुवाद–केंद्रित संप्रेषण सेतु निर्माण राजभाषा कार्यान्वयन के मूल स्तंभ हैं। हिंदी के संवैधानिक सशक्तिकरण से लेकर डिजिटल युगीन समावेशन तक, इस भाषा ने बहुआयामी भूमिकाओं का निर्वहन किया है। प्रशिक्षण को केवल भाषा शिक्षण न मानकर, प्रशासनिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम माना गया है, जो अंग्रेजीप्रधान कार्यालय–परिपाटी से हिंदीसमर्थ कार्यसंस्कृति की ओर संक्रमण सुनिश्चित करता है। अद्यतन, व्यवहारिक एवं तकनीकसंगत प्रशिक्षण प्रणाली से हिंदी

के प्रति आत्मविश्वास, प्रयोगशक्ति एवं कार्यप्रभावशीलता में बहुगुणात्मक वृद्धि संभव है।

अनुवाद, जो केवल भाषान्तर प्रक्रिया नहीं अपितु शासकीय विचारों के नागरिकहित संप्रेषण का आधार है, राजभाषा कार्यान्वयन का निर्णायक तत्व सिद्ध होता है। सटीकता, स्वाभाविकता, शैलीगत समरसता एवं तकनीकी सक्षमता युक्त अनुवाद तंत्र लोकतंत्र को जनसुलभ बनाता है। प्रशिक्षित–अनुभवी अनुवादक, CAT टूल्स, शब्दावली–संग्रहण एवं अनुवाद–स्मृति जैसे नवाचारी साधनों के सहयोग से अनुवाद प्रक्रिया की विश्वसनीयता, गति एवं गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाया जा सकता है। यद्यपि संसाधन–संकीर्णता, मानसिकता–परिवर्तन की आवश्यकता एवं तकनीकी अपूर्णता जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि इच्छाशक्ति–संवहनीयता और रणनीतिगत संकल्प से इन्हें अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है।

राजभाषा नीति को केवल विभागीय निर्देश नहीं, अपितु हर कर्माधिकारी की सहभागितामूलक जिम्मेदारी बनाते हुए एक राष्ट्रीय भाषिक–सम्मान अभियान का रूप देना अनिवार्य है। प्रशिक्षण एवं अनुवाद को तकनीकी नवाचार, सतत प्रेरणा एवं कार्यकुशलता–प्रोत्साहन से संयुक्त कर हिंदी को कार्यालयीन कार्यप्रवाह का स्वाभाविक अंग बनाया जा सकता है। जब हिंदी केवल अधिनियम–निर्दिष्ट भाषा नहीं, अपितु कार्य–संस्कृति की अनिवार्य आत्मा बनेगी, तब ही यह प्रशासन की जीवंत धड़कन एवं राष्ट्र की भाषिक–लोकशक्ति का प्रतीक बनेगी। निष्कर्षतः, प्रशिक्षण और अनुवाद ही वे संवाहक शक्तियाँ हैं जो हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा के आत्मगौरवपूर्ण पद तक प्रतिष्ठित कर सकती हैं।

"हिंदी का समुचित कार्यान्वयन न केवल प्रशासन को सरल बनाता है, बल्कि राष्ट्र के हृदय में आत्मगौरव का संचार करता है।"

7. संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 343, भारत सरकार प्रकाशन https://legislative.gov.in/constitution-of-india
2. भारतीय संविधान, आठवीं अनुसूची, भारत सरकार प्रकाशन https://legislative.gov.in/constitution-of-india
3. भारत का संविधान, अनुच्छेद 343, भारत सरकार प्रकाशन https://legislative.gov.in/constitution-of-india
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद 343–351, भारत सरकार प्रकाशन https://legislative.gov.in/constitution-of-india
5. राजभाषा अधिनियम, 1963, गृह मंत्रालय, भारत सरकार https://rajbhasha.gov.in/hi/rajbhasha-adhiniyam-1963
6. राजभाषा आदेश एवं निर्देश, गृह मंत्रालय, भारत सरकार https://rajbhasha.gov.in/hi/raajabhaashaa-nirdesh-evan-aadesh
7. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (CHTI), गृह मंत्रालय, भारत सरकार https://rajbhasha.gov.in/hi/kendriya-hindi-prashikshan-sansthan
8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा प्रशिक्षण मॉड्यूल https://rajbhasha.gov.in/hi/prashikshan
9. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा अनुवाद नीति https://rajbhasha.gov.in/hi/anuvad-niti
10. राजभाषा विभाग, अनुवाद तकनीकी सहायता प्रभाग https://rajbhasha.gov.in/hi/translation-tools-and-glossary
11. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अनुवाद गुणवत्ता दिशा–निर्देश https://rajbhasha.gov.in/hi/translation-quality-guidelines
12. वही

SDL Trados – Translation Software Solutions,, आधिकारिक वेबसाइट https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/

ISSN No. : 0970-9398

स्वभाषा : गौरव का प्रतीक

– डॉ. हिमालय कुमार हिमांशु
कनिष्ठ अनुवादक
रेल इंजन कारखाना, जमालपुर।

भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का संवाहक भी है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है और समाज में अपनी पहचान स्थापित करता है। जब हम अपनी मातृभाषा में संवाद करते हैं, तो उसमें केवल शब्दों का आदान–प्रदान नहीं होता, बल्कि उसमें हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वाभिमान भी परिलक्षित होता है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां जीवंत हैं, वहां स्वभाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारी विविधतापूर्ण भाषाई धरोहर हमें न केवल सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत को विशिष्ट पहचान भी दिलाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी भाषा के सवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महापुरुषों ने स्वभाषा के महत्व को पहचाना और उसे जनमानस के जागरण का माध्यम बनाया।

स्वभाषा मात्र संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। यह हमारी आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और सांस्कृतिक स्वाधीनता का द्योतक है। जब कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को गर्व से अपनाता है और उसमें अपने समस्त कार्यकलाप संचालित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और स्वाभिमानी बनता है। इसके विपरीत, जब कोई समाज अपनी भाषा को तुच्छ समझने लगता है और विदेशी भाषाओं को अपनाकर स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है, तब वह धीरे–धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान खो बैठता है।

आज के वैश्विक युग में जब अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तब स्वभाषा का संरक्षण और संवर्धन और भी आवश्यक हो गया है। यह केवल भाषाई अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक अस्तित्व, आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना का भी प्रश्न है। अतः समय की मांग है कि हम अपनी स्वभाषा को न केवल सम्मान दें, बल्कि उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपनाएं।

स्वभाषा का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। स्वभाषा में सोचना, लिखना और कार्य करना आत्मबल और आत्मगौरव का प्रतीक है। जब हम अपनी भाषा के माध्यम से विश्व पटल पर संवाद करते हैं, तब हम न केवल अपने संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि यह भी संदेश देते हैं कि हमारी जड़ें मजबूत हैं और हम अपने मूल्यों को लेकर गर्वित हैं।

स्वभाषा की अवधारणा

'स्वभाषा' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है– 'स्व' और 'भाषा'। 'स्व' का अर्थ है अपनी और 'भाषा' का अर्थ है बोली या वाणी। इस प्रकार स्वभाषा का सामान्य अर्थ है अपनी भाषा या मातृभाषा। परंतु इसका विस्तृत अर्थ केवल जन्म से सीखी गई भाषा तक सीमित नहीं है। स्वभाषा वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति सहज रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, जिसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत समाहित है और जिससे वह अपनी पहचान जोड़ता है।

स्वभाषा की अवधारणा में निम्नलिखित आयाम समाहित हैं :–

1. सांस्कृतिक पहचानः स्वभाषा किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग होती है। इसमें उस समुदाय के इतिहास, परंपराओं, मूल्यों और जीवन दृष्टि का प्रतिबिंब मिलता है।
2. स्वायत्तता और स्वाभिमानः अपनी भाषा में सोचने, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता किसी समुदाय की बौद्धिक स्वायत्तता और स्वाभिमान का प्रतीक है।
3. ज्ञान का संवाहकः स्वभाषा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के हस्तांतरण का माध्यम होती है। इसके माध्यम से परंपरागत ज्ञान और अनुभव नई पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं।
4. सामाजिक एकताः एक साझा भाषा किसी समुदाय के सदस्यों को एकता सूत्र में बांधती है और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करती है।

स्वभाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1. प्राचीन भारत में भाषाओं की स्थिति

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही भाषाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक, भाषा में सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक

ISSN No. : 0970-9398

जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक संस्कृत जो वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी, उच्च स्तर पर विद्वता का प्रतीक बनी। इसके साथ ही, अपभ्रंश, प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं का भी विकास हुआ, जो जनसाधारण के बीच संचार का माध्यम बनी।

मौर्य काल में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जिससे स्पष्ट होता है कि सत्ता और धर्म प्रचार के लिए जनभाषा का प्रयोग कितना आवश्यक था। कालांतर में बौद्ध और जैन धर्मों ने भी पाली और प्राकृत जैसी सहज भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य तक अपने संदेश पहुंचाए।

प्राचीन काल में भारत के विभिन्न भूभागों में अनेक भाषाओं और बोलियों का विकास हुआ। तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाएं दक्षिण में तो संस्कृत से प्रभावित हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया आदि भाषाएं उत्तर और पूर्व भारत में विकसित हुई। भाषाओं की इस बहुलता ने भारत को एक जीवंत और विविधतापूर्ण संस्कृति प्रदान की।

2. मध्यकाल में भाषाओं की स्थिति

मध्यकालीन भारत में फारसी और अरबी का आगमन हुआ। मुगल शासन में फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे आम जनमानस और शासकीय कार्यों के बीच भाषा की दूरी बढ़ी। फिर भी इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ।

भक्ति आंदोलन ने स्वभाषा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संतों ने हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में साहित्य रचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने तमिल भाषा के माध्यम से भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। भाषा का यह जन आंदोलन जनता में चेतना फैलाने का माध्यम बना और स्वभाषा के प्रति प्रेम तथा गर्व की भावना को पुष्ट करता रहा।

3. ब्रिटिश शासन और भाषा नीति

अंग्रेजों के भारत आने के बाद भाषाई परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने कुख्यात 'मैन्यूटस ऑन एजुकेशन' के माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा और प्रशासन की भाषा बनाने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, भारतीयों के एक छोटे वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षित कर शासकीय कार्यों में संलग्न किया गया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को अपनी स्वभाषा और सांस्कृतिक धरोहर से दूर करने का कार्य किया। एक ओर जहां अंग्रेजी ज्ञान का प्रतीक बन गई, वहीं भारतीय भाषाओं को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। इससे एक मानसिक दासता उत्पन्न हुई, जो आज भी कई रूपों में विद्यमान है। परंतु इसके विपरीत, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय भाषाओं ने जन–जागृति और एकता का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने स्वभाषा के महत्व को पहचान और उसे आजादी की लड़ाई का हथियार बनाया।

4. स्वतंत्रता संग्राम और भाषा आंदोलन

महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के साथ–साथ स्वभाषा के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को मानसिक दासता का प्रतीक बताया और कहा कि हमारी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तानी (हिंदी उर्दू मिश्रित) को संपर्क भाषा बनाने की वकालत की। स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री अरबिंदो जैसे विचारकों ने भी अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई।

स्वतंत्रता संग्राम में पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों और साहित्य ने भारतीय भाषाओं में राष्ट्रवाद की भावना को व्यापक बनाया। मराठी में बाल गंगाधर तिलक का 'केसरी', हिंदी में गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप' और अनेक अन्य प्रकाशनों ने स्वभाषा में जनता को संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में भी मातृभाषाओं का भरपूर उपयोग हुआ। इसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वभाषा न केवल संप्रेषण का साधन है, बल्कि जन चेतना को प्रज्ज्वलित करने का भी मुख्य स्रोत है।

5. भारतीय संविधान और भाषाई अधिकार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तब भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बन गया। विभिन्न भाषाई समूहों ने अपनी–अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठाई। संविधान निर्माताओं ने गंभीर विचार–विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा अंग्रेजी भाषा को एक सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान किया। साथ ही, संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, जो आज भी भारतीय भाषाई विविधता का आदर करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाई प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और विकास सरकार का दायित्व है।

स्वभाषा और राष्ट्रीय अस्मिता

1. राष्ट्र निर्माण में स्वभाषा का योगदान

कोई भी राष्ट्र तभी स्थाई और सशक्त बन सकता है जब उसके नागरिकों के बीच एक साझा सांस्कृतिक पहचान हो, भाषा इस पहचान का मूल आधार होती है। स्वभाषा न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल करती है, बल्कि सामाजिक संवाद और समरसता का माध्यम भी बनती है।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए जनता तक अपने विचार सरलतम और प्रभावशाली भाषा में पहुंचने होंगे। इसलिए हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगू, गुजराती जैसी भाषाओं के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया गया। महात्मा गांधी ने 'हिंदुस्तानी' को आमजन की संपर्क भाषा बनाने की बात कही

ISSN No. : 0970-9398

थी, क्योंकि वह हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण थी और बड़े क्षेत्र में बोली–समझी जाती थी। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, रविंद्र नाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक आदि नेताओं ने भी स्वभाषा के प्रयोग द्वारा जनमानस को जागरूक किया। भाषा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि जब लोग अपनी भाषा में संवाद करते हैं, तो उनमें एकता, आत्म गौरव और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना प्रबल होती है।

2. मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान

मातृभाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक दायित्व है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हर भाषा अपने भीतर एक अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएं, लोक कथाएं, गीत, साहित्य और दर्शन समेटे होती है। जब हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो अनजाने में ही हम अपने पूर्वजों की परंपराओं और सोच को आगे बढ़ाते हैं। भाषा के माध्यम से संस्कृति का जीवंत अनुभव होता है और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन होता है। यदि कोई समाज अपने मातृभाषा का सम्मान नहीं करता और उसे त्याग देता है, तो वह धीरे–धीरे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटता चला जाता है। यही कारण है कि तमाम वैश्विक बदलावों के बावजूद, जिन देशों ने अपनी स्वभाषा को अपनाए रखा, वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहे।

विविधता में एकता : भारत का भाषाई परिदृश्य

भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषाई विविधता है। संविधान की आठवीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि वास्तविकता में 1500 से अधिक भाषाएं और बोलियां प्रचलित है। यह विविधता भारत को अनोखी सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करती है।

इस भाषाई विविधता के बावजूद भारत एक अखंड राष्ट्र है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय समाज ने विभिन्न भाषाओं का आदर करना और उनके सहअस्तित्व को स्वीकार करना सीखा है। भारत में प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा में शासन करने और अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। यह भाषाई स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जिसने 'विविधता में एकता' के आदर्श को मूर्त रूप दिया है। अनेक भाषाओं के बावजूद भारत की एकता का मूल मंत्र यही है कि हर व्यक्ति अपनी स्वभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित होता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों में भी भाषाई गौरव की झलक मिलती है।

आधुनिक युग में स्वभाषा की स्थिति

1. वैश्वीकरण और स्वभाषा की चुनौती

21वीं सदी वैश्वीकरण की सदी कही जा सकती है। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समूचा विश्व आज पहले से कहीं अधिक निकट आ गया है। इस वैश्विक संपर्क में अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा ने सेतु का कार्य किया है। व्यापार, तकनीक, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संवाद के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व निर्विवाद है। हालांकि इस प्रक्रिया में स्थानीय भाषाओं और स्वभाषाओं पर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। कई देशों में विशेषकर विकासशील देशों में अंग्रेजी माध्यम को श्रेष्ठता का प्रतीक मान लिया गया है, जिसके कारण स्वभाषाओं का महत्व घटता जा रहा है।

भारत में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। बड़े शहरों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। माता–पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी सीखाने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि मातृभाषा का ज्ञान और प्रयोग सीमित होते जा रहा है। यह प्रवृत्ति अगर अनियंत्रित रही तो आगे चलकर भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

2. शिक्षा में स्वभाषा का स्थान

शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है। यदि शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है, तो बच्चों का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए इससे न केवल सीखने की प्रक्रिया सहज होती है, बल्कि बच्चों में आत्मगौरव और सांस्कृतिक जुड़ाव की भावना भी उत्पन्न होती है। 2019 में यूनेस्को ने 'इंटरनेशनल इयर ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेजेज' मानकर देशी भाषाओं के संरक्षण पर जोर दिया।

भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। नीति के अनुसार, प्राथमिक स्तर तक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, व्यवहार में इस नीति को लागू करने में कई प्रकार की चुनौतियां हैं– यथा उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों का प्रशिक्षण और समाज में व्याप्त अंग्रेजीमूलक मानसिकता को बदलना। फिर भी, इसका उद्देश्य स्वभाषाओं को पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाना है। यह नीति भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

1. इंटरनेट और डिजिटल युग में स्वभाषा

डिजिटल क्रांति ने सूचना और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। आज इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। प्रारंभ में इंटरनेट पर अंग्रेजी का ही दबदबा था, किंतु अब स्थिति बदल रही है। भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री का उत्पादन बढ़ा है। हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी जैसी भाषाओं में वेबसाइट, ब्लॉग, न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हो रहे हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनियां भी भारतीय भाषाओं में सेवाएं दे रही है, जिससे स्वभाषाओं को नया जीवन मिला है। इस डिजिटल विस्तार ने स्थानीय भाषाओं के पुनरुत्थान में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब एक हिंदी भाषी व्यक्ति अपने मोबाइल पर समाचार पढ़ सकता है, बैंकिंग कर सकता है, सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है।

2. स्वभाषा के संरक्षण के प्रयास

सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा स्वभाषाओं के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत है। साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भाषा संस्थान इत्यादि भारतीय भाषाओं के साहित्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों को एक दूसरे राज्य की भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत सरकार ने विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। विभिन्न राज्यों ने अपनी–अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम और नीति निर्माण किए हैं।

भविष्य की दिशा और समाधान

1. भारतीय भाषाओं का भविष्य

भारत में भाषाई विविधता अत्यंत समृद्ध है। यदि उचित प्रयास किए जाएं तो भारतीय भाषाएं न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान और प्रभाव बना सकती है। आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। इसी तरह तमिल, बांग्ला, मराठी, तेलुगू जैसी भाषाओं के भी करोड़ों–करोड़ों बोलने वाले हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भाषाओं को आधुनिक तकनीकी युग के अनुकूल बनाएं, उन्हें नए क्षेत्रों में प्रयोग करें और अपनी अगली पीढ़ी को भाषाई स्वाभिमान से ओत–प्रोत करें।

2. स्वभाषा का संरक्षण : क्यों और कैसे?

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, वह एक समाज की स्मृति ज्ञान और संस्कृति का वाहक भी है, यदि कोई भाषा लुप्त होती है, तो उसके साथ एक समूची सांस्कृतिक विरासत ही समाप्त हो जाती है। इसलिए स्वभाषा का संरक्षण केवल भाषाई कार्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। भविष्य में स्वभाषा को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:–

1. शिक्षा में मातृभाषा का अनिवार्य प्रयोग या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने हेतु पाठ्य पुस्तकें और संसाधन विकसित किए जाने चाहिए।

2. तकनीकी, चिकित्सा प्रबंधन जैसी उच्च शिक्षा शाखाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3. सरकारी कार्यालय में स्वभाषा का प्राथमिकता से उपयोग हो। न्यायालयों में भी स्थानीय भाषाओं में कार्यवाही की सुविधा दी जाए। नागरिकों को अपनी भाषा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

4. मीडिया और मनोरंजन में स्वभाषा को बढ़ावा दिया जाए। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, फ़िल्में और ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्वभाषाओं की सामग्री को प्रोत्साहित किया जाए। साहित्यिक कृतियों और पारंपरिक कथाओं का प्रसार स्वभाषा में किया जाए।

5. इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स में भारतीय भाषाओं का प्रसार हो। भाषाई तकनीकों, जैसे मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुवाद उपकरण, वॉइस रिकग्निशन में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए।

6. जनता में अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान और गर्व की भावना जागृत की जाए। स्वभाषा के संरक्षण के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से अभियान चलाया जाए। मातृभाषा दिवस, राजभाषा दिवस आदि आयोजनों द्वारा भाषाई चेतना को बल दिया जाए।

7. सरकार को चाहिए कि वह भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए समुचित नीतियां बनाए, बजट आवंटित करे और संस्थागत ढांचा विकसित करे। लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने दैनिक जीवन में अपनी मातृभाषा का गर्वपूर्वक उपयोग करे, अपने बच्चों को अपनी भाषा का ज्ञान कराएं और अपने भाषा साहित्य को सम्मान दें। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब वह घर, परिवार, बाजार, शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, विज्ञान और संचार जैसे हर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से प्रयोग हो।

निष्कर्ष

स्वभाषा किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान और अस्मिता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। जो समाज अपनी भाषा का आदर करता है वह अपने इतिहास, संस्कृति और अस्तित्व का आदर करता है। भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं है, वह हमारे सपनों, भावनाओं और संघर्षों की अभिव्यक्ति है। स्वभाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति, परंपरा और विचारों को सहज रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे भीतर स्वाभिमान और आत्मविश्वास का संचार होता है।

किसी भी देश की प्रगति और विकास में वहां की स्वभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे विश्व के विकसित देशों का इतिहास देखें तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी भाषा को सम्मान देते हुए उसमें शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी का विकास किया।

स्वभाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी चिंतन और हमारी सृजनशीलता को भी प्रभावित करती है। जब हम अपनी भाषा में सोचते हैं और उसमें अभिव्यक्त करते हैं, तब हमारी मौलिकता और सृजनशीलता अधिक प्रभावी होती है। स्वभाषा के माध्यम से ही हम अपने इतिहास और विरासत से जुड़े रहते हैं। यदि हम अपनी भाषा को भूल जाते हैं, तो अपने अतीत और जड़ों से भी कट जाते हैं। इसलिए स्वभाषा का संरक्षण और संवर्धन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

अंततः स्वभाषा ही हमारी पहचान और स्वाभिमान की प्रतीक है। यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है। अपनी भाषा के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखकर ही हम अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकते हैं और अपने स्वाभिमान को बनाए रख सकते हैं। अपनी भाषा के प्रति सम्मान केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी परिचायक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं का प्रयोग करें, परंतु अपनी भाषा का त्याग न करें। हम बहुभाषी बने, परंतु अपनी मातृभाषा को अपना स्वाभिमान बनाकर रखें। यही स्वभाषा के प्रति सच्ची निष्ठा और देशभक्ति होगी। यही हमारे सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता का आधार बनेगा।

संदर्भ

1. गांधी, महात्मा। 'हिंद स्वराज्य', नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1952
2. गांधी, महात्मा। 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी', नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1947
3. बांग्ला भाषा आंदोलनः बांग्लादेश सरकार की आधिकारिक रिपोर्टें।
4. भारत सरकार। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020', मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
5. टैगोर, रवींद्रनाथ। 'राष्ट्रीयता' मैकमिलन कंपनी।
6. भार्गव, राजीव। 'भारतीय संविधान और भाषाई विविधता', भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद।
7. चौधरी, कविता। 'हिंदी और वैश्वीकरण', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. अंशुल, कुमार। 'भारतीय भाषाओं की स्थिति और समाधान', संवाद प्रकाशन, पटना।
9. वर्मा, रामेश्वर। 'शिक्षा और मातृभाषा', भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, वाराणसी।
10. देवी, महाश्वेता। भाषा और जनजातीय चेतना, साहित्य अकादमी, दिल्ली, 1998
11. शर्मा, मीनाक्षी। 'हिंदी का विकास और समस्याएं' प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2017
12. कुमार, पंकज। 'संस्कृत और भारतीय दर्शन', मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली
13. यादव, एल. पी.। हिंदी साहित्य का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020
14. मिश्रा, आलोक। 'मातृभाषा और राष्ट्र निर्माण', ग्रंथ निर्माण केंद्र, दिल्ली, 2019
15. Singh, Rajesh. 'Language and identity in Post-Colonial India', Oxford University Press, 2018
16. Rao, Sudha. 'Multilingualism in India', Sahitya akadami, New Delhi
17. Kulkarni, Shanta. 'Technology and Indian languages'. Tech Vani Publication 2019
18. Annamalai, E. 'Managing multilingualism in India: Political and linguistic manifestations', Sage Publication, 2001
19. Sridhar, K. 'Languages of India: A sociolinguistic perspective'. Foundation book 2008
20. Pandit, P.B. 'India as a Sociolinguistic Area', University of Delhi press 1972
21. Raman, Tariq. 'Language and politics in Pakistan', Oxford University Press 1996
22. Dhamija, Ritu. language, media and democracy in India, Orient Black Swan 2022
23. Johnson, David. 'Language Policy and Globalization', Cambridge University Press, 2009
24. Ministry of Education, India. 'Language and Education Policy Document', Government of India 2011
25. NCERT. 'Position paper on language education', National Council of Education Research and Training, 2006
26. UNESCO. 'The Role of Mother Tongue in Education' Global Report, 2020

ISSN No. : 0970-9398

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी

– डॉ. संजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

1990 के दशक में जब भारत में सूचना प्रौद्योगिकी ने दस्तक दी और लोगों ने कंप्यूटरों पर काम करना शुरू किया तो कुछ भविष्यवक्ताओं ने इसे हिंदी के अवसान की शुरुआत मान लिया था। उस समय यह बात सही भी थी क्योंकि कंप्यूटरों पर सिर्फ अंग्रेज़ी में काम होता था और जो कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा होता था, उसके बारे में यह सहज अनुमान लगा लिया जाता था कि उसे अंग्रेज़ी आती है। चाहे एटीएम हों या अन्य डिजिटल डिवाइस सब के सब अंग्रेज़ी समर्थित थे। इन उपकरणों पर अंग्रेज़ी से इतर भाषा में काम हो सकता है, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। पर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। भारत जैसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश जहाँ अधिकांश जनसंख्या हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार करती हो, में लोगों की ज़रूरतों को लंबे समय तक नज़रंदाज़ कर पाना प्रौद्योगिकी के लिए संभव नहीं था। लिहाज़ा प्रौद्योगिकी ने कुछ छिटपुट तरीकों से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की ओर कदम बढ़ाए। तरह–तरह के सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में काम होने लगा। हिंदी के लिए अक्षर, लीप ऑफिस, आकृति जैसे कई सॉफ्टवेयर बने, जिनकी सहायता से लोग कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने लगे। जैसे–जैसे इंटरनेट के चलन ने जोर पकड़ा इन सॉफ्टवेयरों की सीमाएं भी उजागर होने लगीं। इनकी मदद से हिंदी में मेल कर पाना संभव नहीं था और यदि कोई वर्ड फाइल अटैचमेंट के रूप में भेज दी जाती थी तो गंतव्य स्थल पर वह तब तक नहीं पढ़ी जा सकती थी जब तक वहाँ के पीसी में वही हिंदी सॉफ्टवेयर/फॉन्ट इंस्टॉल न हो।

यहाँ तक के सफर में हिंदी का प्रौद्योगिकी के संग गठजोड़ उतना प्रभावकारी नहीं था कि हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में कोई खास बढ़ोतरी हो पाती या हिंदीतर भाषी हिंदी में काम करने लगते। इसके उलट वे हिंदी भाषी जो कागज़ और कलम से हिंदी में काम किया करते थे, कंप्यूटर पर विशेषकर ई–मेल में अंग्रेज़ी के अभ्यस्त होने लगे। पर जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हर नई आवश्यकता नए आविष्कार का कारण बनती है, नतीजतन 1991 में यूनिकोड का आविष्कार हुआ। यूनिकोड के आ जाने से हिंदी सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के कैरेक्टर्स की यूनिक कोडिंग हो गई जिसके कारण इंटरनेट पर जो भी, जिस भाषा में लिखा जाता था, पूरी दुनिया द्वारा उसे उसी रूप में पढ़ा जाने लगा। यूनिकोड ने धीरे–धीरे हिंदी के क्षितिज को विस्तारित किया और वह लोकल से ग्लोबल बन गई। चूँकि प्रौद्योगिकी का काम ही है व्यक्ति को सुख–सुविधा पहुँचाना और वह अपने को तभी धन्य मानती है, जब सबके काम आए। प्रौद्योगिकी ने किस तरह से हिंदी के समक्ष अवसर उपन्न किए हैं, का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे:

हिंदी लिखना हुआ आसान

जब सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर नहीं थे और पत्र, नोट आदि हाथ से लिखे जाते थे तो उस समय हिंदीतर भाषी प्रायः अंग्रेज़ी में काम किया करते थे। किंतु यूनिकोड के आगमन और फोनेटिक की–बोर्ड की उपलब्धता ने उनकी मुश्किल आसान कर दी और वे अंग्रेज़ी की–बोर्ड का प्रयोग करते हुए दक्षता के साथ हिंदी में काम करने लगे। लेखन में हिंदी का प्रयोग बढ़ने की एक अन्य वजह ऑनलाइन शब्दकोशों और ट्रांसलेशन एप्लीकेशनों की उपलब्धता तथा सटीकता से अनुवाद करने की उनकी क्षमता है। वर्तमान में गूगल ट्रांसलेट, बिंग ट्रांसलेट, मंत्र राजभाषा, कंठस्थ जैसे तमाम एप्लीकेशन्स हैं, जिनकी मदद से हिंदी न जानने वाला भी हिंदी में काम कर रहा है। आज कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हिंदी में संप्रेषण की चाहत रखने वाला दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदी में अपनी बात रख सकता है और दूसरों की बात समझ सकता है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट, ऑउटलुक में डिक्टेट फीचर (स्पीच टू टेक्स्ट) की मदद से बोलकर हिंदी में टाइप किया जा सकता है।

हिंदी सीखना हुआ आसान

किसी भी भाषा के विकास के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि जब लोग हिंदी में काम करने में सक्षम होंगे तभी वे उसका प्रचार–प्रसार कर पाएंगे। आज यू–ट्यूब, वेबिनार, स्काइप, वीसी, वीडियो कॉलिंग जैसे तमाम ऑनलाइन शिक्षण–माध्यम हैं, जिनकी मदद से दुनिया के किसी भी छोर पर बैठा व्यक्ति आसानी से हिंदी सीख सकता है। वहीं ऑनलाइन हिंदी प्रशिक्षण हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का लीला जैसा सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल से प्रशिक्षार्थियों को घर बैठे ही भाषा के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंगों (जैसे वर्ण परिचय, वर्णो का स्वर और व्यंजनों मे वर्गीकरण, उच्चारण भेद, अनुनासिक, अनुस्वार एवं संयुक्त व्यंजनों का स्वरूप, काल विभाजन,कारक

चिन्हों का सटीक प्रयोग आदि) की जानकारी हो जाती है। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर हिंदी शब्द सिन्धु, ई–सरल हिंदी वाक्यकोश जैसी उपयोगी सामग्री उपलब्ध है जिसके अनुशीलन से हिंदी में दक्षता हासिल की जा सकती है। वर्तमान में Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Memrise, Talkpal जैसे एआई संचालित ट्यूटर ऐप भी हैं जो लोगों को ऑडिओ–विज़ुअल माध्यम से आसानी से हिंदी और भारतीय भाषाएं सिखा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी को आकर्षक और सुग्राह्य बनाया

जबसे कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना संभव हुआ, सरकारी कर्मचारी न केवल पत्राचार और नोटिंग हिंदी में कर रहे हैं, अपितु पीपीटी, सारणी,चार्ट आदि भी हिंदी में तैयार कर रहे हैं। वेबसाइटों पर सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध हैं और सिस्टम जनित मैसेज़/मेल भी अब हिंदी में भेजे जा रहे हैं। चैट बॉट और आईवीआर में हिंदी में संवाद की सुविधा है। एनीमेशन, वर्ड आर्ट, ग्राफिक्स की बदौलत अब दिलकश अंदाज़ में हिंदी में विज्ञापन और विपणन किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकीय नवाचारों के चलते हिंदी की ग्राह्यता और लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 351 में भी यही अपेक्षा की गई है कि हिंदी का प्रयोग इस प्रकार से बढ़ाया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी की इस अपेक्षा को बखूबी पूरा कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने जगाया हिंदी में काम करने का आत्मविश्वास

जबसे कंप्यूटर पर हिंदी में काम होने लगा, लोगों को न केवल लिखावट के द्वंद से मुक्ति मिली, अपितु वे अल्प समय और अल्प प्रयास से बहुत कुछ लिख–पढ़ और समझ पाने में सक्षम हुए। वर्तमान में गूगल लेंस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, पेन टू प्रिंट, एडोब स्कैन जैसे कई ऐप्स है जो स्कैन की गई छवियों तथा हस्तलिखित हिंदी सामग्री को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनिशन (OCR) और हैंडराइटिंग रिकॉगनिशन टेक्नॉलॉजी की मदद से संपादन योग्य टेक्स्ट में बदल सकते हैं। हिंदी–कामकाज में प्रौद्योगिकी के प्रवेश से अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, की भाषा–संबंधी कठिनाइयाँ काफी कम हुईं हैं। आज हिंदी भाषी राज्यों के कैडर में बहुत से हिंदीतर भाषी अधिकारी पदस्थ हैं जो तकनीक की सहायता से हिंदी में अपना काम पूरी दक्षता से कर रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हिंदी कंटेंट तक पहुँच हुई आसान

सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी सामग्री को सर्वसुलभ बनाया है। यूनिकोड के फलस्वरूप अब इंटरनेट पर हिंदी में सर्च की सुविधा उपलब्ध है जिसके कारण लोग वेब पर पड़ी हिंदी की अकूत सामग्री को एक्सेस कर सकते हैं और एआई की मदद से उसे अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज लगभग सभी विषयों/विधाओं पर हिंदी विकिपीडिया उपलब्ध है। हिंदी के लगभग सभी समाचार पत्र, पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रीडरशिप सर्वे के अनुसार भारत के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले शीर्ष 5 अखबारों में से 4 अखबार हिंदी के हैं। इन अखबारों का ई–संस्करण और ऐप वर्ज़न भी मौजूद है जिसे लोग कभी भी, कहीं से पढ़ सकते हैं। समाचार पत्रों की भांति ई–पत्रिकाओं की भी एक लंबी फेहरिस्त है। वर्तमान में न केवल साहित्यिक वेब पत्रिकाएं हैं, अपितु खेल,मनोरंजन, वित्त,योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता, कला,संस्कृति जैसे ज्ञान–विज्ञान के हर विषय पर ये उपलब्ध हैं। ये सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशी धरती से भी प्रकाशित हो रही हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के पिट्सबर्ग से 'सेतु', संयुक्त अरब अमीरात से 'अभिव्यक्ति' और 'अनुभूति', कनाडा से 'सरस्वती पत्र' और 'हिंदी चेतना', संयुक्त राज्य अमेरिका से 'भारत संदेश','अन्यथा','कर्मभूमि' और 'प्रवासी टुडे', बिट्रेन से 'पुरवाई', नार्वे से 'स्पाइल दर्पण', अबु धाबी से 'निकट', जापान से 'ज्वालामुखी', सूरीनाम से 'सूरीनाम दर्पण', साइप्रस से 'परिचय',नेपाल से 'हिमालिनी', मारीशस से 'वसंत', रिमझिम', 'इन्द्रधनुष', 'आक्रोश','आर्योदय', 'पंकज', 'बालसखा' तथा 'सुमन' जैसी ई–पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहीं हैं। भारत में भी प्रवक्ता, युग मानस, विचार–मीमांसा, समालोचन, साहित्य कुंज, साहित्य रागिनी, रचनाकार, सृजन गाथा, हिंदी समय, हंस, कथादेश, तद्‌भव, नया ज्ञानोदय, वीणा सरीखी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं ई–रूप में मौजूद हैं। अब तो सरकारी कार्यालयों की पत्रिकाएं भी ई–फार्मेट में उपलब्ध हैं जिन्हें गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई–पत्रिका पुस्तकालय खंड में पढ़ा जा सकता हैं। इन पत्र–पत्रिकाओं से जहाँ प्रतिदिन हजारों हिंदी पृष्ठ इंटरनेट की दुनिया में शामिल हो रहे हैं, वहीं हिंदी का वैश्विक पाठक वर्ग भी तैयार हो रहा है। कविताकोश, गद्यकोश, हिंदी समय जैसी वेबसाइटों पर कवियों और लेखकों का विपुल साहित्य पड़ा हुआ है, जो पाठकों के लिए हर समय सुलभ है। इंटरनेट पर हिंदी–साहित्य की व्यापक मौजूदगी से लोगों का न केवल ज्ञान–संवर्धन हो रहा है, अपितु उनकी शब्द–संपदा भी समृद्ध हो रही है।

सोशल मीडिया ने हिंदी को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया

हिंदी को विश्वव्यापी बनाने में सोशल मीडिया ने जितनी मुकम्मल भूमिका निभाई है, उतना शायद ही किसी अन्य माध्यम ने किया हो। वर्तमान में ब्लॉग, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे न जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बने हुए हैं। एक आकलन के अनुसार वर्तमान में लगभग एक लाख से अधिक हिंदी ब्लॉग हैं जिनमें दस हजार से अधिक अति सक्रिय श्रेणी के हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर फैलती हिंदी का तो कहना ही क्या। चूँकि भारत की अधिकांश जनसंख्या

हिंदी बोलती व समझती है, इसलिए इन प्लेटफार्मों पर डाली जाने वाली ज्यादातर पोस्टें हिंदी में होती हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर 10 करोड़ से अधिक फ़ॉलोअर हैं और फ़ॉलोअर्स के मामले में उनका स्थान दुनिया के शीर्ष दस लोगों में है। ऐसे में जब उनके द्वारा कोई पोस्ट डाली जाती है (जो अमूमन हिंदी में होती है) तो हिंदी भाषियों के साथ–साथ अहिंदी भाषी भी उसे पढ़ते हैं। इससे परोक्ष रूप से ही सही, पर हिंदी का प्रचार अवश्य हो जाता है। आज यूट्यूब पर कुमार विश्वास, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर जैसे महफिल बटोरने वाले हास्य–कवियों, फिल्मी गीतों और फैशन–जगत से लेकर घरेलू व्यंजन बनाने तक की हरेक विधा से संबंधित लाखों हिंदी क्लिप्स मौजूद हैं जिन्हें प्रतिदिन करोड़ों लोगों द्वारा देखा जाता है। कहते हैं कि लोग उन चीज़ों को बेहतर ढँग से सीखते हैं जो उन्हें कभी सिखाई नहीं जातीं। चूँकि सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री मौलिक, सहज और बोलचाल की हिंदी में होती है, अतएव लोग अनायास और हास–परिहास में हिंदी सीख रहे हैं। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया है जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी हिंदी में संवाद कर रही है। यदि सोशल मीडिया न होता तो शायद हिंदी भाषी लोग खासकर ग्रामीण अंचल की आबादी अपने को बड़े फलक पर अभिव्यक्त न कर पाती।

सैटेलाइट टेक्नॉलॉजी से हिंदी मीडिया को लगे नए पंख

सैटेलाइट टेक्नॉलॉजी के विकास के साथ मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। तीस–चालीस बरस पहले जहाँ मीडिया और मनोरंजन के नाम पर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, वहीं आज न्यूज़ और इंटरटेनमेंट के अनगिनत चैनल हैं। घर–घर में डीटीएच/ब्रॉडबैण्ड लगे हुए हैं जिन पर चौबीसों घण्टे समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम चलते हैं। मीडिया जगत में इन चैनलों के वर्चस्व के कारण अब दक्षिण और पूर्वी राज्यों के राजनेता भी हिंदी सीख रहे हैं। विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित लाइव चर्चाओं में विश्व के कोने–कोने से लोग जुड़ रहे हैं और हिंदी में प्रभावी संवाद कर रहे हैं। इन चैनलों पर दृश्य–श्रव्य के साथ–साथ हेडलाइंस/ब्रेकिंग न्यूज़ की एक पट्टी भी चलती है जिसे पढ़कर लोगों की हिंदी की समझ और भी विकसित होती है। आज से 15–20 बरस पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शेयर बाज़ार और निवेश से जुड़ी खबरें हिंदी में होंगी। वर्तमान में ज़ी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़ जैसे चैनलों पर हिंदी में दिनभर शेयर व कमोडिटी बाज़ार की खबरें चलती हैं तथा निवेश के मंत्र दिए जाते हैं। इन्हें देशी निवेशकों के साथ–साथ विदेशी निवेशकों द्वारा भी ध्यान से सुना जाता है। कहना न होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिंदी के ई–कंटेंट में बढ़ोतरी के साथ–साथ हिंदी की पैठ को भी व्यापक बनाया है। इसकी बदौलत हिंदी आज उन सुदूरवर्ती राज्यों/देशों में पहुँची है, जहाँ वह कुछ बरस पहले तक एक अबूझ पहेली बनी हुई थी।

तकनीक ने बढ़ाई हिंदी के प्रसार की गति

वर्तमान समय में मोबाइल और इंटरनेट के चलते पलक झपकते ही कोई संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में वायरल होने लगता है। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था में पैसों का मूवमेंट तेज़ होने से अर्थव्यवस्था गतिमान रहती है, उसी तरह संदेश के साधन तीव्र होने से भाषा का प्रवाह भी तीव्र होता है। सूचना–प्रौद्योगिकी के विविध प्लेटफ़ार्मों के जरिए हिंदी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने दी हिंदी को नई उड़ान

हिंदी के समक्ष अवसरों का पिटारा खोलने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का योगदान अतुलनीय रहा है। इसने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) के जरिए कंप्यूटर को मानव भाषा समझने और संसाधित करने में सक्षम बनाया है। इससे प्रौद्योगिकी अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल हुई है। मशीन लर्निंग और अन्य तकनीकों के द्वारा कंप्यूटर उपयोगकर्ता के भाषण को पहचान सकता है, आशय समझ सकता है और तदनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। एआई के चलते अब जरूरी नहीं रह गया है कि किसी खास कार्य को निष्पादित करने के लिए कम्प्यूटर को अंग्रेज़ी में कमांड दी जाए या कोई उत्तर तलाशने के लिए अंग्रेज़ी में सवाल किया जाए। आप हिंदी में कमांड दे सकते हैं और वाँछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन, चैटबॉट और वॉयस–एक्टिवेटेड असिस्टेंट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वर्तमान में चैट जीपीटी, डीप सीक, को–पायलट, जेमिनी जैसे तमाम एआई मॉडल हैं जो टेक्स्ट, इमेज़, ऑडियो, वीडियो और कोड सहित कई प्रकार के डेटा को संसाधित कर सकते हैं और उस पर तार्किक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप इन एआई संचालित मॉडलों के द्वारा हिंदी में पत्र, आवेदन, निबंध आदि तैयार कर सकते हैं, किसी अन्य भाषा के पाठ को हिंदी में रूपांतरित कर सकते हैं और उसकी भाषा को अपनी आवश्यकतानुसार परिमार्जित करा सकते हैं।

जैसे–जैसे इंटरनेट पर हिंदी सामग्री बढ़ती जा रही है, एआई और भी सटीक परिणाम उत्पन्न कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की इस आधुनिकतम पहल के चलते देशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हिंदीभाषी जनता के बीच अपने उत्पादों का विपणन करना काफी आसान हो गया है। वे व्यक्ति के डिजिटल व्यवहार के आधार पर उसकी पसंद, नापसंद और ज़रूरत का आकलन करते हुए उत्पाद व सेवाएं पेश कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो अब ग्राहकों को किसी सेवा या उत्पाद हेतु विक्रेता की भाषा समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विक्रेता खुद ही ग्राहक की भाषा में कस्टमाइज्ड सेवाएं प्रदान कर रहा है। इससे हिंदी भाषी जनता का यह भ्रम दूर हो गया है कि उसे नए–नए उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ी का ज्ञान होना चाहिए।

ISSN No. : 0970-9398

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के समक्ष चुनौतियाँ :

प्रौद्योगिकी ने हिंदी के सम्मुख जहाँ तमाम अवसर उपन्न किए हैं, वहीं कतिपय चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं जिनका विश्लेषण हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे:

रोमन लिपि में हिंदी लिखे जाने का चलन

तकनीकी डिवाइसों पर देवनागरी में लिखने की सुविधा होने के बावजूद, रोमन लिपि में हिंदी लिखे जाने का चलन बढ़ा है। आज वाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया चैनलों पर लोग रोमन लिपि में हिंदी लिख रहे हैं। यू ट्यूब, रील्स, मीम्स आदि पर पोस्ट की गई टिप्णियों में अधिकतर टिप्पिणयाँ रोमन लिपि में पाई जाती है। मेरे विचार में हिंदी यदि अपनी लिपि देवनागरी के साथ आगे बढ़े तभी उसका सही मायने में दीर्घकालिक विकास होगा।

भाषा के क्रमबद्ध और व्याकरण सम्मत ज्ञान का अभाव

लोग ऑनलाइन प्लेटफार्मो के जरिए हिंदी सीख तो जाते हैं, पर उन्हें व्याकरण और भाषा–विज्ञान की वह समझ नहीं हो पाती जो किसी नियमित कक्षा में पढ़ने से प्राप्त हो सकती है। काम चलाऊ हिंदी सीखने की इस प्रवृत्ति के चलते विधि, प्रबंधन, वित्त, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैसे तकनीकी विषयों पर हिंदी में मुकम्मल लेखन नहीं हो पाता, क्योंकि जिन्हें इन विषयों की समझ होती है वह हिंदी में दक्ष नहीं होता है और जो हिंदी में दक्ष होता है उसे विषय की गहरी समझ नहीं होती। लिहाजा अनुवाद का सहारा लिया जाता है जिससे कृत्रिमता आ जाती है।

सृजनात्मकता का अभाव

चूँकि चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक जैसे एआई आधारित मॉडल और अनुवाद टूल्स उपयोगकर्ता से अनुदेश प्राप्त होते ही हिंदी कंटेंट तैयार कर देते हैं, ऐसे में हिंदी में मौलिक चिंतन और लेखन को आघात पहुँचता है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे ज़ोमेटो, स्विगी आदि के कारण घर में भोजन पकाने की कला को पहुँचा है। उल्लेखनीय है कि जिस कंटेट को तैयार करने में जितना अधिक श्रम लगता है, वह उतनी देर तक स्मृति पटल पर अंकित रहता है। एआई के द्वारा फटाफट कंटेट परोसने के कारण लोग अपने शब्दों और लहज़े में हिंदी अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी जन्य साइबर अपराध

लार्ज लैंग्वेज़ मॉडल (LLMs) की मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने की दक्षता के कारण डीफ फेक जैसे साइबर अपराधों को भी बढ़ावा मिला है। आजकल डिजिटल अरेस्ट जैसे वाक्यात आम हो गए हैं जहाँ आप अपने किसी नज़दीकी को मुसीबत में पड़ा हुआ और मदद की गुहार लगाते सुन सकते हैं। मदद की गुहार लगाने वाले व्यक्ति की बोली–भाषा हूबहू वही होती है जिसके कारण आपके मन में संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं बचती और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का हिंदी के प्रचार–प्रसार में अतुलनीय योगदान रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हिंदी सीखना व लिखना काफी आसान हुआ है, अनुवाद की गुणवत्ता व गति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और इसने अन्य भाषा–भाषियों को परस्पर जोड़ने का काम किया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी ही है जिसकी बदौलत हिंदी ने अपनी भौगोलिक सीमा को लांघकर विश्वपटल पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनकर उभरी है। हिंदी विकिपीडिया में लगातार वृद्धि, सोशल मीडिया पर हिंदी का बढ़ता कंटेंट, मेडिकल– इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों की हिंदी में पढ़ाई, हिंदी में बिजनेस चैनलों की शुरुआत, हिंदी मीडिया में बढ़ता निवेश और ऑक्सफोर्ड द्वारा अपने शब्दकोश में हिंदी शब्दों को निरंतर जगह दिया जाना यह दर्शाता है कि दुनिया को हिंदी में अपार संभावनाएं नज़र आ रही हैं। भाषा व्यवहार की चीज़ है और हिंदी को व्यवहार में लाने तथा उसे लोकप्रिय बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है।

"मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता।"

– आचार्य विनोबा भावे

ISSN No. : 0970-9398

अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सहअस्तित्व

– अर्पण बाजपेयी, वरिष्ठ प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद

भारत विविधताओं का देश है, जहां भाषाओं की बहुलता उसकी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जबकि देशभर में उन्नीस हजार पांच सौ से अधिक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। इन भाषाओं में हिंदी एक ऐसी कड़ी है जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक सेतु का काम करती है। आज जब देश अमृत काल के दौर में प्रवेश कर चुका है अर्थात भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने से पूर्व के 25 वर्ष, तब यह आवश्यक हो गया है कि हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर सहअस्तित्व की गहराई से जांच करें।

अमृत काल एक नया युग :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित अमृत काल की अवधारणा न केवल भारत की भौतिक और आर्थिक उन्नति की बात करती है, बल्कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी समय है। इस कालखंड में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना तथा अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक पटल पर स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे में भाषाएं, विशेष रूप से भारतीय भाषाएं, राष्ट्रीय पुनर्निमाण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

भाषाओं का सह–अस्तित्व :

भारतीय भाषाएं सदियों से सहअस्तित्व की भावना में पली बढ़ी है। एक ओर तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड जैसी द्रविड़ भाषाएं हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उडिया जैसी आर्य भाषाएं हैं। हिंदी ने उत्तर भारत में व्यापक प्रयोग के कारण धीरे–धीरे एक संपर्क भाषा का रूप ले लिया। हालांकि यह अन्य भाषाओं को दबाने का प्रयास नहीं था, बल्कि आपसी संवाद को सहज बनाने का एक माध्यम रहा।

भाषा संपर्क और समावेश :

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दों का आदान–प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है। तमिल और संस्कृत का पारस्परिक प्रभाव या बंगाली और हिंदी में प्रयुक्त उर्दू/फारसी शब्द, यह सब भाषाई सहभागिता के उदाहरण हैं। हिंदी ने क्षेत्रीय भाषाओं से शब्दों, विचारों, शैली और भावों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए, हिंदी साहित्य में मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा की भूमिका अमूल्य है।

भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक परंपरा :

भारत में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं का लंबा इतिहास रहा है। इन भाषाओं ने एक दूसरे से शब्द, वाक्य रचनाएं और सांस्कृतिक तत्वों का आदान–प्रदान किया है जिससे भारतीय भाषाओं का समृद्ध और विविध रूप विकसित हुआ है। उदाहरणस्वरूप हिंदी में संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ है जो इसकी समृद्धि को दर्शाता है।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच परस्पर सहयोग :

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि मित्रवत हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हिंदी और स्थानीय भाषाएं मित्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी का प्रचार जब तक संभव नहीं है जब तक अन्य भारतीय भाषाओं को सशक्त नहीं किया जाता।

इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन संचार संस्थान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन में भी यह विचार व्यक्त किया गया कि भाषा एक संस्कार है और भाषा संवाद का माध्यम है।

भाषा का सांस्कृतिक महत्व :

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और राष्ट्र की संस्कृति रूपी देह का निर्माण करती है। इसलिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सहयोग से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है।

समावेशी भाषा नीति की आवश्यकता :

अमृत काल में एक समावेशी भाषा नीति की आवश्यकता है जो सभी भारतीय भाषाओं को समान सम्मान दे और उनके बीच संवाद को बढ़ावा दे। इससे न केवल भाषाई विविधता का संरक्षण होगा, बल्कि राष्टीय एकता भी मजबूत होगी।

तकनीक और मीडिया के युग में भाषाई सहभागिता :

वर्तमान में सोशल मीडिया, यूटयूब, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट जैसे डिजिटल माध्यमों ने भाषाओं के संवाद को नया आयाम दिया है। एक कन्नड भाषी यूट्यूबर अपने वीडियों में हिंदी उपशीर्षक देता है जिससे उत्तर भारत के दर्शक भी उससे जुड सकें। इसी प्रकार हिंदी पॉडकास्ट में मलयालम या मराठी कविताओं का अनुवाद शामिल किया जा सकता है।

साहित्यक मेलों और पुस्तक प्रदर्शनियों में बहुभाषी भागीदारी :

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, दिल्ली बुक फेयर जैसे मंचों पर अब केवल अंग्रेजी या हिंदी ही नही, बल्कि तेलुगु, बांग्ला, कोंकणी, डोंगरी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक एवं पाठक जुड रहे हैं। यह भारतीय भाषाओं के बीच संवाद और सह अस्तित्व का प्रतीक है।

नई शिक्षा नीति और भाषाई विविधता :

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने पर बल दिया है। इससे छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक विकास प्रक्रिया में उनकी मातृभाषा की भूमिका को मान्यता मिली है। साथ ही यह नीति बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है जिससे छात्र हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो सकें।

भारतीय भाषा समिति का गठन :

सरकार ने भारतीय भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु भारतीय भाषा समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी और उच्च शिक्षा को बढावा देना है। हिंदी इस प्रक्रिया में एक प्रमुख सेतु का कार्य करती है क्योंकि यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

राजभाषा नीति और त्रिभाषा सूत्र :

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी को सरकारी कार्यों की भाषा के रूप में स्थापित किया गया है परंतु यह अन्य भाषाओं के साथ सहयोग और समन्वय की भावना को भी बल देती है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को शामिल कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भाषाएं प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग का माध्यम बनें।

अनूदित साहित्य का बढता महत्व :

आज अनूदित साहित्य का महत्व दिन ब दिन अधिक होता जा रहा है। बांग्ला साहित्य के रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मलयालम के एम.टी.वासुदेवन नायर, तमिल के सुचि गणेशन आदि के कार्य हिंदी में अनूदित होकर पूरे भारत तक पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद्र, अज्ञेय, महादेवी वर्मा जैसे हिंदी साहित्यकारों की रचनाएं अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित होकर साझा सांस्कृतिक पहचान गढ़ती हैं।

साझी साहितियक विरासत :

रामायण, महाभारत, भक्तिकालीन साहित्य आदि भारत की साझी विरासत है जिनकी अभिव्यक्तियां सभी भाषाओं में देखी जा सकती हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी में जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही कंबन की तमिल रामायण और कृतिवास ओझा की बंगाली रामायण भी। यह भाषाओं के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध का परिचायक है।

भविष्य की चुनौतियां :

भाषाई असमानता :

कई बार हिंदी के प्रचार को अन्य भाषाओं पर थोपे जाने के रूप में देखा जाता है जिससे टकराव की स्थिति बनती है।

शहरीकरण और अंग्रेजीकरण :

आधुनिकता और वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर अधिक होता जा रहा है जिससे मातृभाषाएं पीछे छूट रही हैं।

तकनीकी संसाधनों की कमी :

अनेक भाषाओं के लिए डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड की पर्याप्त सुविधा नहीं है।

भविष्य की संभावनाएं :

एआई और भाषाई तकनीक :

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब भाषाओं के बीच अनुवाद और संवाद को सरल बनाया जा सकता है। हिंदी एवं अन्य भाषाओं में टेकस्ट–टू–स्पीच, स्पीच–टू–टेकस्ट, अनुवाद सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे हैं।

राष्ट्रीय एकता का माध्यम :

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता भारत की एकता में विविधता को और सुदृढ करती है। यदि यह सहयोग बना रहा तो भारत सांस्कृतिक रूप से और भी समृद्ध होगा।

अमृतकाल भारत के लिए न केवल आर्थिक विकास का युग है बल्कि यह सांस्कृतिक आत्मखोज और पुनर्निर्माण का समय भी है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का परस्पर सहअस्तित्व इस दिशा में एक सशक्त माध्यम है। यह सहभागिता न तो किसी भाषा की श्रेष्ठता को दर्शाती है न ही किसी की हीनता को बल्कि यह भारतीय भाषाई चेतना की एक जीवंत मिसाल है जहां संवाद, सहयोग और सह अस्तित्व के माध्यम से भारत अपने गौरवशाली भविष्य की ओर अग्रसर है।

ISSN No. : 0970-9398

हिंदी के प्रयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन अनुवाद की भूमिका

– सत्यम कुमार
प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है, जो ऐसे सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है, जो सामान्यतः इंसानी बुद्धिमत्ता की मांग करने वाले कार्य कर सकें। सरल शब्दों में, AI का मतलब है मशीनों द्वारा इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन – जैसे निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करना, भाषा की समझ और संचार करना।

मशीन लर्निंग (ML) AI का एक महत्वपूर्ण उपसमूह है, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम को बड़े डेटा से पैटर्न या नियम सीखने की क्षमता प्रदान करता है, बिना उन्हें विशेष रूप से प्रोग्राम किए। इसका उद्देश्य मशीनों को डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणियाँ करना सिखाना है। उदाहरण के लिए, एक ML मॉडल हज़ारों हिंदी वाक्यों का विश्लेषण कर यह समझ सकता है कि अनुवाद कैसे करना है या किसी वाक्य के शब्दों का क्रम कैसे अर्थ बदलता है।

डीप लर्निंग (Deep Learning) मशीन लर्निंग की एक उन्नत तकनीक है, जिसमें कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके असंरचित (unstructured) डेटा, जैसे चित्र, आवाज़ और पाठ, से जटिल पैटर्न सीखे जाते हैं। हाल के वर्षों में इन तकनीकों में हुई प्रगति ने मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने वाली प्रणालियों के विकास को तेज़ किया है, जिससे AI का उपयोग और भी प्रभावी और व्यापक हो गया है।

इन्हीं तकनीकों ने हिंदी भाषा के प्रयोग और प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा, जो भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, तकनीकी प्रगति के इस युग में AI और ML के माध्यम से नए आयाम छू रही है। स्वचालित अनुवाद, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), स्पीच रिकग्निशन और वॉयस असिस्टेंट जैसे AI आधारित अनुप्रयोग हिंदी के प्रयोग को अधिक सुगम और सुलभ बना रहे हैं।

डिजिटल युग में हिंदी भाषा की स्थिति और चुनौतियाँ

हिंदी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जो भारत में करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। परंतु डिजिटल युग में हिंदी की उपस्थिति वर्तमान में अपेक्षाकृत कम आंकी गई है। एक हालिया आँकड़े के अनुसार विश्व–व्यापी वेब पर सामग्री की भाषा के तौर पर हिंदी का हिस्सा 0.1 प्रतिशत से भी कम है, जबकि अंग्रेज़ी का प्रभुत्व लगभग आधे वेब पर है। इसका अर्थ यह है कि इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों और सूचनाओं का बहुत छोटा अंश ही हिंदी में है। इसके विपरीत, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या हिंदी को प्राथमिकता देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी भारत में 57 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता सामग्री का उपयोग अपनी स्थानीय (भारतीय) भाषा में करना पसंद करते हैं, जिसमें हिंदी सबसे शीर्ष पर है। इसी प्रकार, KPMG की एक अध्ययन रिपोर्ट ने पूर्वानुमान लगाया था कि 2021 तक हिंदी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अंग्रेज़ी उपयोगकर्ताओं से अधिक हो जाएगी और कुल भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीय भाषाओं की होगी। ये रुझान दर्शाते हैं कि भारत में डिजिटल सामग्री के उपभोग हेतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।

फिर भी, हिंदी भाषा को डिजिटल जगत में अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं। एक बड़ी तकनीकी चुनौती यह है कि हिंदी जैसी भाषाओं के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उपकरणों और संसाधनों का लम्बे समय तक अभाव रहा है। उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी के लिये टोकनाइज़ेशन शब्दों के कई परिपक्व "स्पीच टैगिंग–ऑफ–पार्ट" औज़ार उपलब्ध हैं, पर हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के लिये ऐसे उपकरण सीमित रहे हैं। हिंदी भाषा की संरचना भी AI प्रणालियों के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है – हिंदी में शब्दों के रूप (Morphology) बहुत बदलते हैं; जैसे क्रिया "करना" के रूप "किया", "करेंगे", "कर रहा है" आदि, जिन्हें सही पहचानना और उनके संदर्भ को समझना मशीन के लिये कठिन हो सकता है। इसके अलावा हिंदी वाक्यों का शब्द क्रम लचीला है; हिंदी सहित कई भारतीय भाषाएँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र शब्द क्रम (free word order) का अनुसरण करती हैं, जहाँ एक ही वाक्य विभिन्न क्रम में (जैसे कर्ता–कार्य–क्रिया या कर्म–कर्ता–क्रिया क्रम) लिखा या बोला जा सकता है लेकिन अर्थ वही रहता है। ऐसी संरचनात्मक जटिलताएँ कंप्यूटर एल्गोरिदम के लिए व्याकरण और संदर्भ को समझना मुश्किल बना देती हैं।

एक अन्य व्यवहारिक चुनौती है कोड–मिश्रण या हिंग्लिश का प्रचलन। अधिकांश भारतीय द्विभाषी होते हैं और रोजमर्रा के संचार में हिंदी और अंग्रेज़ी (हिंग्लिश) को मिलाकर बोलते–लिखते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट या चैट में अंग्रेज़ी और हिंदी शब्दों का

मिश्रण आम है (जैसेः "कल की मूवी का climax तो totally unexpected था") ऐसे वाक्यों को स्वचालित रूप से समझने के लिए AI सिस्टम को यह पहचानना होता है कि कौन से शब्द किस भाषा के हैं और प्रत्येक भाग को सही ढंग से विश्लेषित करना होता है। कोड–मिश्रित सामग्री का प्रबंधन वर्तमान NLP मॉडल हेतु एक जटिल कार्य है।

इन तकनीकी बाधाओं के साथ–साथ कंटेंट की उपलब्धता भी एक मुद्दा है। जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, डिजिटल कंटेंट (वेबसाइट, ब्लॉग, शोध–पत्र आदि) का बड़ा भाग अंग्रेज़ी में होने से हिंदीभाषी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी का अभाव हो सकता है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और चुनौतीपूर्ण है – IAMAI-Kantar की रिपोर्ट इंगित करती है कि 2023 तक ग्रामीण जनसंख्या के 45 प्रतिशत लोग अब भी इंटरनेट से दूर थे और भाषा एक प्रमुख बाधा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेज़ी का ज्ञान कम है और इंटरनेट अब भी "English-heavy" है; अतः स्थानीय भाषा में सामग्री का अभाव डिजिटल विभाजन को बढ़ा रहा है।

सारांश रूप में, हिंदी की विशाल बोलने वाली आबादी के बावजूद इंटरनेट व अन्य डिजिटल माध्यमों पर हिंदी सामग्री और तकनीकी समर्थन सीमित रहे हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन चुनौतियों को दूर करने में एक प्रमुख हथियार साबित हो सकते हैं – बड़े डेटा सेट से हिंदी का व्याकरण सीखने वाले मॉडल, स्वचालित अनुवाद, भाषण को टेक्स्ट में बदलने वाली तकनीकें, इत्यादि के जरिए हिंदी को डिजिटल जगत में और सशक्त बनाया जा सकता है।

प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में हिंदी हेतु AI/ML की भूमिका

भारत सरकार के प्रशासनिक तंत्र में हिंदी एक प्रमुख राजभाषा है, लेकिन व्यवहार में प्रशासनिक दस्तावेज़ों, न्यायालयी कार्यवाहियों और सरकारी सेवाओं में अंग्रेज़ी का व्यापक प्रयोग ऐतिहासिक रूप से होता आया है। AI और ML तकनीकें प्रशासनिक व सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रही हैं। मशीन अनुवाद इनमें सबसे अग्रणी है – आज AI की मदद से सरकारी दस्तावेज़, नीतियाँ, परिपत्र इत्यादि अंग्रेज़ी से हिंदी (और अन्य भारतीय भाषाओं) में शीघ्रता से अनूदित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) नामक AI आधारित अनुवाद प्रणाली विकसित की है ताकि न्यायालय के निर्णय विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जा सकें। यह कदम न्याय तक पहुँच को व्यापक बनाने के लिए अहम है – हिंदी सहित अन्य भाषाओं में न्यायालयीन आदेश मिलने से आम नागरिक अपनी भाषा में कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि अभी अनुवाद की गुणवत्ता और कानूनी शब्दावली के मानकीकरण जैसी चुनौतियाँ हैं, पर यह पहल AI द्वारा प्रशासनिक कार्यों में भाषा अवरोध कम करने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

इसके अलावा, शासन स्तर पर नागरिक सेवाओं में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने में भी AI मददगार है। आज कई ई–गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म और सरकारी वेबसाइटें बहुभाषी हो रही हैं, जिनमें सामग्री का स्वतः अनुवाद या रुपांतरण AI के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) – "भाषिणी" इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी सरकारी पहल है, जिसका लक्ष्य भारत की अनुसूचित भाषाओं में आपसी अनुवाद की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म उन्नत AI तकनीकों द्वारा भाषा–अनुवाद सेवा प्रदान करता है, ताकि प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके। उदाहरणस्वरूप, सरकारी योजनाओं की जानकारी या शिकायत पंजीकरण – इन सभी को हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए भाषिणी के एपीआई (API) का प्रयोग किया जा सकता है।

भाषिणी का एक उदाहरण हाल ही में महाकुंभ 2025 की तैयारी में देखा गया, जहाँ लाखों बहुभाषी श्रद्धालुओं के बीच सूचना प्रसार के लिए भाषिणी की बहुभाषी अनुवाद व वॉयस तकनीकों का प्रयोग किया गया।

केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारें भी जनसेवा में हिंदी के प्रयोग हेतु AI आधारित चैटबॉट एवं वॉइस असिस्टेंट अपना रही हैं। कई हेल्पलाइन अब हिंदी भाषी IVR (Interactive Voice Response) प्रणाली का प्रयोग करती हैं, जिसमें आवाज़ पहचान (Speech Recognition) द्वारा नागरिक अपनी बात हिंदी में कह सकते हैं और स्वचालित जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को हिंदीभाषी जनता के लिए सुलभ बनाने में AI/ML एक उत्प्रेरक की तरह है।

शिक्षा, मीडिया, अनुवाद, ग्राहक सेवा और सोशल मीडिया में हिंदी और AI/ML

AI और मशीन लर्निंग का प्रभाव समाज के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ा है। शिक्षा से लेकर मनोरंजन मीडिया, अनुवाद सेवाओं, ग्राहक सेवा और सोशल मीडिया तक हर जगह AI/ML ने हिंदी भाषा के प्रयोग के नए द्वार खोले हैं। नीचे प्रमुख क्षेत्रों में हिंदी और AI/ML के समावेश के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

- **शिक्षा:** शिक्षा के क्षेत्र में AI हिंदी माध्यम के छात्रों और शिक्षकों के लिए लाभदायक उपकरण बना रहा है। AI आधारित ट्यूटर एप्लिकेशन छात्रों को उनकी मातृभाषा (जैसे हिंदी) में व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, कई शिक्षा तकनीकी स्टार्टअप अब ऐसे एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं जो हिंदी में पाठ्य सामग्री देते हैं। भारत सरकार भी NLTM के माध्यम से अंग्रेज़ी में उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री का हिंदी व अन्य भाषाओं में अनुवाद सुलभ कराने पर काम कर रही है। इस मिशन का लक्ष्य है कि विज्ञान–प्रौद्योगिकी से लेकर उच्च शिक्षा तक की सामग्री द्विभाषी रूप से (अंग्रेज़ी एवं हिंदी/स्थानीय भाषा) विद्यार्थियों को मिले। ऐसे AI–अनुदित पाठ्यसामग्री और हिंदी में प्रशिक्षकनुमा

चैटबॉट हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सीखने को सरल और समावेशी बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल का हिंदी संस्करण शैक्षणिक प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देकर छात्रों की सहायता कर सकता है जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि इससे हिंदीभाषी छात्रों को AI ट्यूटर उनकी अपनी भाषा में मिल सकेगा।

- **मीडिया एवं समाचार:** समाचार उद्योग और डिजिटल मीडिया में भी AI का प्रयोग हिंदी सामग्री के प्रसार में बढ़ रहा है। कई मीडिया हाउस अब स्वचालित अनुवाद का उपयोग अंग्रेज़ी खबरों को जल्दी से हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा, वीडियो और टीवी प्रसारण में रियल–टाइम सबटाइटलिंग एवं डबिंग के लिए AI–आधारित स्पीच रिकग्नीशन व मशीन ट्रांसलेशन का प्रयोग हो रहा है। उदाहरणतः, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर हिंदी ऑडियो वाले वीडियो के लिए स्वचालित कैप्शन (सबटाइटल) जनरेट किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मीडिया में AI का उपयोग हिंदी में लेख जनरेट करने (स्वचालित रिपोर्टिंग), बड़े डेटा से ट्रेंड निकालने और पाठकों को उनकी भाषा में न्यूज़ फ़ीड देने में भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फ़ेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म अंग्रेज़ी पोस्ट का हिंदी अनुवाद और हिंदी पोस्ट का अंग्रेज़ी अनुवाद रीयल–टाइम में प्रदान कर रहे हैं, ताकि यूज़र एक दूसरे की सामग्री समझ सकें – यह सब नैचरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कारण संभव हुआ है।

- **स्वचालित अनुवाद सेवाएँ:** अनुवाद AI का ऐसा अनुप्रयोग है जिसने हिंदी सहित अनेक भाषाओं को जोड़ने का काम किया है। Google Translate जैसी सेवाएँ अब हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच त्वरित अनुवाद प्रदान करती हैं, वो भी पहले से कहीं बेहतर गुणवत्ता के साथ। आज गूगल ट्रांसलेट 200 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करता है और हिंदी–अंग्रेज़ी अनुवाद इसकी प्रमुख जोड़ी में से एक है। इसके अतिरिक्त, Microsoft Translator तथा अन्य सेवाएँ भी हिंदी का समर्थन करती हैं। इन AI आधारित अनुवाद साधनों ने शासन, शिक्षा, व्यापार हर क्षेत्र में हिंदी प्रयोगकर्ताओं को सशक्त किया है – लोग विदेशी सामग्री को हिंदी में पढ़ सकते हैं और हिंदी सामग्री दुनिया को दिखा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, भारत में कोविड–19 संबंधी दिशानिर्देश कई भाषाओं में अनूदित कर जन–जन तक पहुँचाने में ऐसे AI अनुवाद उपकरणों ने मदद की।

- **ग्राहक सेवा और सहायक तकनीक:** ग्राहक सेवा में हाल के वर्षों में चैटबॉट और वॉयस असिस्टेंट का प्रचलन बढ़ा है और ये अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। बैंकिंग, ई–कॉमर्स, यात्रा जैसे क्षेत्रों में कंपनियाँ हिंदी चैटबॉट तैनात कर रही हैं जो ग्राहकों के सवालों के जवाब हिंदी में दे सकें। इसी तरह, फोन पर मिलने वाली स्वचालित सेवाएँ (जैसे क्रेडिट कार्ड बिल की जानकारी, खाते का बैलेंस पूछना आदि) अब हिंदी में वॉयस कमांड स्वीकार कर रही हैं। एक बड़ा कदम 2019 में तब आया जब Amazon Alexa ने हिंदी भाषा को सपोर्ट करना शुरू किया। ऐमज़ॉन के अनुसार, भारत में एलेक्सा के लॉन्च के दो साल बाद तक यह सिर्फ अंग्रेज़ी समझती थी, जबकि भारत की 90% आबादी अंग्रेज़ी नहीं जानती। 2019 में Alexa को हिंदी सिखाने के लिए AI मॉडल विकसित किए गए, जिसके फलस्वरूप अब उपयोगकर्ता एलेक्सा से हिंदी में सवाल पूछ सकते हैं और Alexa हिंदी में उत्तर देती है। अमेज़न ने पाया कि ऐप और वेबसाइट पर हिंदी इंटरफ़ेस उपलब्ध कराने से हिंदी उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि ग्राहक अपनी भाषा में सेवा मिलने पर अधिक संलग्न होते हैं। इसी तरह, Google Assistant ने भी हिंदी सपोर्ट आरंभ किया और जल्द ही हिंदी Google Assistant का दुनिया में अंग्रेज़ी के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला संस्करण बन गया। इन आवाज़ सहायकों के अतिरिक्त, अनेक कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट अब हिंदी संवाद करने में सक्षम हैं, जिससे ग्राहक अपनी भाषा में सवाल–जवाब कर सकते हैं।

- **सोशल मीडिया:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी हिंदी और AI का रोचक मेल देखने को मिलता है। एक ओर, फ़ेसबुक, ट्विटर जैसे मंचों ने अपने UI (यूज़र इंटरफ़ेस) का हिंदी संस्करण उपलब्ध कराया है, तो दूसरी ओर वे AI का उपयोग विषय–वस्तु अनुशंसा (content recommendation) और मॉडरेशन में कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, फ़ेसबुक की AI प्रणालियाँ हिंदी पोस्ट में अनुचित सामग्री या हेट स्पीच पहचानने का प्रयास करती हैं (हालाँकि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रारंभ में फ़ेसबुक को स्थानीय भारतीय भाषाओं की निगरानी में दिक्कतें आई थीं)। दूसरी ओर, कई सोशल मीडिया ऐप्स ने बहुभाषी AI का बेहतरीन प्रयोग किया है। ये प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनकी पसंदीदा भाषा में पोस्ट करने की सुविधा देते हैं और साथ ही, ऑटोमेटेड पोस्ट अनुवाद की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि यदि कोई उपयोगकर्ता हिंदी में पोस्ट करता है, तो AI उस पोस्ट का अन्य भाषाओं (जैसे कन्नड़, बंगाली) में अनुवाद कर सकता है और इसके विपरीत भी। इस तरह, AI की मदद से विभिन्न भाषी लोगों के बीच संवाद संभव हो पाता है और भाषा की दीवार को तोड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स का कई भाषाओं में अनुवाद, हिंदी पोस्ट को अंग्रेज़ी दर्शकों तक पहुँचाना (जैसे "Translate" बटन की सुविधा) – ये सब AI के योगदान से संभव हो रहे हैं।

भारत सरकार की नीतियाँ, योजनाएँ और परियोजनाएँ

भारत में बहुभाषी AI और भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर कई पहलें शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना और भाषा–बाधा को कम करना है।

- **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) – "भाषिणी":** यह मिशन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत 2022 में आरंभ किया गया एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। भाषिणी (BHASHINI – Bhasha Interface for India) का लक्ष्य एडवांस्ड AI व NLP तकनीकों का उपयोग करके भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में आपसी अनुवाद व संवाद संभव बनाना है। इसका मुख्य ध्येय है कि भाषा की सीमाएँ हटाकर हर नागरिक तक शिक्षा, सूचना और सेवाएँ उनकी अपनी भाषा में पहुंचें। मिशन के तहत मशीन अनुवाद के लिए मानव एवं मशीन का संयोजन अपनाया जा रहा है, जिससे उच्च–स्तरीय अंग्रेज़ी सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में लाना और विपरीत दिशा में अनुवाद संभव हो। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप यह पहल भारत की भाषाई विविधता को तकनीकी दृष्टि से सशक्त करने हेतु मील का पत्थर है।

- **AI4Bharat:** यह इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास में स्थापित एक शोध प्रयोगशाला है, जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए AI तकनीक विकसित करने पर केन्द्रित है। AI4Bharat ओपन–सोर्स के माध्यम से भारतीय NLP को आगे बढ़ा रहा है – इसने गत वर्षों में कई डाटासेट, टूल व अत्याधुनिक मॉडल जारी किए हैं। इसके शोध क्षेत्र में टेक्स्ट का ट्रांसलिटरेशन (लिप्यंतरण), प्राकृतिक भाषा को समझना व जनरेट करना, मशीन अनुवाद, स्वतः भाषण पहचान (Speech Recognition) तथा वाक्–संश्लेषण (Speech Synthesis) शामिल हैं। AI4Bharat की टीम ने IndicNLP Toolkit तथा बहुभाषी भाषा मॉडल जैसे IndicBERT जैसे मॉडल विकसित किए हैं, जो हिंदी समेत दर्जनों भारतीय भाषाओं में NLP कार्यों को सुगम बनाते हैं। इनके प्रयासों की बदौलत आज शोधकर्ता और डेवलपर समुदाय के पास हिंदी के लिए खुले स्रोत (open-source) उपकरणों की एक समृद्ध लाइब्रेरी है।

- **अन्य पहल एवं परियोजनाएँ:** भारत सरकार अन्य कई योजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दे रही है। इनमें प्रमुख है वाणी (Project Vaani) जैसे प्रोजेक्ट, जिनका लक्ष्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर आवाज़ डेटा संग्रह कर भाषण तकनीक को सुधारना है। इसके अतिरिक्त, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल आर्काइव परियोजनाएँ हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्य, ज्ञान सामग्री को डिजिटल रूप में संरक्षित और सुलभ बना रही हैं।

अन्य देशों में स्थानीय भाषाओं के लिए AI/ML का उपयोगः उदाहरण

भाषायी AI के क्षेत्र में भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय/राष्ट्रभाषा को सुदृढ़ करने हेतु AI/ML का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ दो प्रमुख उदाहरण – चीन और अफ्रीकी देश – उल्लेखनीय हैं:

- **चीन (मंदारिन नीति):** चीन ने दशकों से अपनी राष्ट्रीय भाषा मंदारिन को बढ़ावा देने के लिए सख्त नीतियाँ अपनाई हैं। शिक्षा से प्रसारण तक, "मंदारिन–प्रथम" (Mandarin-first) नीति के तहत स्थानीय बोलियों/भाषाओं को भी मानकीकृत मंदारिन रूप में लाने का प्रयास हुआ है। AI के क्षेत्र में चीन अग्रणी है और उसने चीनी (मंदारिन) भाषा के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। परिणामस्वरूप, आज कई शीर्षस्थ ।ᑭ मॉडल मंदारिन में अत्यंत कुशल हैं। चीनी तकनीकी दिग्गजों (अलीबाबा, बैडू आदि) ने ऐसे चैटबॉट और अनुवाद प्रणालियाँ बनाईं हैं जो मंदारिन में अत्यंत स्वाभाविक बातचीत कर सकते हैं। चीन में संचार के लगभग सभी डिजिटल साधनों – खोज इंजन, सोशल मीडिया, वॉयस असिस्टेंट – को मंदारिन के अनुकूल बनाने में AI की बड़ी भूमिका रही है। चीन का उदाहरण दिखाता है कि सुदृढ़ सरकारी नीति के साथ AI का समन्वय, राष्ट्रभाषा को डिजिटल स्पेस में प्रभुत्व दिला सकता है।

- **अफ्रीकी भाषाएँ:** अफ्रीका महाद्वीप भाषाई विविधता से परिपूर्ण है (हजारों भाषाएँ बोली जाती हैं), लेकिन तकनीकी क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व बेहद कम रहा है। हाल के वर्षों में अफ्रीकी NLP शोधकर्ताओं ने "मसाखाने" (Masakhane) जैसी सामुदायिक पहल के जरिए स्थिति बदलने का बीड़ा उठाया है। डेंींदम एक जमीनी स्तर का संगठन है जिसका ध्येय अफ्रीकी भाषाओं के लिए NLP शोध को बढ़ावा देना है – "Africans for Africans" के सिद्धांत पर । इस समुदाय ने स्वेच्छा से सैकड़ों अफ्रीकी भाषाओं के लिए अनुवाद मॉडल, डेटासेट और टूल विकसित करने शुरू किए हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि अधिकांश अफ्रीकी भाषाओं को तकनीकी समर्थन "लो–रेसोर्स" श्रेणी में आता है (यानी बड़ी डिजिटल कॉर्पस या डेटा उपलब्ध नहीं)। इसके योगदान से कई नई शब्दकोश, कॉर्पस और मॉडल खुले स्रोत में आए हैं। अफ्रीका के अनुभव ने एक ओर डेटा उपलब्धता की समस्या को उजागर किया है, तो दूसरी ओर समुदाय के सहयोग से इसे हल करने की क्षमता भी दिखाई है। यह भारत जैसे देश के लिए भी एक मूल्यवान सीख है– स्थानीय भाषा AI को फलने–फूलने के लिए ओपन सोर्स कम्युनिटी और सरकारी समर्थन का मिश्रण आवश्यक है।

इनके अलावा, यूरोपियन यूनियन भी अपनी आधिकारिक

भाषाओं के लिए e-Translation प्लेटफ़ॉर्म जैसे AI टूल विकसित कर रहा है ताकि बहुभाषी सहयोग में सुविधा हो। इसी तरह, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अरब देश अपनी–अपनी भाषाओं के लिए AI अनुप्रयोगों पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर वैश्विक परिदृश्य यह दर्शाता है कि हर जगह स्थानीय भाषाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए AI/ML का सहारा लिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर सरकार अग्रणी है (जैसे चीन), तो कहीं समुदाय और शोधकर्ता (जैसे अफ्रीका) – पर लक्ष्य एक है: डिजिटल युग में भाषाई विविधता को बनाए रखना और प्रोत्साहित करना।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हिंदी भाषा और AI के पारस्परिक विकास की राह में जहाँ अनेक संभावनाएँ हैं, वहीं कुछ चुनौतियाँ भी बरक़रार हैं। इनका निरूपण एवं समाधान भविष्य में हिंदी के डिजिटल परिदृश्य को निर्धारित करेंगे।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **डेटा और संसाधनों की कमी:** हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले बड़े डेटा सेट (टेक्स्ट कॉर्पस, लेक्सिकन, अनुलेखन डेटा, आदि) सीमित हैं। AI मॉडल की दक्षता डेटा पर निर्भर करती है और अंग्रेज़ी की तुलना में हिंदी के लिए खुले डेटा का अभाव रहा है। विशेषकर, तकनीकी, चिकित्सा, क़ानूनी जैसे डोमेन में हिंदी सामग्री कम होने से विशेषज्ञ AI मॉडल बनाना कठिन है।
- **मॉडल की सटीकता एवं पूर्वाग्रह:** मौजूदा हिंदी NLP मॉडल कभी–कभी त्रुटियाँ करते हैं – उदाहरणतः अनुवाद में लिंग या वचन की गलतियाँ, वाक्यों में गलत संदर्भ या मुहावरों (idioms) का सही अर्थ न लगा पाना। इसके अलावा, अगर प्रशिक्षण डेटा संतुलित नहीं है तो मॉडलों में पूर्वाग्रह (bias) आ सकता है। जैसे, अधिकांश डेटा अगर शहरी हिंदी का है तो ग्रामीण बोली या लहजे को मॉडल नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। AI के नैतिक पहलू – जैसे भेदभाव रहित एवं जिम्मेदार AI – हिंदी संदर्भ में भी सुनिश्चित करने होंगे।
- **इंटरनेट तक पहुँच:** भारत में अभी भी लाखों हिंदीभाषी लोग डिजिटल साक्षरता में पीछे हैं। केवल AI टूल्स बनाना पर्याप्त नहीं; यह भी चुनौती है कि इनका उपयोग आसान हो और लोग इन्हें अपनाएँ। कई लोग आधुनिक स्मार्टफोन/कंप्यूटर का प्रयोग नहीं जानते।
- **बहुभाषिकता व मानकीकरण:** हिंदी स्वयं कई रूपों में बोली जाती है (भोजपुरी, अवधी जैसी उपभाषाएँ)। AI मॉडल के लिए मानक हिंदी पर काम करना तुलनात्मक रूप से सरल रहा है, लेकिन विभिन्न उपभाषाओं या लहजों को समझना कठिन। साथ ही, भारत में हिंदी मिश्रित भाषा (हिंग्लिश) का प्रयोग व्यापक है, जिससे मॉडल को समानांतर अंग्रेज़ी शब्दावली भी सीखनी पड़ती है। यह बहुभाषिक माहौल मॉडल विकास को जटिल बनाता है।

भावी संभावनाएँ:

- डिजिटल समावेशन का विस्तार: यदि AI/ML के माध्यम से हिंदी में हर जरूरी सेवा/सूचना उपलब्ध होती है, तो करोड़ों नये लोग इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेंगे। ग्रामीण किसान अपनी भाषा में मार्केट मूल्य जान सकेंगे, ग्रामीण महिलाएँ स्वास्थ्य जानकारी हिंदी ऑडियो में पा सकेंगी। हिंदी में AI का प्रसार डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को वास्तव में सर्व–सम्मिलित बना सकता है।
- **व्यावसायिक व आर्थिक वृद्धि:** हिंदी कंटेंट उपभोक्ताओं की भारी मांग एक नया बाजार है। AI की मदद से कंपनियाँ हिंदी भाषी ग्राहकों तक पहुँच बना सकती हैं।
- **भाषा संरक्षण एवं विकास:** तकनीक के माध्यम से हिंदी भाषा का संवर्धन भी होगा। साथ ही, AI की मदद से प्राचीन हिंदी साहित्य के पाठ का संरक्षण और अनुवाद भी संभव है– जैसे किसी पुरानी पांडुलिपि को OCR से डिजिटल करके उसका अंग्रेज़ी अनुवाद करना आदि।
- **वैश्विक मंच पर हिंदी:** AI के जरिये हिंदीभाषी अपनी बात वैश्विक मंचों तक पहुँचा सकते हैं। रीयल–टाइम अनुवाद और सबटाइटलिंग द्वारा एक हिंदी भाषण दुनिया भर में अन्य भाषाओं में समझा जा सकेगा और विदेशी कांफ्रेंस में हिंदी प्रतिभागी अपनी भाषा में योगदान दे सकेंगे। इस प्रकार हिंदी अंतरराष्ट्रीय संवाद का भी हिस्सा बन पाएगी।
- **नवाचार और अनुसंधान:** आने वाले समय में और अधिक शोध हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के NLP पर होंगे। विश्वविद्यालयों व स्टार्टअप्स द्वारा हिंदी के लिए विशेषकर Large Language Model विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। यह संभव है कि भारत "अपनी आवश्यकताओं के अनुसार" ChatGPT जैसे मॉडल बनाए। यदि इन प्रयासों को सफलता मिलती है, तो भारत न सिर्फ उपभोक्ता होगा बल्कि हिंदी AI टेक्नोलॉजी का उत्पादक और निर्यातक भी बन सकता है।

निष्कर्ष एवं भविष्य की दिशा

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हिंदी भाषा के प्रसार और सशक्तिकरण में केन्द्रीय भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल युग में जबकि सूचनाएँ व सेवाएँ तीव्र गति से ऑनलाइन रूपांतरण कर रही हैं, यह अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाएँ तकनीकी रूप से सशक्त बनें, वरना भाषाई असमानता डिजिटल असमानता में बदल सकती है। AI/ML ने वह सेतु प्रदान करना शुरू कर दिया है जो अंग्रेज़ी और हिंदी जगत के बीच की खाई पाट रहा है– चाहे रीयल–टाइम अनुवाद हो, या हिंदी में संवाद करने वाले बुद्धिमान चैटबॉट, या फिर हिंदी में उपलब्ध ज्ञान का भंडार।

भविष्य में हमें कुछ महत्वपूर्ण कदमों पर ध्यान देना होगा: उच्च गुणवत्ता के हिंदी डेटासेट तैयार करना, जिसे सरकार, शैक्षणिक जगत और उद्योग मिलकर संभव कर सकते हैं; एआई मॉडल को हिंदी के संदर्भ में और अधिक सटीक व सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाना, ताकि पूर्वाग्रह रहित और प्रासंगिक परिणाम मिलें; तथा हिंदीभाषी जनसंख्या को इन नए उपकरणों के उपयोग के प्रति प्रशिक्षित व जागरूक करना। सरकार की पहलें सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे कदम हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में और फल मिलने की उम्मीद है ।

अगर वर्तमान प्रगति ऐसे ही जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में तकनीकी और आर्थिक प्रगति का लाभ भाषा की बाधा के बिना हर वर्ग तक पहुँचेगा। हिंदी भाषा, जिसकी जड़ें सदियों से भारतीय संस्कृति में गहरी हैं, AI की सहायता से आने वाले कल की अग्रणी ज्ञान–विज्ञान की भाषा भी बन सकती है। एक समावेशी और बहुभाषी डिजिटल भविष्य ही भारत की व्यापक विविधता को उचित सम्मान देगा। इस भविष्य के निर्माण में हिंदी और AI का गठजोड़ एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभर चुका है – आने वाले समय में यह और सुदृढ़ होगा, यही उम्मीद है।

संदर्भ:

AI4Bharat. https://ai4bharat.iitm.ac.in/

Bhashini. https://bhashini.gov.in/about-bhashini

Capturing the language landscape for an inclusive Digital India. Vaani. https://vaani.iisc.ac.in/

Drishti Judiciary. Supreme Court Vidhik Anuvaad Software (SUVAS). https://www.drishtijudiciary.com/current-affairs/supreme-court-vidhik-anuvaad-software-suvas

Drishti IAS. कृत्रिम बुद्धिमता और नैतिकता. https://tinyurl.com/aI-hindi-definition

Etranslation. European Commission. https://commission.europa.eu/resources/etranslation_en

Google Translate gets 110 new languages with Ai's help, bringing the total to 243. ZDNET. https://www.zdnet.com/article/google-translate-gets-110-new-languages-with-ais-help-bringing-the-total-to-243/

Hindi second-most used "assistant" language globally, says google. The Economic Times. (2019, September 19). https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/hindi-second-most-used-assistant-language-globally-says-google/articleshow/71206202.cms?from=mdr

How african NLP experts are navigating the challenges of copyright, innovation, and access. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/research/2024/04/how-african-nlp-experts-are-navigating-the-challenges-of-copyright-innovation-and-access?lang=en

Indian languages –defining india's internet. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/04/Indian-languages-Defining-Indias-Internet.pdf

Indonesia's Indosat, Goto launch local-language AI Model | Reuters. https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/indonesias-indosat-goto-launch-local-language-ai-model-2024-11-14/

Intelsense ai introduces Sense.ai, country's first ever Bangla large language model. https://www.dhakatribune.com/business/339934/intelsense-ai-introduces-sense.ai-country%E2%80%99s-first

Kumar, N. (2023, August 1). Indians don't know that Chatgpt speaks Hindi. Medium. https://medium.com/@nareshkumarentrepreneur/indians-dont-know-that-chatgpt-speaks-hindi-a7a660bb6ec7

Marking, M. (2021, October 11). First in English, soon in 12 more languages: YouTube offers live auto captions for all. Slator. https://slator.com/youtube-offers-live-auto-captions-for-all/

Masakhane. https://www.masakhane.io/

National Mission on Natural Language Translation (BHASHINI). IndiaAI. https://indiaai.gov.in/missions/national-mission-on-natural-language-translation-bhashini

National Archives of India. Official website of National Archives of India, Government of India. https://nationalarchives.nic.in/

Perrigo, B. (2019, November 27). Facebook's hate speech algorithms leave out some languages. Time. https://time.com/5739688/facebook-hate-speech-languages/

PIB (2025, January 16). https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2093333

Standard, B. (2024, March 12). Use of indian languages key for increasing internet access in India: Report. Business Standard. https://www.business-standard.com/india-news/use-of-indian-languages-key-for-increasing-internet-access-in-india-report-124031000395_1.html

Singh, M. (2019, September 18). Amazon's Alexa now speaks Hindi. TechCrunch. https://techcrunch.com/2019/09/18/amazon-alexa-hindi-india/

The challenges and triumphs of annotating Indian languages. GALA Global. https://www.gala-global.org/knowledge-center/professional-development/articles/challenges-and-triumphs-annotating-indian

Usage statistics of content languages for websites. W3Techs. https://w3techs.com/technologies/overview/content_ language

Wen-Yi, A. W., Jo, U. E. S., & Mimno, D. (2025). Do Chinese models speak Chinese languages?. arXiv preprint arXiv:2504.00289.

Wikipedia. National Digital Library of India. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Digital_ Library_of_India

ISSN No. : 0970-9398

प्रशासनिक कार्य में राजभाषा हिंदी : अनुभव और व्यावहारिक सुझाव

– सुचिता श्रीवास्तव
प्रबंधक (राजभाषा)

भारतीय संविधान ने सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित की है जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास अधिकार और जिम्मेदारियों के अपने–अपने क्षेत्र हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर, राज्य सरकारों के पास अपने–अपने राज्य से संबंधित मामलों, जैसे कानून और व्यवस्था, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिकार क्षेत्र है। यह विभाजन प्रणाली भारत की प्रशासनिक संरचना में परिलक्षित होती है।

केंद्र सरकार के पास एक विशाल नौकरशाही है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय और विभाग शामिल हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय।प्रत्येक राज्य की भी अपनी प्रशासनिक संरचना होती है, जिसमें राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्य के शासन के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभाग और एजेंसियां होती हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण सुनिश्चित करती है और दोनों स्तरों पर सार्वजनिक सेवाओं और शासन के कुशल वितरण की अनुमति देती है।

सर्वप्रथम हम जानते हैं कि प्रशासन क्या है? प्रशासन संस्कृत का शब्द है जो 'प्र' उपसर्ग और 'शास' धातु से मिलकर बना है। 'प्र' उपसर्ग का उपयोग शब्दों के अर्थ में वृद्धि या प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, जबकि 'शास' धातु का अर्थ है शासन या नियंत्रण करना। प्रशासन को अंग्रेजी में 'Administration' कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के AD + MINISTIARE शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है 'सेवा करना अथवा देखभाल करना'। अतः प्रशासन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है – "किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियन्त्रण ही प्रशासन है।"

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन आधुनिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू की गई थी। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एक जटिल और श्रेणीबद्ध संरचना है जो देश के शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के कार्य

भारतीय प्रशासनिक प्रणाली सरकार के सुचारू कामकाज और भारत के नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रणाली में कई कार्य हैं जो सरकार के कामकाज के लिए आवश्यक हैं। यहां भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के कुछ प्राथमिक कार्य दिए गए हैं:

1. **नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन:** प्रशासनिक प्रणाली शासन और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

2. **कानूनों का प्रवर्तन:** प्रणाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों और विनियमों को लागू करती है।

3. **सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना :** प्रशासनिक प्रणाली भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

4. **राजस्व का संग्रहण:** यह प्रणाली सरकार की गतिविधियों को निधि देने के लिए करों जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से राजस्व एकत्र करती है।

5. **अभिलेखों का रखरखाव:** सिस्टम शासन और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड रखता है, जैसे भूमि रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और आपराधिक रिकॉर्ड।

6. **सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन:** यह प्रणाली भारत के नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करती है, जैसे गरीबी उन्मूलन योजनाएँ और रोज़गार सृजन योजनाएँ।

7. **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** यह प्रणाली निवेश को आकर्षित करके और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाकर देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8. **आपदा प्रबंधन:** प्रशासनिक प्रणाली आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं या आपात स्थिति में राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

ये भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के कुछ कार्य हैं, जिन्हें देश के विकास के लिए सार्वजनिक प्रशासन (जो सरकारी मामलों और सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित है) और निजी प्रशासन (जिसमें सरकार के बाहर व्यवसायों और संगठनों का प्रबंधन शामिल है) के समन्वय से सुचारू रूप से पूर्ण करना आवश्यक है।

प्रशासनिक कार्य : प्रशासनिक कार्य वह कार्य है जो किसी संगठन के भीतर किया जाता है और जिसका उद्देश्य इसके प्रबंधन और परिचालन गतिविधियों का समर्थन करना है।प्रो. विलोबी के कथनानुसार प्रशासकीय कार्य वास्तव में ऐसे कानून को लागू करने का नाम है जिसे विधानमंडल ने घोषित किया हो और जिसकी सरकार के न्यायिक अंग ने व्याख्या की हो। किसी भी कंपनी या संस्थान के समुचित कामकाज के लिए प्रशासनिक नौकरियां आवश्यक हैं, क्योंकि वे दैनिक गतिविधियों की योजना, समन्वय, संगठन और नियंत्रण सेसंबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रशासनिक कार्य में राजभाषा हिंदी : राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित वह भाषा होती है जो सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात् सरकारी काम–काज में प्रयोग होती है। स्वतन्त्रता के बाद संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसकी स्मृति में ही 14 सितम्बर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तदोपरांत संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गयी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

हिंदी बोले और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों यथा 'क', 'ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार है:–

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरा प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग'	अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल लद्दाख, लक्षद्वीप, पुद्‌दुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अर्थात 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र।

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसके द्वारा एक क्षेत्र द्वारा अन्य क्षेत्र से हिंदी में किए जाने वाले पत्राचार,हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर, हिंदी में टिप्पण, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री, टंकक/ आशुलिपिक की भर्ती, स्वयं द्वारा टंकण, हिंदी पुस्तकों की खरीद, कंप्यूटर आदि द्विभाषी सुविधायुक्त उपकरणों की खरीद, द्विभाषी वेबसाइट, द्विभाषी सूचना, राजभाषा संबंधी बैठकें, कोड, मैनुअल, फॉर्म आदि का हिंदी अनुवाद, संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट अनुभाग आदि का लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएँ और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में जारी किए जाना अनिवार्य हैं। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में तैयार और निष्पादित किए जाएँ।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य द्विभाषिक रूप में मुद्रित या साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाएगा। कार्यालयों में प्रयुक्त रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें द्विभाषिक लिखी और मुद्रित या उत्कीर्ण करना होंगी। इसी के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन

हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिन्दु बनाए जाना चाहिए।

प्रशासनिक कार्य में राजभाषा हिंदी की स्थिति पर प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा हिंदी को प्रशासनिक कामकाज में बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। परिणामस्वरूप राजभाषा नीति–नियम, अधिनियमों का अनुपालन प्रशासनिक कार्यों में सुनिश्चित करना सभी मंत्रालयों एवं विभागों की जिम्मेदारी है हो रहा है।

हिंदी को प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता पड़ी। इस दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विभिन्न विषयों की शब्दावली के संकलन तैयार किए और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए पारिभाषिक शब्द संग्रह बनाए। प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में ऐसी शब्दावली अधिक प्रयुक्त होती है जो व्यावहारिक रूप से सहज, स्वाभाविक और समझ में आ सकने योग्य हो। वास्तव में जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है और जो विभिन्न विभागों अथवा दैनिक सरकारी पत्र व्यवहार के लिए अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पारस्परिक आदान–प्रदान के प्रयोग में आती है, उस भाषा का स्वरूप न तो पूरी तरह से सामान्य बोलचाल की भाषा से मेल खा सकता है और न पूरी तरह से साहित्यिक भाषा से। अतः उसका स्वरूप कुछ अलग ही होता है और उसकी शब्दावली भी उसी के अनुरूप होना अनिवार्य है।

हिंदी धीरे–धीरे न्यायालयों में, कार्यालयों में, समाचार पत्रों में, कार्यशालाओं में और जनता तथा सरकार के पारस्परिक कार्य व्यवहार में एक नए रूप में उभर कर सामने आ रही है। इस कार्य में विभिन्न राज्यों ने शब्दावली के निर्माण का कार्य किया है और उसके द्वारा बनाए गए अनेक कोश, शब्द संग्रह अथवा शब्द संकलन निरंतर प्रयोग में आ रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन आदि सम्मिलित हैं।

प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा सरल और समझ में आ सकने योग्य हो। इसके लिए प्रचलित प्रयोगों का भी अपना अलग महत्व है। इसीलिए प्रशासनिक भाषा में शब्द चयन में बड़ी सतर्कता आवश्यक है, जिससे मूल सामग्री का अर्थ परिवर्तित न हो। शब्दावली के क्षेत्र में एक बात यह भी है कि किसी विशेष क्षेत्र मे कार्य करने वालों को उस क्षेत्र–विशेष की शब्दावली की ही अधिक आवश्यकता पड़ती है जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली शब्दावली की चिकित्सा के क्षेत्र में या न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को उतना प्रयोग नहीं करना पड़ता है इसके लिए उन्हें अपने दैनिक कार्य से संबंधित बुनियादी शब्दावली के ज्ञानार्जन की ही अधिक आवश्यकता रहती है।

हिंदी में मशीन, डायरी, बस, कार, मोटर, बैंक, चैक बैक–ड्राफ्ट, मनी आर्डर, रेडियो, सिनेमा, गैस, कार्ड, मैनेजर, कमीशन, बिल आदि शब्द बहुत ही लोकप्रिय रूप में चल रहे हैं। इसी तरह सलाहकार बोर्ड, ज़िला बोर्ड, जांच कमेटी, वार्ड अधिकारी, सेमिनार कक्ष जैसे शब्द सामान्य बोलचाल के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों में भी पूरी तरह से अपना लिए गये हैं। यहां तक कि 'कल' के बदले 'मशीन' और 'सुई लगाना' के बदले 'इंजेक्शन' अधिक आसान प्रतीत होने लगा है। इतना ही नहीं अंग्रेजी के एटम शब्द से एटमी, मैनेजर से मैनेजरी, इंजीनियरिंग से इंजीनियरी और डॉक्टर से डॉक्टरी आदि शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुकूल ढाल लिए गए हैं। इसीलिए अभियांत्रिकी या चिकित्सकीय जैसे प्रयोग अधिक लोकप्रिय नहीं रहे हैं।

UMANG ऐप, mPariksha, BHIM और Aarogya Setu जैसे अनेक सरकारी ऐप अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं, जिससे डिजिटल प्रशासनिक सेवाओं में भाषाई बाधा को दूर किया जा रहा है। AI और Natural Language Processing (NLP) के क्षेत्र में हिंदी भाषा आधारित टूल्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे में सूचना पट, टिकट प्रणाली, घोषणाएं और हेल्प डेस्क करोड़ों यात्रियों को हिंदी में सुविधा उपलब्ध कराने का एक सफल मॉडल है।

समग्रतः प्रशासनिक कार्य में राजभाषा का अनुभव मुख्य रूप से सकारात्मक है। तथापि लोगों को हिंदी के महत्व और उपयोगिता के बारे में और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और सॉफ्टवेयर का विकास करना भी आवश्यक है। जन साधारण की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का समुचित प्रयोग समय की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सशक्तता का मापदंड भी है और हमारा नैतिक दायित्व भी। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, तब भाषायी आत्मनिर्भरता को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। "हिंदी पखवाड़ा" जैसे औपचारिक आयोजनों से आगे बढ़कर इसे कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रशासनिक हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य के अधिकारी हिंदी में सहज हो सकें। हमें यह समझना होगा कि भाषा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न भी है। यदि प्रशासन की भाषा जनमानस की भाषा नहीं होगी, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। हिंदी को प्रशासन में प्रभावी बनाना लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ISSN No. : 0970-9398

राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा : उपलब्धियां और भविष्य की दिशा

– इंदु पी., वरिष्ठ प्रबंधक (संकाय)
यूनियन लर्निंग अकादमी, गुरुग्राम

राजभाषा विभाग की स्थापना जून 1975 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की राजभाषा से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को लागू करना था। पिछले पाँच दशकों में, विभाग ने भारत की समृद्ध भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गठन

भारत की स्वतंत्रता और 1950 में संविधान को अपनाने के समय, देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। हालाँकि, संविधान ने 1965 तक 15 वर्षों तक आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी। अंग्रेजी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की संभावना ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया, खासकर तमिलनाडु जैसे गैर–हिंदी भाषी राज्यों में, जहाँ हिंदी को थोपे जाने के डर से राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक अशांति भड़क उठी।

इस समस्या के समाधान के लिए संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया, जिसके तहत हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी के प्रयोग को तब तक जारी रखने की अनुमति दी गई, जब तक कि सभी राज्य हिंदी को नहीं अपना लेते या अन्यथा सहमत नहीं हो जाते। हिंदीतर भाषी राज्यों में अंग्रेजी के उपयोग को सुरक्षित करने के लिए 1967 में अधिनियम में और संशोधन किया गया। इस जटिल भाषाई पृष्ठभूमि के खिलाफ, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों में आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग की निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।

उत्पत्ति और प्रारंभिक वर्ष (1975–1990)

राजभाषा विभाग की स्थापना, संघ की द्विभाषी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 1963 के राजभाषा अधिनियम और उसके बाद पारित प्रस्तावों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। प्रारंभिक वर्षों में संगठनात्मक संरचना स्थापित करने, नियम और विनियम बनाने तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

विभाग ने राजभाषा नियम, 1976 तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें राजभाषा नीति को लागू करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित की गईं। इन नियमों में उन क्षेत्रों को परिभाषित किया गया जहां हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रकृति तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारियां निर्धारित की गईं।

संगठनात्मक संरचना

राजभाषा विभाग का नेतृत्व गृह मंत्री करते हैं और वरिष्ठ अधिकारी दैनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय एनडीसीसी–II भवन, नई दिल्ली में है।

विभाग कई प्रमुख कार्यालयों और निकायों में संरचित है, जिनमें से प्रत्येक राजभाषा नीतियों के प्रचार और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

1. **केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो**: इस ब्यूरो को सरकारी दस्तावेजों का हिंदी और अन्य निर्दिष्ट आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद करने का काम सौंपा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी व्यापक दर्शकों तक पहुँच सके, जिससे नागरिकों के बीच पारदर्शिता और समझ बढ़े।

2. **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान**: ये संस्थान हिंदी भाषा कौशल में दक्षता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। वे टाइपिंग, स्टेनोग्राफी और अनुवाद पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो सरकारी और प्रशासनिक संदर्भों में प्रभावी संचार के लिए आवश्यक उपकरणों से व्यक्तियों को लैस करते हैं। ये संस्थान कुशल कार्यबल को बढ़ावा देकर, हिंदी के उपयोग को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

3. **राजभाषा पर संसदीय समिति**: यह संसदीय समिति

राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नियमित रूप से हिंदी और अन्य आधिकारिक भाषाओं को अपनाने में विभिन्न सरकारी निकायों की प्रगति की समीक्षा करती है, तथा स्थापित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। समिति चुनौतियों का समाधान भी करती है तथा आधिकारिक संचार में भाषा के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों की सिफारिश भी करती है।

4. **क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयः** ये कार्यालय क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, जो विभिन्न राज्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके प्रयासों में स्थानीय प्रशासन में हिंदी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करना शामिल है, जिससे क्षेत्रीय भाषाई विविधता को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा मिलता है।

5. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (नराकास):** शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहाँ केंद्र सरकार के कार्यालयों की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है, नराकास स्थानीय स्तर पर राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे आधिकारिक संचार और समुदाय के भीतर बातचीत में हिंदी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच संबंध बेहतर होते हैं।

इन संरचित निकायों और पहलों के माध्यम से, विभाग का उद्देश्य पूरे देश में हिंदी के प्रयोग को मजबूत करना और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देना है।

अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करना (1991–2010)

बाद के दशकों में पहले से तय किए गए आधारभूत कार्यों को मजबूत किया गया तथा तेजी से बदलते भारत की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग की गतिविधियों का विस्तार किया गया। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के आगमन ने राजभाषा नीति को लागू करने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश कीं। इस युग के दौरान प्रमुख विकास निम्नलिखित थेः

1. **कम्प्यूटरीकरण और प्रौद्योगिकी पर जोरः** सूचना प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, विभाग ने कम्प्यूटर अनुप्रयोगों और सॉफ्टवेयर विकास में हिंदी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इस प्रयास में हिंदी फ़ॉन्ट, कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर स्थानीयकरण उपकरण का विकास शामिल था। भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम की स्थापना जैसी पहलों ने इन प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. **अनुवाद और व्याख्या पर अधिक ध्यानः** जैसे–जैसे विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बातचीत बढ़ी, विभाग ने अनुवाद और व्याख्या सेवाओं के महत्व पर जोर दिया। इस फोकस ने अनुवाद ब्यूरो को मजबूत किया और अनुवादकों और दुभाषियों को प्रशिक्षित किया।

3. **राजभाषा समितियों को सशक्त बनानाः** विभाग ने सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को सक्रिय रूप से सहयोग और अधिकार प्रदान किया है। ये समितियाँ प्रगति की निगरानी, चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थीं।

4. **शिक्षा और शोध में हिंदी को बढ़ावा देनाः** भाषा को बढ़ावा देने के दीर्घकालिक महत्व को समझते हुए, विभाग ने शैक्षणिक और शोध संस्थानों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने की पहल का समर्थन किया। इसमें हिंदी अध्ययन के लिए अनुदान (ग्रांट) प्रदान करना और जहाँ संभव हो, शिक्षण माध्यम के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

5. **क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं का समाधानः** विभाग ने एक व्यावहारिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया, भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार किया और अन्य भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते हुए राजभाषा नीति के सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

डिजिटल युग और बहुभाषावाद को अपनाना (2011–वर्तमान)

पिछले डेढ़ दशक में, राजभाषा विभाग ने डिजिटल क्रांति और बहुभाषावाद पर बढ़ते जोर को सक्रिय रूप से अपनाया है। आधिकारिक भाषाओं की पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाने और अधिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख उपलब्धियाँ और चल रही पहलों में शामिल हैं:–

सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरणः विभाग ई–गवर्नेंस पहलों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। इसमें द्विभाषी वेबसाइट, ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल संचार उपकरण विकसित करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि दिव्यांग लोगों के लिए आधिकारिक भाषाओं में डिजिटल सामग्री सुलभ हो।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन ट्रांसलेशन का लाभ उठानाः एआई और मशीन ट्रांसलेशन तकनीकों की क्षमता को स्वीकार करते हुए, विभाग अनुवाद और अंतर–भाषाई संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके उपयोग की खोज और प्रचार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ना और समग्र दक्षता को बढ़ाना है।

ISSN No. : 0970-9398

डिजिटल स्पेस में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना: विभाग ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की अन्य आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यह संविधान में निहित भाषाई विविधता की भावना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य बहुभाषी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

राज्यों के साथ समन्वय को मजबूत करना: विभाग मानता है कि राजभाषा नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसलिए, उनके साथ अधिक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

जन जागरूकता और सहभागिता: विभाग ने आधिकारिक भाषाओं के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और दैनिक जीवन में उनके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसमें सेमिनार, कार्यशालाएँ और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

नियमों और विनियमों की समीक्षा और संशोधन: विकसित होते भाषाई परिदृश्य और तकनीकी प्रगति के मद्देनजर, विभाग ने मौजूदा नियमों और विनियमों की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनकी समय–समय पर समीक्षा की है। 1976 के आधिकारिक भाषा नियमों में प्रस्तावित संशोधन समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल होने के इस निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं।

50 वर्षों में प्रमुख उपलब्धियों का विश्लेषण

हिंदी का प्रचार–प्रसार और प्रगतिशील प्रयोग: विभाग ने संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के संवैधानिक आदेश को सफलतापूर्वक लागू किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए हिंदी में पत्राचार के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है: पिछले दशक में, सरकारी कार्यालयों में हिंदी पत्राचार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें कई मंत्रालयों ने हिंदी प्रयोग में 100% लक्ष्य हासिल किए हैं। हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि में प्रशिक्षित सरकारी कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे हिंदी में प्रशासनिक कार्य को सुगम बनाने में मदद मिली है। विभाग ने सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी प्रकोष्ठों की स्थापना की है, ताकि हिंदी कार्यान्वयन पर समर्पित ध्यान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थापना: हिंदी में काम करने में सक्षम कुशल कार्यबल की आवश्यकता को समझते हुए, विभाग ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई) और इसके क्षेत्रीय केंद्रों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण का बीड़ा उठाया। इन संस्थानों ने सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा और टाइपिंग/आशुलिपि कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थानों ने टाइपिंग, आशुलिपि और कंप्यूटर अनुप्रयोगों सहित हिंदी भाषा कौशल में हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। हाल के वर्षों में, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हिंदी और अंग्रेजी–हिंदी अनुवाद कौशल में कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021–22 में, पूरे भारत में 10,000 से अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

अनुवाद एवं शब्दावली विकास: केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो सरकारी दस्तावेजों, मैनुअलों, संहिताओं और प्रपत्रों का हिंदी में अनुवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- ➢ अकेले 2021–22 में, ब्यूरो ने आधिकारिक दस्तावेजों के लगभग 2,147 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया।
- ➢ विभाग ने तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली को मानकीकृत करने के लिए हिंदी में व्यापक शब्दावलियां और शब्दावलियां विकसित की हैं।
- ➢ डिजिटल शब्दकोश परियोजना "हिंदी शब्द सिंधु" में 5 लाख से अधिक शब्दों को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के 25,000 शब्द भी शामिल हैं, जिससे हिंदी शब्दावली समृद्ध हुई है और भाषाई एकीकरण को बढ़ावा मिला है।

संस्थागत तंत्र और निगरानी: विभाग ने अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रगति की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किए हैं:

- ➢ नगर स्तर पर सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। संसदीय राजभाषा समिति समय–समय पर केंद्र सरकार क विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए निरीक्षण करती है। राजभाषा नीति के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है।

प्रोत्साहन और पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहन: हिंदी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और आधिकारिक भाषा के प्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले कार्यालयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और पुरस्कार शुरू किए। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा की भावना को बढ़ावा मिला। राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतिवर्ष दिया जाता है।

तकनीकी नवाचार:

- ➢ लीला ऐप, कंठस्थ और ई–महाशब्द सिंधु जैसे डिजिटल उपकरणों का विकास भाषा सीखने और अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है।
- ➢ महत्वाकांक्षी भारतीय भाषा अनुभाग परियोजना का उद्देश्य एक सार्वभौमिक अनुवाद प्रणाली बनाना है, जो विभिन्न

भारतीय भाषाओं के बीच पत्राचार का त्वरित अनुवाद संभव बनाएगी तथा अंतर–सरकारी संचार को बढ़ाएगी।

➢ ई–गवर्नेंस प्लेटफार्मों और सरकारी वेबसाइटों में हिंदी को बढ़ावा देने से हिंदी में आधिकारिक सूचनाओं तक डिजिटल पहुंच बढ़ गई है।

भाषाई विविधता में संतुलनः हिंदी को बढ़ावा देते हुए, विभाग भारत की भाषाई बहुलता का सम्मान करता है। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी है, विशेष रूप से हिंदीतर भाषी राज्यों में। विभाग संघीय सद्भाव को बनाए रखते हुए आधिकारिक कार्यों और अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करता है। हिंदी शब्दकोशों में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे अंतर–भाषाई समृद्धि को बढ़ावा मिले।

चुनौतियों का सामना

जैसे–जैसे प्रशासनिक परिदृश्य विकसित होता है, हिंदी का सपोर्ट करने वाले भाषा सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जिन्हें नियमित रूप से अपडेट और परिष्कृत किया जाना चाहिए। इसके लिए मौजूदा तकनीकों को बेहतर बनाना और नए डिजिटल समाधान विकसित करना आवश्यक है, जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हों। तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करने से इस क्षेत्र में चल रहे नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

अंग्रेजी और हिंदी में संतुलनः द्वि–भाषा प्रणाली, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों शामिल हैं, अपनी जटिलताओं को सामने रखती है। जबकि देश की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी को पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया जाए। ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है जहाँ दोनों भाषाएँ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह–अस्तित्व में रह सकें, जिससे प्रभावी संचार और शासन में भागीदारी हो सके।

भविष्य की रूपरेखा तैयार करनाः विज़न 2047 और उससे आगे

राजभाषा विभाग अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। भारत का भाषाई परिदृश्य गतिशील है, जो वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बहुभाषावाद के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता से आकार ले रहा है। आने वाले वर्षों में प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने के लिए, विभाग को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हैः–

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का दोहनः विभाग को आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद, प्रतिलेखन, भाषण पहचान और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के लिए एआई–संचालित उपकरणों का सक्रिय रूप से पता लगाना और उनमें निवेश करना चाहिए। इससे भाषा संबंधी बाधाओं के बीच दक्षता, पहुंच और संचार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतीय भाषा अनुभाग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से सरकार के भीतर निर्बाध बहुभाषी संचार संभव होगा।

भारतीय भाषाओं के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करनाः सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं में सभी आधिकारिक भाषाओं के निर्बाध उपयोग का सपोर्ट करने वाले व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसमें मानकीकृत फ़ॉन्ट, कीबोर्ड, इनपुट विधियाँ और इंटरऑपरेबल सॉफ़्टवेयर शामिल हैं। ई–गवर्नेंस पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन पर हिंदी और अन्य आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देना भी मददगार होगा।

बहुभाषावाद को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में बढ़ावा देनाः विभाग को सक्रिय रूप से बहुभाषावाद को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ नागरिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी मूल भाषाओं का उपयोग करने में सहज महसूस करें, जिसमें सरकारी बातचीत भी शामिल है। इसके लिए अधिक समावेशी और समायोजनकारी भाषा नीति की ओर बदलाव की आवश्यकता है।

➢ हिंदी और अंग्रेजी के साथ–साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के विकास और प्रयोग का सपोर्ट करना।

➢ शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी सीखने को प्रोत्साहित करना।

➢ समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक भाषा नीति में शामिल करना।

➢ बदलते भाषाई और तकनीकी परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए राजभाषा नियमों की आवधिक समीक्षा और अद्यतनीकरण।

भाषा शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करनाः आधिकारिक भाषाओं में कुशल व्यक्तियों का एक समूह बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण भाषा शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भाषा सीखने को बढ़ावा देना और भाषा संसाधनों के विकास का सपोर्ट करना शामिल है। हिंदी और अन्य आधिकारिक भाषाओं में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि करना।

➢ भाषा विकास और शिक्षणशास्त्र के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी करना।

➢ हिंदी टाइपिंग, अनुवाद और संचार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

- नवीन भाषा संवर्धन पहलों को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार करना।

सहयोग और समन्वय बढ़ाना: अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए, विभाग को राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स और भाषा विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना होगा।

भारतीय भाषाओं में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान, भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा शिक्षण में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना आधिकारिक भाषाओं के निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सांस्कृतिक संवर्धन:

- हिंदी दिवस और अन्य भाषाई उत्सव मनाना जारी रखना।
- हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य, कला एवं मीडिया को सहयोग प्रदान करना।
- भाषाई एकता को मजबूत करने के लिए एक भारत, श्रेष्ठ भारत जैसे सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

प्रगति मापना और जवाबदेही सुनिश्चित करना: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति मापने के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करना और सरकार के सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

नागरिकों के साथ जुड़ना और फीडबैक एकत्रित करना: नागरिकों के साथ नियमित रूप से जुड़ने और राजभाषा नीति के साथ उनके अनुभवों पर फीडबैक एकत्रित करने से विभाग को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि इसकी पहल लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

राजभाषा विभाग की 50 साल की यात्रा भाषाई सद्भाव और प्रशासनिक दक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नीति कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक संवर्धन में निरंतर प्रयासों के माध्यम से, विभाग ने भारत की समृद्ध बहुभाषी विरासत का सम्मान करते हुए आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को काफी आगे बढ़ाया है।

जैसे–जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, भाषाई एकता को बढ़ावा देने, डिजिटल परिवर्तन को अपनाने और समावेशी भाषा नीतियों को बढ़ावा देने में विभाग की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। भविष्य एक जीवंत, बहुभाषी भारत का वादा करता है जहां राजभाषा संचार, संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण के सेतु के रूप में कार्य करेगी।

"मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

– लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

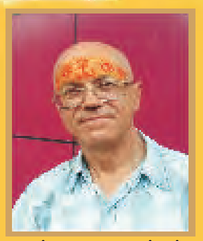

डॉ गेनादी श्लोम्पेर,
इजरायल

"हिंदी न केवल जीवंत, विशेष एवं समृद्ध संस्कृति का दर्पण है, अपितु दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने वाले मित्र राष्ट्र भारत की भाषा है। इजरायल के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता का यही कारण है।"

प्रो. तोमियो मिज़ोकामी
जापान

"दुनिया जानती है हिंदी की ताक़त और आकर्षण को! भारत की आम जनता भी जानती है इसे। लेकिन खेद की बात तो यह है कि सुशिक्षित व संपन्न अंग्रेज़ीदाँ लोग तो इसे कुछ कम जानते हैं!"

आओ फिर से दिया जलाएँ

—भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी

भरी दुपहरी में अँधियारा
सूरज परछाईं से हारा
अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ।

हम पड़ाव को समझें मंज़िल,
लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल,
वर्तमान के मोहजाल में, आने वाला कल न भुलाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ।

आहुति बाक़ी, यज्ञ अधूरा,
अपनों के विघ्नों ने घेरा,
अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियाँ गलाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली-110001
के लिए इन्दु कार्ड्स एण्ड ग्राफिक्स, चावड़ी बाजार, दिल्ली द्वारा मुद्रित